लोक सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

दसवां सत्र

Tenth Session

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
03.2.84
Parliament Library

(खंड 40 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. XL contains Nos. 41 to 50)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 49, शुक्रवार, 1 मई, 1970/11 वैशाख, 1892 (शक)

No. 49, Friday, May, 1, 1970/Vaisakha 11, 1892 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1351	अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्बन्धी समस्याओं पर ताहिती द्वीप समूह में चर्चा	Problems Re: International Tourism discussed at Tahiti Islands	1-4
1352	अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण	Creation of All India Services	4-8
1353	दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जतियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि	Increase in Representation of Scheduled castes and Scheduled Tribes in Delhi Administration	8-12
1354	नक्सलवादियों को दबाने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल का प्रयोग	Use of C. R. P. and B. S. F. for Suppression of Naxalites	12-18
	प्रश्नो के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions	
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.			
1355	परा मनोविज्ञान संस्था का गंगानगर से स्थानान्तरण	Shifting of Para Psychology institute from Ganganagar	19-20
1356	स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षा का गिरता हुआ स्तर	Deteriorating standard of Education in post graduate classes	20-21
1357	पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में पाकिस्तानी नावों का चलना	Pakistani Boats operating on Sunderban Region of West Bengal	21-22

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
1358	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इण्डिया के विमानों के अपहरण को रोकने के उपाय	Steps to prevent Hijacking of IAC and Air India Planes	22
1359	दिल्ली प्रशासन द्वारा देशबन्धु कालिज, कालकाजी, नई दिल्ली को अपने नियंत्रण में लेना	Taking over of Deshbandhu College, Kalkaji, New Delhi by Delhi Administration	22-23
1360	सरकारी कार्यालयों के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन के लिए प्रायोगिक योजना	Pilot scheme for Reorganisation of Administrative Set up of Government Offices	23
1361	चार बड़े शहरों में होटलों में उपलब्ध स्थान	Hotel Accommodation in Big Four Cities	24
1362	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त कालिजों को अनुदान	Grant to Aided Colleges by UGC	24-25
1363	बक्सर और फरक्का के बीच स्टीमर सेवा	Steamer Service between Buxur and Farakka	25
1364	केरल में हथियार तथा गोला बारुद बरामद होना	Recovery of Arms and ammunition in Kerala	25-26
1365	केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों का संघ	Confederation of Central Government Officers	26
1366	राज्यों को स्थानान्तरण पर राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को वेतन तथा भत्ते	Pay and allowances of N. D. S. Instructors on Transfer to States	26-27
1367	निजी थैलियों की समाप्ति	Abolition of Privy Purses	27
1368	भारतीय तटीय सम्मेलन द्वारा सामान्य माल की भाड़ा दरों में वृद्धि के लिये सुझाव	Suggestion for increase in Freight Rates on General Cargo by Indian Coastal Conference	27-28
1369	विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों के चुनाव के लिए समान प्रणाली	Uniform System of Electing Vice Chancellors for Universities	28-29
1370	राज्य स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु मुख्य मन्त्री का वक्तव्य	Tamil Nadu Chief Minister's Statement for secruing state Autonomy	29

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages.
ता० प्र० सं० S. Q. Nos.		
1371 छोटी सदड़ी स्वर्णकांड	Chhoti Sadri Gold case	29-30
1372 ग्रीष्मकालीन संस्थान	Summer Institutes	30-31
1373 मारमागोआ पत्तन के लिए वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Mormugao port	31
1374 पहली मई को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करना	Declaration of Ist May as Public Holiday	31-32
1375 अन्तर्राज्यीय सीमा विवादों को निपटाने के लिए स्वीकार किये गये सिद्धान्त	Principles accepted for settlement of Inter State Border Disputes	32
1376 कालेजों के अध्यापकों के लिये दो वेतनक्रम	Two Scales of Remmuneration for College Teachers	32-33
1377 बिहार में पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिये केन्द्रीय अनुदान	Central Grant for Development Tourist Centres in Bihar	33
1378 विभिन्न मंत्रालयों की कर्मचारी परिषदों के लिए प्रक्रिया नियम	Rules of Procedure for Staff Councils in various Ministries	33-34
1379 कनाट प्लेस नई दिल्ली के एक रेस्तराँ का लाइसेन्स रद्द किया जाना	Revocation of licence of an Eating House in Connaught Place. New Delhi	34
1380 भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक की नियुक्ति	Appointement of Director of Indian Institute of Public Administration	34-35
अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.		
8162 दिल्ली प्रशासन द्वारा शिक्षा शास्त्री डिग्री को मान्यता दिया जाना	Recognition to Shiksha Shastri Degree by Delhi Administration	35
8163 भारत से अलग होने का प्रचार करने वाले दलों के विरुद्ध कार्यवाही	Action against Parties preaching Secession from India	35-37
8164 भारतीय इतिहासिक रिकार्ड आयोग की सिफारिशें	Recommendations by Indian Historical Records Commission	37
8165 मद्य निषेध वाले दिनों में अशोक होटल नई दिल्ली में शराब देना	Serving of Liquor in Ashoka Hotels Ltd. New Delhi on Dry Days	38

अ० ता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
8166	विशाखापटनम में लौह अयस्क के उतारने चढ़ाने के संयंत्र का विकास	Development of Iron Ore Handling Plant at Visakhapatnam	38
8167	सैमिनार पत्रिका में राष्ट्रीय ग्रंथालय के बारे में झा समिति के प्रतिवेदन से अंशों का प्रकाशन	Publication of Extracts from Jha Committee Report on National Library in Seminar	38-39
8168	गांधी दर्शन की शिक्षा देने के लिए सर्वोदय साहित्य	Sarvodaya Literature to Preach Gandhian Philosophy	39
8169	देश में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in the country	39-40
8170	दिल्ली प्रशासन के अधीन कार्य करने वाले पुस्तकाध्यक्ष के सम्बन्ध में कोठारी आयोग के प्रतिवेदन की सिफारिशों का कार्यान्वयन	Implemtation of Recommendations of Kothari Commission in Respect of Librarians under Delhi Administration	40
8172	बोकारो में श्रमिकों पर गोली चलाई जाना	Firing upon Workers in Bokaro	40-41
8173	लेह में बौद्ध दर्शन का स्कूल	School of Buddhist Philosophy at LEH	41-42
8174	दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवा की शर्तें	Service conditions of Delhi University Toachers	42-43
8176	नेफा में सिर काटने के मामले	Head hunting in NEFA	43
8177	दिल्ली में आदर्श व्यायाम शालाओं का स्थापित किया जाना	Setting up of Model Gymnasiums in Delhi	43-44
8178	दिल्ली/नई दिल्ली की बस्तियों में समाज सदन का निर्माण	Construction of Community Halls in Colonies of Delhi/New Delhi	44
8179	संघ राज्य क्षेत्रों तथा पश्चिम बंगाल में अपहरण के मामले	Kidnapping cases in Union Territories and in West Bengal	44-45
8180	विधि प्रक्रिया में परिवर्तन के सुझाव	Changes suggested in Legal Procedures	45
8181	दिल्ली उच्च न्यायालय के लिये टाइप की हुई याचिकायें	Typed appeals foı Delhi High Court	45-46
8182	दिल्ली के दण्डाधिकारी द्वारा घूस लिये जाने का समाचार	Alleged acceptance of bribe by a Magistrate of Delhi	46

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अ० ता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
8183 योग्यता छात्रवृत्ति दिये जाने के बारे में एक संसद् सदस्य का सुझाव	Suggestions by a Member of Parliament Re: Award of Merit Scholarships to students	46-47
8184 हिन्दी सलाहकार की सिफारिशों की क्रियान्वित	Implementation of recommendations of Hindi Adviser	47
8185 अन्दमान के समुद्र में पकड़ी गई चीनी शिकार चोर नाव (पोचर वोट)	Chinese Poacher Boat captured in Andaman waters	48
8186 चीनी शिकार चोर नाव (पोचर वोट) को ननकौड़ी द्वीप से पोर्ट ब्लेयर ले जाने के लिये नौसेना को आनुदेश	Instructions to Navy for Towing of Chinese Poacher Boat from Nancowry Island to Port Blair	48-49
8187 चीनी शिकार चोर नाव (पोचर वोट) को ननकौड़ी द्वीप से पोर्ट ब्लेयर ले जाने के लिये आदेश दिया जाना	Orders given for Towing of Chinese Poacher Boat from Nancowry Island to port Blair	49-50
8188 विभिन्न राज्यों में पुलों का निर्माण	Construction of Bridges in various states	50
8189 पत्रिका प्रकाशित करने के लिये जामिया मिलाय के डा० आबिद हुसेन को वित्तीय सहायता	Financial help to Dr. Abid Hussain of Jamia Millia for publishing Magazine	50-52
8190 महाराजा ग्वालियर के जवाहरात	Jewellery of the Maharaja of Gwalior	52
8191 केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप-मंत्रियों द्वारा राज्यों का दौरा	States visited by Union Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers	52-53
8192 हुसैनीवाला की सीमा पर एक भवन का निर्माण	Construction of building at Hussainiwala Border	53
8193 मनीपुर में राजपत्रित पदों पर अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति	Appointment of Scheduled Castes to Gazetted Posts in Manipur	53-54
8194 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मामले	Cases pending before High Courts and Supreme Court	54-55
8195 राष्ट्रपति की अनुमति के लिये पश्चिम बंगाल से प्राप्त विधेयकों की संख्या	Number of Bills received from West Bengal for President's Assent	55

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अ० ता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
8196 भारत और पाकिस्तान के बीच मुढ़भेड़	Clashes between India and Pakistan	55-56
8197 सांस्कृतिक आदान प्रदान के बारे में मलयेशिया के साथ करार	Agreement with Malayasia on cultural Agreements	56
8198 यूनेस्को द्वारा मन्दिरों, मस्जिदों गुरुद्वारों और गिरजों का नवीकरण	Renovation of Temples, Mosques, Gurdwaras and Churches by UNESCO	56-57
8199 जाली डालर बनाने वाला गिरोह	Gang Counterfeiting Dollars	57
8200 बेरोजगार स्नातक तथा इंजीनियर	Unemployment Graduates and Engineers	57-58
8201 रूसी कलाकारों के एक दल का दौरा	Visit by a Group of Soviet Artists	58
8202 राष्ट्र निर्माण में अल्पसंख्यकों के योगदान के सम्बन्ध में गोष्ठी	Seminar on Minorities in Nation building	58-59
8203 छटा अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन	Sixth All India Language Convention	59
8204 भारतीय प्रबन्ध संस्था (इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमैंट), अहमदाबाद द्वारा भारत में होटल आवास सम्बन्धी सर्वेक्षण	Survey of Hotel Accommodation in India by Indian Institute of Management, Ahmedabad	59-60
8205 हिन्दी सहायकों तथा हिन्दी अनुवादकों की नियुक्ति	Appointment of Hindi Assistants and Hindi Translators	60-61
8206 हिन्दी सहायकों, हिन्दी अनुवादकों तथा हिन्दी अधिकारियों का एक संवर्ग बनाने की प्रशासनीक आवश्यकता	Administrative Requirements for forming a cadre for Hindi Assistants Hindi, Translators and Hindi Officers	61-62
8207 दिल्ली पुलिस के पास दर्ज अपराध के मामले	Criminal cases registered with Police in Delhi	62-63
8208 पूर्वता अधिपत्र (वारन्ट आफ प्रिसिडेन्स)	Warrant of precedence	63
8209 संसद् कार्य विभाग में और हिन्दी/अंग्रेजी में किये जाने वाले काम का ब्यौरा और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के कर्मचारियों की संख्या	Details of work done in Hindi/English in Department of Parliamentary Affairs and number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees	63

विषय Subject	पृष्ठ/Pages
अ० ता० प्र० सं० U S. Q. Nos.	
8211 संघ लोक सेवा आयोग में परीक्षा नियंत्रक Controller of Examinations in UPSC	63-64
8212 श्री बलदेव सिंह की हत्या के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच C. B. I. inquiry into murder of Shri Baldev Singh	64-65
8213 श्री बलदेव सिंह की हत्या Murder of Shri Baldev Singh	65
8214 मनीपुर में पदों के लिये केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार Interviews by UPSC for posts in Manipur	65-66
8215 मनीपुर असैनिक सेवा (सिविल सर्विस) संवर्ग Manipur Civil Service Cadre	66-67
8216 मनीपुर में पोलो क्लब, को वित्तीय सहायता Financial Assistance to Polo Clubs in Manipur	67-68
8217 मनीपुर में क्रान्तिकारी सरकार से सम्बन्धित व्यक्तियों की गिरफतारी Arrest of persons connected with the Revolutionary Government in Manipur	68
8218 दिल्ली में कम वेतन पाने वाले कालिजों के कर्मचारियों को परेशान किया जाना Victimisation of low paid Employees of Colleges in Delhi	69
8219 महाबलीपुरम का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास Development of Mahabalipuram as a Tourist Centre	69
8220 दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम Correspondence Courses of Delhi University	69-70
8221 स्वर्णरेखा पुल के निर्माण पर 9 लाख रुपये खर्च करने के बारे में उड़ीसा सरकार को प्रशासनिक अनुमोदन देना According of Administrative Approval to Orissa Government for spending Rs. 9 lakhs on construction of Subernarekha Bridge	70
8222 गुड़गांवा में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करना Setting up of a Kendriya Vidyalaya in Gurgaon	71
8224 भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का पुस्तकालय Library of the National Archives of India	71
8225 शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी स्टेनोग्राफर Hindi Stenographers in Education Ministry	71-72

विषय Subject		पृष्ठ/Pages
अ० ता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
8226 गृह-कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के निजी कर्मचारियों में प्रशिक्षण प्राप्त हिन्दी स्टेनोग्राफरों की नियुक्ति	Appointment of trained Hindi Stenographers to the Personal staff of Senior Officers of Home Ministry	72
8227 दिल्ली में भिक्षु द्वारा बच्चों का अपहरण	Kidnapping of Children by a Monk in Delhi	72-73
8228 पालम हवाई अड्डे के समीप स्थित दिल्ली के एक गांव को हटाया जाना	Shifting of a Delhi Village from its Existing place near Palam Airport	73-74
8229 अधिक विमान सेवाओं की आवश्यकता	Need for More Air Services	74
8230 मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में होटल	Public Serctor Hotels in Madhya Pradesh	74
8231 संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हिन्दी स्टेनोग्राफरों की परीक्षा	Holding of Examination for Hindi Stenographers by UPSC	74-75
8232 गृह-कार्य मंत्रालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति	Promotion of Class IV Employees in Ministry of Home Affairs	75-76
8233 संयुक्त मोर्चा प्रशासन काल में पश्चिम बंगाल अधिकारियों का आचरण	Conduct of West Bengal Officials during United Front Regime	76
8234 नई दिल्ली में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सुपरसानिक विमानों की उड़ानों की योजना पर चर्चा	Supersonic Flight planes discussed at International Conference held in New Delhi	76
8235 भारतीय पर्यटन विकास निगम के अंशकालिक अध्यक्ष	Part time Chairman of India Tourism Development Corporation	77
8236 कृष्णनगर (पश्चिम बंगाल) में पद्मालागांव पर पाकिस्तानियों का आक्रमण	Attack by Pakistanis at Padmamala Village in Krishnanagar (West Bengal)	77
8237 दिल्ली में पुलिस की जुआरियों से सांठ-गांठ	Collusion of Police with Gamblers in Delhi	78
8238 पुलिस द्वारा उत्तेजित भीड़ पर गोली चलाया जाना	Firing by Police on Mob	78
8239 दानापुर छावनी का केन्द्रीय स्कूल	Central school Danapur Cantonment	78-79
8240 मंत्रालयों में हिन्दी अनुवादकों तथा हिन्दी सहायकों के पद	Posts of Hindi Translators and Hindi Assistants in Ministries	79-80

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
8241 बिहार में उग्रवादियों द्वारा फसल की लूट पाट तथा हत्याएं	Looting of crops and Murders by Extremists in Bihar	80-81
8242 दिल्ली में आटोरिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Auto-rickshaws and Taxi Drivers in Delhi	81-82
8243 राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षकों के तबादले की शर्तें	Terms and conditions of transfer of N. D. S. Instructors	82-83
8244 हिन्दी सहायकों के पदों को हिन्दी अनुवादक पदों में बदलना	Conversion of posts of Hindi Assistants to Hindi Translators	83-84
8245 देश का चार खण्डों में पुनर्गठन	Reorganisation of country into four Zones	84
8246 शैक्षिक आवश्यकताओं के लिये अंग्रेजी का प्रयोग	Use of English for Educational Needs	84-85
8247 संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षाओं के लिये हिन्दी में साक्षात्कार (इन्टरव्यू)	Interviews in Hindi for Examinations conducted by U. P. S. C	85-86
8248 देहली में रोहतक रोड पर पर्यटन विभाग द्वारा एक पुराने मकान की खरीद	Purchase of an old building at Rohtak Road, Delhi by Tourist Department	86
8249 जलपाई गुड़ी जिले में धान लूटना	Looting of Paddy in Jalpaiguri District	86-87
8250 पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Tourists visiting North Eastern Region	87
8251 चण्डीगढ़ अधीनिस्थ सेवा संघ की मांगें	Demands of Chandigarh Subordinate Service Federation	87-88
8252 चण्डीगढ़ का एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास	Development of Chandigarh as a Tourist Centre	88
8253 आंन्ध्र प्रदेश में नक्सलवादियों के पास से विस्फोटक सामग्री का बरामद होना	Recovery of Explosive Material from Naxalites in Andhra Pradesh	89
8254 नागालैंड मनीपुर सीमा पर विद्रोहियों के छिपने के अड्डों से हथियारों का बरामद होना	Recovery of arms from Hostile hideouts on Nagaland-Manipur Border	89

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
8255 नरेला (दिल्ली) स्थित स्वामी श्रद्धानन्द कालेज का स्थानांतरण	Shifting of Swami Shradhanand College, Narela (Delhi)	89-90
8256 स्वामी श्रद्धानन्द कालेज, नरेला, दिल्ली	Swami Shraddhanand College, Narala (Delhi)	90
8257 आसाम के कुछ भागों में चीनी मुद्रा का प्रचलन	Circulation of Chinese Currency in certain Parts of Assam	90
8258 तोड़ फोड़ गतिविधियों के लिये प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे आन्ध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के आदिवासी	Adivasis of Andhra Pradesh and Madhya Pradesh Receiving Training for subversive Activities	90-91
8259 जम्मू तथा काश्मीर पर संविधान के अनुच्छेद 335 लागू करना	Application of article 335 of the Constitution to Jammu and Kashmir	91
8260 प्राइवेट विद्यार्थियों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन	Amendment of Delhi University Act for providing facilities to private students	91
8261 लाटरियों के बारे में उच्चतम न्यायलय की राय	Opinion of Supreme Court on Lotteries	91-92
8262 देश में सड़कों को सुधारने के लिये उपाय	Measures for improvement of roads in the country	92
8263 राजस्थान विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा पैरा मनोवैज्ञानिक विभाग सम्बन्धित अनुसन्धान सामग्री, अप्रकाशित आंकड़े तथा पाण्डुलिपियां जब्त किया जाना	Seizure of research material, unpublished data and manuscripts of department of Para Psychology by Rajasthan University Authorities	92-93
8264 दिल्ली में मोटर गाड़ियों की दुर्घटनायें	Accidents in Delhi involving motor Vehicles	93-94
8265 देश में राजनीतिक आन्दोलन	Political Agitations in the country	94
8266 ग्रामीण संस्थानों में अध्यापकों के लिये पुनरीक्षित वेतनक्रम	Revised Pay Scales for Teachers in Rural Institutes	94
8267 दिल्ली में जे० टी० सी०/जे० ए० वी०/सी० टी० अध्यापकों का ज्ञापन	Memorandum from JTC/JAV/CT Teachers of Delhi	94-95

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
8268	जम्मू के डोडा जिले में राष्ट्र विरोधी सेना / Anti National Army in Doda District of Jammu	95
8270	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में आन्दोलन / Agitation in Andaman and Nicobar group of Islands	95
8271	संघ लोक सेवा आयोग में और प्रशासनिक सेवाओं में भरती के लिये नियुक्त चयन समितियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का प्रतिनिधित्व / Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in UPSC Selection Committees for recruitment to Administrative Services	95-96
8272	ओरछा, जिला टीकमगढ़ (मध्य प्रदेश) में जहांगीर महल को अपने अधिकार में लेना / Taking over of Jahangir Palace in Orchha, District Tikamgarh (Madhya Pradesh)	96
8273	बिहार में वैशाली का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास करना / Development of Vaishali in Bihar as Tourist Centre	99-97
8374	अपराधों की रोकथाम / Checking of Crimes	97
8275	चम्पारन जिले (बिहार) में केसरिया के ऐतिहासिक अवशेष / Historical Remains near Kesaria in Champaran District (Bihar)	97-98
8276	दिल्ली में ऐतिहासिक स्थानों पर व्यय / Expenditure on Historical Places in Delhi	98-99
8277	राऊज एवेन्यु, नई दिल्ली में परिवार कल्याण केन्द्र / Family Welfare Centre at Rouse Avenue, New Delhi	99
8278	दिल्ली के कालेजों में अवर स्नातक पाठ्यक्रम / Under graduate Course in Delhi Colleges	99-100
8279	दिल्ली और ग्वालियर के मध्य इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उड़ानों में विलम्ब होना / Delay in IAC Flights between Delhi and Gwalior	100
8280	केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के ग्रेड दो से ग्रेड एक में पदोन्नति / Promotion from Grade II to Grade I in Central Secretariat Stenographers Service	100-101
8281	दिल्ली में समुद्री दिवस (मैरीटाइम) का मनाया जाना / Celebration of Maritime Day in Delhi	101

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
8282	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बारे में सरकार समिति का प्रतिवेदन	Sarkar Committee Report on CSIR 102
8283	पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय बलों के लिये भूमि अधिग्रहण	Acquistion of Land in West Bengal for Central Forces 102
8284	गृह-कार्य मंत्री के विवेकाधीन कोष से खर्च	Expenditure from Home Ministry's Discretionary Fund 103
8285	विमान सेवा निगमों में विलय	Amalgamation of Air Corporation 103-104
8286	मध्य प्रदेश में कान्हा का वन्य पशु संरक्षित क्षेत्र के रूप में विकास	Development of Kanha in Madhya Pradesh as Wild Life Sanctuary 104
8287	दार्जिलिंग में भारतीय सड़क कांग्रेस के अध्यक्ष का वक्तव्य	Statement made by President of Indian Roads Congress at Darjeeling 104-105
8288	पालम हवाई अड्डे पर राडार सुविधा	Radar Facility at Palam Airport 105
8289	नदी पुलों की खराब हालत	Dilapidated condition of River Bridges 105-106
8290	उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों पर व्यय की जाने वाली राशि	Amount spent on National Highways in Uttar Pradesh 106
8291	इंडियन एयरलाइन्स के अलाभकर वायुयान	Planes of IAC not yielding profit 107
8292	हिमाचल प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन	Reorganisation of districts in Himachal Pradesh 107-108
8293	वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं के निदेशकों द्वारा त्यागपत्र	Resignation of Directors of CSIR Laboratories 108
8294	राष्ट्रीय राजपथों के रखरखाव के लिये राज्य सरकारों के लिये नियत की गई राशियां	Allocations made to State Governments for maintenance of national Highways 109-110
8295	पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजपथों पर व्यय की जाने वाली राशि	Amount spent on National Highways in West Bengal 110

	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
	अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.		
8296	नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री को एक संसद् सदस्य द्वारा भेजी गई शिकायत का उत्तर	Reply to a complaint sent by a Member of Parliament to Deputy Minister of Shipping and Transport	111
8298	नये वेतन क्रमों का विकल्प देने वाले संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों को हानि	Loss suffered by Employees of Union Territories by Opting for New Pay Scales	111-112
8299	हिमाचल प्रदेश में धानी सिविल सेवा के कर्मचारियों को भत्ते की अदायगी	Payment of allowances to Members of Dhani Civil Service in Himachal Pradesh	112
8300	धानी सिविल सेवा के दिल्ली में नियुक्त दण्डाधिकारी की उपलब्धियां	Emoluments of Delhi Magistrate belonging to Dhani Civil Service	112
8301	वर्तमान बजट में पर्यटन केन्द्रों के लिये निर्धारित राशि	Provision made for tourist centres in current budget	112-113
8302	दिल्ली परिवहन उपक्रम की खराब बसें	Defective DTU buses	113
8303	हवाई अड्डा और रेडियो आपरेटरों की भर्ती के बारे में भेदभावपूर्ण नीति	Discriminatory policy for recruitment of Aerodrome Operators and Radio Operators	113-114
8304	एयर इंडिया के यात्रियों को हिन्दी पत्रिकाओं अथवा समाचार पत्र उपलब्ध किया जाना	Supply of Hindi Journals or news papers to passengers travelling by Air India	114
8306	निजी थैलियों के प्रश्न पर भूतपूर्व नरेशों के साथ समझौता	Reapproachment with princes on privy purses	114-115
	अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	115
	हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Non-gazetted staff of Himachal Pradesh	115-118
	विश्व के मजदूरों को मई दिवस पर शुभकामनायें	May Day Greetings to the workers of the World	118
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	118-120
	विधेयक पर अनुमति	Assent to Bill	120

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
सभा का कार्य	Businens of the House	120-123
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter under Rule 377	123-130
वित्त विधेयक, 1970	Finance Bill, 1970.	130-152
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	130
श्रीमती इन्दिरा गांधी	Shrimati Indira Gandhi	130
श्री शान्ति लाल शाह	Shri Shantilal Shah	136
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	138
62 वां प्रतिवेदन	Sixty-Second Report.	138
सम्पत्ति के अधिकार के बारे में संकल्प-अस्वीकृत	Resolution Re. Right to Property negatived	138
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	138
श्री रंगा	Shri Ranga	139
श्री रा० द्वो० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	140
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	141
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	142
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	142
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	143
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	144
श्री वेदव्रत बरुआ	Shri Bedata Basua	145
श्री बदरुद्रदुजा	Shri Badrudduja	145
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	146
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	146
श्री गोविन्द मेनन	Shri Goinda Menon	146
श्री पी० राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	147
पश्चिम बंगाल की आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं के बारे में संकल्प	Resolution Re. Economic and Social Problems of West Bengal.	149
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta	149
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion	149
वियतनाम के एक प्रकाशन में भारत पर कथित अपलेखात्मक आक्षेप	Reported Libellous Attack on India in a North Vietnam publication	149
श्री नन्द्रकुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	149
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	Shri Surendra Pal Singh.	151

लोक-सभा

LOK-SABHA

शुक्रवार, 1, मई 1970/11 वैशाख, 1892 (शक)
Friday, May 1, 1970/ Vaisakha 11, 1892 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. SPEAKER IN THE CHAIR]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

श्री ए० श्रीधरन : श्रीमन, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आज मई दिवस है। यह दिवस श्रमिक वर्ग के सर्वोच्च बलिदान एवं उनकी एकता का दिवस है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सदन की ओर से इस मई के दिन संसार के श्रमिक वर्ग को शुभकामनायें दें।

Shri Shiv Chand Jha.—Mr. Speaker, I support him on this issue. Today is the day of working class, the house should be adjourned to day. I had made a reference to Lenin that day but you did not adjourn the house. Today the house shoud certainly be adjourned.

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमान, आज केरल सरकार ने अवकाश की घोषणा कर दी है। हम सभी को शहीदों के लिए अपनी श्रद्धान्जलि अर्पित करनी चाहिये। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर हमें शहीदों के प्रति श्रद्धान्जलियां अर्पित करने दें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये। नये सदस्य को शपथ लेने दी जाय।

सदस्य ने शपथ ग्रहण की
Member Sworn

श्री यादव शिवराम महाजन (बुलढ़ाना)

श्री स० मो० बनर्जी : कृपया शहीदों का संदर्भ लें।

श्री लोबो प्रभु : आप हमें भी सम्मलित कर लें।

Mr. Speaker :—Kindly Sit down. You had made a reference to Lenin that day and had referred 'May-day' now. It is not possible to take to up abruptly such things during question hour. You should have told me first, we would have called certain leaders for their advice. To take it up in an abrupt way is not proper. There shouid be some convention for all this.

Shri Shiv Chand Jha.—I had asked about Lenin in writing but you did not agree to that (interruption).

Shri Rabj Ray :—Kindly greet the working class of the world.

Shri Shiv Chandra Jha :—Homage must be paid to them,

श्री स० मो० बनर्जी : हमें शहीदों के प्रति बड़ा सम्मान है। हमें एक मिनट का मौन रखना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आप सभी की ओर से मैं मजदूर वर्ग के लिये अपनी शुभ कामनायें प्रेषित करता हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : हमें मई दिवस मनाना चाहिये (व्यवधान)। कृपया आप पंडित नेहरू के लेखों को पढ़ें। मई दिवस एक एतिहासिक दिवस है। दलगत भावना से परे मेरा केवल एक ही अनुरोध है कि हमें श्रद्धान्जलि अर्पित करने के लिए 1 मिनट मौन रखना चाहिये।

Shri Shiv Chandra Jha :—I had given you in black and white about Lenin, but no heed was paid by you. Our request should be acceded today.

श्री स० मो० बनर्जी : हमें संसार के शहीदों तथा श्रमिकों को अपनी श्रद्धान्जलि पेश करनी चाहिये।

श्री रणधीर सिंह : यह श्रमिकों का एक अन्तर्राष्ट्रीय पर्व है। हमें अपनी शुभ कामनायें भेज देनी चाहिये। यहाँ पर्याप्त होगा।

श्री मनुभाई पटेल : इस विषय को इस तरह नहीं उठाना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : जो सदस्य शहीदों को अपनी श्रद्धांजिलियां अर्पित करने में असमर्थ हैं वे बाहर जा सकते हैं। हम श्रमिक वर्ग की एकता में विश्वास रखते हैं। कृपया आप हमें शहीदों के सम्मान 1 मिनट मौन धारण किये खड़े रहने की अनुमति प्रदान करें। हमें आशा थीं कि सदन के नेता इस समय उपस्थित होंगे।

श्री ई० के० नायनार : मेरे विचार से 1 मिनट के मौन की कोई भी उपेक्षा नहीं करेगा।

श्री मनुभाई पटेल : यह महाराष्ट्र और गुजरात का जन्म दिवस है। हमें इन राज्यों को अपनी शुभकामनायें प्रेषित करनी चाहिये।

Shri Kanwar Lal Gupta :—Labour in India observe Vishwakarma day.

Shri S. M. Banerjee :—Kindiy say someting on behalf of the chair.

अध्यक्ष महोदय : जब तक वह बैठ नहीं जाते और ठीक प्रकार से व्यवहार नहीं करते, मैं खड़ा नहीं हूँगा।

Shri S. M. Banerjee :—Should we not remember those who have made sacrifices.

Mr. Speaker :—You repeat the same way daily. Do you think the way is effective ? If there was anything, you should have discussed with me and have taken up the issue with a grace. No body objects to greet the working class, to pay homage to the martyrs on this May day. But the matter should be taken up gracefully. You are behaving in such a way as if you want to bring some adjournment motion.

मेरे विचार से सदन में कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। इसे रखने का लेकिन इसे उठाने का यह तरीका क्यों अपनाया गया है। हमें पहले मिल लेना चाहिये था और उसके पश्चात इस सम्बन्ध में एक निश्चित कार्यक्रम बना लेना चाहिये था।

श्री स० मो० बनर्जी : प्रश्नोत्तर काल के पश्चात हमें खड़े होकर 1 मिनट का मौन रखना चाहिये।

Shri Shiv Chandra Jha :—I have asked regarding May day. That question should be taken up first. (interruption)

Mr. Speaker :—Yau should rcpeat the practice of making noise every day.

श्री स० मो० बनर्जी : आप अपने अधिकार से इसे पहले प्रश्न की अनुमति दे सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नही, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कृपया उलझन वाली परिस्थितियों में न डालिए यदि मैं इस प्रश्न को अनुमति दे दूं तो प्रतिदिन ही कोई न कोई प्रश्न उठाया जायेगा और हमें इसे प्रथम प्रश्न की मान्यता देनी होगी।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्बंधी समस्याओं पर ताहिती द्वीप समूह में चर्चा

+

*1351. **श्री नि० रं० लास्कर** : **श्री दंडपाणि** :

श्री मयावन : **श्री चेंगलराया नायडू** :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशान्त महासागर में ताहिती द्वीप समूह में हुये एक सम्मेलन में 8 तथा 9 अप्रैल, 1970 को अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन के विकास की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो अन्य किन विषयों पर चर्चा की गई थी;

(ग) उस सम्मेलन में क्या-क्या निर्णय किये गये थे; और

(घ) उक्त सम्मेलन में किन-किन देशों में भाग लिया था ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) प्रशान्त महासागर

क्षेत्र पर्यटन संघ के तत्वावधान में वित्तीय सहायता देने आदि पर्यटन योग्य क्षेत्रों का विकास करने की समस्याओं पर चर्चा करने के लिये ताहिती में एक पर्यटन सम्मेलन हुआ था।

(ग) सम्मेलन ने इस बात को प्रकट किया कि बड़े अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग गृहों, बड़ी बीमा कम्पनियों, निवेष बैंकों वायु सेवाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय होटल शृंखलाओं से प्रशान्त महासागर क्षेत्र में पर्यटन योग्य स्थानों के विकास में लगाने के लिये एक बहुत बड़ी राशि इकट्ठा होने की आशा है।

(घ) सम्मेलन में मुख्य रूप से व्यवसायिक पर्यटन उद्योग के प्रतिनिधि थे जिनमें 500 प्रमुख पर्यटन एजेन्ट, वायुसेवा प्रतिनिधि, होटल शृंखलाओं के प्रतिनिधि तथा बैंक आदि वित्तीय हितों के लोग शामिल थे। इसमें प्रशान्त महासागर आदि उसके निकट के 44 देशों ने भाग लिया।

श्री नि० रं० लास्कर : मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या हमारे देश में उस बैठक में भाग लिया। यदि हमारे देश ने उस बैठक में भाग लिया तो उसमें हमारा क्या योगदान है और क्या इस बैठक में भाग लेने से हमें कोई लाभ हुआ है ?

डा० कर्णसिंह : हां, हमारे देश ने इस बैठक में भाग लिया है। ऐसा हुआ कि हमारे प्रतिनिधि जो पर्यटन के महानिदेशक हैं उनको पर्यटन वर्कशाप निदेशक चुना गया। इसलिये हमने इस सम्मेलन की कार्यवाही में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इस बैठक में भाग लेना महत्वपूर्ण रहा।

श्री नि० रं० लास्कर : क्या वह बता सकते हैं कि हमने क्या योगदान किया ?

डा० कर्णसिंह : सर्व प्रथम हमें यह समझना चाहिये कि यह सम्मेलन किस लिये हुआ। प्रशान्त क्षेत्र यात्रा संस्था प्रशान्त क्षेत्र में पर्यटकों द्वारा लक्ष्य बनाये जाने वाले विभिन्न क्षेत्रों के विकास तथा बड़े बड़े नये क्षेत्र जो इस क्षेत्र के अन्तर्गत विकासशील हैं, के सम्बन्ध में कार्य करती है। प्रशांत क्षेत्र में होटल तथा पुलिन-आवास बनाने के लिए बहुत बड़ी धन राशि व्यय की जानी है जिससे पर्यटक वहां जा सकें। प्रशान्त क्षेत्र की घटनाओं से हमें निकट सम्पर्क बनाये रखना चाहिये क्योंकि वे हमारे प्रतिद्वन्दी हैं और वे भारत की अपेक्षा पयर्टकों को अपने यहां के लिए आकर्षित करेंगे। और दूसरे कुछ पर्यटक भारत भ्रमण के लिये उन देशों के मार्गों से होकर ही आयेंगे। इसलिये यह महत्वपूर्ण है कि हमें उस सभा की गति विधियों के बारे में जानकारी हो। कोई निर्णय नहीं लिया गया। परन्तु इन समस्याओं की अफवाहों के बारे में चर्चा हुई और यह चर्चा लाभकारी सिद्ध हुयी।

अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण

\+

*1352. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री जयसिंह :**
श्री यज्ञयत्त शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कई अखिल भारतीय सेवाए बनाने का निर्णय किया था और यदि हां, तो उनके नाम क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इन सेवाओं का निर्माण करने की अपनी योजना का अब परित्याग कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां। 1963 में संशोधित रूप में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में भारतीय वन सेवा; भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा; और भारतीय इंजीनियरी सेवा (सदन तथा सड़के, सिंचाई तथा विद्युत शाखाएं) की अवधारणा की है। इसके अतिरिक्त राज्य सभा ने भी धारा 312 (1) के अन्तर्गत एक संकल्प पारित किया था जिसमें भारतीय शैक्षणिक सेवा और भारतीय कृषि सेवा की अवधारणा करने की सिफारिश की थी।

(ख) और (ग) : भारतीय बन सेवा तो 1 जुलाई, 1966 से ही बना दी गई है। भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा का निर्माण करने सम्बन्धी आदेश भी 1 फरवरी, 1969 से लागू हो गए थे। भारतीय इंजीनियरी सेवा का निर्माण करने के लिए कार्यवाही की जा रही हैं। क्योंकि कई राज्यों ने भारतीय शैक्षणिक सेवा तथा भारतीय कृषि सेवा में भाग न लेने का निर्णय किया है, इसलिए इन दो सेवाओं की अवधारणा करने हेतु अखिल भारतीय सेवा अधिनियम में संशोधन करने के लिए आगे कोई कार्यवाही नहीं की है।

Shri Hardyal Devgun :—The qnestion regarding the creations A All India Services in order to maintain national unity is pending since the commission for re-organization of states was set up. But no implementation has so far been made in this regard. Forest service has been created. As regards last of the two, orders have been issued for one and the same too have not so far been implemented. Rajya Sabha also recommended two services, one for education and the other for agriculture but they too have not so far been created. I would like to ask as to why the recommended essential requisits for the maintainance of National unity are being neglected ? What are those states who are opposing these recommendations. Today certain disintegrating elemenss in some of the states do not want national unity, therefore, they are opposing creatain of all India Services. People, who confine nationality to their states are communists. Does the matter of creation of all India Services being neglected due to their pressure ? Kindly tell us the names of the states which are opposing these recommendations and what are the reasons of opposing them ?

Shri Vidyacharan Shukla : It is wrong that we are acting under pressures. The Hon. member knows that the Govt. needs co-operation and sympathetic thinking from the state Governments so far as the question of creatin of All India Service is concerned because we cannot run all India Services smoothly whout the co-operation of State Governments. Although a decesion was arrived at regarding the matter but the political situation experienced certain very big changes after General election of 1967, certain State Governments sugested different measures either before or after the General election When we forwarded rule, procedures and certain other things for their consideration then in reply to this they have expressed certain doubts. I can tell you the names. Forest service has been created and the orders have been issued regarding Indian health and medical services. On considering the rules, procedure, the Government of Kerala was doubtful regarding the merits of the scheme, though they have not refused their co-operation formally but it appears from the letter that they have written as well as from the dialogue we made with them, that are not going to co-operate in the matter. Tamil Nadu Govenment has refused their co-operation. The way of selection we have decided is not acceptable to Mysore Government and they said that unless the mode of selection was changed, they are not going to co-operate with the seheme, Punjab, where the party

of the hon. member is a partner in the Government, has also extended their refusal as regards their co-operation.

West Bengal Goverhment hss also asked the centre to bear the total additional cost regarding formation of All India Services. If it is agreed upon by the centre only then they are ready to join otherwise not. Because it was not practicable for the centre to bear the toral additional cost, they also refused to join the same. Similarly Mahara shtra has told that they do not want to associate with the Central Government. They havg also mentioned the reasons for not associating. Since four to six states are not associating and secondly the All India nature or character of these services will not be maintained for a long time, they expressed their unwillingness to associate with the Centrial Government. If a large number of states come forward Maharashtra would not hesitate. Similarly Jummu-Kashmir Government and Assam Government have refused to associate. **(Interruption)**. They have not given any specific reason ; they may have their own reasons. About Indian Service of Engineers also Tamil Nadu, West Bengal Assam, Jammu and Kashmir Government have decided not to associate, Kerala Government are still thinking whether they should associate or not.

Shri Hardayal Devgun : What is the policy of Government of India regarding the recommendation of States Reorganisation Commission ? Are Government in favour of this or against this ? What service you regard essential for the integerity of country ? The remaining states are agreed with this or not is a separate question. My second point is that in case the State Government speak against the existing services, will Government relinquish them ?

Mr. Speaker : It is a hypothetical question.

Shri Hardayal Davgun : What is the policy of the Government ;

Shri Vidya Charan Shukla ; Question regarding policy cannot be asked in Question Hour. However, I would say that our policy is to create All India Service and we have tried to create such services and brought foward legislation regarding these services before Parliament and under this we are taking all actions I mentioned the diificulties before us. There is nothing to suspect about our policies. We think that these All India Services will help achieve national interest. So we are trying to create morc and more services. But hon. Member must understand one point and that is unless we receive the good-will and co-operation of State Governments it would be very difficult for us to achieve our object ?

Dr. Ram Subhag Singh : Just now hon. State Minister has mentioned that a number of States have opposed. It is right that they have opposed on financial grounds. Recently the salary and the service conditions of I. A. S. officers has been increased and the salary of an I. A, S. of ficer would go from 2700 Rupees to 3500 Rupees. I would like to know what will be the reaction of other services due to this change ? Will it be justi- fiable to appoint officers of specialised services for less salary ?

Shri Vidya Charan Shukla : As I have already told that West Bengal Government have specially mentioned that they are not prepared to associte because it will create financial problem for them. If Central Government is prepared to bear the expenditure we will surely associate. Possibly other State Governmens, have the same consideration but they haye not mentioned it clearly.

The leader of opposition party has told that salary of I. A. S. Officers have been increased. This question does not arise out of the main question. But what

the Government have done after consultation with the State Government and Ministry of Finance. As far as the demand of giving attractive salary to the officers of specialised services, technical services are concerned that will have to be done on the basis of our financial resources.

डा० रामसुभग सिंह : आई० ए० एस० अधिकारी, जो कि राज्य सरकारों के सचिव नहीं बनने वाले हैं, उनका वेतन मान 3500 रुपये किए जाने वाला है। उधर विशेषज्ञों का चाहे वन सेवा विशेषज्ञ हो, कृषि सेवा विशेषज्ञ अथवा चिकित्सा सेवा विशेषज्ञ वे चाहे सम्बद्ध सेवा के निदेशक क्यों न बन जाएं–वेतनमान 2000 रुपये के आसपास ही रहेगा। अतः इन सेवाओं में समानता किस प्रकार लाई जा सकती है और किस प्रकार इन परिस्थितियों में विशेषज्ञों को संतुष्ट किया जा सकता है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : हमने इस प्रश्न पर विचार किया है। विपक्षी दल के नेता की यह धारणा बिल्कुल गलत है कि तकनीकी सेवाओं के विशेषज्ञों के वेतन मान 2000 रुपये के आसपास ही रहेंगे। सत्य तो यह है कि हमने ऐसी सेवाओं के अध्यक्षों जैसे कि वन महानिरीक्षक, चिकित्सा महानिरीक्षक, चिकित्सा महानिदेशक आदि का वेतन 3000 रुपये तक रखा है। उनका वेतन 3500 रुपये या उसके आस पास तो नहीं परन्तु 3000 रुपये तक के स्तर का है। अतः आई० ए० एस० अधिकारियों और तकनीकी सेवा के अधिकारियों में इतना अन्तर नहीं है।

श्री तिरुमल राव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस राज्य सरकार ने जिसने केन्द्रीय सरकार के प्रस्तावों से सहमति प्रकट नहीं की है, केन्द्रीय सेवाओं को न अपनाने का कोई कारण दिया है या नहीं और क्या राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के सम्बन्धों में एक नया मोड़ आ रहा है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : केन्द्रीय सरकार से असहमति प्रगट किए जाने के जो कारण राज्य सरकारों ने दिये हैं उन्हें मैंने पहले पूछे गए प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट कर दिया है। हमें आशा है कि अधिकतर राज्य इस मामले में हमसे सहमत होंगे।

श्रीमती सुशीला गोपालन : राज्य सरकारों द्वारा प्रकट की गई राय को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार सरकारी भर्ती के नियमों के बदलने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री विद्याचरण शुक्ल : भर्ती के नियमों को अन्तिम रूप देने के लिए राज्य सरकारों और संघ लोक सेवा आयोग से सलाह ली जाती है। अतः राज्य सरकारों द्वारा प्रकट की गई रायों पर हम गम्भीरता से विचार करते हैं और जहां तक सम्भव हो सके अपनाते हैं।

Shri Achal Singh : I would like to ask from the hon. Ministet whether Governmcnt will take these services into his own hands or leave it to the state Governments ?

Shri Vidya Charan Shukla : Our policy is quite straight. Whatever is to be done regarding creation of these services, its rules and regulations, it is done by the Government. The officers appointed afterwards are sent to State Governments and they come to Centre on deputation. So whatever is done is done under the rules and Government is intending to adopt the same procedure in this regard.

श्री अंवाजगन : केन्द्रीय या संघीय सेवाओं के अधिक बढ़ाने से देश की एकता स्थापित नहीं की जा सकती। जब भी केन्द्रीय सरकार अखिल भारतीय सेवाएं या संघ सेवाएं बनाने के प्रश्न पर विचार करती है तो राज्य सरकार यह सोचती है कि किसी सीमा तक उनके अधिकार कम हो गए

हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संघीय या अखिल भारतीय सेवाओं–चाहे वे कृषि से सम्बन्धित हो या किसी और से–को बनाने का विचार नहीं करेगी क्योंकि यह कार्य वास्तविक रूप से राज्य सरकारों का है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इन सेवाओं को संघीय सेवाएं कहना ठीक न होगा। जैसा कि मैंने कहा, ये अखिल भारतीय सेवाएं हैं और संघीय सेवाओं तथा अखिल भारतीय सेवाओं में जमीन-आसमान का अन्तर है। हम तो यह देखते हैं कि इन सेवाओं से राज्य की स्वायतत्ता पर कोई आंच न आए। हमारा यह प्रयास रहता है कि जब भी सेवाएं बनाई जांए, राज्य के लिए कोई खतरा या हस्तक्षेप की स्थिति उत्पन्न न हो। हमारा कार्य एक पक्षीय नहीं होता। हम तो राज्य सरकारों की पूर्ण सहमति और सहयोग से ही काम करते हैं।

Increase in representation of Sheduled Castes and Sheduled Tribes in Delhi Administration

*1353. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some active steps are being taken by the Delhi Administration, Delhi Development Authority, New Delhi Municipal Committee and Municipal Corporation of Delhi in pursunace of Resolution No. 27/25/68-Establishment (SCT) dated the 25th March, 1970 issued by the Ministry of Home Affairs Government of India in regard to the increase in the representation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(b) if so, the number of reserved posts being filled Department-wise and Class-wise ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : (क) और (ख) : सदन के सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत किया जाता है।

विवरण

25 मार्च 1970 के संकल्प में निहित आदेश दिल्ली प्रशासन पर सीधे लागू होते हैं। अन्य संगठन अर्थात् दिल्ली विकास प्राधिकार, दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका सांविधिक निकाय हैं। उन पर संकल्प में निहित आदेश स्वतः लागू नहीं होंगे। तथापि ये निकाय इन आदेशों को अपनाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण के प्रतिशत बढ़ाने वाला 25 मार्च, 1970 का संकल्प केवल करीब एक महीने पहले जारी किया गया है अतः गत एक महीने में दिल्ली प्रशासन में पदों में अतिरिक्त आरक्षण की पर्याप्त संख्या होने की आशा नहीं की जा सकती है विशेषकर जब कि संकल्प में यह प्रावधान है कि संकल्प में निर्दिष्ट वृद्धियां वहां लागू नहीं होंगी जहां किसी प्रतियोगी परीक्षा के नियम पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं अथवा जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों, अथवा पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए चयन इन आदेशों के जारी होने से पहले किये जा चुके हैं। तथापि 25 मार्च, 1970 से 30 अप्रैल, 1970 तक दिल्ली प्रशासन में भरे गये आरक्षित पदों की विभागवार तथा वर्गवार संख्या एकत्रित की जायगी तथा सदन के पटल पर रख दी जायगी।

Shri Molahu Prasad : Mr. Speaker, Sir, in the Statement it has been mentioned that the number of reserved posts filled Departmentwise and Class-wise in the Delhi Administration from 24th March, 1970 to 30th April, 1970 will be collected and laid on the table of the House.

I would like to know from the hon. Minister the position of Scheduled Castes employees in Delhi Administration, Delhi Development Authority, Delhi Municipal Corporation and New Delhi Municipal Committee before 25th March, 1970.

The State Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : Certainly we shall collect that information also and lay it on the table.

Shri Ram Sewak Yadav : Hon. Minister has told that he has laid it on the table of the House. What he has laid on the table for which he says that information will be given. Relevant informatien is being demanded that what was the position of Scheduled Castes before 25th March ? I rise on a point of order. When question has not been replied and it is being told that information would be laid on the table of the House, what question we can put now ?

Mr. Speaker : There is no point of order. Hon. Minister has given whatever information he has got.

Shri Molahu Prasad : Will the hon. Minister tell the position before 25th March, 1970 ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have promised to give. Every point has been replied in the statemen.t It has been asked to give detail. But detailed information is to be collectted from New Delhi Municipal Committee, Delhi Development Authority, Delhi Municipal Corporation and Delhi Administration, which has not yet been received. We have asked them to send the required information. So I have told that whatever information they send, it will be placed on the table of the House.

Now the hon. Member has asked the position before 25th March, i. e. before the resolution was issued. This question has got no relevance with the main question. Hon. Minister has asked the position before 25th March. But I have given the position after 25th March 1970. If the hon. Member wents to know the position before 25th March, we will give the information after collecting all the detcils from the concerned institutions.

Shri Molahu Prasad : In the statement it has been mentioned that the other organisation, viz, the Delhi Development Authority, the Municipal Corporation of Delhi and the New Delhi Municipal Committee are statutary bodies and the orders contained in the Resolution would not apply to them automatically. But centrary to this, during the proceedings of the meeting of Advisory Commettee of the Social Welfore Department it was told that the Delhi Development Authority, Delhi Public Liberary and the New Delhi Municipal Committee have agreed to these orders. Now in the present statement hon. Minister has told that these orders do not apply on the Institutions. The reply made by him is quite confusing and through you, I would like to ask from the hon. Minister which of his statements is correct.

Shri Vidya Charan Shukla : Both the statements are correct and there is no confusion. I have simply told that these orders do not apply automatically on the statutory bodies whereas the orders given in the resolution apply straightawary on the Delhi Adminstration, If we want to apply these orders on the Institution coming under

the Delhi Adminstration and other Institutions which have been constituted according to the law of Parliament it is necessary that the Delhi Development Authority, Municipal Corporation of Delhi should adopt these rules according to the given procedure and since they have adopted, the orders also apply on such Institutions.

Shri Molahu Prasad : Mr. Speaker, Sir, it is very complicated matter. I wrote a letter to the Lt. Governer. Shri Virender Prakash Singh on 28th July but despite the orders of Home Minister I did not get any reply even after eight months; uptill now orders are not obeyed. I would like to know what sort of bungling is going on and in this way I. C. S. Officers are being pampered. (Interruption). Eight months have lapsed but orders of hon. Home Minister have not been obeyed. I want Shri Charan to go through the matter.

Shri Vidya Charan Shukla : I shall look into the matter.

Shri Kanwar Lal Gupta : Is it a fact that the number of Harijan employees in Delhi Municipal Corporation was very few three years before ? Now in three years not only quota in Delhi Munieipal Corporation which is $12\frac{1}{2}$ per cent have been completed but the number of Harijans have also been increased. I would like to know from the hon. Minister what are the present figures and the figures three years back. Will hon. Minister put the figures before the table of the House ?

Shri Vidya Charan Shukla : I do not know whether the question put up by hon. Member is right or wrong. However if hon. Member gives a separate notice and hon. Speaker accepts it I will give reply definitely.

उन्हें दोनों प्रकार के आंकड़े देने चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे । ऐसा लगता है कि दोनों सरकारों के प्रतिनिधि एक दूसरे को उत्तर दे रहे हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I have simply asked the present figures and figures prior to three years. He is evading the issue. It is a valid question. Let him give the figures.

Shri Kanwar Lal Cupta : I do not know as to why the hon. Minister is reluctant to put before the house the figures I have asked i. e. the figures pertaining to last three years and the current year.

Shri Vidya Charan Shukla : You may ask a separate question for that and I would reply thereto afrer it is being admitted by the Sepeaker. Certain procedure is to be adopted for that.

श्री बलराज मधोक : उन्हें यह कहना चाहिये था कि वह सामग्री एकत्र करके सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : वह ऐसा कह सकते थे ।

Shri Kanwar Lal Gupta : What hinders the hon Minister to furnish the figures ?

Shri Vidhya Charan Shkula : I agree to that. But I will reply in a procedural way.

Shri Kanwar Lal Gupta : In fact be is trying to evade the figures of last three years and of the current year as well.

अध्यक्ष महोदय : आप बैठने का कष्ट करेंगे कि नहीं ।

श्री बसुमतारी : हमें प्रसन्नता है और हम गृह मंत्रालय को इस कार्य के लिये धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने दिल्ली प्रशासन के लिये ही नहीं अपितु सभी विभागों के लिये यह परिपत्र जारी किया है । क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये इस परिपत्र के सम्बन्ध में यह देखने के लिये कि यह लागू किया जा रहा है अथवा नहीं, कोई विभाग अथवा कार्यालय स्थापित करने का विचार कर रही है ।

मैंने यह इसलिये कहा क्योंकि.....

अध्यक्ष महोदय : आपको इसका विवरण देने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री बसुमतारी : यह एक दीर्घकालीन प्रश्न है और इसलिये इस सम्बन्ध में विवरण देने की आवश्यकता है । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति आयुक्त के प्रतिवेदन से यह पता चला है कि निर्धारित संख्या की तुलना में बहुत अधिक कमी है और अधिक कमी ही नहीं यह दिन प्रति-दिन बढ़ती जा रही है । इसलिये हमें बताया जाय कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी विभागों में सेवा सम्बन्धी अन्तरण को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस विशेष समस्या पर विचार करने के लिये एक संवैधानिक कार्यालय की स्थापना की गयी है । अर्थात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयुक्त कार्यालय की स्थापना की गयी है । इसके अतिरिक्त गृह-मंत्रालय में ऐसे प्रभाग हैं जो इस विशेषताओं का ध्यान रखते हैं कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों को सेवाओं में उचित प्रतिनिधित्व मिल रहा है अथवा नहीं । गृह मंत्री के नेतृत्व में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति बनायी गई है जो समय-समय पर इस प्रश्न पर विचार करती है कि हमारी हिदायतों को उचित रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है और हिदायतों के क्रियान्वयन से जो उद्देश्य हमारे मस्तिष्क हैं वे पूरे हो रहे हैं अथवा नहीं । इसका समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है । मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि हम केवल प्रतिनिधित्व के विषय में ही चिन्तित नहीं है अपितु समय पर और प्रत्येक वर्ष हमें कोर्ट में वृद्धि करने की भी चिन्ता रहती है ।

Shri Ram Charan : As he said that the information is being collected, I would like to ask the hon. Minister whether he will collect such an information as to what the total strangth of direct recruitment and the representation of the scheduled casts therein and how much representation is being achiened and by what time ?

I had asked a question in 1968 about the Director of education in Delhi administration. In reply to the question the eduction Minister had said that there were 60 Sheduled casts teachers out of 3700 employees. It appears that there would not be more than 100 teachers out of total strenght of 4500. In view of above facts could you instruct the Director of Education to select 50 per cent scheduled cast teachers in order to fill the gap ?

Shri Vidya Charan Shukla : As regards the first question, if the hon Member serves such a notice, then I would collect the relevant information and put before the house.

So far as the second question is concerned I have stated that the circular of

Government of India is applicable to Delhi administration also and we hope that Delhi administration has implemested them all. I have got no information as to what extent and in what way they have been implemented in rest of the eduction Departments.

As you have stated that the education minister during his reply had said that there were 60 scheduld caste teachers out of 3700 employees. Would you definitely examine that matter.

नक्सलवादियों को दबाने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल का प्रयोग

+

*1354. **श्री सूरज भान :** **श्री शारदा नन्द :**
श्री कंवरलाल गुप्त :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने नक्सलवादियों तथा कुछ राज्यों में राजनीतिक उद्देश्यों से होने वाली अन्य हिंसात्मक कार्यवाइयों को दबाने के लिए राज्य सरकारों को शस्त्रास्त्र अधिनियम तथा दंड संहिता का पूरा उपयोग करने और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा सीमा सुरक्षा दल को तैनात करने के निदेश दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) पश्चिम बंगाल, नागालैण्ड, मनोपुर त्रिपुरा, आसाम, केरल, काश्मीर और बिहार में तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल की संख्या कितनी-कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) : जबकि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कोई निदेश नहीं दिये हैं, तथापि शांति बनाये रखने में सहायता देने के लिए, राज्य सरकारों के अनुरोध पर वहां केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की टुकड़ियां भेज दी गई हैं। संबंधित राज्य सरकारों का ध्यान वर्तमान कानूनी व्यवस्थाओं की ओर आकर्षित किया गया है, जिनके अन्तर्गत उग्रवादियों के विशिष्ट कार्यकलाप से निपटा जा सकता है। विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में संघ के ऐसे सशस्त्र दलों की तैनाती के विस्तृत ब्यौरे को बताना लोक हित में नहीं होगा।

Shri Suraj Bhan : Mr Speaker Sir, having in view that our existing law is for normal circumstances but today the Naxalites have created abnormal situations by their antinational activities and the posters pasted and Pamphlets circulated in the various parts of the country in which there have been printed the portraits of Mao the enemy No. 1 of India, who has been widely acclainmed therein, is really something dangerous and antinational, then would the Government make necessary law so that such activities might be declared antinational and sentence to death might be awarded in order to successfully crush such elements prevailing in the country ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक सामान्य प्रश्न है जिस पर विचार किया जा रहा है।

Shri Suraj Bhan : Is it a fact that Bengal Government has suggested you a remedy to enforce preventive detentive act ? By what time you are going to take a decision in this matter; and, what steps you are going to take in order to crush the naxalite activities in all the states I have mentioned in my question ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पश्चिमी बंगाल प्रशासन द्वारा एक सुझाव दिया गया है। ऐसे सुझाव पर कोई कार्यवाही करने से पूर्व हमें परामर्श समिति से विचार विनिमय करना होगा। निकट भविष्य में ही हम परामर्श समिति बनाने जा रहे हैं।

श्री रंगा : क्या तब तक आप प्रतीक्षा करते रहेंगे ?

यशवन्तराव चव्हाण : मुझे अपनी सीमित शक्तियों के लिये आपकी अनुमति अपेक्षित है।

Shri Kanwar lal Gupta : Naxalite activities are not only rampart in Bengal but in other parts of India too where Gurilla training is being imparted and the people are being trained in Bomb manufacturing factories. Such activities are prevalent out side India also. Recently I had gone to Nepal. Naxalites are seeking assistance in arms and money from Chinese ambassador posted in Nepal. This is not a question of law and order pertaining at State Government alone, Central Government is also responsible for that; unless the Central Government prepares certain integrated plan with the cooperation of State Government and takes the help of Border security force and central Reserve Police. Till then these activities are not going to be crushed out. I would like to ask whether the Central Government has made such a plan at their own accord ? Because, supposing the police search them out in Bengal and they run to Assam and certain other places, then what is the way out to contact their activities with the help of Border security force ? The steps to in taken in this regard by the hon Minister may please be stated. Secndly, the hon. Minister has said that this is not only the question of law and order. I would like to know as to what steps the hon Minister has taken in order to mobilize the public opinion and for resistance move in Universities where Naxalites have established their bases.

श्री यशवन्तराव : मेरे विचार इस समस्या को सुलझाने के तीन चार तरीके हैं। पहला उपाय केन्द्रीय पुलिस आदि की सहायता से संबन्धित है। मैंने राज्य सरकारों को बताया हुआ है कि जब भी उन्हें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा अन्य की सैनिक शक्ति की आवश्यकता होगी उन्हें प्रयत्न की जायगी।

दूसरे जहां कहीं ये छुपे हुये लोग देश की सीमा पार करने का प्रयत्न करते हैं इस सम्बन्ध में कुछ पूर्व निश्चित उपायों का उपयोग किया जा सकता है। पूर्व निश्चित उपायों का प्रयोग अभी ही नहीं अपितु तभी से किया जा रहा है जब से नक्सलवादी तत्व बंगाल में उभरने आरम्भ हुये।

तीसरे, विभिन्न राज्यों के बीच समन्वय होना चाहिये जैसा बंगाल तथा आसाम के मध्य है।

श्री रंगा : उड़ीसा और आन्ध्र के मध्य भी है।

श्री यशवन्त राव : हां, मैंने केवल उदाहरण के लिये बंगाल और आसाम का नाम लिया है। वहां भी हम समन्वय के लिये पर्याप्त सहयोग प्रदान कर रहे हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : कैसा समन्वय ?

श्री जे० बी कृपालानी : आप लोगों को किस प्रकार शिक्षित कर रहे हैं ?

श्री यशवन्त राव : जहां तक शिक्षा देने का प्रश्न है, इसे हमें माननीय सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता है। मैं अकेला ही लोगों को शिक्षित नहीं बना सकता।

इस मामले में 1968 के अन्तिम चरण से ही हम विचित्र राज्यों से बातचीत कर रहे हैं। समय पर मंत्रालय द्वारा और मैंने भी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखे हैं। हमने उन्हें बताया है कि वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की जा सकती है। इस सम्बन्ध में निश्चित ही कई अधिनियमों का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, यदि माओ के चित्रों आदि से जनता में किसी उथल-पुथल की सम्भावना है, तो वर्तमान कानून के अन्तर्गत उन्हें पुलिस द्वारा दंडनीय घोषित किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वे इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। आवश्यकता केवल प्रशासक के सतर्क रहने की तथा शीघ्र एवं सफलतापूर्वक कार्यवाही करने की है।

चौथे, क्या हमें कानून बनाकर और शक्तियां प्राप्त करनी चाहिये। इस संबन्ध में जैसा मैंने बताया हैं कि कुछ सुझाव विचाराधीन हैं।

पांचवें, कुछ सामाजिक-आर्थिक कदम उठाने हैं, जिनके अन्दर जन-विचारधारा का परिष्कृत किया जाना भी सम्मिलित है। यह अधिकार केवल सरकार द्वारा ही नहीं किया जा सकता। इसके लिये राजनैतिक दलों एवं विश्वविद्यालयों जैसे गैर राजनैतिक संस्थानों की सहायता एवं सहयोगी की आवश्यकता है। यह इसके दुष्परिणामों की शिक्षा देने का ही प्रश्न है बल्कि उन्हें 3 नीतियों एवं विचारधाराओं की निष्क्रियता के विषय में भी बताना है जिनका प्रचार किया जा रहा है।

Shri Sharda Nand : I would like to know from the hon. Minister whether he has enquired as to what are the places where these said Naxalites, are being trained, where from they are getting money and where from they are collecting arms. If not enquired, then why ? Secondly I would like to know whether these Naxalites are being assisted by communist parties of India, Muslim League and certain other officials ? Would he enquire about the matter ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यदि मैंने माननीय सदस्य को भलि भाँति समझा है तो उन्होंने दो प्रश्न पूछे हैं। हम वित्तीय सहायता के स्रोत्रों के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम उनके प्रशिक्षण एवं शस्त्र प्राप्त करने के स्रोतों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि मुझे सब कुछ पता है और मैं यह भी नहीं कह सकता कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है। यदि मुझे सूचना प्राप्त भी है तो भी मैं यहां इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। लेकिन मैं सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है।

दूसरे जहां तक अन्य राजनैतिक दलों के सहयोग का सम्बन्ध है, किसी भी प्रमाण के अभाव में मैं यह नहीं कह सकता कि अमुख राजनैतिक दल नक्सल वादियों की सहायता कर रहे हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि इन उपायों के लागू करने से जनता में खलबली मच सकती है। तो कृपया यह बताया जाय कि पश्चिमी बंगाल में इस से अधिक खलबली और क्या होगी कि दबाव के कारण एक के बाद दूसरा सभी विश्व विद्यालय बन्द होते जा रहे हैं। और भली प्रकार यह जानते हुऐ भी कि नक्सलवादी राष्ट्र विरोधी तत्व हैं और लोक तंत्र को समाप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो कानू सान्याल को, जो कि नक्सल वादी आन्दोलन के जन्मदाता हैं और गुरिल्ला आधार पर व्यक्तियों की एक सेना तैयार कर रहे हैं

गिरफ्तार करने में, और ज्योतिर्मयवसु जो पश्चिमी बंगाल में खून बहाने का प्रचार कर रहे हैं उनके भड़कीले भाषणों को रोकने में, सरकार को क्या आपत्ति हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक कानून विरोधी कार्यवाही करने के कारण लोगों के गिरफ्तार करने का प्रश्न है, इस विषय में कोई मत भेद नहीं है। वास्तव में, माननीय सदस्य ने जिन व्यक्तियों के नाम गिनाये हैं उनमें से कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय द्वारा दंड दिया गया। परन्तु दुर्भाग्यवश वहां की तत्कालीन सरकार ने उन लोगों को छोड़ दिया। मुझे पता चला है कि अब ऐसे लोग छुप गये हैं। अब भी कुछ कानूनी मालले इनके विरुद्ध अनिर्णित हैं। सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री प० गोपालन : यह वास्तव में बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक ओर तो सरकार नक्सल वादी गति विधियों के विषय में चिन्तित है और दूसरी ओर राजनैतिक उद्देश्यों से उनकी गति विधियो का समर्थन कर रही है। मुझे ज्ञात है कि नक्सलवादियों से निपटने के लिये कानूनी कार्य वाही की जा रही है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री और गृह मंत्री का ध्यान ऐसे अनेकों मामलों की ओर आकर्षित किया गया है कि निर्दोष व्यक्तियों और दूसरे राजनैतिक दलों के व्यक्तियों, जैसे वाम पंक्षी साम्यवादियों तथा दक्षिण पंथी साम्यवादियों को यातनायें दी जा रही हैं और देश के अनेक भागों में गोली मारकर उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। नक्लसवादी तत्वों को भी यातनायें पहुंचाने के पश्चात गोली मार दी जाती है। क्या ऐसे मामलों की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया गया है। देश में सामान्य विधि शासन बनाये रखने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? मैं गृह मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि नक्सलवादियों के साथ महात्मा गांधी के हत्यारे गौडसे की तरह निष्पक्ष व्यवहार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सरकार सदैव ही विधिशासन बनाये रखने के लिये होती है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा जाता है। मार्क्सवादी दल के महा सचिव ने कुछ शिकायतें की हैं। वह मुझसे मिले हैं और कुछ घोषणा पत्र दिये हैं। श्री सुन्दरैया ने जो आपके दल के सचिव है इस मामले के विषय में कहा है। इस विषय पर ध्यान दिया जायगा।

डा रामसुभग सिंह : हाल ही में आशा के विपरीत बिहार में चार घटनायें हुयी हैं। पहली छैबासा की घटना है। दूसरे श्री ज्योति बसु पर प्रहार किया गया तीसरे प्रो० रंगा की एक बैठक में प्रहार और चौथे महात्मा गांधी प्रदर्शिनि रेल पर पटना में हमला किया गया है। बिहार सरकार ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तथा अन्य शक्तियों की सरकार से मांग की है। क्या भारत सरकार के बिहार राज्य सरकार ने हाल के कुछ सप्ताहों में हुई इन घटनाओं के कारण बताये हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जो घटना हुई है हमें केवल उसी की सूचना दी गयी है। श्री ज्योति बसु की हत्या करने के प्रयत्न के मालले की जांच की जा रही है। इस सम्बन्ध में उन्होंने हम से सहयोग की मांग की और हमने सहयोग दिया है। प्रोफेसर रंगा का सभा में भाषण और वहां की घटना तथा अन्य दूसरी घटनाओं के विषय में राज्य सरकार द्वारा जांच कराई जा रही है।

मुझे कुछ और जानकारी मिल जाने के बाद तथा यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं वह जानकारी दे दूंगा।

श्री बेदब्रत बरुआ :-क्या सरकार को मालूम है कि कानू सान्याल कहां है ? अफवाह यह है कि वह असम में है । यह भी कहा जाता है कि वह नेपाल में है परन्तु यह अफवाह तो स्वयं नक्सल वादियों ने ही फैलाई है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या असम सरकार ने नक्सलवादियों के अभी हाल ही में और अधिक बढ़े आन्दोलन से निपटने के लिये और अधिक सहायता मांगी है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस अनुरोध के बारे में कुछ कार्यवाही नहीं की गई है तथा असम सरकार को वस्तुत: अपेक्षित सहायता प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रश्न का पहला भाग कानू सान्याल के बारे में है । यदि माननीय सदस्य को कोई विशिष्ट जानकारी है तो वह मुझे दे सकते हैं । यदि मेरे पास है तो वह मैं उन्हें नहीं दूंगा । जहां तक मुख्य मंत्री श्री चालिहा द्वारा सहायता मांगे जाने का प्रश्न है, हम हमेशा ही असम सरकार को केन्द्रीय अरक्षि पुलिस या अन्य पुलिस की सहायता देते रहे हैं और इस समय भी हम यथा सम्भव सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री ए० श्रीधरन : आज तक मैं यह समझता था कि नक्सलवादी और मार्क्सवादी साम्यवादी दल दो विभिन्न दल हैं । परन्तु माननीय सदस्य श्री प० गोपालन द्वारा पूछे गये प्रश्न से मैं यह अनुभव करता हूं कि नक्सलवादी भारतीय मार्क्सवादी साम्यवादी दल का एक भूमि गत अंग है ।

श्री प० गोपालन : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल के दौरान व्यवस्था संबंध कोई प्रश्न नहीं हो सकता ।

श्री प० गोपालन : श्रीमान, मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है और मंत्री महोदय ने उसका उत्तर दिया है, परन्तु वह मेरे प्रश्न के साथ कुछ बुरी भावना जोड़ना चाहते हैं ।

श्री ए० श्रीधरन : मैंने तो केवल स्पष्ट और ठोस सत्य बोला है । गृह-कार्य मंत्री ने भी कहा है कि उन्हें साम्यवादी दल के सचिवों के कार्यों के बारे में कुछ शिकायतें मिली हैं । इन शिकायतें की जांच करते समय क्या गृह-कार्य मंत्री यह बात ध्यान में रखेंगे कि भारतीय मार्क्सवादी साम्यवादी दल सहित देश के कई राजनैतिक दल देश की एकता और अखण्डता से संबंधित सेवाओं को अस्त-व्यस्त करने के उद्देश्य के निरन्तर अभियान चला रहे हैं और उन दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाना चाहिये । अन्यथा इस प्रकार की जांच से कोई परिणाम न निकलेगा.....(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार व्यवहार मत कीजिये । कृपया शान्त रहिये ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने एक और बात भी कही है । मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जहां हम भारतीय साम्यवादी दल द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन पर विचार करेंगे, हम उनका भी ध्यान रखेंगे जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा है ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : नक्सलवादियों की गतिविधियां किसी भी सरकार को सहायता देने के लिये विवश कर सकती हैं । यह कानून और व्यवस्था की सीमा से कुछ परे है । अत: मैं विशिष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं कि क्योंकि यह समस्या छात्रों की है, अत: क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने इस संबंध में शिक्षा मंत्रालय से भी सलाह ली है तथा क्या पश्चिम बंगाल सरकार को विशेष तथा बड़ी मात्रा में आर्थिक सहायता देने के बारे में सोचा है ? कानून तथा व्यवस्था की समस्या के अतिरिक्त छात्रों को गुमराह किया जा रहा है तथा वे सनकी होते जा रहे हैं और महात्मा गांधी, रवीन्द्र नाथ ठाकुर तथा अन्य लोगों का चित्र बिगाड़ रहे हैं ।

जहां तक कानून और व्यवस्था का प्रश्न है, पश्चिम बंगाल सरकार ने और अधिक पुलिस की मांग की है क्योंकि उनके अनुसार उनकी पुलिस इस स्थिति का सामना करने के लिये अपर्याप्त है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने कहा था कि राज्य सरकार ने सहायता मांगी है जिसमें पुलिस सहायता भी शामिल है और हमने सहायता दी है।

श्री कंवर लाल गुप्त : आपने नहीं दी है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन्होंने सहायता मांगी है और हम समय समय पर देते आ रहे हैं। जहां तक विश्वविद्यालय सम्बन्धी मामलों और उनके अहातों में होने वाली हिंसात्मक घटनाओं का सम्बन्ध है, इस बारे में हम शिक्षा मन्त्रालय से बातचीत कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : स्वाधीनता के 22 वर्ष बाद भी मैं देखता हूँ कि भुखमरी और क्रोध के बीच का अन्तर कम होता जा रहा है। जिन छात्रों को डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद नौकरियां नहीं मिली हैं वे अपने डिप्लोमे फाड़-फाड़ कर फेंक रहे हैं और वे अत्यन्त दुःखी हैं। यह निराशा क्रोध में बदल रही है और वस्तुतः यही असली कारण है। जबकि मैं नक्सलवादियों की गतिविधियों का समर्थन नहीं करता हूं, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या वह यह समझते हैं कि गोली के जोर से विचार धाराओं को दबाया जा सकता है, यदि नहीं, तो नक्सलवादियों को गोली मारने के बजाय किसी अन्य बेहतर दृष्टि कोण से दबाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं? 22 वर्ष तक संसदीय लोकतन्त्र को असफल होते देखकर उन्होंने यह अनुभव करना आरम्भ कर दिया है कि एक क्रान्ति होनी चाहिये और नक्सलवादी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। युवकों में यही भावना व्याप्त है और इसीलिये मैं जानना चाहता हूँ कि इसके विरुद्ध जनमत तैयार करने के लिये तथा यह धारणा जमाने के लिये कि इस प्रकार के आतंक पैदा करने से पद्धतियां नहीं बदला करतीं सरकार क्या कार्यवाही कर रही है मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय अरक्षि पुलिस आदि भेजने के अतिरिक्त सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हमने केवल यही सिद्धान्त नहीं अपनाया है कि केवल गोली चलाने से ही यह चीज रुक जायेगी। हम इस समस्या का यह हल नहीं समझते। हमने लगातार यह जोर दिया है कि इससे समस्या हल नहीं होगी। माननीय सदस्य ने कहा है कि संसदीय लोकतन्त्र असफल रहा है। मेरे विचार से वह यह नहीं कह सकते कि इस देश में संसदीय लोकतन्त्र असफल रहा है। (व्यवधान) मैं समझता हूँ कि हम लोग जो यहां इस संसद में बैठे हैं वे यह विश्वास करते हैं कि यह संसदीय लोकतन्त्र यहां कारगर सिद्ध हुआ है।

श्री स० मो० बनर्जी : हमने यहां अपना वेतन बढ़ाया है परन्तु सामान्य लोगों का नहीं।

श्री मनुभाई पटेल : तब आप इसे क्यों स्वीकार करते हैं?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जहां तक राज्य में विशेष रूप से आर्थिक विकास तथा अन्य बातों का प्रश्न है, उनका अधिक महत्व है और हम उन्हें वरीयता दे रहे हैं।

श्रीमती इला पालचौधरी : नक्सलवादियों ने 200 लक्ष्य निर्धारित किये हैं। सरकार के पास इस बारे में जानकारी है। इन 200 लक्ष्यों की रक्षा के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

दूसरे जब गांधी जी के चित्र नीचे गिराये गये, फाड़े गये तथा जलाये गये और जहां कि लोग उन्हें पुनः वहां लगाना चाहते हैं, उसकी हिफाजत के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? जैसा कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, समूचे पश्चिम बंगाल में गांधी वाङमय का वितरण रोक दिया गया है। इस वितरण को पुनः आरम्भ कराने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक गांधी वाङमय और उनके चित्रों को पुनः स्थापित करने का सम्बन्ध है, यदि कोइ व्यक्ति इस विशिष्ट मामले में आरक्षण चाहता है, तो उसे दिया जायेगा।

श्रीमती इलापाल चौधरी : राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के बारे में आप क्या कहते हैं ?

Shri Ram Sewak Yadav: In reply to a supplementary the hon. Minister has just non stated that whereas thc Government are going to take up some admnistrative measures to stop the terrorism and other activities of the Naxalites, there are certain social and economic reason also behind all that. He has mention the land problem also. I want to know that when already there is President's Ruleed in West Bengal what immedicate steps are being taken by the Government to deal with these social, economic and socio-economic problems ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक पश्चिम बंगाल में भूमि की समस्या का प्रश्न है, यह समस्या पहले ही की गई कार्यवाही विशेष रूप से भूमि तथा अन्य बातों में अनधिकृत कब्जे किये जाने के कारण और अधिक विकट बन गई है। इस मामले पर विचार किया जा रहा है। जो कुछ भी उपचारात्मक कार्यवाही की जा सकेगी निस्सन्देह ही वह तुरन्त ही की जायेगी परन्तु साथ ही उसे कानूनी ढंग से ही किया जाना है।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री हेम राज।

श्री हेम बरुआ : मैं अब तक कितनी ही बार खड़ा हुआ हूँ परन्तु आपने मुझे नहीं बुलाया। न जाने आप असम के सदस्यों को क्यों इस प्रकार दबा देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने असम के सदस्यों को भी बुलाया है।

यह केवल एक सदस्य के खड़े होने की बात नहीं है। 15-20 सदस्य खड़े हो जाते हैं। मैं चाहता था कि प्रश्न काल को बढ़ा दिया जाये ताकि उन्हें भी अवसर मिल जाये। परन्तु इस बारे में मैं विवश हूँ।

श्री हेम बरुआ : दुर्भाग्य से आपने मुझे एक भी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी जबकि आपने कुछ सदस्यों को एक से अधिक प्रश्न भी पूछने दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वह बीते समय की नहीं इस समय की कठिनाई को देखें। मुझे खेद है कि उन्हें नहीं बुलाया जा सका।

Shri Ram Autar Shastri : I have been sitting up since the very start of the Question. You were also seeing me. But still you did not call me.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

परा मनोविज्ञान संस्था का गंगानगर से स्थानान्तरण

*1355. **श्री समर गुह :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के भूतपूर्व राज्यपाल तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति स्वर्गीय डा० सम्पूर्णानन्द ने प्रो० एच० एन० बनर्जी को इस बात के लिए आमंत्रित किया था कि वह अपनी परामनोविज्ञान संस्था को गंगा नगर से हटाकर जयपुर में विश्वविद्यालय के एक विभाग के रूप में पुनर्गठित करें,

(ख) क्या इस विभाग की स्थापना के समय इसके निदेशक प्रो० एच० एन० बनर्जी को आश्वासन दिया गया था कि उनके 17 वर्ष के कार्य के आधार पर उन्हें परा मनोविज्ञान के अनुसंधान कार्यों के लिए पुरी सुविधाएं दी जायेंगी,

(ग) क्या विश्वविद्यालय ने इस विभाग के अनुसंधान कार्यों को दर्शाने वाली "दि इंडियन जर्नल आफ पैरा-साइकालोजी" नामक त्रैमासिक पत्रिका के प्रकाशन की जिम्मेदारी ली थी,

(घ) क्या परा मनोविज्ञान सम्बन्धी इस नवीन प्रकार के कार्य की अनेक देशों ने प्रशंसा की थी और इसकी व्याख्या करने के लिए विभाग के निदेशकों को विदेशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों ने अपने यहां आमंत्रित किया था, और

(ङ) यदि हां, तो विभाग के कार्य की विशेषताएं क्या हैं और इसके द्वारा किये गये अनुसंधान कार्य पर क्या प्रशंसा तथा टिप्पणियां की गई हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : राजस्थान विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि उसे इस प्रकार के किसी निमंत्रण की जानकारी नहीं है, और न ही उसने, दर्शन विभाग के परा-मनोविज्ञान अनुसंधान एकक में निदेशक के पद पर नियुक्त करते समय श्री एच० एन० बनर्जी को कोई आश्वासन दिया था।

(ग) परा-मनोविज्ञान अनुसंधान एकक को भारतीय परा-मनोविज्ञान पत्रिका प्रकाशित करने की अनुमति, श्री बनर्जी के प्रस्ताव के आधार पर नवम्बर, 1963 में दी गई थी। प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ साथ कहा गया था कि परा-मनोविज्ञान संस्थान गंगानगर के संरक्षक पत्रिका को जारी रखने में रुचि नहीं रखते हैं और इसके प्रकाशन के लिए विश्वविद्यालय को कोई वित्तीय जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ेगी।

(घ) विश्वविद्यालय को इस एकक में किये गये कार्य के पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में कुछ पत्र प्राप्त हुए थे। किन्तु, विश्वविद्यालय अथवा संस्था से, श्री बनर्जी के दौरे के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) एकक ने परा-मनोविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अध्ययन किया है। विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग की एक विशेषज्ञ समिति ने एकक द्वारा किए गए कार्य के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियां की है :—

1 अध्ययन के लिए चुने गए विषयों का चयन इतना विस्तृत; विविध और अपरिसीमित है कि किसी एक व्यक्ति के लिए केवल एक शोध सहायक की सहायता के साथ इस काम को पूरा करना संभव नहीं है। यदि विशेषज्ञ सहायक भी उपलब्ध होते तो भी हमें शंका है कि अध्ययन के लिए चुने गए विषय तथा प्रयुक्त साधन ज्ञान की उन्नति करते या परा-मनोविज्ञान की नई तकनीकों में विकास लाते।

2 एकक द्वारा किए गए अध्ययन में वैज्ञानिक विधि से सफलता पूर्वक लागू करने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक नियंत्रण का अभाव है। अब तक किए गए अध्ययनों में से कोई भी कार्य उच्च श्रेणी का शैक्षिक अथवा विद्वतापूर्ण स्वीकार नहीं किया जायगा।

3 परा-मनोवैज्ञानिक के कई क्षेत्रों में, उदाहरणार्थ ई एस वी, माध्यमता, मनोवैज्ञानिक अनुभवों का संग्रह, ई एस पी पर औषधियों का प्रभाव, ई एस पी पर योग के प्रशिक्षण के प्रभाव के अध्ययन से, 'एपोर्ट' प्रतिबोध, अर्थात् यौगिक शक्ति के द्वारा भौतिकीकरण, अतिरिक्त मास्तिष्क स्मरण शक्ति (पुनर्व्यक्ति तवारोपन) तथा सर्प-चिकित्सा क्रिया-से सभी बनावटी तथा लोकप्रिय स्तर पर है। शोध एकक के साधनों तथा अध्ययन के लिए चुने गये विषयों की विविधता और जटिलता पर विचार करते हुए वह अन्यथा नहीं हो सका।

4 एकक का वर्तमान कार्य अनुश्रुति तथा समाचार पत्रों की रिपोर्ट के आधार पर मामला-अध्ययन के संग्रह पर आधारित है। गहराई तथा विस्तृत रूप से अध्ययन किए गये तथा कथित तीन मामले वैज्ञानिक परीक्षण पर पूरे नहीं उतरेंगे।

स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षा का गिरता हुआ स्तर

*1356. **श्री स० कुन्दू** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि हमारे अधिकांश विश्वविद्यालयों की कुछ स्नातकोत्तर कक्षाओं में शिक्षा का निर्धारित स्तर गिरता जा रहा है और इसके परिणामस्वरूप विद्यार्थियों का स्तर गिर रहा है,

(ख) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी विश्वविद्यालय, विशेषकर अमरीका के कुछ विश्वविद्यालय, भारत के कतिपय विश्वविद्यालयों की एम० ए० की डिग्री को मान्यता नहीं दे रहे हैं जिनको वे पहले मान्यता देते थे,

(ग) क्या आगरा विश्वविद्यालय ने गत तीन वर्षों में सबसे अधिक विद्यार्थियों को डाक्टरेट (पी० एच० डी०) की उपाधि प्रदान की है और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी हैं; और

(घ) विश्वविद्यालयों में शिक्षा के स्तर और किस्म में सुधार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ) : एक निश्चित अवधि में स्तरों के वस्तुगत मूल्यांकन करने में तथा ठीक ठीक यह कहने में स्वाभाविक कठिनाई है कि किस सीमा तक तथा किस दिशा में स्तर गिर रहे हैं अथवा उनमें सुधार

हो रहा है। फिर भी, जैसा कि शिक्षा आयोग (1964-66) ने टिप्पणी की है, शिक्षा के बहुत बड़े क्षेत्र में विषय वस्तु तथा कोटि हमारी वर्तमान आवश्यकताओं और भावी मांगों के लिए अपर्याप्त है और अन्य शैक्षिक रूप से उन्नत देशों के औसत स्तरों की तुलना में असन्तोषजनक हैं। ऐसी ही राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भी जाहिर की गई है।

(ख) इस मामले में पूछताछ की जा रही है और सूचना प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार, आगरा विश्वविद्यालय द्वारा 1966-67, 1967-68, और 1968-69 के दौरान प्रदान की गई पी० एच० डी० डिग्रियों की कुल संख्या 488 थी।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसे उपलब्ध सीमित साधनों के अन्तर्गत, अपनी सांविधिक जिम्मेदारी के अनुसार उच्च शिक्षा की विषय वस्तु और कोटि सुधारने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा प्रारम्भ किये गये कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम निम्नांकित हैं :—

(क) विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों, प्रयोगशाला शिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं का विकास,

(ख) उच्च अध्ययन केन्द्र,

(ग) ग्रीष्म संस्थान, सेमिनार आदि,

(घ) पाठ्यविवरणों का आधुनिकीकरण,

(ङ) परीक्षा सुधार,

(च) छात्रवृत्तियां तथा अधिछात्रवृत्तियाँ,

(छ) अध्यापकों और विद्यार्थियों को यात्रा अनुदान,

(ज) सेवा निवृत्त अध्यापकों की सेवाओं का उपयोग,

(झ) छात्रावासों और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण, और

(ञ) विद्यार्थी गृह, विद्यार्थी सहायता निधि और पाठ्यपुस्तक पुस्तकालय, भौतिकी सुविधाओं को व्यवस्था, स्वास्थ्य केन्द्र आदि जैसे विद्यार्थी कल्याण कार्यक्रम।

पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में पाकिस्तानी नावों का चलना

*1357. **श्री नन्द कुमार सौमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय अधिकारियों ने सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया है कि पश्चिम बंगाल के सुन्दर बन क्षेत्र में मोटर से चलने वाली तथा तोपों से लैस पाकिस्तानी नावें चलती हैं जो कि भारतीय सीमा पर निरन्तर निगरानी रखती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि युद्ध छिड़ जाने की दशा में भारत को इसका प्रभावपूर्ण ढंग से मुकाबला करने में कठिनाई होगी क्योंकि कलकत्ता से इन दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने वाली कोई रेल अथवा सड़क व्यवस्था नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) सुन्दर बन के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी गश्ती नावें देखी गई है जिनमें हथियारों से लैस व्यक्ति थे।

(ख) तथा (ग) सुन्दरबन के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रभावपूर्ण ढंग से गश्त लगाने के लिए सीमा सुरक्षा दल के पास आवश्यक संख्या में नौकाएं हैं। इस क्षेत्र में पूरी निगरानी रखने तथा सीमा सुरक्षा के दायित्व को कारगर ढंग से निभाने के लिए सीमा सुरक्षा दल के पास पर्याप्त शक्ति एवं उपकरणों की व्यवस्था है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया के विमानों के अपहरण को रोकने के उपाय

*1358. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विमानों के अपहरण की घटनाएं व्यापक रूप से हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडियन के विमानों के अपहरण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : किसानों के बलात् अपहरण की घटनायें द्रुतगति से बढ़ रही हैं परन्तु सौभाग्यवश हमारे किसी विमान के बलात् अपहरण की ऐसी कोई घटना नहीं घटी है।

भारत सरकार ने इस गंभीर समस्या के उपयुक्त समाधान के लिए किए जा रहे अन्तर्राष्ट्रीय प्रयत्नों में भाग लिया है और आगे भी भाग लेती रहेगी।

दिल्ली प्रशासन द्वारा देशबन्धु कालिज, कालकाजी, नई दिल्ली को अपने नियन्त्रण में लेना

*1359. **श्री बलराज मधोक** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में केवल देशबन्धु कालिज, कालकाजी, नई दिल्ली ही ऐसा कालिज है जो सीधे केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन है,

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली प्रशासन जो दिल्ली में दर्जनों कालिज चला रहा है, इस कालिज को अपने अधिकार में लेने के लिए तैयार है, और

(ग) यदि हां, तो इस कालिज को दिल्ली प्रशासन को न सौंपे जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) देशबन्धु कालेज का प्रबंध, दान धर्मादा अधिनियम 1890 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित कालेजों के प्रशासन की योजना के उपबंधों के अनुसार एक प्रशासन मंडल द्वारा किया जाता है।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने 11 कालेजों की स्थापना का प्रयोजन किया है, जो सोसायटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हैं। प्रशासन, देशबंधु कालेज को भी लेने को तैयार है।

(ग) इस दिशा में कदम उठाने से पहले ही, कालेज के "स्टाफ संघ" के प्रस्तावित हस्तान्तरण के विरुद्ध एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। विभिन्न तथ्यों पर विचार करने के बाद हस्तांतरण का प्रस्ताव समाप्त का दिया गया था, किन्तु प्रशासन योजना में संशोधन करके पदेन अध्यक्ष के रूप में शिक्षा सचिव के स्थान पर चुने हुए अध्यक्ष की व्यवस्था कर दी गई थी।

सरकारी कार्यालयों के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन के लिए प्रायोगिक योजना

*1360. **श्री दे० अमात :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मितव्ययता, कार्यकुशलता और उससे भी ऊपर, वर्गीकृत दस्तावेजों और कागजातों का गोपनीयता की दृष्टि से वर्ष 1962-63 में कुछ सरकारी मंत्रालयों तथा विभागों में प्रशानिक ढांचे का पुनर्गठन करने के लिए प्रयोगार्थ एक अग्रिम योजना चालू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उपयुक्त स्तर के अनुभाग अधिकारी उपलब्ध न होने के कारण इस योजना का परित्याग कर दिया गया था;

(ग) इन कार्यों को करने के लिए उपयुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है और की जा रही है; और

(घ) यदि इस योजना का अन्तिम रूप से परित्याग कर दिया गया है तो इसके क्या कारण है और क्या यह प्रणाली बड़े-बड़े गैर-सरकारी तथा सरकारी उपक्रमों में चल रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अनावश्यक तथा आवृत्तीय टिप्पणी लेखन को दूर करने तथा कार्य के निपटान में तेजी लाने के उद्देश्य से 1956 में भारत सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों तथा विभागों के चुने हुए अनुभागों में आमतौर से अग्रिम अनुभाग योजना (पायलट सेक्शन स्कीम) के नाम से ज्ञात एक योजना चलाई गई थी।

(ख) यह योजना 1962 में किए गए पुनरीक्षण के आधार पर रक्षा मंत्रालय को छोड़कर सभी मंत्रालयों में समाप्त कर दी गई। उपयुक्त स्तर के अनुभाग अधिकारियों का उपलब्ध न होना इसकी समाप्ति का कारण नहीं था।

(ग) प्रश्न नहीं था।

(घ) अग्रिम अनुभाग योजना को जिसे निम्नलिखित महत्वपूर्ण कारणों से समाप्त कर दिया गया था, फिर से चलाने की कोई योजना नहीं है :—

(i) अनुभाग अधिकारियों का योगदान एक औसत सहायक की क्षमता से अधिक नहीं था।

(ii) अनुभाग अधिकारी अन्तिम रूप से पर्याप्त कार्य निपटाने की स्थिति में नहीं थे। तथापि, प्रशासनिक सुधार आयोग की एक सिफारिश, जिसमें काम करने की डैस्क अफसर प्रणाली को चलाने का सुझाव दिया गया है, विचाराधीन है।

यह पता लगाने के लिए सरकारी उद्यमों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है कि क्या वहां अग्रिम अनुभाग जैसी कोई योजना काम कर रही है।

चार बड़े शहरों में होटलों में उपलब्ध स्थान

*1361. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के चार प्रमुख शहरों में वर्तमान होटलों में उपलब्ध स्थान पर्यटकों के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो इन चार शहरों तथा अन्य स्थानों में होटलों का निर्माण करने के सम्बन्ध में सरकार का निर्धारित कार्यक्रम क्या है;

(ग) इस प्रकार के होटल बनाने वाले व्यक्तियों को ऋण तथा अन्य सहायता देने के लिए सरकार की क्या योजना है; और

(ग) इन स्थानों में किन वर्गों के कितने स्टार वाले होटल स्थापित किये जायेंगे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, हां।

(ख) : भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का कलकत्ता विमानक्षेत्र पर एक 100 कमरों वाले 'ट्रांजिट' होटल के निर्माण का प्रस्ताव है और एयर इंडिया बम्बई में दो होटलों के निर्माण की योजना पर विचार कर रहा है।

भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की श्रीनगर, जयपुर, कोवालम और गुलमर्ग में होटलों के निर्माण तथा उदयपुर में लक्ष्मी विकास पैलेस होटल के विस्तार की योजनायें भी हैं। निगम रेल मंत्रालय से औरंगाबाद होटल को लेने के प्रश्न की भी जांच कर रहा है। बंगलौर में भारत पर्यटन विकास निगम के एक होटल का निर्माण-कार्य चल रहा है और आशा है कि यह 1970 के अन्त तक बन कर तैयार हो जायेगा।

(ग) : होटल-निर्माण के लिए इच्छुक व्यक्तियों को कई प्रोत्साहन उपलब्ध हैं। इनमें काफी मात्रा में कर तथा वित्तीय राहतें, होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत सहायता और दिल्ली क्षेत्र में सरकारी भूमि को रियायती शर्तों पर बेचना शामिल है।

(घ) : सरकारी क्षेत्र में तीन अथवा अधिक स्टार वाली श्रेणियों के होटलों का आयोजन किया जा रहा है। गैर-सरकारी क्षेत्र में अब सभी श्रेणियों के होटलों के लिए होटल विकास ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण मिल सकता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता प्राप्त कालिजों को अनुदान

*1362. **श्रीमती सुधा वि० रेड्डी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इस आशय का निर्णय किया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन सहायता प्राप्त कालिजों को कोई अनुदान नहीं देगा जो वर्ष में कम से कम 1500 छात्रों को प्रवेश देने के नियम का पालन नहीं करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो मैसूर राज्य में इस निर्णय का प्रभाव कितने कालिजों पर पड़ने की सम्भावना है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बक्सर और फरक्का के बीच स्टीमर

1363.. **डा० सुशीला नैयर :** **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**

क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बक्सर और फरक्का के बीच स्टीमर सेवा चालू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) क्या यह भी सच है कि यह प्रस्ताव कुछ समय पूर्व अन्तर्देशीय जल तथा परिवहन समिति ने सरकार को दिया था, और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यह योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी ?

संसद् कार्य, नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क), (ख) और (ग) : अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति ने दिसम्बर 1969 में पेश की गई अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में गंगा में बक्सर और फरक्का के बीच नदी सेवा चलाने की सिफारिश की है ।

समिति की सिफारिश विहार सरकार के परामर्श से विचाराधीन है जांच के पूरे हो जाने पर निर्णय लिया जायेगा ।

Recovery of Arms and Ammunition in Kerala

1364. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that arms and ammunition were recovered in large quantities from the possession of certain Marxist Communists in Kerala in Decmber last;

(b) if so, the details thereof ;

(c) which of these arms and ammunition were manufactured in foreign countries;

(d) the names of countries whose markings these arms and ammunitions bear; and

(e) whether Govarnment have tried to ascertain if there is a conspiracy being hatched throughout the country behind the aforesaid collection of arms and ammunition and, if so, the resuts thereof ?

Mninster of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (d) : Facts regarding recoveries specifically in Decmber, 1969 are being ascertained. A reference is also invited

to answer to Lok Sabha unstarred question No. 5060 on April 3, 1970 in regard to recoveries of arms and ammunition in Kerala from 1st November, 1969 to 14th February, 1970.

(e) Government heve no such information.

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों का संघ

*1365. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** **श्री मणिभाई जे० पटेल :**
श्री बाल्मीकी चौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों का हाल में एक संघ बना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य तथा लक्ष्य क्या हैं, और क्या सरकार ने इसको मान्यता प्रदान कर दी है ;

(ग) क्या संघ के प्रतिनिधियों ने प्रधान मंत्री से भेंट की थी ; और

(घ) यदि हां, तो प्रधान मंत्री से हुई उनकी बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : सरकार ने केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के संघ के गठन के बारे में, जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यरत अधिकारी भी शामिल हैं, प्रैस रिपोर्ट देखी है। किन्तु संघ के गठन अथवा इसके उद्देश्य तथा लक्ष्य के बारे में कोई निश्चित औपचारिक सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है और न सरकार को इस संघ की मान्यता के लिए कोई अनुरोध ही प्राप्त हुआ है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को स्थानान्तरण पर राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को वेतन तथा भत्ते

* 1366. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त आयोग के लिए यह अनिवार्य है कि इसके द्वारा राज्यों को वह सहायता दी जाती रहे जिसके लिए केन्द्रीय सरकार ने बचन दिया था कि वह राष्ट्रीय अनुशासन योजना के उन प्रशिक्षकों का वेतन तथा भत्ते के लिए उनकी सेवा नियुक्ति तक देती रहेगी जिनकी सेवाएं राज्यों को दे दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों या स्थानान्तरण किए जाने पर भारत सरकार द्वारा इस खण्ड को उस स्थानान्तरण आदेश में शामिल कर दिया जायेगा जो उसके द्वारा राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को जारी किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं। वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के अधीन निम्नांकितों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति की सिफारिशें करता है।

(i) संघ और राज्यों के बीच वितरित की जाने वाली अथवा की जा सकने वाली कुछ करों से प्राप्त राशि का विभाजन तथा राज्यों के बीच आवंटन और ऐसी राशि के लिए उनका अपना अपना अनुपात।

(ii) भारत की समेकित निधि में से राज्यों को राजस्व के सहायक-अनुदान के अधिशासन से संबंधित सिद्धान्त।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निजी थैलियों की समाप्ति

* 1367. **श्री मुहम्मद शरीफ : श्री सीताराम केशरी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व नरेशों की ओर से बड़ौदा के महाराजा गायकवाड़ ने राष्ट्रपति को कोई ज्ञापन दिया है जिसमें उनसे कहा गया कि राय जानने के लिए निजी थैलियों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने के मामले को उच्चतम न्यायालय में भेजा जाये : और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) जब कि सरकार का विचार है कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेना आवश्यक नहीं है। तथापि इस संबंध में मिले अभ्यावेदन पर विचार हो रहा है।

भारतीय तटीय सम्मेलन द्वारा सामान्य माल की भाड़ा दरों में वृद्धि के लिए सुझाव

1368. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तटीय सम्मेलन ने सरकार से अनुरोध किया है कि हाल में सामान्य माल की भाड़ा दरों में की गई 20 प्रतिशत वृद्धि को कोयले पर भी लागू किया जाए, क्योंकि कोयला तटीय नौवहन की मुख्य वस्तु तथा आधार,

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन द्वारा अपनी माँगों के समर्थन में और क्या कारण प्रस्तुत किये गये हैं, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) : सम्मेलन ने कोयला भाड़ा दरों को बढ़ाने के लिए जो अन्य नुकते बताये दे ये हैं— कोयला उपदान जो सरकार देती है वह पौतपरिवहन कम्पनियों के लिए नहीं दी जाती है बल्कि उन

उपभोक्ताओं के लिए दी जाती है जिन्हें कोयला समुद्री मार्ग से प्राप्त होता है और इससे सम्मेलन को कोई संबन्ध नहीं है। इसके अलावा, सम्मेलन का भाड़ा वृद्धि का अभ्यावेदन 1967–68 के चालन परिणामों पर आधारित था और नौभरन लागत डाक मजदूर बोर्ड की उगाही नाविकों की मजदूरी और खाद्य सामग्री जैसे प्रभारों में वृद्धि और तेल के मूल्य में वृद्धि।

(ग) : जो उपभोक्ता दक्षिण और पश्चिम क्षेत्रों में बंगाल-बिहार की कोयला खानों से कोयला प्राप्त करते हैं उनको रेल व समुद्री मार्ग द्वारा कोयला ढुलाने की लागत रेल द्वारा ढलान करने की लचमत से अधिक पड़ती है। ढुलाल की लागत के अन्तर को पूरा करने के लिए ऐसे उपभोक्ताओं को उपदान दिया जा रहा है। यह उपदान कोयले पर वसूल किये गये सेस से भुगतान किया जाता है। कोयले की समुद्री भाड़ा पर में वृद्धि करने से उपभोक्ताओं को अदा किये जाने वाले उपदान में भी संगत वृद्धि करना आवश्यक हो जायेगा और उपदान वृद्धि के कारण कोयला पर अतिरिक्त सेस वसूल करना आवश्यक हो जायेगा। परन्तु यह अवांच्छनीय होगा क्योंकि कोयला उपभोक्ताओं पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यदि उपदान में वृद्धि किये बिना समुद्री भाड़े में वृद्धि की अनुमति दे दी जाय तो आजकल जो यातायात समुद्र द्वारा होता है यह सारा समुद्री मार्ग के वजाय सर्वथा रेल मार्ग से होगा और यह तटीय पोतपरिवहन उद्योग के ही हितों पर बुरा प्रभाव डालेगा। इस मामले में जो निर्णय लिया जा चुका है उसे बदलना इन कारणों से उचित नहीं समझा जाता है।

विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों के चुनाव के लिये समान प्रणाली

* 1369. **श्री स० अ० अगड़ी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब भी कई विश्वविद्यालयों में उपकुलपतियों का नामनिर्देशन वहाँ की राज्य सरकार और अथवा केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिनमें उपकुलपति (एक) मनोनीति किये जाते हैं और (दो) चुने जाते हैं;

(ग) क्या शिक्षा के क्षेत्र से राजनीति को दूर रखने के लिये लोकतांत्रिक सिद्धान्त पर उपकुलपतियों का चुनाव करने के लिए एक सी प्रणाली अपनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके कब तक कार्यान्वित किये जाने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : केवल गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय ही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। चार विश्वविद्यालयों, अर्थात बड़ौदा, कर्नाटक, पूना और एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, बम्बई में कुलपति के चुनाव की व्यवस्था है।

(ग), (घ) और (ङ) : ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, कुलपति

के चयन के लिए एक उपयुक्त क्रियाविधि तैयार करने के प्रश्न पर विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श (मॉडल) अधिनियम सम्बन्धी समिति तथा शिक्षा आयोग द्वारा विचार किया गया है, जिन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ सिफारशें की हैं। इन सिफारिशों की राज्य सरकारों के पास कार्यान्वयन तथा विचारार्थ भेज दिया है।

राज्य स्वायतता प्राप्त करने के लिए तामिलनाडु

मुख्य मन्त्री का वक्तव्य

* 1370. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री द्वारा 8 मार्च, 1970 को मद्रास में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि यदि राज्य को संवैधानिक तरीकों से स्वायतता प्राप्त न हुई तो डी० एम० के० आन्दोलन आरम्भ करने से भी नहीं हिचकिचायेगा; और

(ख) क्या इस वक्तव्य से पृथकता का एक और संकेत मिलता है जिसके बारे में डी० एम० के० ने पहले भी आवाज उठाई थी और यदि हां, तो इस वक्तव्य पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार ने तमिलनाडु के मुख्य मंत्री वक्तव्य की प्रेस रिपोर्टों को देखा है।

(ख) बताया जाता है कि मुख्य मंत्री ने कहा है कि सरकारों की और अधिकार देने की डी० एम० के० की मांग को गलत न समझा जाय कि वह केन्द्र को कमजोर करने का प्रयास है।

छोटी सदड़ी स्वर्णकांड

*1371. **श्री रवि राय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी सदड़ी स्वर्णकांड के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उक्त जांच कार्य में अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये जाने में देरी होने के क्या कारण हैं ;

(ग) किन विशिष्ट बातों की जांच की जा रही है और क्या ब्यूरो ने कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, और यदि नहीं, तो उक्त प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ;

(घ) जनता में फैले व्यापक असंतोष को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में अदालती जांच कराने का है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि जिनके विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में प्रशासन की बागडोर होने के कारण निष्पक्ष और उचित जांच में बाधाएँ उपस्थित हो रही है ?

गृह कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : भारतीय दंड संहिता की धाराएँ 406 तथा 411 के अधीन श्री गणपत लाल तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा तथा कथित स्वर्ण दुर्विनियोग सम्बंधित

एक मामला न्यायालय में अनिर्णित पड़ा है। आपराधिक मामले के तथ्यों का केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच के विषय से सीधा संबंध है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा, कानूनी पेचीदगियों से बचने के लिए उन गवाहों के बयान दर्ज करते समय जिनके नाम आपराधिक मामले में आये हैं, कुछ पूर्वोपाय करने पड़ते हैं। अब तक केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 18 गवाहों के बयान दर्ज किये हैं और अभिलेखों की समीक्षा पूरी की है। जांच की अग्रेतर प्रगति अपराधिक मामले की प्रगति पर निर्भर होगी।

जांचाधीन मामले के मुख्य पहलू इस प्रकार हैं :—

(1) क्या 16-12-1965 को अथवा उसके लगभग, श्री गणपत लाल से पृथक गठ्ठरों में, जिनमें प्रत्येक का वजन 56.863 किलो ग्राम था, सोना बरामद किया था ?

(2) क्या श्री गणपतलाल से बरामद सोने की किसी मात्रा का किसी व्यक्ति द्वारा दुर्विनियोग किया गया था ?

(3) क्या राष्ट्रीय रक्षा कोष में दान के रूप में दिये गये सोने को स्वीकार करने में कोई अनौचित्य था ?

केन्द्रीय जांच ब्यूरो से इस मामले में एक प्रगति रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

इस विषय में कोई न्यायिक जांच कराने का प्रश्न केवल तब उठ सकता है जब कोई प्रथम दृष्ट्या मामला हो।

ग्रीष्मकालीन संस्थान

*1372. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा कालिजों द्वारा देश में ग्रीष्म-कालीन संस्थान चलाये जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थानों से किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है ;

(ग) इन संस्थानों में किस प्रकार के व्यक्ति भाग लेते हैं, और

(घ) गत तीन वर्षों में ऐसे संस्थानों पर प्रति वर्ष कितना व्यय किया गया ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) : कालेजों और स्कूलों के अध्यापकों तथा कालेजों/विश्वविद्यालयों के प्रतिभाशाली विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्म संस्थानों का आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों/कालेजों तथा अन्य संस्थाओं में किया जा रहा है। संस्थानों में अध्यापकों को प्रतिक्षित किया गया है और उनमें भाग लेने वालों को उनके विषयों के बारे में नई घटनाओं से अवगत कराने के लिए अवसर प्रदान किए गए हैं। अध्यापकों को संबंधित विषयों की बुनियादी तथा आधुनिक संकल्पनाओं की भी अच्छी समझ प्राप्त होती है। प्रतिभाशाली विज्ञान विद्यार्थियों के लिए संस्थानों ने विज्ञान विषय वस्तु तथा प्रणाली में उस स्तर से कहीं अच्छे स्तर की शिक्षा प्रदान की है जो सामान्यतः संस्थाओं में उपलब्ध होती है।

(घ) संबंधित सूचना निम्न प्रकार है :—

1967-68	–	71.94	लाख रुपये
1968-69	–	47.68	,, ,,
1969-70	–	61.97	,, ,,

मारमागोआ पत्तन के लिये वित्तीय सहायता

1373. **श्री र० बरुआ** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक के दलों ने मारमागोआ पत्तन का दौरा किया था और पत्तन परियोजना के लिये सहायता के रूप में 27·28 करोड़ रुपये दिये जाने का संकेत दिया था,

(ख) यदि हां, तो क्या इस सहायता की अन्तिम मंजूरी विश्व बैंक से इस बीच प्राप्त हो गई है,

(ग) क्या उक्त सहायता के न मिलने पर भी इस परियोजना को क्रियान्वित किया जायेगा, और ;

(घ) क्या वित्तीय अथवा अन्य जो कठिनाइयां है उनका पता लगा लिया गया है ?

संसद् कार्य, नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : (क) विश्व बैंक मिशन मारमागोआ पत्तन विकास परियोजना के मूल्यांकन के लिये सितम्बर-अक्टूबर 1969 में भारत आया मिशन को अपनी रिपोर्ट विश्व बैंक के अध्यक्ष को देनी थी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) : विश्व बैंक सहायता की बिना प्रतीक्षा किये परियोजना पर कार्यवाही की पहल कर दी गई है । परियोजना के लिये परामर्शी इंजीनियरों का नियुक्त कर ली गई है और निकर्षण और भूमि उद्धरण के लिये भी संविदा दे दी गई है । निकर्षण कार्य जारी है ।

पहली मई को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करना

*1374. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को देश के विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें 1 मई को देश भर में सार्वजनिक छुट्टी घोषित किये जाने की मांग की गई है ?

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन किन संगठनों से प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) : 1968 में, अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महा संघ के महामंत्री तथा राष्ट्रीय डाक व तार कर्मचारी महासंघ से मई दिवस को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ।

(ग) इस मामले की विस्तार से जांच की गई थी और निष्कर्ष यह रहा कि प्रत्येक वर्ष दी जाने वाली कुछ 16 छुट्टियों की संख्या को बढ़ाया नहीं जा सकता तथा यदि मई दिवस को छुट्टी

करनी है तो वह त्यौहारों की वर्तमान छुट्टियों में से किसी एक के बदले में करनी होगी। गत वर्ष, इस मामले को केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार व्यवस्था तथा अनिवार्य विवाचन योजना के अधीन स्थापित राष्ट्रीय परिषद के समक्ष रखा गया। उसने यह अनुभव किया कि मामले पर आगे कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। अतः यथापूर्व स्थिति बनाये रखने का निश्चय किया गया है।

अंतर्राज्यीय सीमा विवादों को निपटाने के लिए स्वीकार किये गये सिद्धान्त

*1375. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तर्राज्यीय सीमा विवादों को निबटाने के लिए इन सिद्धान्तों को अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया है कि गांव एक इकाई है तथा गांव की भाषा क्या है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ऐसे विवाद को हल करने के लिए इन्हें तथा किन्हीं अन्य सामान्य सिद्धान्तों को अपनाना सम्भव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार का विचार है कि यदि सम्बन्धित दल इन सिद्धान्तों को स्वीकार कर लें तो सिद्धान्तों को अपनाना सहायक हो सकता है।

कालेजों के अध्यापकों के लिए दो वेतनक्रम

*1376. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय आधार पर कालेजों के अध्यापकों के लिये 1 अप्रैल, 1966 से दो वेतनक्रम लागू किये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बढ़े हुए व्यय का 80 प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार ने तथा 20 प्रतिशत भाग राज्य सरकार ने वहन करना स्वीकार किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 1 अप्रैल, 1966 के पश्चात बनाये गये पदों के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है ;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अप्रैल, 1969 से समान वेतन क्रम मंजूर किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार उनके वेतनक्रमों का पुनरीक्षण करने पर विचार कर रही है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कालेजों के अध्यापकों के लिए निम्नलिखित दो वेतन-मानों की सिफारिश की गई हैं :—

प्राध्यापक (वरिष्ठ वेतन-मान) 400—30—640—40—800 रु०

प्राध्यापक (कनिष्ठ वेतन-मान) 300—25—600 रु०

उत्तर-स्नातक कालेजों में, वरिष्ठ प्राध्यापकों/रीडरों के लिए 700—40—1100 रु० के वेतन-मान की भी व्यवस्था।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) : पश्चिम बंगाल सरकार ने कालेजों के अध्यापकों के लिए 1-4-1969 से 300—800 रु० का एक समेकित वेतन-मान अपनाया है। यह वेतन-मान भारत सरकार की सहमति से इस शर्त के साथ लागू किया गया है कि केन्द्रीय सहायता अनुमोदित योजना की शर्तों के अनुसार सीमित होगी, जिसमें प्राध्यापकों के लिए दो वेतन-मानों की व्यवस्था है।

Central Grant For Development of Tourist Centres in Bihar

1377. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the grant given by the Centre for the development of tourist centres in Bihar during the last three Five Year Plans was the lowest in comparison with that given to other States for the purpose;

(b) if so, the comparative details regarding Central grant given for the development of tourism during the last three Five Year Plans in respect of Bihar and each of the other States;

(c) whether any special fund has been provided by Government for the development of tourism in a backward State like Bihar in the Fourth Five Year Plan and, if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : **(a) and (b)** : The Central Government draws up and implements tourism schemes not on the basis of Statewise allocations but having regard to the actual or potential attraction of a place for tourists. There was no outlay for Tourism in the First Five Yeai Plan. A statement of expenditure on Tourism schemes in various States incurred by the Centrnl Governmeni during the Second and Third Five Year Plans is laid on the Table of the House.

[Placed in the Library. See No. L. T. 3372/70]

(c) and (d) : A provision of Rs. 20 lakhs has been made in the Fourth Plan for tho integrated development of the Bodhgaya, Rajgir and Nalanda complex. In addition, it is proposd to construct a Reception Centre at Patna at a cost of about Rs. 10.00lakhs.

विभिन्न मन्त्रालयों की कर्मचारी परिषदों के लिये प्रक्रिया नियम

*1378. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न विभागों तथा मंत्रालयों की कर्मचारी परिषदों के लिए कोई प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम सरकार ने बनाये हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधियों द्वारा इन परिषदों में जाने वाले ऐसे प्रस्तावों की सूचनाएं जो अधिकारियों के लिए असुविधाजनक होते हैं और जिनका उद्देश्य किसी कदाशय को प्रकाश में लाना होता है, इन परिषदों के अध्यक्ष अस्वीकार कर देते हैं जो कि हमेशा विभागों/मंत्रालयों के उच्च अधिकारी होते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का यह सुनिश्चित करने के हेतु प्रक्रिया नियम बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि ये परिषदें प्रभावी रूप से कार्य करें और कोई असुविधाजनक प्रस्ताव अध्यक्ष द्वारा मनमाने ढंग से अस्वीकार न किये जायें ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) गृह मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं की गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कनाट प्लेस नई दिल्ली के एक रेस्तरां का लाइसेंस रद्द किया जाना

*1379. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने दिल्ली प्रशासन को यह सिफारिश की थी कि कनाट प्लेस के एक रेस्तरां का लाइसेंस रद्द कर दिया जाये क्योंकि वहां आधीरात के समय होने वाला नृत्य आदि अश्लील था ; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने नई दिल्ली नगर पालिका से परामर्श कर लिया था जिन्होंने खाद्यान्न मिलावट रोक अधिनियम के अधीन रेस्टोरेंट को लाइसेंस जारी किया था । उन्होंने बताया है कि ऐसे कोई कानूनी उपबन्ध नहीं हैं जिसमें अश्लील कैबरा नृत्यों के लिए लाइसेंस को रद्द करने के लिए अधिकार नगरपालिका को प्राप्त हों । फ्लौर शो का आयोजन करने वाले रेस्टोरेंट के मालिकों को सलाह दी गई है कि अश्लील प्रकार के प्रदर्शनों के बारे में कानूनी उपबन्धों का ध्यान रखें ।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक की नियुक्ति

*1380. **श्री लोबो प्रभु** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, जो कि सरकार को सलाह देने के लिये एक स्वतन्त्र निकाय होना चाहिये, के निदेशक के पद पर इस संस्थान के ही एक अधिकारी को नियुक्त करने का प्रस्ताव किन परिस्थितियों में किया गया है ;

(ख) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जो अभी तक अपने संवर्गों में है और संस्थान में कार्य कर रहे हैं और उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या इन नियुक्तियों के लिये प्रशासनिक अनुभव होना आवश्यक समझा जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो सेवा निवृत अधिकारियों को ऐसे पदों पर नियुक्त न करने के क्या कारण हैं।

गृह-कार्य मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) सरकार ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक के पद के लिए किसी नाम का प्रस्ताव नहीं किया। यह चयन उक्त संस्थान की कार्यकारी परिषद द्वारा किया गया।

(ख) भारतीय संस्थान में इस समय 10 अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं। उनके नाम ये हैं: (1) प्रो० एच० के० पराजंये, (2) श्री एस० एस० विश्वनाथन (3) श्री आर० सी० गोयल (4) श्री पी० एन० बालू, (5) श्री के० बी० आयर, (6) श्री एन० एस० बक्सी (7) श्री पी० जे० वर्नेकर, (8) श्री ए० एस० नागर, (9) श्री अमर नथानी तथा (10) श्री डी० आर० भनोट।

(ग) और (घ) : भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में विभिन्न पदों के लिए अर्हताओं अथवा प्रतिबन्धों के निर्णय करना भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की कार्यकारी परिषद का कार्य है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा शिक्षा शास्त्री डिग्री को मान्यता किया जाना

8162. **श्री प० ला० बारुपाल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री दिल्ली प्रशासन द्वारा शिक्षा शास्त्री डिग्री को मान्यता दिये जाने के बारे में 13 मार्च, 1970 के तारांकित प्रश्न संख्या 448 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशक को भेजे गये दिनांक 1 जनवरी, 1968 के पत्र संख्या एफ० 11-1/66 एस० यू० द्वारा यह स्वीकार किया था कि कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा (बिहार) द्वारा दी जाने वाली शिक्षा शास्त्री की डिग्री सभी विषयों के लिये बी० एड० डिग्री के बराबर हैं, और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय द्वारा मंत्रालय के निर्णय का किन परिस्थितियों के कारण दृढ़ता से पालन नहीं किया जा रहा है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) : प्रश्न के भाग (क) में वर्णित केन्द्रीय शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के पत्र को तत्कालीन शिक्षा मंत्री के पत्र सं० एफ० 11-1/66-एस० यू०, दिनांक 13-12-1968 के साथ पढ़ा जाना चाहिये, जो दिल्ली प्रशासन के उप-राज्यपाल के नाम लिखा गया था, जिसमें प्रशासन को यह स्पष्ट कर दिया गया था कि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा की शिक्षा शास्त्री डिग्री को केवल संस्कृत अध्यापकों के रूप में नियुक्ति के सीमित प्रयोजन के लिये बी० एड० के समकक्ष मान्यता प्रदान की गई थी।

भारत से अलग होने का प्रचार करने वाले दलों के विरुद्ध कार्यवाही

8163. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अवामी एक्शन कमेटी, दी प्लैबिसाइट फ्रन्ट, दी काश्मीर पौलीटिकल

कानफ्रेंस आफ जम्मू एण्ड काश्मीर स्टेड, मिजो नेशनल फ्रंट, नागा नेशनल कौंसिल तथा कौंसिल आफ नागा पीपल जैसे राजनीतिक दल भारत से अलग होने आत्म-क्रियायें करने के बारे में खुले आम प्रचार कर रहे हैं ;

(ख) प्रत्येक दल के चार उच्च नेताओं के नाम क्या हैं ;

(ग) विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निरोधक) अधिनियम, 1967 के उपबन्धों के अधीन इन पार्टियों के नेताओं के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इन राजनीतिक दलों ने सरकार में घुस कर हमारे प्रजातंत्र को नष्ट कर देने के विचार से चुनावों में भाग लेने का निर्णय किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा भारत विरोधी इन कार्यवाहियों को रोकने के बारे में क्या कार्ययाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ।

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वे दल अथवा वर्ग, जो अलग होने अथवा आत्म-निर्णय करने के बारे में खुले आम प्रचार करते हैं, जम्मू व काश्मीर की दी अवामी कार्य समिति, दी प्लैबिसाइट फ्रन्ट, दी काश्मीर पौलिटिकल कांफ्रेंस और मिजो नेशनल फ्रंट, दी नागा राष्ट्रीय कौंसिल तथा कौंसिल आफ नागा प्यूपिल हैं ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पदाधिकारी तथा प्रमुख नेता निम्नलिखित है :—

अवामी एक्शन कमेटी

मौलबी मोहम्मद फरुक, अध्यक्ष,
राजा आयुब खाँ, सचिव
मोहम्मद इस्माइल मुजाहिव, प्रचार सचिव
मुफ्ती बशीरूद्दीन, सदस्य, कार्यकारी समिति

प्लैबिसाइट फ्रन्ट

मिर्ज़ा अफ़जल बेग, अध्यक्ष
सौफी मुहम्मद अकबर, उपाध्यक्ष
जी० एम० शाह, महा सचिव
सदरुद्दीन मुजाहिद, सचिव

काश्मीर पौलिटिकल कांफ्रेंस

जी० एम० कारा, संस्थापक-अध्यक्ष
श्यामलाल याचा, कार्यवाहक अध्यक्ष
गुलाम अहमद थौकुर, कार्यवाहक महासचिव

मिजो नेशनल फ्रंट

लालडेंगा
एस० लिआन्जुआला

आर० जुमावियाँ

लालनुमाविया

नागा नेशनल कौंसिल

ए० जैड० मिज़ो (इस समय यू० के० में रह रहा है)

इमकोगभैरैन आओ

इशाक स्यू

ज़शाई हीरे

कौंसिल आफ नागा प्यूपिल

कुघातो सुखाई

जहेतो

स्केटो स्यू

विकिहो सेमा

(ग), (घ) तथा (ङ) : भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित दलों तथा वर्गों में से केवल प्लैबिसाइट फ्रंट ने चुनाव में एक दल के रूप में भाग लेने के अपने इरादे की घोषणा की है। सरकार भारत की अखण्डता की नींव खोखली करने के आशय से किन्हीं गतिविधियों को दबाने के लिए सचिव कार्यवाही करेगी। मिज़ो नेशनल फ्रंट के विरुद्ध अवैध गतिविधियां (निरोध) अधिनियम के अधीन कार्यवाही की गई थी।

भारतीय ऐतिहासिक रिकार्ड आयोग की सिफारिशें

8164. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय ऐतिहासिक रिकार्ड आयोग ने हाल में मद्रास में हुए अपने 40वें वार्षिक अधिवेशन के पश्चात सरकार से क्या मुख्य सिफारिशें की हैं,

(ख) क्या यह सच है कि बहुत सी दुर्लभ तथा प्राचीन पांडुलिपियां और रिकार्ड विदेशों में पुस्तकालयों में पहुंच गये हैं, और

(ग) यदि हां, तो किन-किन मालिकों ने अपनी पांडुलिपियां बेच दी हैं, बेची गयी पांडुलिपियां किस प्रकार की थीं और उनकी कीमत कितनी-कितनी थी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग द्वारा अपने 40वें अधिवेशन में की गई सिफारिशें, अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास, इस संबंध में कोई सीधी अथवा निश्चित सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मद्य निषेध वाले दिनों में अशोक होटल, नई दिल्ली में शराब देना

8165. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक होटल लिमिटेड, नई दिल्ली में मद्य निषेध वाले दिनों में विदेशियों को शराब दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के अथवा अन्य देशों के होटलों में भी ऐसी व्यवस्था है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस होटल में ऐसी व्यवस्था किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी, हां । स्थानीय आबकारी विनियमों के अन्तर्गत दिल्ली के होटलों को मद्य निषेध वाले दिनों में विदेशियों को मदिरा देने की अनुमति है ।

(ख) और (ग) : भारत में होटलों में शराब की बिक्री विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू स्थानीय आबकारी नियमों द्वारा विनियंत्रित की जाती है । अशोक व अन्य सब होटलों पर, भी वही नियम लागू होते हैं ।

विशाखापटनम में लौह अयस्क के उतारने चढ़ाने के संयंत्र का विकास

8166. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** **श्री जुगल मण्डल :**

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान विशाखापत्तनम में लौह अयस्क के उतारने चढ़ाने के संयंत्र के विकास का कोई कार्यक्रम है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : इस समय विशाखापत्तनम् में अनुमानित 45 लाख टन वार्षिक क्षमता का खनिज लौह को धरा उठाई करने का एक संयन्त्र है । इस संयन्त्र की क्षमता 60 लाख वार्षिक टन करने के लिए इस पर कुछ सुधार तथा हेर फेर किया जा रहा है ।

चौथी पंचवर्षीय योजना काल में विशाखापत्तनम, में एक बाहरी हारवर निर्माण का निश्चय भी किया गया है । इस हारबर पर गहरे डुबाव वाले खनिज धातु वाहक आ जा सकेंगे और प्रति वर्ष लगभग 100 से 120 लाख टन निर्यात की धराउठाई करने की सुविधाएं हैं ।

Publication of Extracts from Jha Committee Report on "National Library in "Seminar"

8167. **Shri S. C. Samanta :** **Shri Sardar Amjad Ali :**

Will the Minister of **Education and youth Services** be pleased to state :

(a) whether the 'Seminar' monthly of New Delhi has published extracts from the Jha Committee Report on the National Library though this report and the Khosla Committee Report have not yet been placed on the Table of the House ;

(b) whether the Khosla Committee Report has endorsed the Jha Committee recommendation to create a post of the Director to head the National Library ; and

(c) whether the Khosla Report has also observed adversely on the 'unfortnnate role' of Shri Kesavan in creating bad relations among the top Officers of the National Library ?

Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) (a) Yes, Sir. In its issue of February, 1970 on **'Our Libraries'**, the 'Seminar' monthly of New Delhi has reproduced a few lines from the Jha Committee's Report on the National Library and has made references to and discussed some of the recommenda-tions/observations of the Jha Committee. These recommendations are covered more or less by the Summary of Recommondations which was placed before the Rajya Sabha in reply to Question No. 217 answered on 26th November, 1969 and to Lok Sabha Unstarred Question No. 905 answered on 27th February, 1970.

(b) and (c) : Attention is invited to the reply given to Lok Sabha Question No. 4997 anwered on 3rd April, 1970 wherein it was stated that the Khosla Committee had submitted its Report which was under examination and that it would not be in the public interest to give its details at this stage.

Sarvodaya Literature to Preach Gandhian Philosophy

8168. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated a special scheme for the propagation and extension of cheap and good literature ; and

(b) if so, the special facilities Government propose to provide for the sale of Sarvodaya literature through which Gandhian philosophy would be preached in the courtry ?

Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No, Sir. The National Book Trust, was, however, set up in 1957 with the object of producing good literature and making it available at moderate prices. The Trust arranges for the distribution of its books through normal commercial channels.

(b) Does not arise.

National Highways in the Country

8169. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the total number of National Highways in the country at present and the

name of the place from where each of the National Highways originates and the name of the place where it terminates and the length of each Highway in kilometres ;

(b) the names of the National Highways which are still under construction and the time likely to be taken in their completion ; and

(c) the names of the National Highwaya, construction work in respect of which would be undertaken during the Fourth Plan period ?

The Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Sardar Iqbal Singh): (a) There are 45 National Highways in the country at present. A statement giving the required information is attached.

(b) The only through National Highway under construction at present is National Highway No. 41 starting from Kolaghat and terminating at Haldia in West Bengal about 52 Kms. in length. There are however missing links on nine other National Highways, construction work on all of which is expected to be completed by the end of Fourth Five Year Plan subject to the availability of adequate funds. A list of these missing links is attached. **[Placed in the Library. See L. T. No. 3373/70].**

(c) Presumably the Hon'ble Member is refering to new roads proposed to be added to the National Highway system in the Fourth Plan period. It is not possible to indicate the position at present as the entire question of expanding the existing N. H. system is under consideration in the light of the availability of resources and the criteria for the selection of roads for inclusion in the National Highway System.

Implementation of Recommendations of Kothari Commission in Respect of Librarians Under Delhi Administration.

8170. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state whether the amenities recommended by the Kothari Commission are to be provided to the Librarians under the Delhi Administration as the said Commission has considered the posts of Librarians equivalent to those of teachers ?

Minister of State in the Minirterry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : The Kothari Commission's recommendation in respect of Librarians is that "The scales of pay for Librarians should also be related to those of Teachers in a suitable manner".

The Commission's report has been forwarded to all the State Governments and Union Territory Administrations. In the present case, it is for the Delhi Administration to take up the recommendation for implementation.

बोकारों में श्रमिकों पर गोली चलाई जाना

8172. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह-कार्य मंत्री बोकारों में श्रमिकों पर गोली चलाये जाने के बारे में 5 दिसम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2954 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह घटना इसलिए हुई थी क्योंकि जब सहायक श्रम आयुक्त द्वारा बोकारों इस्पात

कामगार संघ तथा प्रबन्ध व्यवस्था के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक चर्चा के माध्यम से बातचीत की जा रही थी तो 28 अक्तूबर, 1969 को धनबाद के उप-आयुक्त ने उनको बुलाया और उनसे कहा कि वे अपने प्रयत्न छोड़ दें और 'इससे दूर रहें' तथा दूसरे ही दिन दमनकारी उपाय किये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उप-आयुक्त, धनबाद के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) : बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार यह सच है कि 29 अक्तूबर, 1969 को सहायक श्रम आयुक्त, बोकारो, ने श्रम आयुक्त को पत्र लिखा कि उपायुक्त धनबाद, ने उसको प्रबंधक मण्डल तथा श्रमिकों के बीच समझौते के अपने प्रयत्न बन्द करने की सलाह दी थी। किन्तु तत्कालीन उपायुक्त ने मना किया कि उसने ऐसी कोई सलाह दी थी। राज्य सरकार द्वारा की गई जाँच-पड़तालों से पता लगता है कि सहायक श्रम आयुक्त ने श्रम स्थिति के संबंध में उपायुक्त के साथ कुछ बातचीत की थी, जिसके दौरान गलतफहमी के कारण, वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि उसे समझौते के लिए अपने प्रयत्न समाप्त करने की सलाह दी गई थी।

लेह में बौद्ध दर्शन का स्कूल

8173. **श्री श्रीचन्द गोयल :** **श्री हुक्म चन्द कछवाय :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लेह में बौद्ध दर्शन के स्कूल अध्यापकों को स्थायी न बनाने तथा उनकी वेतनवृद्धि को रोकने के क्या कारण हैं,

(ख) प्रधानाध्यापक की इच्छा के विरुद्ध दिसम्बर में अध्यापकों को निकालने के क्या आधार हैं तथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण न करने के क्या कारण हैं,

(ग) क्या लामाओं, विद्यार्थियों और अभिभावकों द्वारा इस पर विरोध किये जाने पर एक अध्यापक को पुनः कार्य पर ले लिया गया था,

(घ) अन्य अध्यापकों को पुनः काम पर लेने में क्या कठिनाइयां हैं तथा उनके अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही की गई है,

(ङ) क्या प्रशासनिक अधिकारी की सलाह से नियोक्ता प्राधिकारी से कनिष्ट अधिकारी ने कारण बताओ सूचना और विरोध-प्रदर्शन का अवसर दिये बिना अनुच्छेद 311 का उल्लंघन करते हुए अध्यापकों को निकालने के आदेश दिये थे और यदि हां, तो दोषी के दण्ड देने के लिये तथा अध्यापकों को पुनः काम पर लेने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी, और

(च) उप-प्रधान अध्यापक की स्कूल से लगातार लम्बी अनुपस्थिति के बारे में प्रधानाध्यापक द्वारा की गई रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं और ऐसे छोटे स्कूल में उसको प्रशासनिक अधिकारी के पद पर उन्नति देने का क्या औचित्य है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) संस्थान में अध्यापकों के तीन पद हैं। ये सभी पद अस्थायी हैं और इसलिये किसी अध्यापक को इन पदों पर स्थायी करने का प्रश्न नहीं उठता। तीन अध्यापकों में से तिब्बती भाषा अध्यापक को

उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि नियमित रूप से मिल रही है। अन्य दो अध्यापकों अर्थात् दर्शन शास्त्र और हिन्दी-संस्कृत के अध्यापकों को वार्षिक वेतन वृद्धियां स्वीकृत नहीं की गई हैं क्योंकि उनका कार्य तथा आचरण संतोषजनक नहीं पाया गया है।

(ख) 7 नवम्बर, 1969 को हुई अपनी बैठक में प्रबन्धक मंडल ने दर्शन और हिन्दी-संस्कृत के अध्यापकों को इस स्कूल में कार्य करते रहने के लिये उपयुक्त नहीं समझा और निदेश दिया कि उनको नियुक्ति की शर्तों के अनुसार उन्हें नोटिस देकर बर्खास्त कर दिया जाए। किन्तु दर्शन शास्त्र के अध्यापक की बर्खास्तगी के आदेश, किसी उपयुक्त अध्यापक की उपलब्धि तक आस्थगित पड़े हैं। हिन्दी और संस्कृत के अध्यापक की सेवाएं, एक महीने के नोटिस के एवज में उन्हें एक महीने का वेतन देकर 31-12-1969 से समाप्त कर दी गई थी।

(ग) और (घ) : जी हां। दर्शन शास्त्र के अध्यापक के सम्बन्ध में बर्खास्तगी के आदेश मुख्यत: इस विषय में उपयुक्त अध्यापक की खोज में कठिनाई के कारण रोक दिये थे। दर्शनशास्त्र और हिन्दी-संस्कृत अध्यापकों के दोनों पदों को विज्ञापित किया गया था। दर्शन अध्यापक के लिये कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु हिन्दी-संस्कृत अध्यापक पद के लिये काफी संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। हिन्दी-संस्कृत अध्यापक पद के लिये चयन शीघ्र कर लिया जायेगा।

(ङ) जी नहीं। जैसा कि प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में कहा गया है उनकी सेवा समाप्ति के आदेश बौद्ध दर्शन स्कूल लेह के प्रबन्धक बोर्ड, जो एक स्वायत्तशासी निकाय हैं, के निर्णय के आधार पर, जारी किये गये थे। बोर्ड इस सम्बन्ध में, निर्णय लेने के लिये पूर्ण रूप से सक्षम हैं।

(च) प्रशासकीय अधिकारी का पद पदोन्नत पद नहीं है। इसका वेतन मान उप-प्रिंसिपल के बराबर अर्थात् 300-700 रु० है। प्रशासकीय अधिकारी का पद, जिले के उपायुक्त की सहायता के लिये, प्रबन्धक बोर्ड द्वारा निर्मित किया गया था। जिले का उपायुक्त, बोर्ड का पदेन सचिव है और वह बजट, लेखों की जांच पड़ताल स्वीकृति जारी करना, नियुक्तियां तथा भारत सरकार से पत्र-व्यवहार करने जैसे संगठन के सामान्य प्रशासन के लिये जिम्मेदार है। उप-प्रिंसिपल का पद रिक्त है और उसे आस्थगित रखा गया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवा की शर्तें

8174. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ द्वारा अध्यापकों की सेवा की शर्तों और अन्य मामलों के बारे में दिये गये सुझावों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : सरकार को संदर्भाधीन कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर भी दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापक संघ ने कुछ कालेजों के सहायक लेक्चरारों की सेवाओं की समाप्ति के प्रश्न से विश्वविद्यालय के कुलपति को सूचित किया था और इस मामले में विश्वविद्यालय ने तत्काल कार्रवाई की थी। कुलपति ने सभी कालेजों को एक परिपत्र भेजा था कि सहायक लेक्चरारों की सेवाओं की समाप्ति के मामले को

स्थगित रखा जाय और कालेजों को यह भी सूचित किया था कि सहायक लेक्चरारों के सभी मामले उस स्थायी समिति को भेज देने चाहिये जो विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् के निर्णय के अनुसरण में कुलपति द्वारा स्थापित की गई थी।

नेफा में सिर काटने के मामले

8176. **श्री वेदव्रत बरुआ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा के तीरप जिले से वान्चू नागाओं द्वारा सिर काटने के तीन मामलों की सूचना मिली है ;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं सम्बन्धी ब्यौरा प्राप्त हो गया है ; और

(ग) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) जगन के एक ग्रामीण की, जो हमेशा की तरह बर्मा सीमा के पार कटक गांव में खेत जोतने के लिए गया था, कमका ग्रामीणों द्वारा हत्या कर दी गई। इसके बदले में, दो बर्मी ग्रामीणों को, जो सीमा पार से भारत की ओर दुकानदारी करने आये थे, कुछ खास ग्रामीणों द्वारा मार डाले गए।

(ग) ग्रामीणों को सीमा के दूसरी तरफ न जाने की हिदायतें दे दी गई हैं तथा गश्त कड़ी कर दी गई है। इस मामले पर सीमा पर हमारे तीरप जिले के अधिकारियों द्वारा बर्मी समकक्ष अधिकारियों के साथ शान्तिपूर्ण ढंग से विचार विमर्श हुआ है तथा उसमें यह तय हुआ कि दोनों पक्ष ग्रामीणों से शान्त रहने का आग्रह करेंगे।

Setting up of Model Gymnasiums in Delhi

8177. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government would consider the proposal of setting up model gymnasiums in Delhi and other State capitals with a view to arousing interest in public for the maintenance of good health and provide necessary assistance therefor ;

(b) If so, the time by which such a scheme is proposed to be drawn up ;

(c) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Education and Youth Service (Shri Bhakt Darshan) : (a), (b) and (c) It is primarily for the State Governments and Union Territory Administrations to put up model gymnasia in their Capitals. However, the following steps have been taken by the Government of India to encourage construction of gymnasia :—

(i) Circulation of sketch-plans of low-cost Open-air/Open-shed gymnasium for educational institutions etc., among the State Governments on the recommendation of the Central Advisory Board of Physical Education and Recreation.

(ii) Grant of financial assistance amounting to about Rs. 13 lakhs to 13 non-Government Physical Education Teacher Training Institutions to cover 75 per cent of the approved expenditure on construction of gymnasium.

(iii) Financial assistance to the Colleges and Universities under the National Sports Organisation Programme, through the University Grants Commission, to cover 75 per cent of the approved expenditnre on construction of gymnasium.

The Delhi Administration are also implementing a scheme for building gymnasia for school children.

Construction of Community Halls in Colonies of Delhi/New Delhi.

8178. **Shri Onkar Lal Bohra** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Community Halls have not so far been construtced in various colonies of Delhi/New Delhi although there is a provision therefor in the Master Plan ;

(b) if so, the names of such colonies and the reasons for which they are being ignored ;

(c) whether it is also a fact that there has been a continuous demand for a number of years for a Community Hall in Malviya Nagar, New Delhi but Government have not paid any attention towards this so far ; and

(d) if so, the reasons therefor and the time by which a Community Hall would be constructed in Malviya Nagar ?

Deputy Minister in the Ministry of Home Minister (Shri K. S. Ramaswamy) : **(a) and (b)** : Information is being collected and will be laid on the table of the House.

(c) and (d) This Ministry have not received any demand for construction of Community Hall in Malviya Nagar. However, a site has been earmarked for a Community Centre in Malviya Nagar. The Municipal Corporation of Delhi have recently constructed a Physical Excercise Centre at Malviya Nagar.

संघ राज्य क्षेत्रों तथा पश्चिम बंगाल में अपहरण के मामले

8179. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 में संघ राज्य क्षेत्रों तथा पश्चिम बंगाल में (एक) वयस्क विवाहित महिलाओं (दो) 20 वर्ष से कम आयु की जवान अविवाहित लड़कियों (तीन) वयस्क पुरुषों, तथा (चार) 20 वर्ष से कम आयु के जवान लड़कों के अपहरण के कितने मामलों की सूचना पुलिस को दी गई ;

(ख) इन अपहरणों के क्या विभिन्न कारण हैं ;

(ग) कितने मुकदमें चलाये गये तथा सफल सिद्ध किये गये ; और

(घ) अपहरण के इन मामलों, विशेषकर जवान लड़कियों के अपहरण पर रोक लगाने के बारे में क्या अन्य कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) (ख) (ग) तथा (घ) : सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा पश्चिम बंगाल से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विधि प्रक्रिया में परिवर्तन के सुझाव

8180. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री सामिनाथन : **श्री दण्डपाणि :**

श्री चेंगलराया नायडू : **श्री मुहम्मद शरीफ :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने और भारत के भूतपूर्व न्यायाधीश श्री एस० आर० दास तथा वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने विधि प्रक्रिया में आमूल परिवर्तन के सुझाव दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने कानूनी प्रक्रियाओं में कुछ परिवर्तनों की आवश्यकता के बारे में भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री एस० आर० दास और वर्तमान मुख्य न्यायाधिपति द्वारा व्यक्त विचारों की रिपोर्ट देखी हैं । हाल में गृह मंत्री ने इस विषय पर कोई सार्वजनिक वक्तव्य नहीं दिया है ।

(ख) कानूनी प्रक्रिया के प्रश्नों के बारे में श्री एस० आर० दास तथा भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधिपति द्वारा दिये गये सुझावों का सारांश संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3374/70]**

दिल्ली उच्च न्यायालय के लिए टाइप की हुई याचिकायें

8181. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :**

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि दिल्ली उच्च न्यायालय में मुद्रित याचिकाएं लेने के बजाये टाइप की हुई याचिकाएं ली जाये ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसका कारण क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पंजाब उच्च न्यायालय नियम तथा आदेश खण्ड V के अध्याय 2 में अपेक्षित है कि पहली अपील के रिकार्ड छपे हुए होने चाहिए । दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 की धारा 7 तथा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 122 तथा 129 के अधीन अपनी शक्तियों के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट इन्हीं नियमों/आदेशों

को लागू करता है । यदि किसी विशेष मामले के हालात के अनुसार ऐसा करना न्यायोचित हो तो उच्च न्यायालय अपनी सहज शक्तियों के अन्तर्गत अभिलेखों की मुद्रित अनिवार्यता को हटा देती हैं ।

(ख) इस संबंध में कार्य-विधि के नियम उच्च न्यायालय स्वयं बनाता है । न्यायालय ने हमें सूचित किया है कि एकरूपता लाने के उद्देश्य से नियमों में परिवर्तन करने के लिए अन्य उच्च न्यायालयों से परामर्श करना पड़ेगा ।

दिल्ली के दण्डाधिकारी द्वारा घूस लिये जाने का समाचार

8182. **श्री पी० विश्वम्भरन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 26 अगस्त, 1969 को दिल्ली के एक अवैतनिक दण्डाधिकारी को कश्मीरी गेट पुरानी कचहरी यातायात के अन्दर 100 रुपये की घूस लेते हुये गिरफ्तार किया गया था ।

(ख) क्या यह भी सच है कि इस दण्डाधिकारी को उसी रात जमानत पर छोड़ दिया गया था ;

(ग) क्या उक्त दण्डाधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में कोई मामला अनिर्णित पड़ा है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् । एक अवैतनिक दण्डाधिकारी को अवैध आनुतोषिक स्वीकार करने के आरोपों पर गिरफ्तार किया गया था ।

(ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) और (घ) : उक्त दण्डाधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम की धारा 5 (2) तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था । चूंकि जांच-पड़ताल से उसके विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रकट नहीं हुआ है अतः पुलिस ने यह मामला पता न लगाए जा सकने के रूप में फाइल कर देने के आदेशों के लिए विशेष न्यायाधीश के न्यायालय को भेज दिया है । यह मामला न्यायालय के लम्बित पड़ा है ।

योग्यता छात्रवृत्ति दिये जाने के बारे में एक संसद का सुझाव

8183. **श्री स० कुन्दू :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संसद सदस्य ने मेयो कालिज अजमेर में पढ़ रहे एक विद्यार्थी को योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में 26 मार्च, 1969 को मंत्री महोदय को एक पत्र लिखा था,

(ख) यदि हाँ, तो उक्त पत्र में किन महत्वपूर्ण बातों को उठाया गया था,

(ग) क्या मंत्री महोदय ने ऐसे स्कूलों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने सम्बन्धी योजना की गम्भीरता से जांच करने तथा इस सम्बन्ध में संसद सदस्य द्वारा दिये गये सुझावों पर समुचित विचार करने का वायदा किया था, और

(घ) यदि हां, तो मंत्री महोदय द्वारा दिये गये इस आश्वासन के सम्बंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हां ।

(ख) उक्त पत्र में उठाई गई महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार थी :—

(i) अपने पुत्र अथवा पुत्री को पब्लिक स्कूल में दाखिल कराते समय अभिभावक द्वारा लिया जाने वाला वेतन, वर्गों की गणना के लिये, अंतिम रूप से माना जाना चाहिये और आनुसंगिक वेतनवृद्धि को वर्गों के निर्धारित करने के लिये नहीं गिनना चाहिये ।

(ii) वर्ग निर्धारित करने में वेतन के साथ मंहगाई भत्ते को मिलाकर किसी भी मामले पर विचार नहीं किया जाना चाहिये ।

(iii) अभिभावकों की मूल आय पर विचार किया जाना चाहिये कुल आमदनी पर नहीं ।

(iv) 'ग' और 'घ' के वेतनक्रमों को इस प्रकार परिशोधित किया जाना चाहिये कि न्यूनतम सीमा 500 रुपये से ऊपर न जाय ।

(ग) और (घ) : उपर्युक्त सुझावों की मंत्रालय में जांच की गयी थी और उन सुझावों का स्वीकार किया जाना व्यावहारिक नहीं समझा गया था ।

Implementation of recommendations of Hindi Adviser

8184. Shri Ram Swarup Vidyarthi : Shri Saminathan Singh :

Will tee Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8721 on the 26th April, 1968 regarding Hindi Advisory Committee and state :

(a) whether the concerned Ministries, particularly the Ministry of Education and Youth Services, have met the criticism made and removed the shortcomiugs pointed ou by the Hindi Adviser in respect of the Central Hindi Directorate and the Commission for Scientific and Technical Terminology;

(b) the action taken on the portion of the report of the Hindi Adviser pertaining to the Ministry of Home Affairs;

(c) whether Government propose to raise the status of the Hindi Adviser to that of a Cabinet Secretary so that the recommendations made by him are not treated as mere recommendations but are considered as orders and their compliance becomes obligatory on various Ministries; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Information is being collected and will be laid on the table of the House,

(b) A statement showing important recommendations and action taken thereon is annexed. **[Placed in Library See. No. L. T. 3375/70]**

(c) and (d) : No, Sir. The status of the Hindi Adviser at present is above the Secretary to the Government of India, There has been no difficulty in his functioning during the period of over 4 years.

अन्दमान के समुद्र में पकड़ी गई चीनी शिकार-चोर नाव (पोचर बोट)

8185. **श्री के० आर० गणेश** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के ननकौड़ी द्वीप में दिसम्बर, 1969 में पकड़ी गई चीनी शिकार चोर नाव हिरासत में होते हुए ननकौड़ी पतन से बाहर निकल गई थी ;

(ख) यदि हां, तो किसके आदेश से यह बाहर निकली ;

(ग) क्या पकड़ी गई चीनी शिकार चोर मछली बेचने तथा पानी लेने के लिए पास के द्वीपों में गई थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या पकड़ी गयी चीनी कार्मिक टोली नाव में थी ; और

(ङ) क्या सरकार को पता है कि पहले भी एकबार पकड़ी गई चीनी शिकार चोर नाव निकल भागने में सफल हो गई थी ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : **(क), (ख), (ग) तथा (घ)** : अन्दमान समुद्र जल में कोई चीनी नाव नहीं पकड़ी गई थी । किन्तु 16 दिसम्बर, 1968 को ननकौड़ी के निकट मेरो द्वीप के पश्चिमी तट से परे अनाधिकृत रूप से मछली पकड़ने में व्यस्त एक सिंगापुरी मत्स्य खोजी नाव संख्या एस० एम० एफ० 692 पकड़ी गयी थी । इस नाव पर 8 व्यक्तियों की एक कार्मिक टोली थी, जिसमें 7 सिंगापुरी राष्ट्रिक थे, तथा एक मलवी था । इसके दो झरोखों में पाई गई मछलियों के निपटान के लिए नाविकों सहित यह नाव, जबकि यह हिरासत में थी, स्पष्टतः सर्कल इन्सपेक्टर (क्षेत्रीय निरीक्षक) के आदेशों से ननकौड़ी के उस पार स्थिर चैमपिन द्वीप को ले जाई गई थी और वहां से पानी लेने के लिए रमजाओं ले जाई गई। यह नाव 25 दिसम्बर, 1969 को रमजाओं द्वीप से भाग निकली ।

(ङ) चीनी शिकार-चोर नाव के बच निकलने का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया । किन्तु 11 मार्च, 1965 को एक सिंगापुरी नाव नम्बर एस० एम० एफ०–480 बट्टीमल्व द्वीप से परे पकड़ी गई थी यह विदेशी नाव अपनी बत्ती बुझा कर, तथा अपने कप्तान को पुलिस को नाव पर छोड़कर अंधेरे में भाग निकली ।

चीनी शिकार-चोर नाव (पोचर बोट) को ननकौड़ी द्वीप से पोर्ट ब्लेयर ले जाने के लिए नौसेना को आनुदेश

8186. **श्री के० आर० गणेश** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में दिसम्बर, 1969 को ननकौड़ी के समीप एक चीनी शिकार चोर नाव पकड़ी गई थी; और यदि हां, तो किस तारीख को;

(ख) क्या इस नाव को पोर्ट ब्लेयर ले जाने के बारे में नौसेना को अनुदेश जारी किये गये थे; और यदि हां, तो किस तारीख को ;

(ग) नौसेना जहाज पानवेल किस तारीख को ननकौड़ी पहुंचा ; और

(घ) क्या उक्त नौसैनिक जहाज उस चीनी नाव को पोर्ट ब्लेयर ले गया और यदि हां, तो किस तारीख को और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख), (ग) तथा (घ) : अन्दमान जल-क्षेत्र में कोई चीनी नाव नहीं पकड़ी गई थी । तथापि 16 दिसम्बर, 1969 को मछली पकड़ने वाला एक सिंगापुर का पोत उसकी सात सिंगापुरी राष्ट्रिकों तथा एक मलेशियाई राष्ट्रिक की कार्मिक टोली समेत मिरोद्वीप के पश्चिम तट से दूर ननकौड़ी के निकट पकड़ा गया था । अन्दमान प्रशासन ने पकड़े गये विदेशी पोत को पहरे में ले जाने के लिए एक नौसेना पोत देने हेतु नौसैनिक अधिकारियों के साथ व्यवस्था की थी । नौसेना का पोत 23 दिसम्बर, 1969 को ननकौड़ी पहुँचा । नौसेना का पोत मछली पकड़ने वाले सिंगापुर के पकड़े पोत को नहीं ले जा सका क्योंकि इनमें से किसी में भी पोत में एक दूसरे को ले जाने की व्यवस्थाएं नहीं थी । इसके अतिरिक्त उस समय विषभान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ले जाने को तकनीकी दृष्टि से व्यवहार नहीं समझा गया ।

चीनी शिकार-चोर नाव (पोचर बोट) को ननकौड़ी द्वीप से पोर्ट ब्लेयर ले जाने के लिए आदेश दिया जाना

8187. **श्री के० आर० गणेश** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में ननकौड़ी द्वीप के समीप पकड़ी गई चीनी शिकार चोर नाव की चीनी कार्मिक टोली को पोर्ट ब्लेयर स्थानान्तरित करने के बारे में एहतियाती उपाय के रूप में कोई प्रयत्न किये गये थे ;

(ख) क्या डी० एस० पी० कार निकोबार तथा सर्किल इंस्पेक्टर ननकौड़ी ने चीनी कार्मिक टोली को पोर्ट ब्लेयर स्थानान्तरित करने के बारे में संदेश भेजे थे ;

(ग) क्या टी० एस० एस० यार्रावा जहाज को चीनी नाव के पकड़े जाने के कुछ दिन पश्चात ननकौड़ी छोड़ना था ; और

(घ) चीनी शिकार चोर नाव को ननकौड़ी से पोर्ट ब्लेयर ले जाने के बारे में चीनी कार्मिक टोली को अनुमति देने का निर्णय किसके आदेशों के अन्तर्गत किया गया था ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) ननकौड़ी के निकट कार्मिक टोली समेत कोई नाव नहीं पकड़ी गई । तथापि 16 दिसम्बर, 1969 को मछली पकड़ने वाला एक सिंगापुर का पोत संख्या एस० एम० एफ०–692 सात सिंगापुरी राष्ट्रिकों तथा एक मलेशियाई राष्ट्रिक समेत मिरो द्वीप से दूर ननकौड़ी के निकट पकड़ा गया था । अन्दमान व निकोबार प्रशासन द्वारा पोत तथा उसकी विदेशी कार्मिक टोली को पोर्ट ब्लेयर ले जाने के प्रबन्ध किये गये ।

(ख) डी० एस० पी० कार निकोबार ने 17 दिसम्बर, 1969 को एस० पी० पोर्ट ब्लेयर को संदेश भेजा था जिसमें यह सुझाव दिया था कि मछली पकड़ने वाले सिंगापुर के पकड़े गये संबंधित पोत की कार्मिक टोली को 19 दिसम्बर, 1969 को चलने वाले टी० एस० एस० 'यार्रावा' द्वारा पोर्ट ब्लेयर ले जाय जाए ; पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर द्वारा ऐसा कोई सन्देश नहीं भेजा गया ।

(ग) टी० एस० एस० यार्रावा को 19 दिसम्बर, 1969 को ननकौड़ी से रवाना होना था।

(घ) मछली पकड़ने वाले सिंगापुर के पकड़े गये पोत की कार्मिक टोली, अर्थात 7 सिंगापुरी राष्ट्रिकों तथा एक मलेशियाई राष्ट्रिक को अपने पोत सं० एस० एम० एफ०–692 को ननकौड़ी से पोर्ट ब्लेयर ले जाने की अनुमति देने वाले कोई आदेश नहीं दिये गये थे।

विभिन्न राज्यों में पुलों का निर्माण

8188. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सबसे बड़ा सड़क-पुल कौन सा है,

(ख) इसे कब बनाया गया था तथा इसके निर्माण पर कितनी लागत आई थी,

(ग) गत तीन वर्षों में किन-किन राज्यों में कितने नये पुल बनाये गये हैं और इन पर कितनी लागत आई है, और

(घ) चौथी योजना अवधि में राज्य वार कितने पुल बनाने का प्रस्ताव है तथा चौथी योजना में इस उद्देश्य के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) : बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 2 पर मौन नदी के ऊपर का देहरी-ओन-सोन पर का पुल।

(ख) : यह पुल 1965 में 269.37 रु० की लागत पर बनाया गया था।

(ग) : भारत सरकार मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित है; विभिन्न राज्यों में गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूरे किये गये पुलों की सूची संलग्न है, जिसमें पुल का नाम, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या और उसकी लागत दी गयी है। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 3376/70]**

(घ) : इस समय चौथी योजना काल में निर्माणार्थ प्रस्तावित पुलों के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता है क्योंकि वह निर्माण कार्य वर्ष प्रति वर्ष उपलब्ध किये जाने वाली धन राशियों पर निर्भर करता है।

पत्रिका प्रकाशित करने के लिये जामिया मिलिया के डा० आबिद हुसेन को वित्तीय सहायता

8189. **श्री शारदा नन्द** : **श्री कंवरलाल गुप्त** : **श्री सूरज भान** :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि पत्रिका प्रकाशित करने के लिये फोर्ड संस्थान ने डा० आबिद हुसैन को कुछ सहायता दी है,

(ख) यदि हां, तो कितनी और डा० हुसैन द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका का नाम क्या है,

(घ) काश्मीर के मुख्य मंत्री द्वारा उनको कितनी वित्तीय सहायता दी गई है, और

(ङ) फोर्ड संस्थान सरकार तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री द्वारा सहायता दिये जाने के कारण क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) फोर्ड फाउन्डेशन ने इस्लाम एण्ड दी माडर्न एज सोसायटी को जो एक पंजीकृत संस्था है तथा जिसके सचिव डा० आबिद हुसैन है, वित्तीय सहायता दी है । जिन प्रयोजनों के लिये सहायता दी गई है, उनमें से एक, सोसायटी द्वारा दो तिमाही पत्रिकाएं निकालना है ।

(ख) फोर्ड फाउन्डेशन ने पांच वर्षों की अवधि के लिये 50,000 डालर की सहायता का अनुमोदन इस शर्त पर किया है कि सोसायटी भी उसकी तुलनात्मक राशि 3,75,000 रुपये चन्दों से एकत्रित करेगी । 23-4-1970 को फाउन्डेशन ने सोसायटी को 1,14,600 रुपये की राशि दे दी है ।

सोसायटी द्वारा निम्नलिखित दो तिमाही पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं :—

(i) इस्लाम एण्ड दी माडर्मएज (अंग्रेजी में) और

(ii) इस्लाम और अश्र-एल जदीद (उर्दू में)

(ग) भारत सरकार द्वारा न तो डा० हुसैन और न ही इस्लाम एण्ड दी माडर्न एज सोसायटी को कोई सहायता दी गई है ।

(घ) जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने सोसायटी को 25,000/– रुपये का अनुदान स्वीकृत किया है ।

महाराष्ट्र सरकार ने भी 10,000 रुपये दिये हैं और सोसायटी ने कुछ अन्य स्रोतों से चन्दा एकत्रित किया है ।

(ङ) फोर्ड फाउन्डेशन ने इस्लाम एण्ड दी माडर्न एज सोसायटी को भारत तथा विदेशों के इस्लामिक संस्कृति के जिम्मेदार व्यक्तियों तथा नेताओं के बीच विचार विनिमय हेतु एक मंच की व्यवस्था करने में सहायता के लिये, अनुदान स्वीकृत किया है । अनुदान का मुख्य रूप से उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिये किया जायेगा :—

अंग्रेजी और उर्दू में पत्रिकाएं प्रकाशित करने में सहायता, पुस्तकें अथवा लेख तैयार करने के लिये अध्येताओं को अनुसंधान छात्रवृत्तियां, पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि की खरीद, अनुसंधान विद्वान को विदेश यात्रा तथा सोसायटी के सेमिनारों में गैर-भारतीयों का भाग लेना, जम्मू तथा कश्मीर सरकार द्वारा दिया गया अनुदान भी, सोसायटी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिये है । सोसायटी के घोषित उद्देश्य संलग्न हैं । (अनुबन्ध)

इस्लाम एण्ड दी माडर्न एज सोसायटी के
घोषित उद्देश्य

(क) धार्मिक सिद्धान्तों के उदार भाष्य को प्रोत्साहित करना तथा उनका प्रचार करना ताकि आधुनिक युग की उचित मांगों के साथ धर्मों की सच्ची भावना का सामंजस्य हो सके ।

(ख) वैज्ञानिक तथा दार्शनिक सिद्धान्तों में धर्मों के योगदान की समीक्षा तथा उनका मूल्यांकन करना ।

(ग) विभिन्न धर्मों को मानने वालों में सौहार्द्रपूर्ण सम्बंधों को बढ़ावा देने के लिए सभी महान धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन को प्रोत्साहित करना ।

(घ) सम्प्रदायों के बौद्धिक अलहदगी के कारणों का विश्लेषण करना और अपने राष्ट्रीय समाज तथा विश्व समाज के अभिन्न सदस्यों के रूप में अपने आपको और कार्य करने के लिये प्रेरित करना ।

(ङ) विश्व के विभिन्न भागों के उदार विचार आंदोलनों से सम्पर्क स्थापित करना ।

(च) विश्व में वैज्ञानिक तथा दार्शनिक विचार की प्रगति को ध्यान में रखना ।

Jewellery of the Maharaja of Gwalior

8190. **Shri Swami Brahmanandji** : Will the Minister of **Home Affaris** be pleased to state :

(a) whether the former Maharaja of Gwalior had submitted the details of the jewellery possessed by him while making a declaration in respect of his moveable property in pursuance of the order of the Government of India after the merger of the State with the Indian Union :

(b) the value of the jewellery as was declared ;

(c) the names of the companies through which the value of jewellery was got assessed ;

(d) whether Government are aware that the jewellers who assessed the value of the jewellery had family relations with the royal family and some of them were their partners also ; and

(e) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir. In accordance with the provisions of the Covenant signed among others by the Maharaja of Gwalior for the formation of Madhya Bharat, he was required to furnish to the Government of India, only an inventory of all the immovable properties, securities and cash balances held by him as private property.

(b), (c), (d) and (e) : Do not arise.

States Visited by Union Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers

8191. **Shri Jagannath Rao Joshi** : **Shri Onkar Lal Berwa** :
Shri Hukam Chand Kachwai : **Shri Bharat Singh Chauhan** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of States visited by the Union Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers during January to April, 1970 ; and

(b) the total expenditure incurred by Government on the said visits ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Minister (Shri K. S. Ramaswamy) : (a) and (b) The information, for the period from 1st January, 1970 to 15th April, 1970, is being collected and will be laid on the Table of the House.

हुसैनीवाला की सीमा पर एक भवन का निर्माण

8192. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुसैनीवाला की सीमा पर भवन का निर्माण करने तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था करने के सम्बन्ध में अनुमानतः कितना धन व्यय किया जायेगा ?

(ख) वहां किये जा रहे निर्माण कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उसे कब तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) लगभग 14 लाख रुपये।

(ख) सीमा सुरक्षा दल की यूनिटों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा सीमा शुल्क और पर्यटन विभागों को तथा पंजाब सरकार के विभागों को स्थान देने के लिए भवनों के निर्माण करने का विचार है। गार्ड रुम्स, सामान-परीक्षण हाल, माल गोदाम, स्टोर रूम्स, बिजली तथा पानी संस्थापन, ट्रांजिट रूम्स, इसके अतिरिक्त जल-पान गृह सुविधा, माल ढोने वाली मोटरों के अड्डा के लिए स्थान बनाने तथा अन्य सुविधाएं देने का विचार है।

(ग) इस कार्य का 1971 के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है।

मनीपुर में राजपत्रित पदों पर अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की नियुक्ति

8193. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में अब तक राजपत्रित पदों पर अनुसूचित जाति के कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) मनीपुर सरकार के अधीन ग्रेड तीन और चार पदों में आरक्षण कितने प्रतिशत है;

(ग) क्या मनीपुर चक्पा अनुसूचित जाति संस्था ने मणीपुर सरकार को अनुसूचित जाति के स्नातकों और एम० ए० डिग्री धारियों की बेरोजगारी के सम्बन्ध में अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हां, तो अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) : मनीपुर सरकार ने सूचित किया है कि मनीपुर में अब तक राजपत्रित पदों पर अनुसूचित जातियों के तीन सदस्यों को नियुक्त किया गया है। मनीपुर सरकार के अधीन श्रेणी III और श्रेणी IV के पदों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रतिशत इस प्रकार है :—

(i) सीधी भरती द्वारा	2.5 प्रतिशत
(ii) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा से पदोन्नति द्वारा	15 प्रतिशत
(iii) चयन द्वारा	15 प्रतिशत

(ग) मनीपुर सरकार ने कहा है कि ऐसा कोई आवेदन प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मामले

8194. **श्री सूरज भान :** **श्री शारदानन्द :**

श्री कंवर लाल गुप्त : **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री :**

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में गत एक, दो, तीन और तीन वर्षों से अधिक समय से कितने मुकदमें विचाराधीन हैं ;

(ख) मुकदमें की संख्या कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) किन-किन उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों की संख्या अधिक है; और

(घ) जनता को शीघ्र तथा कम खर्चे पर न्याय उपलब्ध करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सूचना का विवरण संलग्न है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 3377/70]

(ख) राज्य प्राधिकारियों को निम्नलिखित उपाय करने की सलाह दी गई हैं :—

(i) दर्ज किये गये मामलों तथा निपटाये गये मामलों और निपटाये जाने वाले बकाया मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए;

(ii) उच्च न्यायालयों में रिक्तियां बिना विलम्ब के भरी जानी चाहिए ;

(iii) जब कभी कोई सेवारत न्यायाधीश दूसरे कार्यों के लिए भेजा जाता है और छः महीने के अन्दर उसके वापिस आने की सम्भावना नहीं होती है तो उसके स्थान में एक अतिरिक्त अथवा तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि उच्च न्यायालय में काम की हानि न हो । गत कुछ वर्षों में विभिन्न उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों के बहुत से पद स्थायी न्यायाधीश के पद में बदल दिये गये हैं । विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाशीशों की संख्या में भी 245 (1-1-1967 को) से बढ़ाकर 300 (1-5-1970 को) कर दी गई ।

(iv) उच्च न्यायालयों में बकाया कार्य की जांच करने तथा सुधारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए हाल ही में अध्यक्ष के रूप में भारत के न्यायाधिपति समेत तीन न्यायाधीशों की एक समिति भी नियुक्त की गई है ।

जहां तक सर्वोच्च न्यायालय का सम्बन्ध है, 1969 में न्यायाधीश-संख्या 11 से बढ़ाकर 12 कर दी गई थी । लम्बित पड़े मुकदमों की फाइल सदैव भारत के न्यायाधिपति के पर्यवेक्षण में रहती

है। बकाया कार्य निपटाने के लिए यदि अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता समझी जाती है तो निर्धारित सीमा के भीतर न्यायाधीश-संख्या में और वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

(ग) कलकत्ता, इलाहाबाद, मद्रास, बम्बई, केरल, आन्ध्र प्रदेश तथा पंजाब तथा हरियाणा के उच्च न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमें अधिक हैं।

(घ) विधि आयोग ने अपनी 27वीं रिपोर्ट में सिविल प्रकिया संहिता 1908 के लिए कुछ विशिष्ट सिफारिशों का सुझाव दिया हैं जिनका संकेत सिविल मुकदमेबाजी में विलम्ब को समाप्त करने अथवा कम करने की ओर है तथा जिसकी लागत कम हो। उन संशोधनों को कार्यरूप देने के लिए उस संहिता में और संशोधन करने हेतु एक विधेयक अब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष विचाराधीन है समिति की रिपोर्ट प्रत्याशित है।

विधि आयोग द्वारा हाल ही में दण्ड प्रक्रिया संहिता पर विचार किया गया है और इसकी 41वीं रिपोर्ट दी राज्य सरकारों के परामर्श से जांच की जा रही है।

राष्ट्रपति की अनुमति के लिये पश्चिम बंगाल से प्राप्त विधेयकों की सख्या

8195. **श्री भगवान दास :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल से नवम्बर, 1969 में राष्ट्रपति की अनुमति के लिये कितने विधेयक भेजे गये थे ;

(ख) उन विधेयकों का ब्यौरा क्या है,

(ग) उन विधेयकों का व्यौरा क्या है जिनको अनुमति दी गई है; और

(घ) कितने विधेयक अनिर्णीत पड़े हैं और प्रत्येक मामले में ऐसा होने के क्या कारण हैं ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) तक नवम्बर, 1969 में पश्चिम बंगाल सरकार ने केवल एक विधेयक, अर्थात मजदूर संघ (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक 1969 राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा। अभी तक अनुमति प्रदान नहीं की गई है। केन्द्रीय सरकार के विचार राज्य सरकार को भेज दिये गये हैं तथा उनकी प्रतिक्रिया प्रत्याशित है।

Clashes Between India and Pakistan

8196. **Shri Onkar Lal Bohra :** **Shri Beni Shanker Sharma :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of clashes with Pakistan on the Indian borders during the period from the 1st January, 1969 to 31st March, 1970, the number of persons killed and injured as a result thereof and the details in this regard ;

(b) the number of cattle-heads lifted away by the Pakistan is during the above period and the number out of them of those taken back ;

(c) the number of times Government sent protest notes to Pakistan in this regard and the replies received from the Government of Pakistan thereto ; and

(d) the action taken by Government to prevent these incidents ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) **and** (b) Information regarding incidents on the Indo-Pakistan border in respect of Gujarat, Punjab , West Bengal and Assam is furnished in the Annexure. Information in respect of Rajasthan and Tripura will be laid on the Table of the House on receipt.

(c) Wherever necessary, protests have been lodged at appropriate levels.

(d) The Border Security Force is maintaining strict vigilance along the Indo-Pak border through regular patrolling and other measures. [**Placed in the Library. See No. L. T. 3378/70**]

सांस्कृतिक आदान-प्रदान के बारे में मलयेशिया के साथ करार

8197. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1970 में जब भारत और मलयेशिया के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की कुआलालाम्पुर में बैठक हुई थी तब दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और प्रतिलिप्याधिकार (कापीराइट) आदि के सम्बन्ध में कई करारों की रूप रेखायें तैयार की गई थी, और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) (क) : एक सांस्कृतिक करार के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है किन्तु बैठक में किसी द्विपक्षीय ठोस कार्यक्रम की रूपरेखा नहीं बताई गई थी ।

(ख) सांस्कृतिक करार के मसविदे पर अभी तक अंतिम रूप से सहमति नहीं हुई है । जहां तक कापीराइट का सम्बन्ध है, प्रश्न नहीं उठता ।

यूनेस्को द्वारा मन्दिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजों का नवीकरण

8198. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि मन्दिरों के नवीकरण के कार्य पर यूनेस्को कुछ राशि खर्च करता है,

(ख) क्या भारत में मस्जिदों, गिरजों और गुरुद्वारों का भी नवीकरण किया जायेगा, और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हाँ । 1966 से 1968 तक के तीन वर्षों के दौरान यूनेस्को ने सलाहकारों के रूप में और श्रीरंगम में स्थित श्री रंगनाथस्वामी मन्दिर के संरक्षण के लिए 12,000 डालर के उपकरण उपलब्ध किये थे ।

(ख) और (ग) यूनेस्कों की सहायता प्राचीन स्मारकों के लिए उपलब्ध है जिनमें मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे शामिल हैं । सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यों से अनुरोध किया

गया है कि 'प्राचीन स्मारकों,' के नवीकरण और संरक्षण हेतु यूनेस्कों की सहायता के लिए प्रस्ताव पेश करें और उन स्मारकों को प्राथमिकता दी जाए जो सांस्कृतिक पर्यटन केन्द्र हो सकते हैं और जिनका पुनरुद्धार तथा संरक्षण विदेशी विशेषज्ञों की सेवाओं की जरूरत रखता हो और जिनके उपकरण अथवा सामग्री भारत में उपलब्ध न हों। राज्य सरकारों को यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यूनेस्कों से दी जाने वाली सहायता, यदि उपलब्ध हो, तो वह विदेशी विशेषज्ञों की सेवाओं तथा ऐसे उपकरणों की सप्लाई तक सीमित होगी जो देश में उपलब्ध न हो सकते हों। वास्तविक नवीकरण पर खर्चे का रुपया राज्य सरकारों अथवा अन्य सम्बन्धित प्रायोजकों द्वारा पूरा किया जायेगा।

जाली डालर बनाने वाला गिरोह

8199. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि जाली डालर बनाने वाला एक गिरोह सक्रिय है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और ऐसे गिरोहों को, जिन से विदेशों में हमारे देश की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता है, समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, नागालैण्ड, पंजाब तथा राजस्थान राज्यों एवं दिल्ली को छोड़कर अन्य संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि ऐसे कोई मामले नहीं हैं। बिहार, जम्मू व काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मैसूर, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से सूचना अभी आनी है और मिलने पर सदन के सभा पटल पर रख दी जायगी।

(ख) तथा (ग) : फरवरी, 1969 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में जाली अमरीकन डालरों का एक मामला दर्ज हुआ था, जिसके सम्बन्ध में 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था इसी प्रकार जुलाई, 1969 में ऐसे ही अपराध के कारण संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में दो व्यक्ति गिरफ्तार गिये गये। जनवरी 1970 में जाली डालर के एक मामले में तमिल नाडु राज्य में मदुराई में 14 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

सम्बद्ध पुलिस द्वारा आवश्यक निगरानी की जा रही है।

बेरोजगार स्नातक तथा इंजीनियर

8200. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा यह प्रगतिशील नीति अपनाई जाने के कारण कि इण्डियन आयल कम्पनी के पम्प और एजेंसी केवल बेरोजगार स्नातकों अथवा इंजीनियरों को दी जाय, काफी हद तक बेरोजगारी कम हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 और 1969-70 में बेरोजगार स्नातकों तथा इंजीनियरों की संख्या कितनी थी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) इंडियन आयल

कारपोरेशन ने नवम्बर, 1969 में एक योजना चालू की जिसके अन्तर्गत भविष्य में पैट्रोल पम्पों, मिट्टी के तेल 1 हलके डीजल आयल तथा घरेली एवं औद्योगिक गेस की एजेन्सी केवल ऐसे उपयुक्त, बेरोजगार इंजीनियर तथा अन्य स्नातकों को दी जायगी (i) जिनकी आयु 30 वर्ष तक है तथा (ii) जो उस जिले के हों जहां एजेन्सी 1 तेल वितरण कार्य चालू होगा, तथा (iii) जिनका सम्बन्ध निम्न-आय वर्ग के परिवारों से है। अभी इतनी जल्दी इस योजना की प्रगति तथा बेरोजगार इंजीनियरों तथा स्नातकों पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

(ख) स्नातकों तथा इंजीनियरों में बेरोजगारी के सही सही अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। रोजगार दफ्तर के चालू रजिस्ट्रारों में दर्ज नामों की संख्या से बेरोजगारी के विस्तार का मोटे तौर से अनुमान हो जाता है। 31-12-1968 को रोजगार दफ्तरों के चालू रजिस्ट्रों पर इंजीनियरों (स्नातक तथा डिप्लोमा धारी) की संख्या 50,204 थी तथा स्नातकों (इंजीनियरिंग स्नातकों को छोड़कर) की संख्या 1,46,564 थी। 31-12-1969 को ये संख्याएं क्रमशः 57,569 तथा 1,76,676 थी।

रूसी कलाकारों के एक दल का दौरा

8201. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री दण्डपाणि :
श्री मयावन :
श्री चेंगलरायानायडू :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत-रूस सांस्कृतिक कार्यक्रम के अन्तर्गत रूसी कलाकारों का एक दल 8 अप्रैल, 1970 को दिल्ली पहुंचा था।

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा से दोनों देशों के सांस्कृतिक सम्बन्ध किस हद तक मजबूत हुए हैं ; और

(ग) क्या भारतीय कलाकारों का प्रतिनिधि मण्डल रूस की यात्रा करेगा ; और यदि हां, तो कब ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यात्रा से भारत और सोवियत रूस के बीच सांस्कृतिक संबन्ध और अधिक मजबूत हुए हैं। इसका मात्रात्मक मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

(ग) जी हां। जून, 1970 के दौरान।

राष्ट्र निर्माण में अल्पसंख्यकों के योगदान के सम्बन्ध में गोष्ठी

8202. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री दण्डपाणि :
श्री मयावन :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1970 के पहले सप्ताह में नई दिल्ली में राष्ट्र निर्माण में अल्प संख्यकों के योगदान के बारे में हुई गोष्ठी में नागरिकों के विभिन्न वर्गों में घृणा की भावना

बढ़ाने वाले व्यक्ति को दण्ड देने की व्यवस्था करने हेतु दण्ड संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन करने की सिफारिश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) आपराधिक तथा निर्वाचन कानून संशोधन अधिनियम, 1969 के अधिनियमन से भारतीय दण्ड संहिता तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सम्बद्ध उपबन्धों में किये गये संशोधनों में गोष्ठी के सुझाव मूल रूप से आ जाते हैं ।

छठा अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन

8203. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री दण्डपाणि :**

श्री मयावन : **श्री चेंगलराया नायडू :**

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठा अखिल भारतीय भाषा-सम्मेलन 10 अप्रैल, 1970 को दिल्ली में आयोजित हुआ ;

(ख) यदि हां, तो चर्चित विषयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) : आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय प्रबन्ध संस्था (इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट अहमदाबाद द्वारा भारत में होटल आवास सम्बन्धी सर्वेक्षण

8204. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री चेंगलराया नायडू :**

श्री मयावन :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय प्रबन्ध संस्था (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट) को होटल आवास के बारे में विदेशी पर्यटकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए सर्वेक्षण करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ;

(ग) क्या दिल्ली जनमत संस्था (दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन) द्वारा पहले भी सर्वेक्षण किया गया था ; और

(घ) इन सर्वेक्षणों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और ये किस हद तक लाभदायक सिद्ध हुए हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) (क) : जी, हां ।

(ख) : सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट अभी आनी है।

(ग) पर्यटन विभाग ने 'इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पब्लिक ओपिनियन' को विदेशी पर्यटकों का प्रकार (काम्पोजिशन), उनकी प्रतिक्रियाओं और खर्च की प्रवृतियों का अध्ययन करने के लिए नमूने के तौर पर सर्वेक्षण का काम सौंपा। सर्वेक्षण नवम्बर 1968 से अक्तूबर 1969 तक किया गया और इसकी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है।

अहमदाबाद के 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट' को जो सर्वेक्षण कार्य सौंपा गया है उसका उद्देश्य उच्चतर वर्ग के विशिष्ट होटलों में उपलब्ध सुविधाओं के स्तर ('क्वालिटी') के सम्बंध में व्यापक विश्लेषण प्राप्त करना है।

(घ) : इन सर्वेक्षणों का उद्देश्य देश में पर्यटन सुविधाओं के स्तर ('क्वालिटी') और उनकी पर्याप्तता के सम्बन्ध में पर्यटकों का मत जानना और जहां आवश्यक हो वहां उपचारी कार्यवाही करना है।

Appointment of Hindi Assistants and Hindi Translators

8205. **Shri Hardayal Devgun** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the purpose for which and the rule under which the Hindi Assistants had been appointed through the Union Public Service Commission examination in June, 1959 ;

(b) whether the said purpose or the target had been achieved on the 28th November, 1968 ;

(c) if so, the reasons for appointing Hindi Translators in place of Hindi Assistants without holding any Union Public Service Commission examination ;

(d) whether Government propose to form a regular service of Hindi Trnslators, Hindi Officers and Hindi Assistants so as to do justice to Hindi in the Central Secretariat of the Government of India and to foil the efforts of those senior Officers in his Ministry who wish to deprive Hindi of its rightful position as given in the Constitution and in the Official Languages Act ; and

(e) if no, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : **(a), (b) and (c)** A decision was taken to hold an examination through the Union Public Service Commission in June, 1959 for recruitment to the posts of Hindi Assistants to do work relating to Hindi, created in various Ministries/ Departments with the same status and pay scale as that of Assistants in the Central Secretariat,, with a view to make recruitment for these posts according to a uniform procedure and uniform standards. Only Lower Divvision Clerks and Upper Division Clerks of the Central Secretariat Clerical Service who fulfilled the conditions about minimum educational qualifications and minimum length of service, were eligible to appear at the examination. Persons selected by the Union Public Service Commission were nominated to the various Ministries / Departments where the posts of Hindi Assistant existed by reverting wherever necessay, the unqualified candidates. A few vacancies of Hindi Assistants which arose in the Mi-

nistries/Departments after the Select List prepared by the Union Public Service Commission was exhausted were filled by the Ministries/Departments themselves. Consequent upon the enactment of the Official Languages (Amendment) Act, 1967, the Ministry of Home Affairs considered the administrative requirements for providing staff for carrying out the purposes of the Act. It was felt that with increasing number of Central Government employees having been trained in Hindi, it was no longer necessary to have separate staff for dealing with Hindi references only. Since the requirements of staff only for Hindi work at present and for quite some time to come are going to be confined to translation work from English into Hindi and *vice versa*, it was decided in November, 1968 that the posts of Hindi Assistants which fall vacant thereafter should not be filled but be abolished. According to the requirements of each Ministry /Department the required number of posts of Hindi Trnalators in appropriate pay scales could be created and filled by them in accordance with the recruitment rules framed for the post and as a transitory measure only until the staff in the Central Secretariat have acquired a working knowledge of Hindi. In view of this and since a majority of the posts of Hindi Translators in the various Ministries/Departments are in Class III and therefore outside the purview of the Union Public Service Commission, it is not proposed to hold any common examination through the Union Public Service Commission for filling such posts.

(d) and (e) Posts of Hindi Translators, Hindi Assistants and Hindi Officers are isolated posts created by Ministries/Departments themselves according to their needs and filled by themselves according to the recruitent rules framed for this purpose. In view of the reasons explained in reply to parts (a) to (c) above, it is not proposed to form an organised service/cadre for these isolated posts. The question of any injustice to Hindi in the Central Secretariat or depriving it of its rightful place under the Constitution and the Official Languages Act, does not arise.

Administrative Requirements for Forming a Cadre for Hindi Assistants, Hindi Translators and Hindi Officers

8206. **Shri Hardayal Devgun** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the Ministry of Home Affairs Office Memorandum 7/1/66-CS(I) dated the 28th November, 1968 ;

(b) if so, the various administrative requirements due to which a regular cadre is not being formed for the Hindi Assistants, Hindi Trnslators and Hindi Officers and thus the citizens of the country are being discriminated against ;

(c) whether he is aware that the Ministry of Finance promote their Hindi Assistants, recruited through the U. P. S. C. on higher posts without holdig any examination and interview whereas they hold examination and interview for promoting those Hindi Assistants on higher posts who are recruited through the U. P. S. C. on the basis of the same examination but are working in other Ministries ;

(d) if so, whether his Ministry had appointed in the Ministry of Finance ; and

(e) if not, whether it is proposed to issue orders to the various Ministries and offices to adopt uniform policy in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs. (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) Consequent upon the enactment of the Official Languages (Amendment) Act, 1967, the Ministry of Home Affairs considered the administrative requirements for providing

ing and strengthening of translation arrangements. Since the requirements at present and for quite some time to come are going to be confined to translation work from English into Hindi and *vice versa*, it was decided in November 1968, that the posts of Hindi Assisttants which fall vacant thereafter should not be filled but be abolished. According to the requirements of each office, the required number of Hindi Trnslators should be recruited. Since the posts created in connection with the Hindi translation work are isolated posts, created by each Ministry according to its own requirements and filled in accordance with the recruitment rules for the posts and as a transitory measure only until the staff in the Central Secretaiat have acquired a working knowledge of Hindi, the forming of any organised service/cadre for these posts is not considered necessary. There is also no question of any discrimination.

(c) , (d) and (e) Posts of Hindi Translators are isolated posts created by Ministries/Departments themselves and filled with reference to the provisions of the recruitment rules framed by them. The recruitment rules for the posts of Hindi Translators (Pay scale Rs.320—530) in the Department of Revenue and Insurance of the Ministry of Finance provide the following three methods of filling such posts :

(i) by incumbents holding posts of Hindi Assistants on the basis of U. P. S. C. results and who have put in at least 3 years of service in the Department of Revenue and Insurance in that grade ;

(ii) failing (i) above, by transfer or deputation of Central Government servants possessing the qualifications prescribed for direct recruits ; selection to be made on the basis of written test and interview conducted by the Department of Revenue and Insurance ;

(iii) failing (i) and (ii) above, by direct recruitment, on the basis of written test and interview conducted by the Department of Revenue and Insurance.

After the allocation of Hindi Assistants to the various Ministries/Departments on the basis of the examination held in 1959, the appointment of Hindi Assistants to the posts ofHindi Trsnalators in the Department of Revenue and Insurance, Ministry of Finance has been regulated in accordance with the provisions of the rules cited above..

As stated above, posts of Hindi Translators are isolated posts created as a transitory measure by the Ministries/Departments themselves in appropriate pay scales according to their requirements and filled by them according to the recruitment rules framed for this purpose. It is therefore not proposed to lay down any uniform policy in this regard.

Criminal Cases Registered with Police in Delhi

8207. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of criminal cases registered in each of the Police Stations in New Delhi and Old Delhi in the months of January, February and March, 1970 and the Sections under which these were registered ; and

(b) the number of cognisable offences out of them and the number thereof which were not cognisable and the number of cases in which people were convicted in the courts ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) Two statements containing the information available, are enclosed. [**Placed in the Library. See L. T. No. 3379/70**].

8209. **Shri Molhu Prashad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the manner in which the Warrant of Procedence has been decided in the country ;

(b) the criteria adopted therefor ; and

(c) the details thereof, rank-wise ?

TheDeputy Minister in the Ministry of Home Minister : (Shri K. S. Ramaswamy) : **(a) and (b)** The Warrant of Precedence is an executive order issued by the Head of the State in his prerogative. It has been drawn up having regard to the nature of the offices held by the various dignitaries mentioned therein.

(c) The Warrant of Precedence and amendments thereto are published in the Gazette of India, in the form of notifications. It has been reproduced at pages 574 to 575 of "India 1969—A reference Annual".

Details of work done in Hindi English in Department of Parliamentary Affairs and number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees

8210. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) the details of the work being done in Hindi/English (Hindi-English) in the Attached and Subordinate Officers of his Ministry in pursuance of the orders of the Ministry of Home Affairs ; and

(b) the number of the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other employees working in his Ministry along with their names and designations, class wise ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shpping and Transport : (Shri K. Raghu Ramaiah) : (a) There is no attached and Subordinate office of the Department of Paliamentary Affairs.

(b) Scheduled Castes : Eighteen.
Scheduled Tribes : Two.
Others : One hundred.

A statement giving designation-wise and class-wise break up of above figure is enclosed. [**Placed in the Library. See L. T. No. 3380/70**].

Controller of Examinations in U. P. S. C.

8211. **Shri Bansh Narain Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a person has recently been appointed against the post of Controller of Examinations in the Union Public Service Commission ;

(b) If so, his name and qualifications ;

(c) whether it is also a fact that the main function of that persons in to give appropriate suggesions for the adoption of Hindi as the medium of examinations conducted by the Union Public Service Commission ;

(d) whether it is further a fact that impediments are put in the way of adopting Hindi as the medium of examinations in the Union Public Service Commission in order to extend the term of office of that person ; and

(e) if not, whether the term of office of that person was extended for three years at one time whereas such extensions are generaly granted on yearly basis ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) No officer has been appointed recenlly as the Controller of Examinations in the Union Public Service Commission. Shri Harish Chandra, the present incumbent of the post, was appointed in 1964. On his attaining the age of superannuation (58years) with effect from 20th February, 1968, it was decided to grant him extension of service for two years with effect from 21st February, 1968 in public interest. It has been decided recently to retain him in service on extension basis on grounds of public interest for a further period of one year with effect from 21st February, 1970. He holds a Master's Degree in English Literature.

(c) The duties of the Controller of Examinations included initially the planning and implementation of the preliminary work connected with the decision taken by the Government for the introduction of Hindi as an optional medium for the All India and higher Central Services Examinations, apart from an overall supervision of the examinations and confidential wings of the Commission. Consequent on the subsequent decision that all the languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution should, besides English, be introduced simultaneously as alternative media for these examinations, this work was also entrusted to the Controller of Examinations.

(d) No, sir.

(e) As already stated in reply to parts (a) and (b) of the question, the present incumbent of the post was granted an extension of two years with effect from 21st February, 1968, on his attaining the age of superannuation and again, an extension for one year with effect from 21st February, 1970. These extensions have been granted solely in public interest, having regard to the need for undertaking urgent preparatory work in connection with the implementation of the decisions taken in regard to alternative media for U. P. S. C. Examinations.

C. B. I. Inquiry Into Murder of Shri Baldev Singh

8212. **Shri Bansh Narain Singh :** **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Onkar Lal Berwa : **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3752 on the 20th March, 1970, regarding Magisterial enquiry into the murder of Shri Baldev Singh and state :

(a) whether it is a fact that it has been found in the report of the Magisterial inquiry that the investing ations conducted by the local Police earlier and the Special Police are contrary to each other ;

(b) whether Government would conduct an inquiry into the matter through the C. B. I.

(c) if so, the date on which the case would be handed over to the C. B. I., ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Himachal Government have informed that no Special Police was ever deputed to conduct the inquiry. There is therefore no question of contradiction between the reports of investigation between local Police and Special Police.

(b) Inquiry through C. B. I. is not considered necessary in view of the Magisterial inquiry already held.

(c) Question does not arise.

(d) In view of the Magisterial inquiry already held, it is not considered necessary to hold any inquiry through C. B. I.

Murder of Shri Baldev Singh

8213. **Shri Onkar Lal Berwa** : **Shri Jagannath Rao Joshi** :

Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri Hukam Chand Kachwai** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5085 on the 3rd April, 1970 regarding murder of Shri Baldev Singh at Dhameta (District Kangra) and state :

(a) the date on which the enquiry was instituted in this regard and the number of Officers who are conducting the said inquiry ;

(b) whether the enquiry has since been completed ;

(c) if so, the details thereof ;

(d) if not, the reasons for not completing the enquiry so far and the time by which it would be completed ; and

(e) in case the reply to part (b) above be in the affirmative, the date on which a case was registered and the various Sections under which the case has been filed ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla : **(a) to (e)** With regard to further enquiry ordered by Deputy Commissioner, Kangra, Himachal Pradesh Government has informed that some legal difficulties have cropped up in connection with this inquiry which are being sorted out by them.

मनीपुर में पदों के लिए केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार

8214. **श्री एम० मेघचंद** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ शासित क्षेत्र मनीपुर में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए केन्द्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा 1969-70 में कितनी बार लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया ;

(ख) प्रत्येक पद के लिये कितने-कितने लोग साक्षात्कार के लिये आये;

(ग) कितने पदों के लिये मनीपुरी भाषा को जानना आवश्यक था ;

(घ) कितने साक्षात्कारों में मनीपुरी भाषा जानने वाला अधिकारी साक्षात्कार में उपस्थित था ;

(ङ) क्या लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार समिति में मनीपुर भाषा जानने वाले अधिकारी की उपस्थिति पर जोर दिया गया था ; और

(च) लोगों की असुविधाओं को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार मनीपुर के लिए पृथक सेवा बोर्ड स्थापित करने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) **तथा (च)** : वित्तीय वर्ष 1969-70 में संघ राज्य क्षेत्र मनीपुर में 33 पदों से संबन्धित 26 मामलों में संघ लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार लिये । इन पदों के लिए 155 उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए आये । इन पदों के ब्यौरे संलग्नक में दिये गये हैं । उपरोक्त 26 मामलों में से, 25 पदों से संबंधित 19 मामलों में मनीपुरी का ज्ञान वांछनीय अर्हता के रूप में निर्धारित किया गया था । 4 पदों से सम्बंधित तीन मामलों में, इसे अनिवार्य अर्हता के रूप में रखा गया था । तथापि, मनीपुर में प्राध्यापकों के पद के लिये संघ लोक सेवा आयोग में सलाहकार के रूप में मनीपुर जानने वाला एक सेवानिवृत्ति अधिकारी शामिल किया गया था । संघ लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार-समिति में मनीपुरी जानने वाले अधिकारी की उपस्थिति पर जोर नहीं दिया था । प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने मनीपुर समेत संघ राज्य क्षेत्रों के लिये सेवा चयन बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की है । इस सिफारिश की जांच की जा रही है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3381/70]**

मनीपुर असैनिक सेवा (सिविल सर्विस) संवर्ग

8215. **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर सरकार के अधीन मनीपुर असैनिक सेवा (सिविल सर्विस) संवर्ग के लिये प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों का विवरण क्या है ;

(ख) मनीपुर-सरकार के आधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिये क्या-क्या पद हैं ;

(ग) इस समय कितने पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारी कार्य कर रहे हैं;

(घ) मनीपुर सिविल सर्विस की अब तक कुल संख्या कितनी है, और

(ङ) क्या मनीपुर सिविल सर्विस संवर्ग के पदों की संख्या में वृद्धि की जा रही है और यदि हां, तो कितनी ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मनीपुर सरकार ने सूचित किया है कि मनीपुर असैनिक सेवा में 49 पद सम्मिलित हैं । इनमें से, 12 पद प्रतिनियुक्ति छुट्टी तथा प्रशिक्षण के लिये आरक्षित हैं । इसके अतिरिक्त 7 ड्यूटी-पद हैं जो अस्थायी तौर पर बनाये

गये हैं। इन 49 पदों में से, 5 पद प्रथम श्रेणी प्रवरण ग्रेड में हैं। प्रथम श्रेणी को कोई विशेष पद निश्चित नहीं किये गये हैं।

(ख) मनीपुर के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग (संघ राज्य क्षेत्र) में निम्नलिखित पद सम्मिलित हैं :—

पद	संख्या
1 मुख्य सचिव	1
2 सचिव	4
3 अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट	1
4 भूमि अभिलेख तथा बन्दोबस्त निदेशक	1
5 सतर्कता निदेशक	1

(ग) मुख्य सचिव, भूमि अधिलेख तथा बन्दोबस्त निदेशक के पद तथा सचिवों के 3 पद वरिष्ठ वेतनमान वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने धारण किये हुए हैं। मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के हैं तथा शेष अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के हैं इसके अतिरिक्त कनिष्ठ वेतनमान वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारी मनीपुर असैनिक सेवा के पदों अर्थात पंजीकार सहकारी समितियां तथा अधीक्षक, मुद्रण व लेखन सामग्री के पदों पर काम कर रहे हैं। एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी आई० एफ० ए० एस० संवर्ग में वरिष्ठ वेतनमान वाला उप आयुक्त का पद धारण किये हुये हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में सतर्कता निदेशक तथा अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पद खाली पड़े हैं।

(घ) अब तक मनीपुर असैनिक सेवा में 30 अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। 16 और अधिकारी संघ लोक सेवा आयोग की सहमति से विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर मनीपुर असैनिक सेवा में पदोन्नत किये जा रहे हैं।

(ङ) जी नहीं, श्रीमान्।

मनीपुर में पोलो क्लबों को वित्तीय सहायता

8216. **श्री एम० मेघचंद्र :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में कौन-कौन से पोलो क्लब चल रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में मनीपुर सरकार ने किन-किन पोलो क्लबों को वित्तीय सहायता दी और कितनी सहायता की राशि क्लब-वार, क्या है ; और

(ग) क्या मनीपुर सरकार इन क्लबों को अपने पोलो खेलने के मैदानों का रख-रखाव करने के लिये सहायता देती है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

(क) 1. कुम्बी—पोलो क्लब

2. थोडबल "

3. के० चारंगपत पोलो क्लब
4. थियाम कोंजिल "
5. लैमापोकम "
6. ओइनम "
7. फायान्गथंग "
8. ओइनम सावोमबुंग "
9. संगाई युनफाम "
10. ईस्टर्न मणिपुर "
11. वक्पाओबिटक "
12. समुरोउ "

(ख) और (ग) : पहले सात को उनके अनुरक्षण के लिए अनावर्ती वित्तीय सहायता दी गई थी। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक क्लब को दी गई राशि के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मनीपुर में क्रांतिकारी सरकार से सम्बंधित व्यक्तियों की गिरफ्तारी

8217. **श्री एम० मेघ चंद्र** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर की तथा कथित क्रान्तिकारी सरकार की गतिविधियों के संबंध में अब तक कितने युवक गिरफ्तार किये गये हैं तथा जेल में नजरबन्द रखे गये है;

(ख) क्या उन्हें केवल निवारक निरोध कानून के अन्तर्गत ही नजरबन्द रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो उनके विरुद्ध सभी आरोप वापस ले लिये गये हैं;

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) के उत्तर नकारात्मक हों तो उन्हें किन आरोपों तथा दण्ड-विधि के उपबन्धों के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है; और

(ङ) क्या मनीपुर सरकार इन आरोपों को वापस लेने तथा उन्हें केवल निरोध निवारक कानून के अन्तर्गत नजरबंद रखने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 138 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

(ख) जी, नहीं, श्रीमान्। मनीपुर में लागू उड़ीसा निवारक निरोध अधिनियम, 1970 के अधीन केवल 17 व्यक्तियों को नजरबंद रखा गया था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 395/397/431/120 ख/121/120 क, भारतीय शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम की धारा 11 के अधीन उन पर आरोप लगाये गये हैं।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली में कम वेतन पाने वाले कालिजों के कर्मचारियों को परेशान किया जाना

8218. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन कालिजों के कम वेतन वाले कर्मचारियों ने प्रधानाचार्यों द्वारा उत्पीड़न तथा शक्तियों के दुरुपयोग का अन्त करने के लिए एक केन्द्रीय व्यवस्था स्थापित करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : दिल्ली विश्वविद्यालय को ऐसी कोई मांग प्राप्त हुई प्रतीत नहीं होती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

महाबलीपुरम् का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

8219. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार महाबलीपुरम् का बड़े पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सम्भवतः कितनी राशि खर्च की जायेगी; और

(ग) इस केन्द्र का पूर्ण विकास कब तक हो जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) : भारत पर्यटन विकास निगम ने चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान महाबलीपुरम् के विकास के लिए 10 लाख रुपये की व्यवस्था की है । 1971 में एक नये किचन, डाइनिंग हॉल ब्लाक 'केबाना', पार्किंग स्थान और 10 पर्यटक कुटीरें और बनाने के प्लान तैयार किये जा रहे हैं । इस काम पर लगभग 5 लाख रुपये का खर्च आने का अनुमान है ।

(ग) चौथी योजनावधि के अन्त तक ।

दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम

8220. **श्री स० कुरदू** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी शिक्षा वर्ष के लिये दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कितने छात्रों ने आवेदन पत्र दिये हैं;

(ख) यह योजना सबसे पहले किसने आरम्भ की और क्या यह योजना हमारे देश में व्याप्त परिस्थितियों के अनुकूल है; और

(ग) क्या सरकार ने यह बात अन्तिम रूप से तय कर ली है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कौन कौन सी कक्षाओं के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम चालू किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) अगले वर्ष के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों में दाखिला अभी शुरू नहीं किया गया।

(ख) 16 और 17 जनवरी, 1961 में हुई केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 28 वीं बैठक में पास किए गए प्रस्तावों के निर्णय के आधार पर यह योजना बनी थी। इस योजना के ब्यौरे तथा रूपरेखा बनाने के लिए मार्च, 1961 में डा० डी० एस० कोठारी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्ति की गई थी। उस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार जुलाई, 1962 में इस योजना को प्रायोजिक परियोजना के तौर पर दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू किया गया और वह तभी से यह सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

इस योजना का उद्देश्य उन व्यक्तियों की उच्चतर शिक्षा के अवसर प्रदान करना है जो अपने अध्ययन को जारी रखना चाहते हैं तथा जिन्हें अपने पहले जीवन में इन सुविधाओं से वंचित रखा गया था और अब वे पूरे समय की नौकरी में हैं तथा उनके लिये, जो दूसरे कारणों से कालेजों में शिक्षा ग्रहण करने की सुविधाओं से रोके गए हैं। अतः इस योजना से उन लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है जिनके पास पूरे समय की नियमित पढ़ाई के लिए समय तथा साधन नहीं है। इस योजना की लोकप्रियता ने इसके चलाये जाने का औचित्य पूरा सिद्ध कर दिया है।

(ग) इस विश्वविद्यालय में बी० ए० (पास) और बी० एस० सी० (पास) डिग्रियों के पाठ्यक्रम पहले से ही चल रहे हैं। बी० ए० (आनर्स) तथा एम० ए० के पाठ्यक्रमों को पत्राचार से शुरू करने का प्रश्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों के विचाराधीन है।

स्वर्णरेखा पुल के निर्माण पर 9 लाख रुपये खर्च करने के बारे में उड़ीसा सरकार को प्रशासनिक अनुमोदन देना

8221. **श्री स० कुण्डू** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने कहा है कि उन 9 लाख रुपयों को खर्च करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिया जाये जिसका उन्होंने उड़ीसा में स्वर्ण रेखा पुल का निर्माण करने के लिये इस वर्ष बजट में उपबन्ध किया है,

(ख) यदि हां, तो उन्होंने इस अनुमोदन के लिये किस तारीख को लिखा था,

(ग) क्या उनको इस बीच अनुमोदन पत्र भेज दिया गया है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद् कार्य, नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) प्रस्तावित पुल के निर्माण के लिए इस वर्ष 9 लाख रु० की बजट व्यवस्था को व्यय करने के लिये प्रशासनिक अनुमोदन मांगने के लिये उड़ीसा सरकार से कोई पत्र नहीं मिला है। परन्तु उस सरकार ने सम्पूर्ण कार्य के परियोजना अनुमान की तकनीकी अनुमोदन वित्तीय स्वीकृति देने के लिए भारत सरकार को लिखा है। उन्हें सूचित किया गया है कि ऐसे परियोजनाओं के लिये सहायता अनुदान से 100 प्रतिशत ऋण सहायता के सहायता ढांचे में हाल के परिवर्तन की दृष्टि से मामले की संवीक्षा की जा रही है।

(ख) से (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

गुड़गांव में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करना

8222. **श्री नंद कुमार सोमानी :** **श्री सु० कु० तापड़िया :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संस्था की गुड़गांव शाखा ने केन्द्रीय स्कूल संगठन से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लाभ के लिये गुड़गांव में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का पुस्तकालय

8224. **श्री नंद कुमार सोमानी :** **श्री स० कु० तापड़िया :**

क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का पुस्तकालय पिछले कई वर्षों से समुचित रूप से काम नहीं कर रहा है;

(ख) इस पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें उपलब्ध हैं और सूची में कितनी पुस्तकें दर्ज हैं; और

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ प्रभावी कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्रीमती जहानआरा जयपाल सिंह) : (क) भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के पुस्तकालय के संग्रह के एक भाग की, जिसमें अन्य संगठनों द्वारा थोक में हस्तांतरित की गई पुस्तकें शामिल हैं, सूची बनाना तथा उन्हें तकनीकी रूप ने संसाधित करना अभी बाकी हैं । इस सीमा के साथ, पुस्तकालय अपने ग्राहकों की आवश्यकताएं संतोषजनक ढंग से पूरा कर रहा है ।

(ख) 1,90,000 पुस्तकों (अनुमानित) में से लगभग 1,00,000 पुस्तकों की सूची बना ली गई है ।

(ग) जी हां । चौथी पंचवर्षीय आयोजना के दौरान, इस बकाया काम को यथाशीघ्र पूरा करने का विचार है और इस प्रायोजन के लिये 1970-71 के बजट में 28,000 रु० की व्यवस्था की गई है ।

Hindi Stenographers in Education Ministry

8225. **Shri Shiv Charan Lal :** **Shri Arjun Singh Bhadoria :**
Shri Ram Charan :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of Secretaries, Joint Secretaries, Deputy Secretaries and other Officers working in his Ministry and Subordinate Departments to whom Hindi and English Stenographers are attached respectively ;

(b) the number of those employees in his Ministry and Subordinate Departments to whom training in Hindi Stenography has been imparted and the number of those out of them who have been attached with the aforesaid officers ;

(c) the number of such employees who have passed the examination of Hindi stenography but have not been posted as Stenographers ; and

(d) the action proposed to be taken by Government for posting the aforesaid employees as Hindi Stenographers ?

Minister of Education and Youth Services : (Shri Dr. V. K. R. V. Rao): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Appointment of Trained Hindi Stenographers to the Personal Staff of Senior Officers of Home Ministry

8226. **Shri Shiv Charan Lal : Shri Arjun Singh Bhadoria : Shri Ram Charan :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Secretaries, Joint Secretaries and Deputy Secretaries in the Union Home Ministry and its subordinate Offices, to whom Hindi and English Stenographers are attached respectively ;

(b) the number of employees in his Ministry who have been imparted training in Hindi Stenography and the number of those out of the said employees who have been attached with the said Officers and other Officers ; and

(c) the action proposed to be taken by Government for appointment as Hindi Stenographers or Typists of those who have not so far been appointed to such posts ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) A statement containing the required information in respect of Ministry of Home Affairs and its attached and subrodinate offices, except one attached office is placed on the Table of the House. Information in respect of that office is being collected and will be laid on the Table of the House. **[Placed in the Library. See L. T. No. 3382/70].**

(c) Apart from four posts of Hindi Stenographers which are on the personal staff of the Home Minister, the Minister in the Ministry of Home Affairs, and the Hindi Adviser, there are no other posts in that category separately nor are there any posts of Hindi Typists as such. English Stenographers and Lower Division Clerks are given training in Hindi Stenography and Hindi typing respectively and their knowledge is utilised wherever required.

दिल्ली में भिक्षु द्वारा बच्चों का अपहरण

8227. **श्री ए० श्रीधरन : श्री देवकीनंदन पाटोदिया : श्री यशपाल सिंह :**

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में 4 अप्रैल, 1970 को एक बौद्ध भिक्षु द्वारा तीन बच्चों का अपहरण किये जाने की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले के बारे में जांच की है; और

(ग) बच्चों के अपहरण की घटनायें रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 363 के अधीन एक बौद्ध भिक्षु के विरुद्ध एक मामला हजरत निजामुद्दीन पुलिस थाने में इस आरोप पर दर्ज किया गया कि उसने 4-4-1970 को तीन बच्चों का अपहरण किया था।

(ख) दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा मामले की छान-बीन की गई किन्तु गवाही से अपहरण के आरोप सिद्ध नहीं हुये। उपरोक्त बौद्ध भिक्षु को सम्बन्धित न्यायालय द्वारा 24-4-70 को रिहा कर दिया गया।

(ग) गश्त कड़ी कर दी गई है। जब कभी पुलिस को बच्चों के अपहरण गुम हो जाने के बारे में कोई रिपोर्ट की जाती है तो तुरन्त कानूनी कार्यवाही की जाती है। इस प्रयोजन के लिये गुप्तचर विभाग की अपराध शाखा में गुमशुदा-व्यक्ति-दस्ता भी कार्य कर रहा है। पेंचीदे मामलों की जांच-पड़ताल गुप्तचर विभाग की अपराध शाखा द्वारा की जाती है। अपराधियों के विरुद्ध, जब वे न्यायालय में परीक्षण के लिये प्रस्तुत किये जाते हैं, कानून के अन्तर्गत निवारक दण्ड का प्रस्ताव किया गया है।

पालम हवाई अड्डे के समीप स्थित दिल्ली के एक गांव को हटाया जाना

8228. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली का एक गांव पालम हवाई अड्डे के कारण शेष दिल्ली से अलग हो गया है और धावन मार्ग के नीचे एक संकरी सुरंग द्वारा इस गांव को शेष दिल्ली से मिलाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस गांव के किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरण करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस गांव के लोगों द्वारा गांव के स्थानान्तरण की जोरदार मांग किये जाने पर भी इस योजना के लागू करने में अनावश्यक देरी की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो देरी के क्या कारण हैं और गांव का स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : दिल्ली विमानक्षेत्र के विस्तार के लिये मंगलापुरी गांव का अभिग्रहण किया जा चुका है। ग्रामवासियों को उनकी भूमि आदि का पूरा मुआवजा दिया जा चुका है। इन्हें मंगलापुरी गांव में उस समय तक रहने की भी अनुमति प्रदान की गई है जब तक कि उनके गांव के लिये अन्यत्र भूमि का अभिग्रहण नहीं किया जाता। इस बीच सुरक्षा के विचार से ग्रामवासियों को मार्ग देने के उद्देश्य से एक भूमिगत सुरंग का निर्माण किया गया है।

(ग) और (घ) : एक वैकल्पिक स्थान के अभिग्रहण के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जा रही है। परन्तु यह काम कब तक पूरा हो जायेगा इसके बारे में कोई निश्चित तिथि बताना संभव नहीं है।

अधिक विमान सेवाओं की आवश्यकता

8229. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :** **श्री देवकी नंदन पाटोदिया :**
श्री गाडिलिंगन गौड़ :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में विमान सेवाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की क्या योजना है; और

(ग) देश की विमान सेवाओं में सुधार तथा विस्तार करने के लिये नये अध्यक्ष ने क्या नए कदम उठाये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) इंडियन एयरलाइन्स अपने परिचालन-क्षेत्र के विस्तार के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहते हैं।

(ख) और (ग) : इंडियन एयरलाइन्स द्वारा सात बोइंग 737-200 विमानों का क्रय किया जा रहा है तथा देश में निर्मित दस और एच० एस०–748 विमानों के लिये क्रयादेश दे दिए गये हैं। अपने विमान-बेड़े में वृद्धि हो जाने पर इंडियन एयरलाइन्स का कोई नये स्थानों को विमान सेवा द्वारा जोड़ने तथा अपनी विमान सेवाओं का काफी विस्तार करने का प्रस्ताव है।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में होटल

8230. **श्री गं० च० दीक्षित** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में कुछ होटल बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बतें क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Holding of Examination for Hindi Stenographers by Union Public Service Commission

8231. **Shri Ram Charan** : **Shri Arjun Singh Bhadoria** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the examination for Hindi Stenographers is not being held by the Union Public Service Commission ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the time by which Government propose to hold the examination for Hindi Stenographers through the U. P. S. C. and the steps being taken to expedite the same ; and

(d) the reasons for not filling the posts of Hindi Stenographers in various Ministries and Departments through the Union Public Service Commission ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) , (b), (c) and (d) In view of the large number of trained personnel already available or who will be trained in Hindi Stenography and Hindi typing, Ministries/Departments were advised in March, 1968, that no ex-cadre posts of Hindi Stenographers should be created thereafter and that the requirements for Hindi work should be met from amongst the Grade II Stenographers/Lower Division Clerks trained in Hindi Stenography/Hidi typing. The Hindi Salahkar Samiti in their sixth meeting held on the 28th June, 1969 had recommended that recruitment to the posts of stenographers by the Union Public Service Commission should be on the basis of an examination in English stenography or Hindi stenography. The recommendation of the Samiti is being considered in consultation with the Union Public Service Commission.

Promotion of Class IV Employees in Ministry of Home Affairs

8232. **Shri Ram Charan : Shri Arjun Singh Bhadoria :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are 43 Class IV employees in his Ministry who have passed the High School examination but they are not being promoted to Class III posts ;

(b) whether it is also a fact that the said employees would have to continue in the Class IV category upto the end of their service career ;

(c) if so, the steps being taken by Government in respect of their departmental promotions ; and

(d) the time by which the said employees are likely to be promoted to Class III posts ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) , (b) and (c) The number of Class IV employees in the Ministry who have passed Matriculation or equivalent examination is 32. The following avenues of promotion to Class III posts are open to these employees.

(a) Although recruitment to the L. D. C. Grade of the Central Secretariat Clerical Service is made through U. P. S. C. , 10 of the vacancies in the grade are reserved for eligible Class IV employees educationally qualified for Class - III posts. Selection for these posts is made on the basis of examination held by the Secretariat Training School on all secretariat basis. The first examination was held on the 2nd April, 1970, and its result is awaited.

(2) They are also eligible for appointment to other Class III posts, namely, Senior Gestetner Operator, Staff Car Driver , Despatch Rider, Senior Library Attendant, according to the recruitment rules relating to these posts. The folowing concessions are also available to the educationally qualified Class IV employees :

(i) Ten per cent of the vacancies in the post of Lower Division Clerk in non-participating offices, that is offices which are outside the Central Secretariat Clerical Service, are also reserved for qualified class IV employees.

(ii) Where recruitment is made through the employment exchange, the appointing authorities may consider qualified class IV employees working in their offices along with nominees of employment exchange, even though their names may not have been amongst those sponsored by the employment exchange, if they are of the view that such qualified class IV employees are more suitable. The class IV employees appointed through the employment exchange are allowed to deduct from their actual age the period of service in class IV, and if after such deduction the age is within the maximum age limit for Class III posts, they are deemed to satisfy the age requirements.

(d) It is difficult to visualise any time limit as the promotion of these employees to class III posts depends upon the availability of posts and when applicable, performance in the departmental examinations.

संयुक्त मोर्चा प्रशासन काल में पश्चिम बंगाल अधिकारियों का आचरण

8233. **श्री गाडिलिगन गौड** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल के कुछ अधिकारियों के आचरण पर जिन्होंने संयुक्त मोर्चा प्रशासन काल में सुनिर्धारित आचरण के सिद्धान्तों का उत्लंघन किया था; गम्भीर रुप से आपत्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उन अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) 17 अप्रैल, 1970 को लोक सभा में तारांकित प्रश्न संख्या 1055 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

नई दिल्ली में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सुपरसानिक विमानों की उड़ानों की योजना पर चर्चा

8234. **श्री गाडिलिगन गौड** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1970 में नई दिल्ली में हुए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सुपरसानिक विमानों की उड़ानों की योजना पर चर्चा हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो चर्चा का ब्यौरा क्या है, तथा वहां क्या निर्णय लिए गए ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : भारत मौसम विज्ञान ने भारत पर जेट विमानों के परिचालनों से संबन्धित मौसम परामर्शी सम्मेलन (मीटियोरोला जिकल कंसल्टेटिव कांफ्रेंस) की एक बैठक 30 व 31 मार्च को नई दिल्ली में बुलाई थी, जिसमें सात भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों और दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों अर्थात् आई० सी० ए० ओ० तथा आई० ए० टी० ए० के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।

(ख) सम्मेलन ने आई० सी० ए० ओ० तथा डब्ल्यू० एम० ओ० द्वारा निर्धारित विनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए सुपरसॉनिक ट्रांसपोर्ट (एस० एस० टी०) के लिए अपेक्षित मौसम सम्बन्धी सेवाओं पर विचार विमर्श किया । सम्मेलन ने कोई निर्णय नहीं लिए ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के अंशकालिक अध्यक्ष

8235. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम में हाल ही में अंशकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो नियुक्त किए गये अधिकारी का नाम क्या है तथा अंशकालिक आधार पर नियुक्ति करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अधिकारी क्या-क्या कार्य कर रहा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : 28 मार्च, 1970 को अशोक होटल्स और जनपथ होटल्स लिमिटेड का भारत पर्यटन विकास निगम में विलय के परिणाम-स्वरूप निगम के बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, और इसी तारीख से पर्यटन के महानिदेशक, श्री एस० के० राय, इसके अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किये गये हैं।

पर्यटन विभाग के अनेक कार्यों को उत्तरोत्तर निगम को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव है ताकि निगम पर्यटन के समेकित विकास के लिए एक शक्तिशाली साधन बन सके। इस पृष्ठभूमि में यह महसूस किया गया कि एक सीमित अवधि के लिए पर्यटन के महानिदेशक को निगम का अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त करना सम्बद्ध कार्यों के निर्बाध एवं शीघ्र हस्तांतरण में सहायक सिद्ध होगा, तथा विभाग और निगम में पूर्णरूपेण समन्वय को सुनिश्चित करेगा।

(ग) श्री राय पर्यटन के महानिदेशक (पदेन अतिरिक्त सचिव, भारत सरकार) तथा भारत पर्यटन विकास निगम के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं।

कृष्णनगर (पश्चिम बंगाल) में पदमाला गांव पर पाकिस्तानियों का आक्रमण

8236. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1 अप्रैल, 1970 को पश्चिम बंगाल में कृष्णनगर के पास पद्माला गांव पर पाकिस्तानी सशस्त्र गुण्डों द्वारा बम फेंके जाने का पता है;

(ख) क्या इसके फलस्वरूप कोई व्यक्ति हताहत हुआ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) (ख) तथा (ग) : जी हां, श्रीमान। 31 मार्च/1 अप्रैल, 1970 की रात को करीब 15 पाकिस्तानी गुन्डों ने जो घातक हथियारों तथा बमों से लैस थे। थाना चपरा, जिला नाडिया के गांव पद्माला से भारतीय क्षेत्र से घुस कर एक भारतीय नागरिक के घर डाका डाला। और कुछ नकदी, वर्तन तथा 10 पशु उठा कर भाग गये। गृह-स्वामी के शोर मचाने पर कुछ ग्रामीण एकत्रित हो गये और गुण्डों का पीछा करने लगे। पाकिस्तानी क्षेत्र को लौटते समय उन्होंने कुछ पटाखे फेंके, जिससे एक ग्रामीण की मृत्यु हो गई। तथापि एक पाकिस्तानी गुंडा पकड़ा गया। उचित स्तर से कड़े विरोध पत्र भेज दिये गये हैं। लूटमार के सामान की बरामदगी तथा उसे भारतीय नागरिकों को लौटाये जाने के प्रयत्न ज़ारी हैं।

Collusion of Police With Gamblers in Delhi

8237. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to ascertain if any gambling dens and centres of other illegal activities in Old Delhi, particularly the area under Hauz Qazi Police Station, are being run in connivance with the police ;

(b) if so, the action Government propose to take in the matter ; and

(c) whether it is also proposed to conduct an enquiry into the monthly expenditure of the Officers and employees of the Police Stations in Delhi, particularly Hauz Qazi Police Station, to see whether it exceeds their income ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) According to the information of Delhi Administration, no such instance has come to the notice.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir. Nothing has come to light to warrant such enquiry.

Firing by Police on Mob

8238. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have issued secret orders to the Police of the Union Territories, C. R. P. and other Central Police to the effect that from economy point of view they should keep in mind that the very first bullet fired by them should be aimed at the mob so that two bullets per person are saved ;

(b) the number of times on which various types of Central Police and the Police of the Union Territories had opened fire during the last three years, and the number of times on which the first firing was made in the air, the second directed towards legs and the third direct : and

(c) if fire was opened direct in most of the cases, whether Government proposes to issue any orders in this respect and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) **and** (c) It is entirely at the discretion of the officer-in-charge of a particular situation to decide the manner in which the firing, if warranted should be resorted to, keeping in view the principle of obtaining the maximum of effect with the minimum of casualties.

While no statistics are maintained about the manner of opening fire, a statement indicating the number of occasions on which the Other Armed Forces of the Union and the Police of the Union Territories had opened fire during the last three years viz. from 1967 to 1969, is laid on the Table of the House. **[Placed in the Library See. L. T. No. 3383/70]**

दानापुर छावनी का केन्द्रीय स्कूल

8239. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दानपुर छावनी के केन्द्रीय स्कूल का भवन बन कर तैयार हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्कूल में किस कक्षा तक शिक्षा दी जायगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि नए भवन के बन जाने पर भी कुछ कक्षायें अभी भी पुराने भवन में चलती हैं; और यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि उक्त स्कूल में 40 अध्यापक हैं पर उनके आवास के लिए वहां कोई प्रबन्ध नहीं है ; और क्या सरकार का विचार उनके लिए मकान बनवाने का है, और यदि हां, तो कब तक ;

(ङ) क्या सरकार का विचार छात्रों के लिये छात्रावास बनाने का भी है और यदि हाँ, तो कब तक ; और

(च) क्या सरकार का विचार उक्त स्कूल की चार दिवारी बनाने का भी है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) निर्माण का प्रथम चरण पूरा हो चुका है और भवन का औपचारिक रूप से उद्घाटन कर दिया गया है ।

(ख) और (ग) : इस विद्यालल में कक्षा 1 से XI तक शिक्षा की व्यवस्था है । नए भवन में ये शामिल हैं : पुस्तकालय कमरा (1), प्रयोगशालाएं (4), प्रयोगशालाओं के लिए गोदाम (4) आम विज्ञान कमरा (1), गृह विज्ञान कमरा (1), कक्षा कमरे (4), कार्यालय कमरा (1), प्रिंसिपल का कमरा (1) कर्मचारी कमरा (1) और शौचालय (4) । पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं के साथ, कक्षा IX से XI को नये भवन में ले जाया जा रहा है । किन्तु मिडिल और प्राथमिक सेक्शन, फिलहाल, वर्तमान भवन में ही रहेंगे । यह स्थान चालू आवश्यकता के लिए पर्याप्त है और निर्माण का दूसरा चरण शुरू होने पर बदल दी जाएगी ।

(घ) अध्यापकों की संख्या 39 है । अब तक कर्मचारियों के लिए कोई क्वार्टर नहीं बनाए गए हैं । किन्तु, धन उपलब्ध होने पर कुछ कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण एक या दो वर्ष में हो सकता है ।

(ङ) जी नहीं । निकट भविष्य में नहीं ।

(च) भवन के चारों ओर काटेदार तार की बाड़ लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।

Posts of Hindi Translators and Hindi Assistants in Ministries

8240. **Kumari Kamla Kumari** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to para 2 of his Ministry's Office Memorandum No. 7/1/66-C.S. (1), dated the 28th November, 1968 ;

(b) whether it is a fact that in the various Ministries of the Government of India and their attached Offices, the Hindi Translators and Hindi Assistants are not required to translate from Hindi to English ;

(c) the number of posts of Hindi Translators sanctioned by Government after the issue of the said Office Memorandum ;

(d) whether Government propose to regularise the services of these new Hindi Trnalsators by conducting an examination through the U. P. S. C. for this purpose :

(e) if not, the time upto which these Hindi Translators are likely to continue to work on ad hoc or temporary basis and

(f) the reasons for following a discriminatory policy by confirming those Hindi Assistants who qualified in the examination conducted by the U. P. S. C. in June, 1959 andnot providing such a facility to the Hindi Translators ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) Hindi Translators and Hindi Assistants are required to translate from English to Hindi and *vice versa* wherever necessary.

(c) Posts of Hindi Translator are isolated posts created by the Ministries/Deptraments themselves according to their needs. The requried information will be collected from them and laid on the Table of the House.

(d) and (e) Posts of Hindi Translator are isolated posts created by each Ministry/Department according to its own requirements. The posts are filled on a regular basis in accordance with the recruitment rules for the post framed by the Ministry concerned. In view of this position and the fact that these posts are created as a transitory measure only until the staff in the Central Secretariat have acquired a working knowledge of Hindi, and a majority of these posts are in Class III and therefore outside the purview of the U. P. S. C. , it is not proposed to hold any common examination for filling these posts through the U. P. S. C. Only such of the posts, however, which are in Class II have to be filled by the Ministry/Department concerned through the U. P. S. C.

Temporary posts created by the Ministries/Departments themselves can be converted into permanent ones in accordance with their requirements and in the light of the procedure laid down for the purpose. The temporary incumbents can be confirmed against such permanent posts in accordance with the prescribed rules.

(f) Hindi Assistants who qualified in the examination conducted by the U. P. S. C. in June, 1959 were confirmed by the Ministries concerned to the extent permanent vacancies were available in accordance with the relevant rules. In view of replies to parts (d) and (e) above, no question of any discriminatory policy in the case of Hindi Translators arises.

बिहार में उग्रवादियों द्वारा फसल की लूटपाट तथा हत्याएं

8241. **श्री सीताराम केसरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार के भागों से समाचार प्राप्त हुए हैं कि वहां उग्रवादी तत्वों ने फसलों को लूटा है तथा हत्यायें की हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकारों को पर्याप्त संरक्षण नहीं दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन बढ़ते अपराधों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जब कि हिंसा की कुछ छुटपुट घटनाएं हुई हैं और नवम्बर, 1969 से उग्रपंथियों की गतिविधियों में कमी होती रही है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) उग्रपंथियों द्वारा उत्पन्न समस्या से निपटने के लिये नवम्बर, 1969 में राज्य सरकार ने कुछ विशेष उपाय किये। सम्बन्धित जिलों में अतिरिक्त पुलिस अधिकारी नियुक्त किये गये थे तथा उग्रवादी गतिविधियों के बारे में आसूचना एकत्र करने की प्रणाली को सशक्त कर दिया गया था। विशिष्ट मामलों के सम्बन्ध में बहुत से उग्रपंथी हाल ही में गिरफ्तार किये हैं और कानून के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

दिल्ली में आटोरिक्सा और टैक्सी ड्राइवरों के विरुद्ध शिकायत

8242. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :** **श्री वाल्मीकि चौधरी :**

श्री मणिभाई जे० पटेल :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1969-70 के दौरान दिल्ली में चलने वाले आटो रिक्शा और टेक्सियां के ड्राइवरों के विरुद्ध झगड़ा करने, दुर्व्यवहार और अधिक किराया मांगने की कितनी शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई ;

(ख) कितने मामलों में अपराधी ड्राइवरों को दण्डित किया गया ;

(ग) कितने मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा इसके क्या कारण हैं, और

(घ) जनता का आटोरिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों द्वारा इस प्रकार तंग किए जाने से बचाने के लिये क्या ठोस कदम उठाये गये हैं ?

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमन्त्री (सरदार इकबाल सिंह) (क) : सूचित किया गया है कि वर्ष 1969-70 के दौरान दिल्ली प्रकाशन और दिल्ली यातायात पुलिस को 6,029 शिकायतें प्राप्त हुई।

(ख) : 4002 मामलों में दोष प्रमाणित हुआ और सजा दी गयी।

(ग) : 221 मामलों में निम्नलिखित कारणों से कोई कार्यवाही न की जा सकी और शेष मामले न्यायालय में निलम्बित हैं अथवा पुलीस के पास जांच के लिए पड़े हुए हैं।

(1) शिकायत करने वालों ने स्वयं शिकायत वापस ले ली,

(2) कुछ मामलों में दिये गये पते गलत या जाली थे अथवा पते लिये नहीं गये।

(3) अधिक किराया लेने की कुछ शिकायतें मीटर जांच करने पर गलत पायी गयी।

(4) कुछ मामलों में प्रज्ञेप अपराध स्थापित न हो पाया।

(घ) : टैक्सी और स्कूटर ड्राइवरों से जनता को तंग किये जाने से बचाने के लिए दिल्ली प्रशासन और दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण कार्यवाही नीचे दी जा रही है :–

दिल्ली प्रशासन

टैक्सी ड्राइवरों और आटो रिक्शा ड्राइवरों के विरुद्ध दुर्व्यवहार, मनाह करने और अधिक किराया लेने की शिकायतों के लिये परिवहन निदेशालय ने एक विशेष सेल बनाया है। टैक्सी-स्कूटर

ड्राइवरों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर प्रवर्तन अमला द्वारा परमिट धारियों को मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के प्रतिबन्धों के अन्तर्गत नोटिस दिया जाता है।

आटो रिक्शा-टैक्सी ड्राइवरों के विरुद्ध अधिक किराया लेने, दुर्व्यवहार और यात्रियों को ले जाने से इनकार करने सम्बन्धी शिकायतों की घटनास्थल पर निपटाने के लिए भी निवर्तन कर्मचारियों को लगाया जाता है।

यातायात पुलिस

(1) जब भी कोई जन साधारण इस विषय पर शिकायत करता है, तो संबन्धित ड्राइवर पर आवश्यक जांच के बाद विधिवत मुकदमा चलाया जाता है और शिकायत करने वाले को सूचित किया जाता है।

(2) सभी थानों को शिकायत करने वालों का निकटतम थाने में शिकायत करने में सुविधा प्रदान करने के लिए शिकायत किताबें दी गयी है। इस विषय के बारे में कि जन-साधारण की सूचना के लिए यह प्रचार किया किया जाता है कि वे निकटतम थाने में ऐसे ड्राइवरों के विरुद्ध शिकायत कर सकते है, अथवा ऐसी शिकायतों को सीधा पुलीस अधीक्षक, यातायात, को भेज सकते हैं।

(3) थानों की मासिक खुली बैठकों में भी जनता को सूचित किया जाता है कि पुलीस थानों पर शिकायत पुस्तकें मौजूद हैं।

(4) दिल्ली यातायात पुलीस चलते फिरते मजिस्ट्रेटों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण सड़कों, चौराहों पर अपचारियों को पकड़ने के लिए विशेष छापा मारने के प्रबन्ध करती है।

(5) टैक्सी और स्कूटर ड्राइवरों के संघों की सहायता से टैक्सी और स्कूटर ड्राइवरों की बैठकें की जाती है और ड्राइवरों को यात्रियों के साथ अनुशासनात्मक सदव्यवहार करने की शिक्षा दी जाती है। दिल्ली और नयी दिल्ली रेल स्टेशनों पर यातायात पट्ट लगाये जाते हैं और शिकायत दर्ज करने के लिए इन दोनों रेल स्टेशनों और अन्तर्राज्यीय बस अड्डे पर शिकायत चौकिया स्थापित की गमी है।

(6) न्यायालय में मुकदमा चलाने के अलावा उनके गंभीर शिकायतों को राज्य परिवहन अधिकरण, दिल्ली को भी भेज दिया जाता है जिससे अपराधी ड्राइवरों और परमिट धारियों के विरुद्ध मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धाराओं 16 और 60 के अन्तर्गत ड्राविंग लाइसेंस और परमिट रद्द करने के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय।

(7) लगभग सभी सनीमाघरों में शाम 'शो' और रात्रि 'शो' के बाद दिल्ली पुलीस द्वारा, जनता को आवश्यक वाहन, टैक्सी, दो सीट वाला रिक्शाएं और मोटर साइकिल रिक्शाऐं प्राप्त करने को सुविधाजनक बनाने के प्रयत्न किये जाते हैं।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षकों के तबादले की शर्तें

8243. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा एवं युवक सेवा मंत्रालय को राष्ट्रीय अनुशासन योजना के शिक्षकों के तबादलों की पुरानी शर्तों के पुनरीक्षण के लिये कितनी बार मंत्रिमंडल के पास यह आधार ले जाना पड़ा है कि राज्य सरकारें इन शिक्षकों को लेने के लिये सहमत नहीं हैं; और

(ख) जब राज्य सरकारें इन राष्ट्रीय अनुशासन शिक्षकों को लेने के लिये सहमत नहीं हैं तब शिक्षा मन्त्रालय, मंत्रिमंडल के पास पूर्वनिर्णय के पुनरीक्षण के लिये जाने से पूर्व राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त क्यों नहीं करता है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : फरवरी, 1965 और अप्रैल, 1965 में हुई राज्य शिक्षा सचिवों की बैठकों में इस बात से सहमति थी कि केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में जो राष्ट्रीय अनुशासन योजना (एन० डी० एस०) प्रशिक्षक थे उन्हें राज्यों को स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिये। किन्तु, राज्य सेवाओं में प्रशिक्षकों को खपाने की शर्तें मई 1968 में मन्त्रिमण्डल के निर्णय के लिए भेजी गई थी। चूंकि सरकार द्वारा अनुमोदित शर्तें अधिकतर राज्यों को स्वीकार्य नहीं थी, अतः स्थानान्तरण की शर्तों को उदार बनाने के लिए 1969 में इस मामले को मंत्रिमंण्डल के सामने पेश किया गया था। सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी परिशोधित शर्तों को राज्य सरकारों को पहले ही भेजा जा चुका है और इन शर्तों पर प्रशिक्षकों को लेने के लिए राज्य सरकारों के साथ बातचीत चल रही है।

Conversion of Posts of Hindi Assistants to Hindi Translators

8244. **Shri J. Sundar Lal** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state : (a) whether the posts of Hindi Translators gradually converted from the posts of Hindi Assistants vide Ministry of Home Affairs Office Memorandum No. 7/1/66-CS (I), dated the 28th November, 1968 are in any way higher than the posts of the Hindi Assistants ;

(b) if not, the reasons for which the Hindi Translators have been appointed without any examination and without prescribing any experience therefor ;

(c) whether the posts of the Hindi Translators and the live posts of the Hindi Assistants are proposed to be converted into the posts carrying uniform pay-scale of Rs.325—575 and whether in future Government propose to make appointments to the said posts through the U. P. S. C. as is the practise followed by Government ; and

(d) whether Government propose to revise the rules regrding appointment to the vacant posts and live-posts of Hindi Assistants with a view to bring abou t uniformity in the said posts ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs. (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Ministry of Home Affairs O. M. No. 7/1/68-CS(I), dated the 28th November, 1968 does not require conversion of posts of Hindi Assistants (Rs.210—530) into those of Hindi Translators. The instructions contained in that O. M. are to the effect that no new posts of Hindi Assistants should be created and that whenever any post of Hindi Assistant fell vacant, it should not be filled but should be abolished. According to the requirements of each Ministry/Department, the required number of posts of Hindi Translators could be created in appropriate pay scales e.g. (Rs.210—425 ; Rs.320—530 etc.). In view of this and since the Hindi Assistants' posts are not to be converted into those of Hindi Translators, the question of comparing the posts of Hindi Assistants with those of Hindi Translators does not arise.

(b) Posts of Hindi Translators are isolated posts created by each Ministry / Department according to its own requirements. Such posts are filled in accordance with the recruitment rules for the post framed by the Ministries / Departments concerned. In view of this position and the fact that these posts are created as a transitory measure only until the staff in the Central Secretariat have acquired a working knowledge of Hindi and the fact that a majority of these posts are in Class III and therefore outside the purview of the U. P. S. C. , it is not proposed to hold any common examination for filling these posts through the U. P. S. C. However, recruitment rules framed by each Ministry/Department for these posts do provide for the requisite qualification and experience for filling the posts.

(c) and (d) Do not arise in view of replies to parts (a) and (b) above.

देश का चार खण्डों में पुनर्गठन

8245. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय एकता सभा ने आग्रह किया है कि देश का चार खण्डों में पुनर्गठन किया जाये ;

(ख) क्या सभा ने यह भी कहा है कि छोटे राज्य बनाने की वर्तमान प्रवृत्ति से देश में प्रांतीयता तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा मिला है और कि इसे समाप्त किया जाना चाहिये ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) जी हां, श्रीमान् ।

(ग) प्रान्तीयता तथा साम्प्रदायिकता ऐसी बुराइयां हैं जो राज्यों के आकार का ध्यान किये बिना हो सकती है तथा पनप सकती है । ऐसे प्रान्तीय दृष्टिकोणों के विरुद्ध शक्तिशाली लोकमत बचाव है न कि बड़े खण्डों वाले राज्य ऐसी प्रवृत्ति से बचाव है ।

शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए अंग्रेजी का प्रयोग

†8246. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा लंका के अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड के अध्यक्ष ने वर्तमान शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंग्रेजी को आवश्यक बताया है तथा दोनों भाषाओं में योग्यता पर जोर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) फरवरी 1970 में मदुराई में हुई मंडल की45 वीं वार्षिक बैठक में, 1969-70 के लिए नियुक्त, मंडल के अध्यक्ष डा० पी० के० केलकर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा है :

" भाषायी प्रश्न के सम्बन्ध में भारतीय विश्वविद्यालयों को गम्भीर परिस्थिति का सामना करना है । व्यक्तियों की वैवहार्य पद्धति उनकी मात्र भाषा के शब्द भंडार और वाक्य रचना पर निर्भर करती है । इसलिए, अध्ययन प्रक्रिया के सम्बन्ध में क्षेत्रीय भाषा का बड़ा महत्व है । परन्तु

जिन तत्वों पर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से निर्भर है वे तत्व क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं हैं। इसीलिए, अंग्रेजी भाषा का, न केवल एतिहासिक कारणों से ही अपितु आधुनिकतम आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होने के कारण, अनूठा स्थान है। बहु संख्यकों की आवश्यकताओं को पूरा करने से पहले, क्षेत्रीय भाषा को काफी समय तक अंग्रेजी को शक्तिशाली रूप में प्रभावित करना होगा। इसलिये, एक योजना के रूप में यह आवश्यक है कि निम्नलिखित तीन वर्गों के लोगों को शिक्षित किया जाय ;

(1) वे व्यक्ति जो अंग्रेजी भाषा में दक्ष हैं और क्षेत्री भाषा का भी जिन्हें पर्याप्त ज्ञान है।

(2) वे व्यक्ति जो क्षेत्रीय भाषा में दक्ष हैं तथा जिन्हें अंग्रेजी भाषा का भी पर्याप्त ज्ञान है।

(3) वे व्यक्ति जिन्हें दोनों ही, अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषा में दक्षता प्राप्त है।

तीसरे वर्ग के लोग सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोगों को एक ही भाषा में दक्षता प्राप्त होती है परन्तु भविष्य में आवश्यकता इस बात की है कि वे दोनों ही भाषाओं—क्षेत्रीय तथा अंग्रेजी के दक्ष हों। जहां तक अखिल भारतीय स्तर पर पत्र-व्यवहार की भाषा का प्रश्न है, प्रत्यक्षतः यह हिन्दी है।

(ख) इस विषय पर सरकार के विचार, 1968 में निश्चित की गई शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति में अन्तर्निहित निम्नलिखित संकल्पों में, संक्षिप्त रूप में दिये गये हैं :—

त्रिभाषीय फार्मूला : माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकारों को त्रिभाषीय फार्मूला अपनाना चाहिए और इसे ओजस्वी ढंग से क्रियान्वित करना चाहिये। इस फार्मूले के अनुसार हिन्दी-भाषी राज्यों में, हिन्दी और अंग्रेजी से पृथक, एक आधुनिक भारतीय भाषा, विशेषतः किसी एक दक्षिणी भाषा का अध्ययन शामिल है और गैर हिन्दी भाषी राज्यों में अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के साथ हिन्दी का अध्ययन अपेक्षित है। विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में हिन्दी और अंग्रेजी में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए जिससे विद्यालय स्तर तक विद्यार्थियों की दक्षता से वृद्धि हो सके।

अन्तर्राष्ट्रीय भाषायें : अंग्रेजी तथा दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के अध्ययन को आवश्यकता पर विशेष बल दिया जाना चाहिये। विश्व के ज्ञान में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है विशेषतः विज्ञान तथा तकनीकी क्षेत्रों में। भारत को केवल इस वृद्धि को ही नहीं बनाये रखना चाहिये अपितु उसे इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान करना चाहिये। इस उद्देश्य से अंग्रेजी के अध्ययन को विशेष रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है।

Interviews in Hindi for Examinations condected by U.P.S. C.

8247. **Shri Narain Swaroop Sharma** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of those candidates who qualified themselves in a particular examination conducted by the U. P. S. C. but their interviews were not conducted in Hindi during the last three years ;

(b) the number of times interviews were held by the U. P. S. C. for various examinations during the last three years ;

(c) the number of candidates called to appear in those interviews from each State and the number among them of those who used Hindi as their medium in the interviews and

(d) the number of persons selected among those who used Hindi medium in the interviews ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs. (Shri Vidya Charan Shukla) : **(a) and (b)** A year-wise statement is attached in respect of examinations conducted from 1967-68 to 1969-70 by the Union Public Service Commission, the schemes of which included interviews for personality test *Viva Voce*, showing the number of candidates who qualified for interview on the results of the written parts of those examinations. The interviews for those examinations were conducted in English only.

Interviews are conducted separately for each of the concerned examinations, the number of interviews corresponding to the number of times an examination is held. **[Placed in the Library. See L. T. No. 3384/70]**

(c) State-wise break-up of the candidates called for interview is not available. However, as stated in reply to parts (a) and (b) of the question, the interviews were conducted only in English.

(d) Does not arise in view of the answere to part (c) above.

देहली में रोहतक रोड पर पर्यटन विभाग द्वारा एक पुराने मकान की खरीद

8248. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1967 में किसी समय उनके मन्त्रालय के पर्यटन विभाग द्वारा देहली में रोहतक रोड पर स्थित एक पुराना मकान, जो कि श्री अजायब सिंह पुत्र श्री इन्दर सिंह का था; खरीदा गया ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : जी, नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

जलपाई गुड़ी जिले में धान लूटना

8249. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में अव्यवस्था का बोलबाला है और 50 से 60 आदमियों के एक दल ने जलपाई गुड़ी जिले के कालचीना पुलिस स्टेशन के अन्तर्गत आने वाले पूर्व सताली निवासी श्री बिनोद विहारी उरांव के खलिहान से 15 फरवरी, 1970 को दिन दहाड़े 250 मन धान लूट लिया ; और

(ख) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्रवाही की है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : (क) और (ख) : इस विशेष घटना के सम्बन्ध में तथ्य राज्य सरकार से मालूम किये जा रहे हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों पर प्रतिबन्ध

8250. श्री हिम्मतसिंहका : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम, त्रिपुरा, मनीपुर आदि के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों पर कुछ विशेष प्रतिबन्ध लगे हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो किन विशिष्ट क्षेत्रों में पर्यटकों को नहीं आने दिया जाता है ;

(ग) क्या इन प्रतिबन्धों के कारण इस क्षेत्र में राज्यों को पर्यटक यातायात से बहुत ही कम आय होती है ; यदि हां, तो अन्य पर्यटक क्षेत्रों की तुलना में इन क्षेत्रों को पर्यटक यातायात से वास्तव में कितनी आय होती है ;

(घ) क्या योजनाबद्ध विकास के प्रथम दो दशकों में इस क्षेत्र में पर्यटन के विकास पर किया गया कुल व्यय भारत के अन्य भागों की तुलना में बहुत ही कम रहा है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस क्षेत्र में सम्मिलित राज्यक्षेत्र के क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुये इस क्षेत्र में ऐसा कितने प्रतिशत व्यय किया गया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां। विदेशी पर्यटकों को निम्नलिखित स्थानों का भ्रमण करने के लिये परमिट लेने पड़ते हैं :—

(i) फारनर्स (प्रोटेक्टेड एरिया) आर्डर, 1958 के अधीन मिजो पहाड़ी जिले (आसाम) तथा मणीपुर ; और

(ii) फारनर्स (प्रोटेक्टेड एरिया) आर्डर, 1963 के अधीन आसाम के सब जिले तथा त्रिपुरा का केन्द्र शासित प्रदेश।

(ग) : पर्यटन विभाग भारत के लिये कुल पर्यटक यातायात के आंकड़े संकलित करता है, तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित पृथक-पृथक आंकड़े नहीं रखता।

(घ) और (ङ) : यद्यपि दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनावधियों के दौरान केन्द्र द्वारा आयोजित स्कीमों पर आसाम में क्रमश: 1,54,945.00 रुपये तथा 39,850.00 रुपये का खर्चा हुआ है, परन्तु मणीपुर तथा त्रिपुरा में पर्यटन स्कीमों पर, इस क्षेत्र में विदेशी पर्यटकों के प्रवेश पर लगे प्रतिबन्धों के कारण, कोई व्यय नहीं किया गया। दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान केन्द्रीय पर्यटन स्कीमों पर क्रमश: 86.885 लाख रुपये तथा 145.12 लाख रुपये का कुल व्यय हुआ है।

चण्डीगढ़ अधीनस्थ सेवा संघ की मांगें

8251. श्री श्रीचन्द गोयल : क्या गृह कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ अधीनस्थ सेवा संघ के अध्यक्ष, श्री भानु प्रताप ने चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के सचिवालय के सामने एक सप्ताह तक भूख हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो संघ द्वारा क्या मुख्य मांगें की गई हैं ; और

(ग) इन मांगों को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के आधार पर एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

मुख्य मांगें इस प्रकार थी :—

(i) 1-11-1966 को या उसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा भर्ती किये गये अथवा पदोन्नत किये गये कर्मचारियों के लिये पंजाब के वेतनक्रमों की व्यवस्था ।

(ii) रियायती दरों पर प्लाटों का आवंटन ।

(iii) किराया-खरीद प्रणाली पर क्वार्टरों का आवंटन ।

(iv) निर्माण-प्रभारित कर्मचारी वर्ग की दैनिक मजूरी में वृद्धि तथा निर्माण-प्रभारित कर्मचारी वर्ग के स्थायीकरण तथा नियमित करने के सम्बन्ध में न्यायालय पंचाट तथा पंचाटों का क्रियान्वयन ।

जहां तक उपर्युक्त मांग (i) का सम्बन्ध है, सभी संघ शासित क्षेत्रों के कर्मचारियों को 6-3-1970 से केन्द्रीय वेतनमान देने का निर्णय किया गया है । मांग संख्या (ii) की जांच की जा रही है । मांग संख्या (iii) के सम्बन्ध में वर्तमान क्वार्टरों को बेचना इसी प्रकार के अधिक क्वार्टर बनाने के लिये भूमि की कमी के कारण व्यावहारिक नहीं समझा गया ।

उपर्युक्त मांग (iv) के बारे में अकुशल मजदूर की दर अभी हाल में ही 3 रु० प्रति दिन से बढ़ा कर 4 रु० प्रतिदिन कर दी है । औद्योगिक न्यायाधिकरण पंचाट को कार्यान्वित कर दिया गया है । अधिकांश कर्मचारी वर्ग को नियमित स्थापना में ले आया गया है । कर्मचारी वर्ग के स्थायीकरण के संबन्ध में पंचाट में इस बारे में कोई निर्देश नहीं था ।

चण्डीगढ़ का एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

8252. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंडीगढ़ में देश तथा बाहर से पर्यटक आने आरम्भ हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर पर्यटकों के लिये आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने तथा चंडीगढ़ को एक पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) : चंडीगढ़ में पर्याप्त आवास स्थान उपलब्ध हैं । चंडीगढ़ प्रशासन पर्यटकों के लिये एक बंगले-व-अतिथि गृह का भी निर्माण कर रहा है । बस स्टैंड पर एक पर्यटक कार्यालय है जो दर्शनीय स्थानों को देखने के लिये सूचना तथा गाइडों की व्यवस्था करता है ।

Recovery of explosive Material from Naxalities in Andhra Pradesh

8253. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large quantity of explosive material was recovered from Naxalites in a village of Srikakulam District of Andhra Prdesh in the month of January, 1970 ; and

(b) if so, the details of the arms and explosive material recovered and the number of persons against whom action has been taken by Government in this regard along with the nature of the action taken ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : **(a) and (b)** According to information received from the Government of Andhra Pradesh, on January 6, 1970 a police party had an encounter with some extremists in village Kurasingi in district Srikakulam. The police apprehended one person and recovered three S. B. M. L. guns, two country bombs and a cloth bag containing six cartridges, 12 lead balls, black gun power and a bottle containing explosive substance. The case registered by the police is under investigation.

Recovery of Arms from Hostile Hideouts on Nagaland-Manipur Border

8254. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large quantity of arms have been recovered by the Security Forces at various hostile hide-outs on the Manipur-Nagaland border in the month of January, 1970 ; and

(b) if so, the details of the arms recovered and the number of persons arrested in regard thereto ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) 115 firearms including rifles and pistols and other weapons were recovered and fifty-three hostiles were apprehended by the security forces.

Shifting of Swami Shraddhanand College, Narela (Delhi)

8255. **Shri Raghubir Singh Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Swami Shraddhnand College, Narela, Delhi had been opened after repeated requests of the residents of Narela ;

(b) whether it is also a fact that the Principal of the College and some prominent members of the Managing Committee had assured in a meeting held in Narela with the representatives of about two dozen villages that the Narela College would not be shifted ;

(c) whether it is further a fact that the aforesaid college has been shifted to some other place in spite of the repeated protests made by the residents of Narela ; and

(d) whether Narela is a more prominent village as compared to other villages in North Delhi and is connected by Rail and other means of transport ?

Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Some requests had been received from the residents of Narela. Taking these and all other aspects of the matter into account, it was decided to start a College at Narela.

(b) According to the information received from the Delhi Administration, no such assurance was given.

(c) The College has been shifted to Alipur temporarily as the accommodation at Narela was found to be inadequate. Some protests were made by the residents of Narela in this connection.

(d) Yes, Sir.

Swami Shraddhanand College, Narela, Delhi

8256. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the residents of Narela, Delhi have donated sufficient land for the Swami Shraddhanand College ;

(b) whether it is also a fact that the Delhi Administration has approved the construction of College building on the said land ; and

(c) if so, the reasons for delay in this regard and the steps proposed to be taken for early construction of the said building ?

Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The construction work has to be undertaken by the Governing Body of the College. A 'No objection certificate' for the construction of the building has yet to be obtained from the Delhi Development Authority.

आसाम के कुछ भाग में चीनी मुद्रण का प्रचलन

8257. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गौहाटी के उत्तर में मंगतदोई, क्लाइगून, उद्लगुरु, पचनाई, तामुलपुर, ढेकियाजुली, तेजपुर, आदि जैसे कई स्थानों पर चीनी मुद्रा काफी प्रचलित हो गई है और इसे प्रति दिन लेनदेन में लोग स्वीकार करते हैं;

(ख) क्या अपनी मुद्रा तथा अर्थ-व्यवस्था की स्थिरता को कायम रखने के लिये इसका प्रचलन तथा इसके माध्यम से व्यापार करने वालों को देशद्रोही घोषित करके तथा उन्हें दण्ड देकर इन संवेदन राज्य क्षेत्रों में चीनी मुद्रा के प्रचलन को रोकने के लिये कुछ कार्यवाही करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क), (ख) और (ग) तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

Adivasis of Andhra Pradesh and Madhya Pradesh Receiving Training for subversive activities

8258. **Shri Ramesh Chandra Vyas** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints to the effect that the Adviasis of Andhra Pradesh ; Madhya Pradesh are being taken out of the said States and are being imparted training for subversive activities in the name of technical training ;

(b) whether it is also a fact that some Adviasis have also been sent abroad for receiving the said training ;

(c) if so, the steps being taken by Central Government in this regard ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : **(a) , (b) and (c)** The Government of Andhra Pradesh have no such information. Reply from the Government of Madhya Pradesh is awaited.

जम्मू तथा काश्मीर पर संविधान के अनुच्छेद 335 लागू करना

8259. **श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू के सम्बन्ध में अल्प-अवधि चर्चा सम्बन्धी वाद-विवाद का उत्तर देते हुये 2 अप्रैल, 1970 को दिये गये अपने वचन के अनुसार उन्होंने जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर संविधान का अनुच्छेद 335 लागू करने पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस जाँच का क्या परिणाम निकला है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है ।

प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन

8260. **श्री यशपाल सिंह** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राइवेट विद्यार्थियों को परीक्षा की सुविधा देने के लिये सरकार का दिल्ली विश्व-विद्यालय अधिनियम में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली प्रशासन की राय ली गयी है; और

(ग) इस आशय का विधेयक कब पेश किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यथा शीघ्र ।

लाटरियों के बारे में उच्चतम न्यायालय की राय

8261. **श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व गवर्नर जनरल ने राज्य सरकारों द्वारा इस समय संचालित की जा रही लाटरियों के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय की राय मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही लाटरियों के विषय पर 1968 में तथा हाल में श्री राजगोपालाचारी से पत्र प्राप्त

हुए थे, जहां अन्य बातों के साथ-साथ इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का सुझाव दिया था। उत्तर में उनको इस मामले के विभिन्न पहलुओं को बताया गया और सूचित किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय की राय लेना आवश्ययक नहीं समझा गया।

देश में सड़कों को सुधारने के लिए उपाय

8262. **श्री रा० बरुआ :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय लाभ की तुलना में तीसरी योजना के अन्त तक सड़कों को सुधारने के लिये केवल 0.59 प्रतिशत व्यय किया गया था,

(ख) यदि हां, तो क्या यह विश्व में सबसे कम है और इसीलिये राजपथों की उपेक्षा करने से आर्थिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और

(ग) सड़कों से पहली योजना में 220.48 करोड़ रुपये से बढ़ कर चौथी योजना में लगभग 3500 करोड़ रुपये की आय होने से क्या सरकार का विचार सड़कों को सुधारने के प्रश्न पर नये सिरे से विचार करने का है ?

संसद् कार्य, नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) अनुमानत: माननीय सदस्य मूल निर्माण कार्यों पर हुए व्यय का उल्लेख कर रहे हैं। राष्ट्रीय आय की तुलना में 1965-66 में, जो तीसरी योजना का अंतिम वर्ष है, मूल सड़क विकास निर्माण कार्यों पर हुआ व्यय 0.58 प्रतिशत आता है।

(ख) जी नहीं। सड़क विकास पर भारत में हुआ व्यय विश्व में सबसे कम नहीं है और यह व्यय प्रत्येक अगली योजना में लगातार बढ़ता जा रहा है। यद्यपि योजना की आवश्यकताधारित बनाने के लिए अभी काफी अनुवात दूरी (लीवे) पूरी करनी बाकी है।

(ग) किसी भी पंचवर्षीय योजना में सड़कों की व्यवस्था कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे (1) सड़कों के विकास की आवश्यकताएं, (2) योजना के लिए कुल उपलब्ध साधन और (3) अन्य प्रतियोगी कार्यक्रमों की आवश्यकताएं उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत चौथी पंचवर्षीय योजना में सड़कों के लिये अब 876 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था है जब की प्रथम पंचवर्षीय योजना में 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था थी और इस प्रकार इसमें 800 प्रतिशत की वृद्धि हुई। धनाभाव और अन्य प्रतियोगी कार्यक्रमों दावों के कारण सड़क योजना नियतन जो मोटे तौर पर साधन आधारित है में और अधिक वृद्धि करना संभव नहीं हो सका है।

राजस्थान विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा पैरा-मनोवैज्ञानिक विभाग से सम्बंधित अनुसन्धान सामग्री, अप्रकाशित आंकड़े तथा पाण्डुलिपियां जब्त किया जाना

†8263. **श्री समर गुह :** **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा जयपुर स्थित पैरा मनोविज्ञान विभाग की समस्त मूल्यवान अनुसंधान सामग्री, अप्रकाशित आंकड़े, तथा पाण्डुलिपियां और अन्य पुस्तकें जब्त कर ली गई हैं ;

(ख) क्या इस विभाग में अनुसन्धान सम्बन्धी कागजात और अन्य उपकरण जो निदेशक के थे, उसको वापिस नहीं किये गये है;

(ग) क्या यह भी सच है कि एक अमरीकी पैरा-मनोविज्ञान अनुसन्धान कर्ता राजस्थान विश्वविद्यालय में एक उच्चपद पर आसीन व्यक्ति के साथ साठगांठ करके उस विश्वविद्यालय द्वारा जब्त किये गये अनुसन्धान सम्बन्धी कागजात, आंकड़े तथा पाण्डुलिपियां उड़ा ले गया;

(घ) क्या सरकार अनुसन्धान सम्बन्धी सभी कागजात या अन्य सामग्री और निदेशक के निजी उपकरण बिना और विलम्ब के प्राप्त करने और अप्रकाशित अनुसंधान सम्बन्धी आंकड़ों और कागजात गोलमाल करने के बारे में जांच करने के लिये कार्यवाही करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, नहीं । नवम्बर 21, 1969 में राजस्थान विश्वविद्यालय की पैरा मनोविज्ञान यूनिट के बन्द हो जाने के पश्चात विश्वविद्यालय द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार यूनिट का रिकार्ड तथा अन्य सामान उसके पहले निर्धारित स्थान से हटवा कर दूसरे स्थान पर रखवा दिया गया है और वह सुरक्षित है । नोटरी पब्लिक द्वारा सामान की एक सूची भी तैयार की गयी थी ।

(ख) श्री बनर्जी (जो यूनिट के निदेशक थे) ने विश्वविद्यालय से कुछ सामान मांगा है जिसे उन्होंने अपना बताया है । दूसरी ओर विश्वविद्यालय का कुछ सामान उनके पास बताया जाता है । विश्वविद्यालय इस मामले की ओर ध्यान दे रहा है ।

(ग) विश्वविद्यालय के अनुसार, यह आधारहीन आरोप है ।

(घ) और (ङ) मामला राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित है । विश्वविद्यालय ने बताया है कि जो सामान श्री बनर्जी का है उसे वह अपने पास रखने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं । जैसा कि भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है विश्वविद्यालय द्वारा मामले की ओर ध्यान दिया जा रहा है ।

Accidents in Delhi Involving Motor Vehicles

8264. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number of accidents involving motor-vehicles which have occurred in Delhi since 1st January, 1970 till date ;

(b) the number of persons killed and the number of those injured as a result thereof; and

(c) the number of cases registered in this regard during the said period and the number of persons convicted by the Courts ?

Deputy Minister in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Sardar Iqbal Singh) : (a) 2371 from 1st January, 1970 to 15th April, 1970.

(b) The number of killed and injured in these accident is 154 and 956 respectively.

(c) Of the above 2371 accidents, 1376 were non-injury accidents not registered under the I.P.C. while 201 were dealt with under the Motor Vehicles Act. The remaining 794 cases were registered under the I.P.C. out of which 17 persons have so far been convicted.

Political Agaitations in the Country

8265. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Bharat Singh Chauhan : Shri Jagannath Rao Joshi : Shri Onkar Lal Berwa : Shri Bansh Narain Singh : Shri K. Anirudhan :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of political agitations launched in the country since 1st January-1967, State-wise ;

(b) the value of the Government property damaged as a result thereof since a fore said date ; and

(c) the number of times Army was rused to help various States in maintaining law and order and in controlling these agitations since the aforesaid date ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) A statement, based on information received from State Governments Union Territory Administrations is attached. **[Placed in the Library. See. L. T. No. 3385/70.]**

ग्रमीण संस्थानों में ग्रध्यापकों के लिये पुनरीक्षित वेतनक्रम

8266. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय ग्रनुदान ग्रायोग द्वारा की गई सिफारिश के ग्रनुसार ग्रध्यापकों के लिये पुनरीक्षित वेवनक्रम राष्ट्रीय ग्राम-उच्चतर शिक्षा परिषद् द्वारा ग्रारम्भ किये गये ग्रामीण संस्थानों में लागू कर दिये गये है ;

(ख) यदि हां, तो कब से; ग्रौर

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० ग्रार० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

दिल्ली में जे० टी० सी०/जे० ए० वी०/सी० टी० ग्रध्यापकों का ज्ञापन

8267. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जे० टी० सी०/जे० ए० वी०/सी०टी ग्रध्यापक संघ, 30/19 शाख नगर, दिल्ली–7 से कोई ज्ञापन प्राप्त हुग्रा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) चूंकि संघ द्वारा उठाये गए मामले से दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम का सम्बन्ध है, संघ को सलाह दी गई थी कि इस मामले के लिए इन प्राधिकारियों से मिलें । उनके अभ्यावेदन भी उन प्राधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिए गए थे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जम्मू के डोडा जिले में राष्ट्र-विरोधी सेना

8268. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 9 अप्रैल, 1970 को जम्मू में जनसंघ के महामंत्री द्वारा दिए गए इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि जम्मू के डोडा जिले में एक राष्ट्र-विरोधी सेना कार्य कर रही है ;

(ख) क्या कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : **(क) (ख) तथा (ग)** : सरकार ने उक्त वक्तव्य के बारे में प्रेस रिपोर्ट देखी है । वक्तव्य पूर्णतः निराधार है ।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में आन्दोलन

8270. **श्री ज्योतिमय बसु :** **श्री भगवान दास :**

क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में विभिन्न प्रश्नों को लेकर आन्दोलन चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह में इस समय किसी आन्दोलन के चलने की कोई सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है ;

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

Representation of Scheduled castes and Scheduled Tribes in U. P. S. C. and in Selection Committees for recruitment to Administrative Services

8271. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to consider the question of providing representation to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the U. P. S. C. and in the Selection Committees appointed for recruitment to the various Administrative Services ;

(b) if so, on what basis this would be done ;

(c) whether Government would issue directions to the State Governments to follow the said procedure ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : **(a) and (b)** Selection of members of the Union Public Service Commission is governed chiefly by the essential requirement that there should be appropriate diversity of experience and talent so as to enable expeditious and adequate handling of the various problems which the Commission is expected to deal with and with that end in view eminent persons with background of, and experience in, administration, education, legal profession etc. are appointed. Consistent with these considerations, no reservation as such in favour of a particular community can be made in the membership of the Commission ; however, the desirability of having members belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes in the Commission is kept in view while making appointments to the Commission.

The Committee on the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in their Fourth Report have recommended *inter alia* that all Selection Boards or Recruitment Authorities should include among them atleast one Scheduled Caste/Scheduled Tribe member. This recommendation is under examination.

(c) and (d) "State public services and State Public Service Commissions" is an entry in the State List of the Seventh Schedule to the Constitution and is, therefore, entirely within the purview of the State Governments. As such, the question of Government of India issuing any directions in this regard to State Governments does not arise.

Taking Over of Jahangir Palace in Orchha, district Tikamgarh Madhya Pradesh

8272. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Archaeological Survey of India has taken over the ancient Jahangir Palace in Orchha in district Tikamgarh, Madhya Pradesh ;

(b) if so, the arrangements made by the Central Governmen for its maintenance ;

(c) if no arrangements have so far been made, the reasons therefor ?

Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Development of Vaishali in Bihar as Tourist Centre

8273. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Vaishali in Muzaffarpur District of Bihar is a place of historical importance and lakhs of people visit that place every year ;

(b) whether Government propose to convert the said place into a tourist centre ;

(c) if so, the action taken so far by Government in this regard and the outcome thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (d) Government are aware of the importance of Vaishali as a place of pilgrimage and some tourist facilities have already been provided there by the State Government. I myself visited Vaishali recently and the question of improving the available facilities is now under active consideration.

Checking of Crimes

8274. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Head of the Crime Department of Tata Institute of Social Sciences has recently made certain new suggestions to check crimes as reported in the Times of India (New Delhi) dated the 9th April, 1970 ;

(b) whether Government propose to accept these suggestions for making a breakthrough in checking the crimes ;

(c) if so, the details of these suggestions and the steps proposed to be taken by Government to implement them ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): **(a) and (b)** The Head of the Department of Criminology and Correctional Administration, Tata Institute of Social Sciences, Bombay, while participating in a panel discussions on "New outlook on Crime Problem" organised by the All India International Centre, New Delhi, on 8th April, 1970 reiterated certain basic aspects of crime prevention like educating the public to take elementary precautions against crime in general and against special forms of crime in particular. These basic factors in crime incidents have been the subject matter of discussion in the All India Symposium on Crime Prevention organised by the Central Bureau of Investigation in January, 1967. In pursuance of the same, a National Crime Prevention Week was organised by the Central Bureau of Investigation in 1968 essentially to create greater awareness amongst the people and to educate them regarding their responsibilities in this sphere, etc. The Government of India also requested the State Governments to observe the week ; informative pamphlets containing what should and should not be done for prevention of crime, etc. were published on the occasion.

(c) and (d) A similar Crime Prevention Week is proposed to be organised in 1971.

Historical Remains near Kesaria in Champaran district (Bihar)

8275. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a very old fort and some other historical remains are there near Kesaria in Champaran District of Bihar ;

(b) if so, the reason for not including the facts about the historical importance of these remains in the studies on Indian history ;

(c) whether Government propose to excavate the said fort which is a few hundred feet high ;

(d) if so, the time by which the excavation work is likely to be taken up ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipaj Singh) : (a) Besides the protected mounument known as 'Buddhist Stupa' at Tajpur Deur, Kesaria, district Champaran, there also exists an unprotected ruined mass of solid brick work popularly known as fort, although it is a stupa.

(b) So far nothing has been brought to light at this site to warrant its importance for historical studies in India.

(c) At present there is no proposal to undertake any excavation at the site.

(d) Does not arise.

(e) The Excavation Branch of Archaeological Survey of India is occupied with the excavation of some other important sites.

Expenditure on historical places in Delhi

8276. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount spent by Government on the Tourist Centres and places of histroical importance in Delhi, separately, during the last three years ;

(b) whether Government propose to take some special steps to beautify the Red Fort, Qutab Minar and Jama Masjid which are historical and tourist centres in Delhi as also to provide more amenities at these places , and

(c) if so, the nature thereof ?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) A statement is attached.

(b) and (c) A "Project Delhi" Committee has been set up under the chairmanship of the Chief Executive Councillor, Delhi, which recommends the development of places of tourist interest in Delhi. Besides beautification plans for Hauz Khas and Purana Qila, the following measures have been recommended by the committee for the Qutab Minar :

1. Changing the language of the notice boards inside the monument.
2. Painting of the railings.
3. Provision of drinking water.
4. Provision of a car park outside the Restaurant.
5. Provision of a gate for exit and another for entrance to the monument.
6. Shifting of the Tickets-Sale -Counter from its present location and provision of a booth elsewhere.
7. Removal of the structures on the side of the entrance gate and provision of good shops to replace the stalls.
8. Provision of a bus park and the construction of a fountain in the island outside the monument.
9. Renovation of the India Tourism Development Corporation Restaurant.

At Red Fort, the India Tourism Development Corporation mounts a son-et-lumiere (sound and light) show.

The Delhi Development Authority are implementing a beautification programme for the area surrounding the Jama Masjid.

Statement

Schemes	1967-68	1968-69	1969-70	Expenditure incurred b
	Rs.	Rs.	Rs.	
Floodlighting at Purana Qila.		1,17,760	16,400	Department of Tourism.
Floodlighting at India Gate.	..		44,216	Department of Tourism.
General maintenance, preservation of protected monuments in Delhi etc.	4,54,100	6,08,648,	6,77,653	Archaeological Survey of India.

राऊज एवेन्यु, नई दिल्ली में परिवार कल्याण केन्द्र

8277. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राऊज एवेन्यु, नई दिल्ली में एक परिवार कल्याण केन्द्र खोलने के लिये सरकार को एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) उक्त क्षेत्र में परिवार कल्याण केन्द्र कब खोला जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : यह मामला विचाराधीन है ।

दिल्ली के कालेजों में अवर स्नातक पाठ्यक्रम

8278. **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के कालेजों के अंग्रेजी के लगभग 150 प्राध्यापकों ने अवरस्नातक पाठ्यक्रम की प्रस्तावित योजना की कड़ी आलोचना की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने पांच सदस्यीय समिति बनाई है और दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य आपत्तियां क्या हैं और इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली और ग्वालियर के मध्य इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की उड़ानों में विलम्ब होना

8279. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली और ग्वालियर के मध्य इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की अनियमित उड़ानों में लगभग बारह घंटे तक का विलम्ब होने की ओर दिलाया गया है जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान ग्वालियर हवाई अड्डे पर आवश्यक सुविधाओं के अभाव की ओर भी दिलाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो विमानों को निश्चित समय पर चलाने और उक्त हवाई अड्डे पर यात्रियों को सुविधायें देने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : इंडियन एयरलाइन्स द्वारा ग्वालियर को 1 नवम्बर, 1969 से अनुसूचित विराम बनाया गया है, और इस तारीख से 31 मार्च, 1970 तक की अवधि के दौरान दिल्ली और ग्वालियर के बीच परिचालित 302 उड़ानों में से तीन उड़ानें बुरी तरह विलम्बित हुईं।

(ख) : ग्वालियर विमानक्षेत्र पर निम्न सुविधायें प्राप्त हैं :—

1. पूर्ण रूप से अधिसज्जित यात्री लौंज।
2. पंखे।
3. शौच-स्नानादि की सुविधायें।
4. टेलीफोन।
5. वाटर कूलर।

इसके अलावा सर्वसाधारण के लिये एक घोषणा प्रणाली की व्यवस्था की जा रही है।

(ग) : विलम्ब से बचने के लिये बहुत सावधानी बरती जाती है। फिर भी कभी-कभी अप्रत्याशित स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिन पर कि इंडियन एयरलाइन्स का कोई सीधा नियन्त्रण नहीं होता है।

केन्द्रीय सचिवालय स्टैनोग्राफर सेवा के ग्रेड दो से ग्रेड एक में पदोन्नति

8280. **श्री नन्द कुमार सोमानी** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के ग्रेड दो से ग्रेड एक में पदोन्नति के लिये अयोग्य घोषित न किये जाने पर वरिष्ठता के मान्यता प्राप्त सिद्धान्त के अतिरिक्त कोई अन्य कसौटी अपनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्रेड दो के वरिष्ठ व्यक्तियों को हानि पहुंचाकर कुछ कनिष्ठ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिये ऐसा किया गया है ;

(ग) क्या इसी सेवा के ग्रेड एक से सलैक्शन ग्रेड में दी गई पदोन्नतियां अयोग्य घोषित न किये जाने पर वरिष्ठता के विशिष्ट सिद्धान्त के अनुसार की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो ग्रेड दो से ग्रेड एक में पदोन्नतियों के मामले में नीतियों में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं और इस भेदभावपूर्ण कार्यवाही का क्या औचित्य है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा नियम 1969 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के अनुसार केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के ग्रेड I से ग्रेड II में पदोन्नति के लिए अपनाई गई कसौटी है "गुण, तथा वरिष्ठता का उचित आदर।"

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) और (घ) परिशोधित केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के प्रारम्भिक गठन पर केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा नियम 1969 के अन्तर्गत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के भूतपूर्व ग्रेड I के अधिकारियों की सलैक्शन ग्रेड में नियुक्तियां अनुरूप वर्गों से वरिष्ठता के आधार पर की जानी थी, बशर्ते कि अयोग्य व्यक्तियों को अस्वीकार कर दिया गया हो, चूंकि इन नियुक्तियों के कर्तव्यों में कोई परिवर्तन निहित नहीं था और संबद्ध अधिकारी उन्हीं पदों पर कार्यरत समझे जाते थे जिन पर वे इस सेवा के पुनर्गठन से पूर्व कार्य कर रहे थे।अनुरक्षण अवस्था पर सेलेक्शन ग्रेड में नियुक्तियां ग्रेड। स्टेनोग्राफरों में से 'गुण, तथा वरिष्ठता को उचित आदर' के आधार पर की जानी होती है। केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर के ग्रेड II से सेवा के नये ग्रेड I में नियुक्तियों में उच्चतर दायित्व को संभालना शामिल है। अतः यह निर्णय किया गया कि ऐसी पदोन्नतियां 'गुण, तथा वरिष्ठता को उचित आदर' के आधार पर की जायें।

Celebration of Maritime day in Delhi

8281. **Shri Mrityunjay Prasad** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been a tradition to celebrate the Martitime Day in the Central Hall of Parliament House or at any other place during the last several years ; and

(b) if so, the reason why this Day has not been celebrated this year thereby breaking the said tradition ?

Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri K. Raghu Ramaiah) : (a) and (b) The National Maritime Day Celebrations have been held in the country since 1964 in the Port towns and elsewhere, including Delhi, but it is not true that the main celebrations should necessarily be held in the Central Hall of Parliament or elsewhere in Delhi. The first celebrations in 1964 were held only in Bombay, Calcutta and Madras.

They were also held in Delhi during the years 1965 to 1969 But this year it was felt that the focal point should be the Ports, where the shipowners and the seafarers are playing their role in the development of Indian Shipping. The celebrations were accordingly held this year at Bomby, Calcutta, Madras, Cochin, Vizagapatnam, Mormugao and Kandla.

It is, therefore, not correct to say that the Day has not been celebrated this year.

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के बारे में सरकार समिति का प्रतिवेदन

8282. **श्री तेन्नेटि विश्वनाथम्** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् सम्बन्धी सरकार समिति के प्रतिवेदन के अन्तिम प्रारूप में से, जो समिति के सदस्यों की स्वीकृत के लिये दिया गया था कुछ ऐसी कण्डिकाएं निकाल दी गयी थी जो नियुक्तियों में अनियमितताओं सम्बन्धी तथ्यों के बारे में थी तथा वे उनको पहले परिचालित किये गये प्रारूप में शामिल थी, यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या सरकार ने विमति टिप्पणों पर विचार किया है और यदि हां, तो उनका बहुमत के प्रतिवेदन में पाये गये मामलों के अतिरिक्त विमति टिप्पणों में प्रकट किए गए मामलों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) समिति से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, वर्किंग पेपर को 'रिपोर्ट के मसौदे' के रूप में सदस्यों के पास परिचालित किया गया था। 6 तथा 7 दिसम्बर, 1969, 13 व 14 दिसम्बर, 1969, 13 से 15 जनवरी, 1970, 3 से 5 और 20 फरवरी, 1970 को हुई बैठकों में इस पर व्यौरेवार चर्चा हुई थी। और इन बैठकों की चर्चाओं को ध्यान में रख कर उसमें कुछ भाग जोड़ दिये गये थे अथवा कुछ हिस्सों को निकाल दिया था। चर्चाओं के अन्तिम निर्णयों के फलस्वरूप, अन्तिम रिपोर्ट का मसौदा 22 फरवरी, 1970 को तैयार किया गया था जिस पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे।

(ख) सम्पूर्ण रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय बलों के लिए भूमि का अधिग्रहण

8283. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री भगवान दास :
श्री ई०के० नायनार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में अब तक केन्द्रीय बलों जैसे केन्द्रीय आरक्षित पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, औद्योगिक सुरक्षा बल और गुप्तचर विभाग आदि के लिये कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है ;

(ख) अब तक इसके लिये कितना मूल्य चुकाया गया है ; और

(ग) क्या राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के लिये इस भूमि के किसी भाग का अधिग्रहण किया गया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) लगभग 512 एकड़।

(ख) केवल 11,88,211.75 रुपये।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

गृह-कार्य मन्त्री के विवेकाधीन कोष से खर्च

8284. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री भगवान दास :**
श्री ई० के० नायनार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने गत वर्ष अपने विवेकाधीन कोष में से सब धन व्यय कर दिया है ;

(ख) क्या उन्होंने हाल ही में इस विवेकाधीन कोष में से 1,200 रुपये व्यय किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो यह राशि किस प्रयोजन के लिए व्यय की गई तथा गत तीन वर्षों में उसी तरह के उद्देश्यों के लिए इस कोष में से कुल कितना धन व्यय किया गया ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1969-70 के प्रयोजन के लिए बजट में की गई राशि उपयोग में लायी जा चुकी है ।

(ख) हाल में कोई ऐसी राशि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को स्वीकृत नहीं की गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विमान सेवा निगमों का विलय

8285. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री भगवान दास :**
श्री ई० के० नायनार :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोनों विमान निगमों को एक बनाने की कोई तत्काल योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह सच है कि 1953 में विमान निगम अधिनियम पर चर्चा के दौरान सरकार ने कहा था कि यह विलय किया जायेगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्राक्कलन समिति ने भी इस प्रकार की सिफारिशें की थीं ; और

(घ) यदि हां, तो प्राक्कलन समिति की इस सिफारिश के क्रियान्वयन में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जब एयर कारपोरेशन बिल पर बहस हो रही थी, तो उस समय के संचार मंत्री ने कहा था कि सरकार दोनों कारपोरेशनों को मिलाकर एक कारपोरेशन बनाने के प्रश्न पर विचार करेगी ।

(ग) प्राक्कलन समिति ने एयर इंडिया से संबंधित अपनी 41वीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की कि सरकार को एक साझा कारपोरेशन बनाने के प्रश्न का पुनरालोकन करना चाहिए ।

लोक संस्था समिति (तीसरी लोक सभा) ने अपनी 21वीं रिपोर्ट में विचार व्यक्त किया कि यह बहुत संभव है कि कारपोरेशनों का इस समय विलय करने से काफी प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो जायें और अगले कुछ वर्षों के लिए विलयित कारपोरेशनों की सुचारू प्रगति तथा लाभप्रद परिचालन में भी बाधा उत्पन्न हो जाये । तदनुसार यह सुझाव दिया गया कि कुछ

समय पश्चात् क्रियान्वयन के लिए एक विलय विषयक स्कीम तैयार की जाये और इस बीच विभिन्न विशिष्ट मामलों पर सामान्य सुविधाओं के लिए प्रयत्न किये जायें।

(घ) सरकार का यह विचार है कि यद्यपि कारपोरेशनों का विलय विमानन के हित में नहीं होगा, उनके बीच निकटतम समन्वय आवश्यक है। यह समन्वय दोनों कारपोरेशनों के बोर्डों में सामान्य सदस्य रखने से सिद्ध हो रहा है, अन्तर केवल दोनों के भिन्न-भिन्न अध्यक्षों में है।

मध्य प्रदेश में कान्हा का वन्य पशु संरक्षित क्षेत्र के रूप में विकास

8286. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार मध्य प्रदेश में कान्हा का पर्यटकों के आकर्षण के लिए वन्य पशु संरक्षित क्षेत्र के रूप में विकास करेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना धन व्यय किया जायेगा और वहां दी जाने वाली पर्यटन संबंधी सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में कार्य कब आरम्भ हो जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कान्हा में बारह सिंगा प्रजनन परियोजना पर पहले ही 52,500 रुपये की एक राशि व्यय की जा चुकी है। 3·70 लाख रुपये की लागत से दो छोटी बसों और पर्यटक आवास की छः यूनिटों की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।

(ग) चालू वर्ष में।

दार्जिलिंग में भारतीय सड़क कांग्रेस के अध्यक्ष का वक्तव्य

8287. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा :**
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री वाल्मीकि चौधरी :
श्री शिवचरण लाल :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दार्जिलिंग में 5 अप्रैल, 1970 को भारतीय सड़क कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि सड़क यातायात की प्रगति निराशाजनक है क्योंकि सड़कों की हालत अब भी काफी खराब है और राजमार्गों की और अधिक अपेक्षा करने से देश के संपूर्ण विकास तथा आर्थिक विकास में बाधा पड़ेगी ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या सरकार को भारतीय सड़क कांग्रेस से सड़क परिवहन के सुधार तथा विकास के लिये कोई सुझाव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार का इस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद् कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) से (घ) : संभवतः माननीय सदस्य 5 अप्रैल 1970 को दार्जिलिंग में भारतीय सड़क कांग्रेस के

अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस परिषद की 74 वीं बैठक में दिये गये अभिभाषण के बारे में प्रेस में छपी रिपोर्ट का उल्लेख कर रहे हैं। यह ज्ञात हुआ कि इस अभिभाषण पर पहले उनकी कार्यकारिणी समिति जांच करेगी और तत्पश्चात ऐसे अन्य सुझावों के साथ जो कार्यकारी समिति इस मामले में सुझाव देना चाहें सरकार को उनके विचारार्थ भेजेगी। अभी तक कांग्रेस से ऐसा कोई पत्र नहीं आया है।

पालम हवाई अड्डे पर राडार सुविधा

8288. **श्री देविन्दर सिंह गर्चा :** **श्री बाल्मीकि चौधरी :**

श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पालम हवाई अड्डे पर राडार सुविधा की व्यवस्था करने की सम्भावना पर विचार कर रही है ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान एक राडार लगाने की आवश्यकता के बारे में कैप्टन एटलोर की उन टिप्पणियों पर दिलाया गया है जो उन्होंने लुफ्थान्सा एयरलाइन्स के विमान से प्रथम बार नई दिल्ली से रोम तक प्रथम सीधी हल्की यात्रा करने से तुरन्त पहले दी थी ; और

(घ) यदि हां, तो उस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। दिल्ली विमान-क्षेत्र निगरानी राडार (ए० एस० आर०) तथा एक दूर-परास हवाई मार्ग निगरानी राडार (ए० आर० एस० आर०) स्थापित किये जाने हैं। पहले का परास (रैंज) लगभग 70 मील का होगा तथा वह विमानक्षेत्र के आस-पास हवाई यातायात नियंत्रण तथा विमान के उतरने से पहले उसका निर्देशन करने में लाभदायक होगा। ए० आर० एस० आर० (हवाई मार्ग निगरानी राडार) विमानों के, जब वे विमानक्षेत्र से लगभग 200 मील तक के फासले पर हवाई मार्गों पर उड़ान कर रहे हों, मार्ग-निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जायेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) : जी, हां। यद्यपि हवाई यातायात नियंत्रण के लिए राडार सुविधा आवश्यक है, परन्तु दिक्चालन के दृष्टिकोण से यह इतनी आवश्यक नहीं है। राडार प्राप्त करने तथा उन्हें दिल्ली विमानक्षेत्र पर स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नदी पुलों की खराब हालत

8289. **श्री मंगलाथुसाइम :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथों पर बने कितने नदी पुल खराब हालत में है,

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय सड़क पुल संहिता का उल्लंघन करते हुये इन पुलों पर से भारी बोझ ले जाये जा रहे है ; और

(ग) दक्षिणी राज्यों, विशेषतः केरल में ऐसे कितने पुलों का पुनः निर्माण किया जा रहा है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) : 1968 में द्रुत सर्वेक्षण के आधार पर अतिग्रस्त और छिन्न-भिन्न पुलों की संख्या लगभग 600 आंकी गई है ।

(ख) : भारतीय सड़क कांग्रेस पुल संहिता नये पुलों के अभिकल्प के लिये भार को निर्दिष्ट करते समय उस वास्तविक भार को निर्धारित नहीं करती है जिनकी इन पुलों पर राज्य परिवहन प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जाती है और इसलिए भारतीय सड़क कांग्रेस पुल संहिता का उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता है ।

(ग) : आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, तामिल नाडु और केरल के चार दक्षिणी राज्यों में छिन्न-भिन्न अवस्था वाले पुलों की संख्या लगभग 314 है जिनमें से 16 केरल राज्य में है, ये सब पुल और वे पुल जो देश के अन्य भाग में प्रयाप्त धन उपलब्ध होने पर चौथी पंच योजना में पुर्निर्माण किये जाने का विचार है ।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों पर व्यय की जाने वाली राशि

8290. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथों के विकास पर उत्तर प्रदेश में तथा समूचे भारत में प्रति वर्ष कितनी-कितनी राशि व्यय की जाती है,

(ख) क्या यह सच है कि समूचे देश में व्यय की जाने वाली कुल राशि का केवल 0·5 से 2.5 प्रतिशत भाग उत्तर प्रदेश में व्यय किया जाता है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) 1965-66 से 1969-70 तक के वर्षों के लिये अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

वर्ष	सारे भारत में व्यय की गई राशि	उत्तर प्रदेश में व्यय की गई राशि	सारे भारत के कुल व्यय के मुकाबिले में उत्तर प्रदेश में व्यय की गई राशि की प्रतिशतता ।
		(लाख रुपयों में)	
1965-66	2918.90	203,68	6.98
1966-67	2109.82	197.48	9.36
1967-68	1506.81	158.29	10.50
1968-69	1218.16	157.12	12.90
1669-70	1248.11 (अंतिम आवंटन)	133.21) (अंतिम आवंटन)	10.63

इंडियन एयरलाइन्स के अलाभकर वायुयान

8291. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** **श्री जुगल मन्डल :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स के ऐसे कितने वायुयान हैं जिनसे लाभ नहीं हो रहा है ;

(ख) इस कारण 1969-70 में कितनी हानि हुई ; और

(ग) हानि को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और उससे क्या परिणाम निकले हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : कारवेलों के अलावा, इंडियन एयरलाइन्स के विमान-बेड़े के 14 वाईकाउन्ट, 14 एफ-27, 14 एच० एस०-748 और (परिचालित किये जा रहे) 9 डी० सी-3 विमान कम किरायों एवं भारी परिचालन व्यय, जिसमें इंधन की लागत भी शामिल है, के कारण इस समय लाभ नहीं दे रहे हैं।

(ख) : सही आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि 1969-70 के लेखे अभी संकलित किये जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित सीमाओं को दृष्टि में रखते हुए, विमानों के अधिकतम उपयोग तथा उड़ान सेवाओं की अत्यधिक किफायती पद्धति को अपना-कर अपनी कार्य-कुशलता में सुधार करने के लिए इंडियन एयरलाइन्स निरन्तर प्रयत्नशील है।

हिमाचल प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन

8292. **श्री हेमराज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश का अपने जिलों का पुनर्गठन करने का विचार है ;

(ख) क्या यह सच है कि इसने दो जिलों को मनमाने ढंग से मान्यता दे दी है और जिलों के पुनर्गठन सम्बन्धी निर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार ऐसा नहीं किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि कांगड़ा जिले को दो भागों में बांटने और डेरा तहसील के लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध तहसील के दो भाग करके एक नया शिवालक जिला बनाने के विरुद्ध वहां के लोगों में बहुत रोष पाया जाता है ; और

(घ) क्या इस बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है और उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) तक : प्रशासनिक सुविधा, भूगोलिक सामीप्य, एवं सम्बद्ध जिला के लोगों की आवश्यकताओं एवं भावनाओं को दृष्टि गत रख कर ही हिमाचल प्रदेश सरकार अपने जिलों का पुनर्गठन करना चाहती है। जिलों के पुनर्गठन की अपनी 15-4-1970 की घोषणा से पूर्व हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विशेषकर डेरा तहसील के एक भाग (जसवन कानून को सर्कल) को शिवालक जिले में मिलाने तथा कांगड़ा जिले को दो भागों में बांटने के बारे में कुछ अभ्यावेदन मिले हैं। जिला मुख्यालय को एक केन्द्रीय स्थान

पर स्थापित करने हेतु भी कुछ अभ्यावेदन मिले थे। भारत सरकार को भी इसी प्रकार के आभ्यावेदन मिले हैं। इस मामले पर विचार हो रहा है।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की प्रयोगशालाओं के निदेशकों द्वारा त्यागपत्र

8293. **श्री तेन्नटि विश्वनाथम :** क्या शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के कितने निदेशकों ने कब कब त्यागपत्र दिये और उनके नाम क्या है ;

(ख) क्या प्रधान मन्त्री को कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष की हैसियत में सीधे ही त्यागपत्र भेज दिये गये थे ;

(ग) कितने त्यागपत्र मंजूर कर लिये गये हैं, यदि त्यागपत्र स्वीकार नहीं किये गये हैं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) क्या सेवाओं में तथा विज्ञानिकों के मूल में समान अथवा वेहतर योग्यताओं वाले ऐसे वैज्ञानिक काफी संख्या में उपलब्ध नहीं हैं जो उनके स्थानों पर लगाये जा सके ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० बी० के० आर० वी० राव) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं के निम्नलिखित तीन निदेशकों ने उनके प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों से अपने त्याग पत्र पेश किए हैं ;

निदेशक का नाम	त्याग पत्र की तारीख
1. डा० जी० एस० सिद्धु निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद।	7-8-1969
2. श्री जी० एस० चौधुरी, निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, भुवनेश्वर।	22-11-1969
3. डा० एम० एस० आयंगर निदेशक, क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट।	23-12-1969

(ख) डा० जी० एस० सिद्धु और श्री जी० एस० चौधरी ने अपने अपने त्यागपत्र, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के जरिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के पास भेजे थे, जबकि डा० एम० एस० आयंगर ने अपना त्यागपत्र सीधे ही परिषद के अध्यक्ष के पास भेज दिया था।

(ग) कोई भी त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि मामला अभी वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के विचाराधीन है।

(घ) अभी प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजपथों के रखरखाव के लिये राज्य सरकारों के लिये नियत की गई राशियां

8294. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या नौवहन तथा परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के लिए राष्ट्रीय राजपथों के रखरखाव के लिये चालू वित्तीय वर्ष में नियत की गई राशियों का ब्यौरा क्या है और आगामी वित्तीय वर्ष में कितनी राशियां नियत करने का प्रस्ताव है, और

(ख) क्या इस प्रकार नियत की गई राशियों से सम्बन्धित राज्य सरकारों की मांगे पूरी हो गई हैं ?

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) विभिन्न राज्यों में 1970-71 के लिये बजट व्यवस्था का अस्थायी आवंटन वाला विवरण संलग्न है राज्यों को वास्तविक आवंटन हिसाब लगाया जा रहा है और यथा समय उन्हें सूचित कर दिया जायेगा। 1971-72 के लिये नियतन अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) इस समय यह कहना संभव नहीं है कि नियतन जो राज्यों को अभी सूचित किया जाना है क्या उनकी मांग की पूर्ति कर देगा।

विवरण

(आंकड़े लाख रुपयों में)

राज्य का नाम	बजट अनुभाग 1970-71
आंध्र प्रदेश	100.73
आसाम	60.95
बिहार	85.63
गुजरात	51.18
हरियाणा	35.63
केरल	23.78
मध्य प्रदेश	85.45
महाराष्ट्र	93.43
मैसूर	42.63
नागालैंड	5.41
उड़िसा	54.75
पंजाब	20.58
राजस्थान	44.09
तामिल नाडू	66.73

राज्य का नाम	बजट अनुभाग 1970-71
उत्तर प्रदेश	93.93
वेस्ट बंगाल	99.53
दिल्ली	9.29
हिमाचल प्रदेश	6.79
मनीपुर	9.49
संट्रल रिज़वत	310.00
	1300.00

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजपथों पर व्यय की जाने वाली राशि

8295. **श्री जुगल मन्डल :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथों के विकास पर पश्चिम बंगाल में तथा समूचे भारत में प्रति वर्ष कितनी-कितनी राशि व्यय की जाती है,

(ख) क्या यह सच है कि समूचे देश में व्यय की जाने वाली राशि का बहुत थोड़ा-सा भाग ही पश्चिम बंगाल में व्यय किया जाता है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद् कार्य, नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (सरदार इकवाल सिंह) : (क) : 1965-66 से 1969-70 के वर्षों के लिये अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

वर्ष	सारे भारत में व्यय की गई राशि	पश्चिमी बंगाल में व्यय की गई राशि	पश्चिमी बंगाल में व्यय हुई राशि का कुल अखिल भारतीय आंकड़ों में प्रतिशतता ।
		(लाख रुपयों में)	
1965-66	2918.90	428.86	14.70
1966-67	2109.82	236.26	11.20
1967-68	1506.81	198.71	13.19
1968-69	1218.16	80.39	6.60
1969-70	1248.11 (अंतिम आवंटन)	108.86 (अंतिम आवंटन)	8.82

नौवहन तथा परिवहन मन्त्रालय में उप-मन्त्री को एक संसद सदस्य द्वारा भेजी गई शिकायत का उत्तर

8296. **श्री स० कुण्डू :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के एक विधायक द्वारा भेजी गई शिकायत को एक संसद् सदस्य ने 18 जून, 1969 को नौवहन तथा परिवहन उप-मंत्री के पास भेज दिया था,

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त शिकायत उनको 18 जून, 1969 को प्राप्त हो गयी थी,

(ग) क्या संसद् सदस्य द्वारा 19 मार्च, 1970 को उक्त पत्र का उत्तर न मिलने के बारे में उनके निजी सहायक को याद दिलाया गया था और यदि हां, तो क्या इस बीच कोई उत्तर दिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) शिकायत किस प्रकार की है और यदि कोई जांच की गई हो तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमन्त्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) : जी, हां, संसद के सम्बन्धित सदस्य को अब उत्तर भेज दिया गया है ।

(घ) : शिकायत थी कि पारादीप पत्तन न्यास द्वारा कनिष्ट इंजीनियर (सिविल) (श्रेणी तीन नियुक्ति) के पद के लिये साक्षात्कार के लिए आवेदन पत्र मंगाते समय, श्री सदासिव साहू जो एक उम्मीदवार थे साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया जबकि कम योग्यता वाले बुलाये गये । पारादीप पत्तन न्यास ने सरकार को सूचित किया है कि श्री साहु बाद के बैच में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया । परन्तु, कोई चुनाव नहीं किया गया और अध्यक्ष ने चुनाव कार्यवाही में कुछ त्रुटियां दृष्टिगोचर होने के कारण फिर से साक्षात्कार करने के लिए आदेश दिया है ।

नये वेतन क्रमों का विकल्प देने वाले संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों को हानि

8298. **श्री विक्रम चन्द महाजन :** क्या **गृह कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली, हिमाचल प्रदेश अथवा अन्दमाननिकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा के उस सदस्य को, जो भारत सरकार द्वारा दिये गए 1969 के नये वेतनक्रमों के लिए विकल्प देता है, अपने सेवा काल में ग्रेड 2 में 3000 रुपये से अधिक की हानि उठानी पड़ेगी;

(ख) यदि हां, तो नए वेतनक्रम देने का आधार क्या है; और

(ग) क्या वर्तमान मामले में केन्द्रीय वेतनमानों में संशोधन के लिए सरकार ने दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखा था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) दूसरे वेतन आयोग द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों समेत सभी सम्बन्धित तत्वों पर विचार किया गया था।

हिमाचल प्रदेश में धानी सिविल सेवा के कर्मचारियों को भत्ते की अदायगी

8299. **श्री विक्रम चन्द महाजन :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धानी सिविल सेवा के उन कर्मचारियों को, जिन्हें हिमाचल प्रदेश में नियुक्त किया गया है, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों को देने से इस आधार पर इंकार कर दिया गया है कि वे पंजाब के वेतन मानों पर रखे गए है, अतः उनको वही भत्ते दिए जा सकते हैं जो पंजाब सरकार के कर्मचारियों को मिलते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) : हिमाचल प्रदेश में नियुक्त धानी सिविल सेवा के उन सदस्यों को, जिन्होंने संशोधित वेतनमानों के लिए विकल्प दिया है, केन्द्रीय सरकार की दरों पर भत्ते मिलते हैं और जिन्होंने संशोधनपूर्व वेतनमानों (पंजाब वेतनमानों) के लिए विकल्प दिया है उनको पंजाब सरकार की दरों पर भत्ते मिलते हैं।

धानी सिविल सेवा के दिल्ली में नियुक्त दण्डाधिकारी की उपलब्धियां

8300. **श्री विक्रम चन्द महाजन :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धानी सिविल सेवा के दिल्ली में नियुक्त दंडाधिकारी की उपलब्धियां केन्द्रीय सचिवालय के स्टेनोग्राफर की उपलब्धियों के बराबर हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सेवा के कर्मचारियों को कार्यकुशल बनाए रखने तथा उनके मिलने वाले कम वेतन को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रलोभन से बचाए रखनें के लिए भारत सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान बजट में पर्यटन केन्द्रों के लिए निर्धारित राशि

8301. **श्री लोबो प्रभु :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष के बजट में पर्यटक केन्द्रों के लिए राज्यवार कितनी-कितनी राशि नियत की गई है; और

(ख) मैसूर राज्य के कितने स्वीकृत प्रस्तावों के लिए व्यवस्था नहीं की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) : केन्द्रीय सरकार पर्यटन की योजनायें पर्यटकों के लिए किसी स्थान के वास्तविक अथवा सम्भावित आकर्षण को दृष्टि में रख कर

तैयार और क्रियान्वित करती है न कि राज्यवार आधार पर। 1970-71 के बजट अनुमानों में स्कीम-वार 280.10 लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है।

(ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मैसूर राज्य में निम्न पर्यटन स्कीमों को हाथ में लेने का प्रस्ताव है :—

(1) मैसूर नगर में प्रदान की गई सुविधाओं का सुधार।

(2) हम्पी में एक युवा होस्टल का निर्माण।

(3) बेलूर-हालिबेड तथा एहोली-बादामी कॉम्लेक्स में सुविधाओं की व्यवस्था।

योजना परिव्यय (प्लान आउट-ले) में कटौती के कारण, निम्न स्कीमों को—जिनको पहले केन्द्रीय क्षेत्र में लेने का प्रस्ताव था—शामिल करना सम्भव नहीं हो पाया है :—

(i) कारवार-मारवान्थे-शरावती क्षेत्र में पर्यटक सुविधाओं का विकास।

(ii) कूर्ग-मरकरा क्षेत्र में पर्यटक सुविधाओं का विकास।

दिल्ली परिवहन उपक्रम की खराब बसें

8302. **श्री लोबो प्रभु : क्या नौवहन तथा परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 17 अप्रैल, 1970 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित श्री सालेन घोष के पत्र के संदर्भ में दिल्ली परिवहन उपक्रम की ऐसी कितनी बसें हैं जिनका कम्ब्यूशन खराब है जिसके कारण धुआं निकलता है,

(ख) इससे दिल्ली परिवहन उपक्रम को होने वाली क्षति तथा जनता की परेशानी को कम करने के लिये गत वर्ष क्या कदम उठाये गए थे, और

(ग) दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों को ठीक करने के लिए क्या "वर्कशाप" की सुविधा है तथा क्या बसों की इन खराबियों को दूर करने में पूर्णतया समर्थ है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (सरदार इकबाल सिंह) : (क) : महा प्रबन्धक, दिल्ली परिवहन उपक्रम के अनुसार सड़क पर चलने वाले कुल 923 बसों में से 73 बसें प्रतिदिन काला गाढ़ा धुआं छोड़ती हैं।

(ख) : पिछले वर्ष ईंधन प्रविष्टी पंपों को बदलने के लिए दिल्ली परिवहन उपक्रम के केन्द्रीय कर्मशाला द्वारा एक कार्यक्रम तैयार किया गया। केन्द्रीय कर्मशाला से एक विशेष दल प्रति नियुक्त किया गया है जो अन्य डिपुओं में अधिक है।

Discriminatory Policy for Recruitment of Aerodrome Operators and Radio Operators

8303. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Director of Communications and the Director of Aerodromes both work under the Department of Civil Aviation ;

(b) whether it is also a fact that the said Departments follow discriminatory policy in regard to the recruitment of aerodrome operators and Radio Operators, i.e. 50 per cent of the Aerodrome Operators are recruited from open market and 50 per cent by promoting departmental candidates and similarly the Director of Communications recruits 75 per cent of his staff from open market and 25 per cent by promoting departmental candidates, and

(c) if so, the reasons therefor ?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) No discriminatory policy is involved. In the Communications Directorate of the Civil Aviation Department; the lowest non-gazetted grade is that of Radio Operator (scale Rs.150—300). Accordingly, these posts are entirely filled by direct recruitment from amongst qualified candidates. No quota has been fixed for clerical staff for promotion as Radio Operators as the clerks do not possess the requisite qualifications, particularly speed in Morse which is an essential requirement. Departmental candidates possessing the requisite qualifications are, however, eligible for appointment along with candidates from the open market irrespective of age.

On the other hand, the lowest grade in the Aerodromes Directorate is that of Aerodrome Operator, Grade II (Rs.110—180). Grade I posts are filled by direct recruitmen to the extent of 50 per cent of the vacancies, and the rest by departmental promotion. Out of the quota for departmental promotion, half the vacancies are reserved for Aerodrome Operators, Grade II and the other half for Junior Clerks and Store Clerks. In all cases appointment to the posts in Grade I is subject to the selected persons successfully completing the prescribed training course at the Civil Aviation Training Centre. No further recruitment is being made to the cadre of Aerodrome Operators Grade II which will be abolished after the existing incumbents have been promoted or retire on reaching the age of superannuation.

Supply of Hindi Journals or Newspapers to passengers travelling by Air India

8304. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Tourim and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Hindi Journals or newspapers are made available to the passengers travelling by the Air India ;

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor ;

(c) whether it is a fact that the list of fare is published in English only ; and

(d) if so, the reasons for not publishing the list in Hindi also ?

Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Navbharat Times, Dharma Yug and Navneet.

(c) and (d) The Time-tables and tariffs are printed in English because of the requirement of International Carriers and Travel Agents.

निजी थैलियों के प्रश्न पर भूतपूर्व नरेशों के साथ समझौता

8306. **श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 19 अप्रैल, 1970 के "सण्डे स्टेट्समैन" में प्रकाशित इस समाचार

की ओर दिलाया गया है कि सरकार भूतपूर्व नरेशों के साथ समझौता करने की इच्छुक है और विधेयक के प्रस्तुत किये जाने में विलम्ब हो सकता है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इस सम्बन्ध में सरकार ने प्रेस रिपोर्टें देखी हैं।

(ख) सरकार नें चालू सत्र में संसद में आवश्यक विधान पुरः स्थापित करनें के अपनें निर्णय की घोषणा पहले ही कर दी है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल

श्री हेम राज (कांगड़ा) : मैं गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति तथा उनकी मांगों को पूरा करने के लिए की गई कार्यवाही।"

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : श्रीमान्, पहले हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के वेतनमान पंजाब के कर्मचारियों के वेतनमानों पर आधारित थे। इसी प्रकार मनीपुर त्रिपुरा और पांडिचेरी के कर्मचारियों के वेतनमान क्रमशः आसाम, पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु के कर्मचारियों के वेतनमानों पर आधारित थे। इस बात पर 1968 में ध्यान दिया गया कि कुछ राज्यों ने अपने यहां के वेतनमानों में अत्यधिक वृद्धि करनी आरम्भ कर दी है तथा कुछ मामलों में तो ये वेतनमान समान पदों के केन्द्रीय वेतनमानों से भी अधिक हो गये थे। इससे भारत सरकार के लिये कठिनाई उत्पन्न हो गई तथा यह निर्णय किया गया कि पड़ौसी राज्यों में वेतनमानों में अपने आप वृद्धि अपनाई जायेगी किन्तु संघ राज्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतन-मानों में—जिनमें मंहगाई वेतन और मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित हो–इतनी अधिक वृद्धि नहीं की जायेगी कि वे वेतनमान केन्द्रीय सरकार के समान पदों के वेतनमानों से अधिक बढ़ जाये। इस निर्णय पर पुनः विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि 6 मार्च 1970 से सभी संघ राज्य क्षेत्रों और नेफा के कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार के वेतनमान दिये जायें। इस निर्णय की घोषणा 11 मार्च 1970 को संसद् में भी कर दी गई थी।

हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारी इस बात के लिये आन्दोलन कर रहे थे कि उन्हें पंजाब के वेतनमान दिये जायें। हम पहले ही यह स्पष्ट कर चुके हैं कि इस निर्णय से जिन कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उनके मामले पर सरकार सहानुभूति-पूर्वक विचार करेगी। ऐसे

कर्मचारी विकल्प से अपना वर्तमान वेतनमान और भत्तों के अनुसार ही वेतन लेते रहेंगे। कर्मचारियों के वेतनमानों में कोई कमी न होने पाये, इस बात के लिये भी अपेक्षित कार्यवाही की जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने इस बारे में जो सुझाव दिये हैं सरकार उन पर भी विचार कर रही है।

Shri Hem Raj : Mr. Speaker, Sir, the Second Pay Commission recomended that in Union Territories those pay scales should be given which are being given to the employees in contiguous State. So there should be different pay scales in different Union Territories and they should be based on the pattern of pay scales in the reighbouring State. In this connection may I know whether Government will consider the issue of releasing all the N. G. Os. arrested in connection with this agitation and whether Government will agree to give them the same pay scales and allowances as are given in Punjab State ?

Shri Vidya Charan Shukla : It is right to say that geographical situation in different Union Territories varies. But it is not proper to ask for different pay scales in different Union Territories on this very basis because the pay scales of the Central Government employees were fixed keeping in view the fact that they have to work at different places in the country where different climatic conditions prevail and that costs of living differ from place to place. So I do not think that it is necessary to give different pay scales to the employees working in different Union territories.

A number of persons arrested in this connection have already been released and we are prepared to have negotiations for settlement with the representatives of the employees. We are also considering the demand of the employees that they should be given pay scales identical to those being given in Punjab.

Shri S. M. Joshi (Poona) Sir, the matter concerning the non-gazetted staff of Himachal Pradesh is very serious. I think the treatment meted out to the staff of Himachal Pradesh is not worth commendable. Since it was decided that the pay scales of Central Government would be given to the employees of Himachal Pradesh, they started an agitation against this decision. The Chief Minister also deceived them. First he assured them that he will arrange for a meeting of representatives of the Joint Action Committee with the Home Minister of Central Government. But he led another deputation. The deputation on behalf of the Joint Action Committee could not meet the Home Minister Shri Y. B. Chavan.

What are the suggestions given by the Chief Minister to the Central Government in this respect ?

Shri Vidya Charan Shukla : First I would like to clarify the position about the deputation of the representatives of the employees of Himachal Pradesh. Their representatives came to us in two delegations. One of them met me and the other had a meeting with Shri Y. B. Chavan. We tried to understand what they wanted to say and to convince them with our view points. Problems can be solved if both the parties adopt an attitude, of give and take based on mutual understanding. It is very difficult to agree on all points or demands of the representatives.

As regards the suggestions of the Chief Minister, he gave two main suggestions. His first suggestion was the employees should be given the pay scales of the Central Government with effect from 1st February, 1968 instead of March, 1970. We are giving sympathetic consideration to it and we will accept it if it will be feasible to do so. The second suggestion given by him was that the employees should be given the central pay scales plus the allowances admissible in Himachal Pradesh. It is very difficult to accept this suggestion

as it will create a chain of difficulties for the Central Government. If it is accepted, the Central Government employees will also demand the same allowances. Not only this but we will have to increase the allowance of Central Government employees working at different places throughout the country.

Shri Ram Krishna Gupta (Hissar) : Will the Minister be pleased to state the steps being taken by the Government to settle these matters and how long it will take to reach the settlement in this respect ?

Shri Vidya Charan Shukla : We have been constantly making efforts for it.

श्री एस० एम० कृष्ण (मंड्या) : हिमाचल प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों के वेतनमानों में वृद्धि का मामला गत तीन वर्षों से अधर में लटका हुआ है । इस सम्बन्ध में 11 मार्च 1970 को एक निर्णय दिया गया, किन्तु उससे कुछ कर्मचारियों को लाभ होने के स्थान पर हानि होगी । ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिन्हें इस निर्णय के परिणाम स्वरूप हानि होगी ? क्या सरकार उन कर्मचारियों को रिहाकर देगी जो गत दो-तीन महीनों में आन्दोलन के सिलसिले में गिरफ्तार किये गये थे, क्या सरकार का कर्मचारियों के विरुद्ध चलाये जा रहे मुकदमे भी वापस लेने का विचार है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य का यह आरोप सही नहीं है कि सरकार ने इस मामले में विलम्ब किया है क्योंकि यह मामला जैसे ही सरकार के सामने आया वैसे ही इस सम्बन्ध में निर्णय कर दिया गया था कि संघ राज्य क्षेत्र के कर्मचारियों को पड़ौसी राज्य या केन्द्रीय सरकार के वेतनमानों में जो कम होगा, वह दिया जायेगा । इसमें संशोधन करते हुए यह निश्चय किया गया कि संघ राज्य क्षेत्र में वे ही वेतन मान दिये जायेंगे जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अन्यत्र दिये जाते हैं ।

जहां तक नई नीति के अनुसार कुछ कर्मचारियों को होने वाली हानि का सम्बन्ध है । सरकार यह आश्वासन दे चुकी है कि ऐसे कर्मचारियों को वेतन पूर्ववत् ही मिलता रहेगा और उनके वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी । ऐसे कर्मचारियों की संख्या मुझे ठीक से मालूम नहीं, किन्तु ऐसे जितने भी कर्मचारी होंगे उन सबको किसी प्रकार से कोई हानि नहीं होगी । जहां तक कर्मचारियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने का सम्बन्ध है, हमारी सहानुभूति उनके साथ है और हम उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए उनके मामले को तय करने का प्रयास कर रहे हैं । जहां तक कर्मचारियों को बिना शर्त के रिहा करने का सम्बन्ध है, स्थिति के सामान्य होने पर इस बात पर विचार किया जायगा ।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : Sir, they are getting the pay scales of Punjab with effect from 1st November, 1966, the date on which some parts of Punjab were merged with Himachal Pradesh, Pay Scales in Punjab were revised after 1st February, 1966, and the services of these employees were transferred from Punjab to Himachal Pradesh with effect from 1st November, 1966 under agreement. The agreement provides that the same pay scales, as are being given to the employees of Punjab will be given to the employees of Himachal Pradesh. The Minister has just stated that their cases are being considered sympathetically. In this context I would like to ask whether government will start negotiations with the Joint Action Committee' the true representative body of the employees. What is the number of employees arrested and number of those released on bail ? May I know the additional amount Government will have to spend if the scale of Punjab is given to these employees w. e. f. 1st February, 1966 and the ratio of the expendi-

ture that the Central Government and Himachal Pradesh Government will have to incur on that account ?

Shri Vidya Charan Shukla : The hon. Member has referred to certain agreements and rules. As I have no information in respect thereof, I am not in a position to say anything about them. As regards the discussion on this matter with Joint Action Committee we have no objection if they want to see us and have discussion in this respect. As regards the arrest and release of the employees, in total 805 persons were arrested and 703 out of them have so far been released on bail. As regards the additional amount, I have no figures with me. But I think there will be an increase of 1.75 crore rupees annually in expenditure. As regrds the ratio of expenditure there is no difference between the expenditure of Himachal Pradesh Government and the Central Government as Union territories are also covered by the Central Budget.

मई दिवस
MAY DAY

विश्व के मजदूरों को मई दिवस पर शुभ कामनायें

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मई दिवस के बारे में सभा में जो उद्‌गार व्यक्त किये गये उनका समर्थन करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। सम्पूर्ण विश्व में मई दिवस का श्रमजीवियों के लिए एक विशेष महत्त्व है। हमने सदा ही इस बात का प्रयास किया है कि हमारे देश में समान सामाजिक व्यवस्था हो। हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक न्याय की घोषणा की गई है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त राज्य को बोधित करते हैं कि वह लोक-कल्याण के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था लाये जिसमें राष्ट्रीय जीवन के सभी संस्थानों को सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रेरित करता रहे।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी सदस्य विश्व के सभी श्रमिकों को शुभकामनाएं भेजने तथा उनके उन शहीदों को जिन्होंने मानवीय स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए और सभी प्रकार के शोषणों को समाप्त करने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया था, श्रद्धांजलि अर्पित करने में मेरा साथ देंगे।

श्री रंगा : (श्री काकुलम) : अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रस्ताव सभा के सामने रखा है, उसे हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि भविष्य में जब भी आप सभा की सर्वस्वीकृति के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लाएं, उसके बारे में सदस्यों से पहले परामर्श कर लिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री रंगा के सुझाव से पूर्णतः सहमत हूँ। भविष्य में ऐसे प्रस्तावों के बारे में प्रतिपक्ष के नेताओं से मैं पहले ही बातचीत किया करूंगा और ऐसे मामले सभा के सामने सर्वसम्मति से लाये जायेंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का वर्ष 1968-69 का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं वर्ष 1968-69 के लिए

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3362/70]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पत्र

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619—क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) भारतीय पर्यटन विकास निगम, नई दिल्ली, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वर्ष 1968-69 के लिये भारतीय पर्यटन विकास निगम, नई दिल्ली, का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 3363/70]

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पत्र

संसदीय कार्य और नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) भारत नौवहन निगम लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1968-69 के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वर्ष 1968-69 के लिये भारत नौवहन निगम लिमिटेड, बम्बई, का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3364/70]

चौथी लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञानों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : मैं निम्नलिखित विवरण, जिनमें चौथी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञानों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शायी गई है, सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) विवरण संख्या 1	दसवां सत्र, 1970
(दो) अनुरूप विवरण संख्या 2 और 3	नवां सत्र, 1969
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 6	आठवां सत्र, 1969
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 16	सातवां सत्र, 1969

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 11 छठा सत्र, 1968
(छः) अनुपूरक विवरण संख्या 18 पांचवां सत्र, 1968
(सात) अनुपूरक विवरण संख्या 24 चौथा सत्र, 1968
(आठ) अनुपूरक विवरण संख्या 18 तीसरा सत्र, 1967
(नौ) अनुपूरक विवरण संख्या 26 दूसरा सत्र, 1967

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3365/70]

मैं वर्ष 1966-67 के लिये केन्द्रीय सरकार के वित्त लेखे (हिन्दी संस्करण) की एक-प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 3366/70]

विधेयक पर अनुमति
ASSENT TO BILL

सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा अनुमति प्राप्त पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1970 सभा-पटल पर रखता हूँ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) : श्रीमान् आपकी अनुमति से, मैं यह घोषणा करता हूँ कि सोमवार, 4 मई 1970 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जायेगा :

(1) आगे विचार तथा पास करना :—वित्त विधेयक, 1970, पेट्रोलियम (संशोधन) विधेयक, 1969,

(2) विचार तथा पास करना :—भारत की आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1969 वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) 1969, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में। पूर्वोत्तर परिषद विधेयक, 1969।

(3) मद्य-निषेध सम्बन्धी अध्ययन-दल के प्रतिवेदन पर चर्चा, जिसका प्रस्ताव श्री प्रकाश-वीर शास्त्री द्वारा गुरुवार, 7 मई 1970 को 5 बजे म० प० पर पेश किया जायेगा।

Shri Rabi Ray (Puri) : May I know the time by which the Government is bringing forward a Constitutional (Amendment) Bill in this Session for abolishing the privy purses of the ex-rulers, The hon. Prime Minister and hon Home Minister have already assured the House that the said Bill will be introduced in the current session. No mention of this bill has been made in the programme drawn up for the next week.

Discussion on the reprt of the Council of Scientific and Industrial Research should be held in the House. Reports of the Scheduled Castes and Schduled Tribes Commissioner should also be discussed.

Time should also be found for holding discussion on the draft Fourth Five Year Plan.

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : The Government has fixed the price of sugar cane at Rs.7.37 per quintal but the crushers are purching it from the farmers at the rate of 2 rupees per quintal. Similarly the prices of Gur have fallen down. The farmers are being exploited. The farmers have been ruined. I request you to allot some time for holding discussion on this subject.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I agree with the hon. Members and request that discussion on this matter should be held during the current session.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आपको याद होगा कि माननीय गृह-मंत्री ने इस सभा में आश्वासन दिया था कि भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलिया समाप्त करने सम्बन्धी विधेयक को इसी सत्र में पेश किया जायेगा। परन्तु ऐसा करने के लिए समय नहीं है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या उक्त विधेयक को लाने का सरकार का कोई इरादा है। माननीय प्रधान मन्त्री ने राज्य सभा में यह घोषणा की थी कि वेतन आयोग में श्रमिकों के प्रतिनिधि को शामिल किया जायेगा। परन्तु इस सभा में इस बारे में कोई घोषणा नहीं की गई है।

मैं आपके माध्यम से उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस प्रकार की घोषणा इस सभा में भी करें। मेरा निवेदन है कि आप प्रधानमन्त्री अथवा वैदेशिक कार्य मंत्री से कम्बोडिया या अमरीकी आक्रमण के बारे में वक्तव्य देने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव को सोमवार के लिए गृहीत कर लिया गया है।

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : I have received three or four telegrams to the effect that several persons have died in Darbhanga, Saharsa and Purnee districts due to heavy storm. Thirty five persons have died in Saharsa district only. Immediats relief should be provided to the persons of those areas from the Prime Ministers Relief Fund.

I want to know wheather a Bill for abolishing the Legislative Councils of Bihar and Uttar Pradesh will be brought forward or not as the Legisltive Assemblies of both the States have already passed resolutions to this effect. 175 crores of rupees have been kept separate for the development of backward areas. I would like to know as to how much money out of the said amount will be spent for the development and removal of backwardness of the North Bihar.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : I want to know whether discussion on all the motions which have been admitted under rule 193 will be held next week or not ?

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : New famine conditions are prevailing in Darbhanga and Saharsa districts of Bihar and in Rajasthan State. Time should be found out for having a discussion on this matter.

Discussion should also be held to find out ways and means for providing employment to unemployed engineers. They are resorting to agitations in several parts of the country.

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : मैं जानना चाहता हूँ कि देश में नक्सलवरदियों की बढ़ रही गतिविधियों पर विशेषकर बंगाल में जहा पर प्रशासन बिल्कुल भंग हो गया है, चर्चा के लिए नियम 193 के अन्तर्गत हमने जो सूचना दे रखी है उसकी स्थिति क्या है ?

श्री श्रीचन्द गोयल : (चण्डीगढ़) : शुरू में यह निर्णय किया गया था कि वित्त सम्बन्धी कार्य

के समाप्त होने के तुरन्त बाद सभी प्रस्तावों पर चर्चा की जायेगी। मेरा निवेदन है कि उनमें से कुछ प्रस्तावों पर अवश्य चर्चा की जानी चाहिए।

लोक सेवा आयोग तथा सरकार की औद्योगिक नीति सम्बन्धी प्रतिवेदन यहां पर आये पड़े हैं परन्तु समय के अभाव के कारण उन पर चर्चा नहीं की जा सकी। इनको भी कार्यसूची में शामिल किया जाना चाहिए।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : देश में बढ़ रही नक्सलवादियों की गतिविधियों पर चर्चा की जानी चाहिए। दूसरे सरकार का विचार बिहार तथा उत्तर प्रदेश में विधान परिषदों के उत्सादन के लिए यहां पर कब तक विधेयक प्रस्तुत करने का है?

श्री रा० की० अमीन (ढ़ंढ़का) : लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति की जांच समिति तथा दत्त समिति के प्रतिवेदन प्रकाशित हो चुके हैं परन्तु संसद में उन पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। संसद को विश्वास में लिए बिना ही नीति का पालन किया जा रहा है। संसद का विचार जानने का यह अवसर है तथा इसके बाद ही नीति को क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : देश की विदेश नीति के बारे में सरकार की यह प्रथा रही है कि वह एशियाई देशों द्वारा प्रारम्भ की गई कार्यवाही का स्वागत करती रही है। परन्तु कम्बोडिया के मामले पर सरकार इस ऐशियाई देशों के परामर्श से लाभ नहीं उठा रही है और बड़ी शक्तियों के दबाव में आ रही है। मेरा निवेदन है कि इस बारे में संसद को विश्वास में लिया जाना चाहिए। सरकार स्थापित प्रथा का उलंघन कर रही है।

Shri Nawal Kishore Sharma (Dausa) : I support the demand of Shri Shastri that a discussion should be held on the famine condition of the country. Rajasthan is passing through a very hard time.

संसद कार्य, नौवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियों के बारे में गृह-कार्य मंत्री पहले ही वक्तव्य दे चुके हैं। वित्त विधेयक पर अगले सप्ताह लगभग सात घंटे तक चर्चा की जायेगी इसके पश्चात ही किसी अन्य मामले पर चर्चा हो सकती है। कई महत्व-पूर्ण मामलों पर चर्चा की जाती है परन्तु उपलब्ध समय के अनुसार ही उन पर चर्चा करना सम्भव होगा।

Shri Ram Sewak Yadav : Discussion on the question of prevailing conditions in regard to sugar cane should be held.

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्य मंत्रणा समिति में उन पर चर्चा करूंगा और समय निकालने का प्रयास करूंगा।

Shri Sheo Narain (Basti) : No mention has been made in regard to bring forward a Bill for abolishing the Legislative councils of U. P. and Bihar.

अध्यक्ष महोदय : भविष्य में जब ऐसे प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जायें तो माननीय सदस्यों को अपने विचार अपने नेताओं को बता देने चाहिए ताकि नियमित रूप से वाद-विवाद न हो।

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : बिहार विधान परिषद की समाप्ति के बारे में एक अथवा दो दिन पूर्व बिहार सरकार से पत्र प्राप्त हुआ है और मामला सरकार के विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश में के बारे हमने यह समाचार केवल समाचार पत्रों में ही पढ़ा है।

इसके पश्चात लोकसभा मध्यान्ह भोजन के लिए दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the clock for lunch.

मध्यान्ह भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर चार मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER IN THR CHAIR]

नियम 377 के अन्तर्गत मामला
Matter under Rule 377.

अध्यक्ष महोदय : इससे पूर्व कि हम वित्त विधेयक पर चर्चा आरम्भ करें मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे श्री दाण्डेकर से एक पत्र मिला है जिसमें उन्होंने नियम 377 के अन्तर्गत कुछ बातें उठाने को कहा है। श्री दाण्डेकर अपनी बात कह सकते हैं।

श्री नारायण दाण्डेकर (जामनगर) : मैं अपने मामले को नियम 377 के अन्तर्गत उठा रहा हूँ हालांकि मैं इस मामले को व्यवस्था के प्रश्न के रूप में भी उठा सकता था परन्तु जब कि कोई मन्त्री बोल रहा है तो मैं उसमें बाधा डालना उचित नहीं समझता।

संविधान की धारा 110 (1) में धन विधेयक की जो परिभाषा की गई है उससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि धन विधेयक में केवल ऐसे उपबन्ध शामिल किये जा सकते हैं जिनका सम्बन्ध केवल कर के आरोपण, उत्पादन, परिहार, बदलने अथवा विनियमन और इसके किसी अनुषंगिक विषय से हो। परन्तु इसके विपरीत वित्त विधेयक में, जो एक धन-विधेयक है, आय-कर अधिनियम, धनकर अधिनियम, उपहार-कर अधिनियम तथा समवाय लाभ अधिकार अधिनियम में ऐसे मौलिक संशोधन करने के प्रस्ताव शामिल किये गये हैं जिनका कर के आरोपण, उत्सादन, परिहार, बदलने अथवा विनियमन और इसके किसी अनुषंगिक विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। इन्हें इस विधेयक में शामिल करने की बजाए अलग से सम्बन्धित विधेयक में शामिल किया जाना चाहिये था।

खण्ड 3 के उप-खण्ड (क) का उद्देश्य आयकर अधिनियम की धारा 2 के खण्ड 14 में जिसमें पूंजीगत आस्ति की परिभाषा की गई है, संशोधन करना है। इसका सम्बन्ध आयकर अधिनियम के एक मौलिक उपबन्ध के संशोधन से है जिसके द्वारा पूंजीगत आस्ति की परिभाषा में आमूल परिवर्तन किया जा रहा है। इसी प्रकार खण्ड 3 के उप-खण्ड (ख) का सम्बन्ध आयकर विभाग के संगठन में किये जा रहे परिवर्तनों से है। इसका उद्देश्य आयकर अधिनियम की धारा 2 के खण्ड 16 में, जिसमें "आयुक्त" शब्द की परिभाषा की गई है, संशोधन करने का है। इसके अतिरिक्त आयुक्तों को शामिल करने तथा उनके क्षेत्राधिकारों की परिभाषा करने की व्यवस्था की जा रही है तथा प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उनके क्षेत्राधिकारों की परिभाषा करने के लिये शक्तियां दी जा रही हैं।

खण्ड 4 के उप-खण्ड (क) का उद्देश्य आयकर अधिनियम की धारा 10 में 1 अप्रैल, 1962 से एक नये खण्ड 20 (क) को रखना है। यह भी आयकर अधिनियम का एक मौलिक संशोधन है।

इसी प्रकार उप-खण्ड (ख) का उद्देश्य आयकर अधिनियम की धारा 10 में एक नये खण्ड (22 क) को शामिल करने का है जिससे कुछ परिस्थितियों में अस्पतालों की आय पर कर नहीं लगेगा। इन खण्डों के गुण दोषों में न जाकर मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि ये आय कर अधिनियम के मौलिक संशोधन हैं जिन्हें वित्त विधेयक में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था।

खण्ड 5 और 6 द्वारा पूर्त न्यासों पर कराधान से सम्बन्धित विधि में भारी परिवर्तन करना है। इन परिवर्तनों का पूर्त न्यासों की परिभाषाओं पर प्रभाव पड़ेगा। इन खण्डों का सम्बन्ध भी आय कर अधिनियम के मौलिक उपबन्धों में स्थायी रूप से संशोधन करने से है। अत: इन्हें भी वित्त विधेयक में शामिल नहीं किया जाना चाहिये था। इसी प्रकार खण्ड 7 का, जिसका उद्देश्य वेतन-भोगी व्यक्तियों के मामले में मोटर-कार भत्ते के बारे में एक नया खण्ड रखना है, खण्ड 8 का, जिसका उद्देश्य निर्यात बाजार विकास भत्ता देने के बारे में आयकर अधिनियम की धारा 35 ख में 1 अप्रैल, 1968 में संशोधन करना है, खण्ड 9 का, जिसका उद्देश्य अधिकार अधिनियम की धारा 36 (1) (iii) की 1966 से व्याख्या करना है, खण्ड 10 के उप-खण्ड (ख) और (ग) का, जिनका उद्देश्य आयकर अधिनियम के बुनियादी उपबन्धों में संशोधन करना है; खण्ड 13 का, जिसका उद्देश्य खण्ड 4 द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 10 में एक नये खण्ड (22 क) के रखे जाने के फलस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 806 (5) (i) में संशोधन करना हैं; खण्ड 16 का, खण्ड 17 का, जिसका उद्देश्य अतिरिक्त आयकर आयुक्तों को आयकर अधिकारियों की श्रेणियों में शामिल करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 116 (ग) के स्थान पर एक नया खण्ड रखना है, खण्ड 18 का, खण्ड 19 का, खण्ड 20 का, जिसका उद्देश्य पूर्त अथवा धार्मिक न्यास के न्यासधारियों द्वारा आय का विवरण प्रस्तुत करने की व्यवस्था करने के लिए धारा 139 में एक नया खण्ड (4 क) रखना है; 21 का, जिसका उद्देश्य कुछ मामलों में कराधान के आधार में आमूल परिवर्तन करना है; खण्ड 26 के उप-खण्ड (ङ) का, जिसका उद्देश्य विवेकाधीन न्यासों के कर-निर्धारण से सम्बन्धित धन कर अधिनियम की धारा 21 में एक नयी उप-धारा (4) को रखना है; खण्ड 27 के उप-खण्ड (ख) का, जिसका उद्देश्य नये कर अधिकारी शामिल कर के आयकर विभाग के संगठन में परिवर्तन करने का है और खण्ड 39 का जो समवाय लाभ अधिकार से सम्बन्धित है, न ही कराधान और न ही कराधान में अनुषंगिक परिवर्तनों से कोई सम्बन्ध है और मैंने जो कुछ कहा है वह कोई नयी बात नहीं है।

1956 में लोक सभा के तत्कालीन अध्यक्ष ने एक ऐसे ही मामले पर लोक-सभा वाद-विवाद भाग 2 के खण्ड 10 में कालम 2105 में अपना यह विचार व्यक्त किया था :

"मैं माननीय वित्त मन्त्री से ही नहीं बल्कि उनके बाद बनने वाले वित्त मन्त्रियों से भी यह सुनिश्चित करने के लिए आग्रह पूर्ण अनुरोध करूंगा कि उन्हें केवल उन्हीं उपबन्धों को, जिनका कराधान से सम्बन्ध हो विधेयक में शामिल करना चाहिये। प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिये और अन्य उपबन्धों की ओर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये जब तक कि वे नितांत रूप से अनुषंगिक हों। यदि हमें आयकर अधिनियम में अथवा किसी मौलिक अधिनियम में संशोधन करना हो तो इसके लिये हमें अलग से विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये ताकि सभा को उन पर विचार करने के लिये पर्याप्त समय मिल सके।"

वर्ष 1969 में भी वित्त विधेयक से ऐसे कई उपबन्धों को निकाल लिया गया था और उनको कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक, 1969 में शामिल किया गया था। यह विधेयक अब एक प्रवर

समिति के विचाराधीन है। यह एक अच्छी बात है क्योंकि इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए सभा को पर्याप्त समय मिल सकेगा ।

अतः ये उपबन्ध, जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है, वित्त विधेयक से मेल नहीं खाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक पहले ही एक प्रकार समिति के विचाराधीन है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि इन उपबन्धों को भी एक कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक में शामिल कर उसे एक प्रवर समिति को क्यों न निर्दिष्ट किया जाये जो इन के सभी पहलुओं पर अच्छी तरह से सोच विचार कर अपनी शिफारिशें करे।

एक और भी बात है। धन विधेयकों के सम्बन्ध में दूसरे सदन की शक्तियां सीमिति हैं जबकि अन्य विधेयकों के सम्बन्ध में दोनों सदनों के अधिकार समान हैं। वित्त विधेयकों में ऐसे उपबन्धों को शामिल कर के सरकार न केवल इस सभा के सदस्यों को परन्तु दूसरे सदन को भी उनके अधिकारों से वंचित करती है जोकि कोई अच्छी बात नहीं है।

यह एक वित्त विधेयक है और इसे रद्दी की टोकरी में तो नहीं फेंका जा सकता है किन्तु इतना जरूर किया जा सकता है कि इसमें जो दोष हैं उन्हें दूर कर दिया जाए। इसके लिए यह आवश्यक है कि उन उपबन्धों को, जिनका मैंने उल्लेख किया है, इस विधेयक से निकाल कर एक अलग विधेयक में शामिल किया जाये और उस विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाये ताकि इन उपबन्धों पर पर्याप्त रूप से विचार किया जा सके। यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो वर्तमान रूप में इस विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित नहीं किया जा सकेगा।

अतः मेरा अनुरोध है कि इस विधेयक को बचाने के लिये गत वर्ष की तरह एक कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक लाया जाना चाहिये जिसमें वे सभी प्रस्ताव शामिल किये जांये जिनके बारे में मैंने आपत्ति की है।

श्री निवास मिश्र : (कटक) संविधान के अनुच्छेद 110 में केवल यह उल्लिखित है कि एक विधेयक कुछ परिस्थितियों में धन विधेयक होगा। हमारे नियमों अथवा संविधान में उन प्रस्तावों विशेष का कोई उल्लेख नहीं है जिन्हें धन विधेयक में शामिल किया जा सकता है। अतः यह तो केवल अध्यक्ष महोदय को निर्णय करना होता है कि क्या संविधान में उपबन्धों के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं।

यदि करों को विनियमित करने के लिये किन्ही मामलों की अथवा अधिकारियों की शक्तियों की परिभाषा करना आवश्यक हो, तो ऐसे संशोधनों को संविधान के अनुच्छेद 110 के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि इन परिभाषाओं के न होने से करों का विनियमन ही नहीं हो सकेगा। अतः ऐसे मामले कराधान आदि से सम्बन्धित अनुषंगिक विषयों के अन्तर्गत आते हैं और इन्हें धन विधेयक में शामिल किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिये। अतः इस विधेयक के सम्बन्ध में जो मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं वह श्री दांडेकर द्वारा उठाये गये प्रश्न से भिन्न है।

सबसे पहले मैं आपका ध्यान नियम संख्या 70 की ओर दिलाना चाहता हूं :

"जिस विधेयक में विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये स्थापनाएं अन्तर्ग्रस्त हों उसके साथ अग्रेतर एक ज्ञापन होगा जिसमें ऐसी प्रस्थापनाओं की व्यवस्था होगी और उनकी व्याप्ति की

ओर ध्यान दिलाया जायेगा तथा यह भी बताया जायेगा कि वे सामान्य रूप की है या अपवाद-स्वरूप।"

वित्त विधेयक में केन्द्रीय सरकार को कुछ विधायिनी शक्ति का प्रत्योजन किया जा रहा है, जो एक सामान्य बात न हो कर एक बहुत ही गम्भीर ओर मनमानी बात है। जैसे खण्ड 3 का उद्देश्य पूंजीगत आस्ति में कृषि भूमि को शामिल करना है और कृषि, भूमि से वही कृषि भूमि अभिप्रेत है जिसे आम लोग जानते हैं। सरकार को यह शक्ति दी जा रही है कि वह कुछ क्षेत्रों और उन क्षेत्रों से 8 किलोमीटर तक के क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित कर उसे पूंजीगत आस्ति में शामिल कर इस पर कर लगा सकेगी। यह कोई सामान्य प्रत्यायोजन नहीं है जैसाकि प्रत्यायोजन के ज्ञापन में दावा किया गया है। कृषि भूमि पर कराधान की मद राज्य सूची में है, अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों के क्षेत्राधिकारों में हस्तक्षेप करना आपत्तिजनक है।

मेरी दूसरी आपत्ति खण्ड 23 पर है। इसमें भविष्य में कोई योजना तैयार करने का उपबन्ध किया जा रहा है जिसके बारे में इस सभा को कोई जानकारी नहीं है। शक्ति का यह प्रत्यायोजन भी सामान्य नहीं हैं क्योंकि इस सरकार को मनमानी शक्ति मिल जाती है।

खण्ड 29 के अन्तर्गत विशेष प्रशुल्क लगाने की शक्ति का प्रत्यायोजन किया जा रहा है किन्तु इस खण्ड का प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह भी सामान्य प्रत्यायोजन नहीं है, क्योंकि प्रशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को प्रशुल्क में परिवर्तन करने की शक्ति का पहले ही प्रत्यायोजन कर दिया गया है। अब विशेष प्रशुल्क लगाने की शक्ति का प्रत्यायोजन करना कोई सामान्य बात नहीं है।

खण्ड 30 और 34 में सरकार को नियमनकारी प्रशुल्क लगाने की शक्ति दी जा रही है जो कि एक असामान्य और आपत्तिजनक बात है।

खण्ड 29 के अन्तर्गत विधेयक को पुरःस्थापित होने के बाद तुरन्त 24 बजे इस खण्ड को लागू करने की जो शक्ति सरकार को दी जा रही है वह शक्ति का निर्बाध प्रत्यायोजन है। यह अवांछनीय नहीं है।

स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : मैं वित्त मंत्री महोदय का ध्यान वित्त विधेयक के पृष्ठ 72 की ओर दिलाऊंगा। कानून के अनुसार लिमिटेड कम्पनी और व्यक्तियों का अलग-अलग अस्तित्व है। मेरा आरोप यह है कि खंड 26 असंवैधानिक है तथा इस पर विचार नहीं किया जा सकता है।

श्री विक्रम चन्द्र महाजन (चम्बा) : मेरे मित्र श्री दांडेकर ने संविधान के गलत अनुच्छेद का उल्लेख दिया है। जहां तक वित्त विधेयकों का सम्बन्ध है; वे संविधान के अनुच्छेद 117 के अन्तर्गत आते हैं।

मेरा यह कहना है कि वित्त विधेयक के अन्तर्गत करों को नियमित करना होता है और इसके लिये अधिकारी रखे जाते हैं, संविधान में ऐसा कहा गया है और सभा ने कानून बनाये हैं। तथा सदस्यों को सामान्य प्रशासन से संम्बन्धित मामलों पर वाद-विवाद करने का अधिकार दिया हुआ है, अतएव यह विधेयक ठीक है।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कुछ सदस्यों को इस पर आपत्तियां उठाने की अनुमति दी थी, हमें इसको दूसरे वाद विवाद का रूप नहीं देना चाहिए। हमें यह आशा करनी चाहिए कि सरकार माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये आपत्तियों का उत्तर देगी, परन्तु यदि सभी सदस्य उठकर बोलने लगेंगे तो यह वाद-विवाद का रूप धारण कर लेगा; व्यवस्था के प्रश्न को आड़ में अनेक बातें उठाई जाती है।

श्री पीलु मोदी (गोधरा) : आप कृपय श्री शान्ति लाल शाह को सुनिए।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : यदि कोई सदस्य व्यस्था के प्रश्न पर अपने विचार रखना चाहता है तो यह सुसंगत ही है और अध्यक्ष को इसके लिए अनुमति देनी चाहिये। आप तो केवल भाषण ही कर रहे हैं।

लोबो प्रभु : मैं दो विस्तृत संवैधानिक बात उठा रहा हूं, पहला कृषि भूमि पर कर लगाने के बारे में हैं, यह विषय राज्यों का है। यद्यपि गतवर्ष इस वित्त विधेयक में सम्पत्ति करके उद्देश्यों के लिये कृषि भूमि को शामिल किया गया था। राज्य सरकारों ने इस भूल की ओर सरकार का ध्यान दिलाया था। मैं चाहता हूं कि कृषि आयकर के बारे में इस भूल की पुनरावृत्ति न हो।

दूसरा आप दो प्रकार की कृषि भूमि में भेद किस प्रकार कर सकते हैं ? क्या कृषि भूमि शहरी क्षेत्र में जाने से अपना स्वरूप बदल लेती है अतएव यह सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं आता है।

इसमें एक कमी तब उठती है जब सम्पत्ति तथा आय-कर आय से अधिक हो जाती है, इसका दूसरा अर्थ सम्पत्ति पर कर लगाना है, जो कि संविधान का उल्लंघन है, इसलिए यह विधेयक असंवैधानिक है।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I have also objection against this bill It includes definitions of Commissioner, Charitable trust etc. which do not come in the Constitution so it is not a Finance Bill. The statement of objects and reasons is not complete and hence it is abstract. The Advocate General had stated that the Central Government can take action on those items which are not in List 1 and List 3. So the Government can interfere in the matter of lands whether it belongs to State Government or not.

श्री शान्ति लाल शाह (बम्बई उत्तर-पश्चिम) : इस विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान है जिसके कारण इसको धन विधेयक नहीं कहा जा सकता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा की गई है, यह कोई भी कर का आरोपण, सामाप्ति, छूट, परिवर्तन अथवा नियमन का उल्लेख करता है क्या आयुक्त की नियुक्ति का इन मदों से कोई सम्बन्ध है, एक अन्य उदाहरण लीजिए यहां ऐसे प्रावधान हैं जिसके द्वारा धर्मार्थ न्यासों द्वारा आय के संग्रह पर पाबन्दी लगायी जाती है, वित्त विधेयक के प्रावधानों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन के पृष्ठ 9 में कहा गया है कि धर्मार्थ न्यास के धन द्वारा उद्योग तथा व्यापार पर नियंत्रण रखने की बुराई को दूर करने के लिए यह संशोधन लाया जा रहा है, क्या इसका धन विधेयक से कोई सम्बन्ध है यदि धर्मार्थ धन पर नियंत्रण रखना है तो यह कार्य सार्वजनिक न्यास नियमन अधिनियम द्वारा किया जा सकता है जैसा कि

बम्बई, गुजरात, महाराष्ट्र में है, क्या कराधान कार्यवाही का यह कार्य है कि वह धर्मार्थ न्यास के धन के निवेश का नियमन करे, माना कि प्रावधान में उल्लेख है कि न्यास धन का निवेश विशिष्ट तरीके से किया जाये तो क्या इसका तात्पर्य कर के आरोपण, समाप्ति, छूट, परिवर्तन तथा नियमन से है। यह बार-बार कहा गया है कि इसका उद्देश्य औद्योगिक तथा व्यापार गृहों में इसके निवेश पर रोक लगाना है। क्या धन विधेयक का उद्देश्य यह है? निश्चय ही ऐसा नहीं हैं। यदि यह धन विधेयक है तो इसको राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता है और यदि यह राज्य सभा को जाता है तो वे केवल इस पर अपनी सिफारिश दे सकते है न कि इसमें संशोधन ला सकते हैं। यदि यह गैर धन विधेयक है तो राज्य सभा को इसके संशोधन करने का अधिकार हैं और हमें इस पर विचार करना पड़ेगा, यदि यह धन विधेयक नहीं है तो राज्य सभा में कोई भी इस पर संशोधन दे सकता है परन्तु सिफारिश नहीं दे सकता है, मैं नहीं जानता कि राज्य सभा पीठासीन अधिकारी क्या करेगा, यदि संशोधन पारित हो जाता है तब क्या होगा? मैं नहीं सोचता कि इन सभी परिणामों पर गंभीरता से विचार किया गया है। श्री मोरार जी देसाई ने पिछली बार यही कहा था और श्री दांडेकर ने उसका उल्लेख किया था, उन्होंने यह कहा था कि भविष्य में वित्त विधेयक में ऐसे प्रावधान नहीं रखें जाएंगे और उसमें केवल कराधान प्रस्ताव होंगे।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : कराधान नियम संशोधन विधेयक में कृषि भूमि से सम्बन्धित एक प्रावधान है, इन सभी खंडों पर एक साथ विचार किया जा रहा है। हम इस प्रकार किस तरह से विधान बना सकते हैं, इन सब का परिणाम यह होगा कि एक ऐसा बच्चा उत्पन्न होगा जो न इंसान है और न जानवर, आय-कर अधिनियम में परिवर्तन करने का प्रावधान इस विधेयक से निकाल देना चाहिए और सभा में संशोधन के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूँ कि सरकार इस प्रकार के प्रक्रिया के लिए तथा कानून में मौलिक परिवर्तन लाने के लिए वित्त विधेयक का प्रयोग न करने के लिए वचनबद्ध है।

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : मुझे प्रसन्नता है कि श्री दांडेकर ने 1956 में हुई लोक सभा के कार्यवाही का अंश सुनाया है पर एक बात वह बताना भूल गये हैं, उस समय अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय दिया था कि वित्त मंत्री अथवा उसका मंत्रालय इस कार्य में स्वविवेक के अधिकार का उपयोग करेगा, एक अन्य महत्वपूर्ण वाक्य में उन्होंने कहा कि यह इतना वैधता का प्रश्न नहीं है जितना कि औचित्य का है। अतएव उस समय अध्यक्ष महोदय वित्त मंत्री का ध्यान औचित्य के प्रश्न की ओर दिलाना चाहते थे।

यह स्वीकार किया गया है कि इस सभा की यह विधायी प्रथा है कि वित्त विधेयक में ऐसे उपबंध हों जिससे वित्त मंत्री और सरकार आगामी वर्ष में करों को वसूल कर सकें।

श्री शान्तिलाल शाह और श्री दांडेकर के वक्तव्यों से पता चलता है कि स्वाधीन न्यासों पर कर लगाना बहुत ही आपत्तिजनक है, यह बजट प्रस्तावों में सबसे अधिक स्वागत योग्य है और देश में इसका अधिक समर्थन हुआ है। मेरा यह कहना है कि यदि प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री चाहते हैं कि इस प्रकार की कर की चोरी रुके तो स्वाभवतः विधेयक में इस प्रकार की बातें कहीं जायेंगी, कृषि आय और कृषि सम्पति कर की संवैधानिकता का भी उल्लेख किया गया है, मैं नहीं जानता कि इस पर आक्षेप किस प्रकार उठाया जा रहा है।

गत वर्ष सभा के अनुरोध पर महान्यायवादी ने यहां आकर कृषि सम्पत्ति पर कर की वैधता के बारे में वक्तव्य दिया था, संविधान के अनुच्छेद 366 में कृषि आय की परिभाषा यह दी हुई है कि उसका वही अर्थ होगा जो आय-कर अधिनियम में है।

मैं इस मामले में सभा का ध्यान कुछ पिछले बजट की ओर दिलाऊंगा, ऐसा पहले भी हुआ है परन्तु श्री दांडेकर चाहते हैं कि अब से नई प्रथा आरम्भ हो। सरलीकरन, युक्त-संगत बनाना, कर प्रोत्साहन, करापवंचन पर नियंत्रण, वसूली की सुविधा आदि सब प्रावधान वित्त विधेयक के प्रावधानों से सम्बन्धित और प्रासंगिक हैं। मैं कुछ उन प्रावधनों को पढ़कर सुनाऊंगा जो कि गत वर्षों के वित्त विधेयकों में निहित थै। गत वर्षों के वित्त विधेयकों में आय-कर अधिनियम के सरलीकरण और युक्तिसंगत, आयकर और अधिकार का विलय, कर योग्य आय की गणना में सीधी कटौती की व्यवस्था करके औसत दर पर छूट राहत की गणना समाप्त करने, बैंक की आय का पूर्णांकन करके कम्पनियों के कराधान के प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाकर, विकासीय छूट में विविधता लाने, निर्यात मंडी विकास भत्ता देने, कृषि विकास भत्ता देने, कर से छूट का विस्तार, चाय उद्योग के लिए विकासीय भत्ता, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कर-छूट द्वारा प्रोत्साहन आदि कई प्रावधान दिए गए हैं, सभा को मालूम होगा कि अनिवार्य जमा, वार्षिकी जमा आदि प्रावधान वित्त विधेयक में दिए गये थे, गत वर्ष उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने सभा में कृषि संपति पर कर की व्यवस्था संम्बन्धी प्रस्ताव पुरःस्थापित किया था। यदि श्री दांडेकर की बात मान ली जाती है तो वित्त विधेयक में आय-कर अधिनियम, उपहार कर अधिनियम और सम्पत्ति कर अधिनियम के अनुसूचियों में ही संशोधन करने की व्यवस्था होगी। पर हम संसदीय प्रथा का पालन कर रहे हैं जिसके अन्तर्गत वित्त विधेयक में वे सभी सम्बन्धित बातें होगी जिनका उल्लेख अभी किया गया है। यह औचित्य का मामला है। यह सच है कि प्रवर समिति में कराधान संशोधन विधेयक पर विचार किया जा रहा है, इस विधेयक में तो केवल आय कर, सम्पत्ति कर, उपहार कर आदि की वसूली के बारे में प्रावधान हैं।

यह कोई स्थायी संशोधन नहीं है अपितु केवल इसी वर्ष का संशोधन है, उदाहरण के तौर पर उपहार कर में 10,000 रुपये की छूट को कम करके 5,000 रुपये कर दिया गया है। यदि इसमें अगली बार संशोधन नहीं किया गया तो यह स्थायी संशोधन माना जायेगा। अतएव कराधान के स्थायी कार्यवाही और प्रावधानों में भिन्नता में कोई कठोर नियम नहीं हैं। करों की वसूली के लिए वित्त मंत्री का यह कर्त्तव्य है कि वह उतने प्रावधानों की व्यवस्था कर सकता है जिससे कि सरकार करों की वसूली में समर्थ बन सके, यदि मैं यह कहूँ कि यह प्रथा यहां कई वर्षों से चलती आ रही है तो यह कहना आपेक्षित नहीं है कि यह गलत प्रथा है प्रधान मंत्री के नाम जो प्रस्ताव आया हुआ है वह विधेयक पर विचार करने के बारे में है और सामान्य सिद्धान्तों पर चर्चा विचार करने के दौरान में होगी और इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि क्या इसका उद्देश्य इस वर्ष कर वसूल करना है अथवा देश में विद्यमान सविधि में परिवर्तन लाना है। यदि ऐसा कोई प्रावधान होगा जो कर वसूली के हित में न होकर देश के संविधि कानून की स्थायी तौर पर संशोधन करने के बारे में है तो इस पर बाद में विचार किया जायेगा। स्वतंत्र सार्वजनिक न्यासों पर कर लगाने के बारे में जो आक्षेप उठाये गये है वे राजनीतिक कारणों से प्रेरित हैं, इस सभा में जो गत कई वर्षों से करते आ रहे हैं, वे उचित हैं। यदि कोई अचानक ही यह कहे कि यह गलत प्रथा है और हमें इसे बदलना चाहिए तो मैं नहीं सोचता कि आप इसे स्वीकार करेंगे,

मेरा यह कहना है कि यदि आप गत कई वर्षों के वित्त विधेयकों को देखें तो यह पायेंगे कि इन आपत्तियों में कोई सार नहीं हैं ।

श्री नारायण दांडेकर : मेरा अनुरोध है कि मुझे संक्षिप्त में अपनी बात कहने दिया जाये क्योंकि वित्त मंत्री ने जान-बूझ कर मेरी बात पर सभा को गुमराह किया है, मैं इससे बोलने का अपना अधिकार नहीं मांग रहा हूं अपितु मूझे आपका हस्तक्षेप चाहिए ।

श्री पीलु मोदी : मंत्री महोदय ने उन मधुर भाषण करने वालों की उपेक्षा की है जो अपनी बात संवैधानिक तरीके से रखना चाहते हैं आप उन्हें एक बार फिर अवसर दें जिससे वे मंत्री महोदय द्वारा कही गयी बात को ठीक कर सकें, आप श्री दांडेकर को बोलने का अवसर दीजिए ।

श्री नारायण दांडेकर : उन्होंने कहा है कि मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया है । मेरा कहना है कि यह केवल औचित्य का प्रश्न नहीं है अपितु यह एक महत्वपूर्ण वैधानिक मामला भी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब कार्यवही वृत्तान्त में शामिल किया गया है । यदि मैं श्री दांडेकर को ठीक समझा हूं तो उनका कहना है कि वित्त विधेयक में रखे जाने वाले कुछ प्रावधान कुछ अधिनियमों के मूलभूत ढांचे को प्रभावित करेंगे । उनका यह भी कहना है कि कराधान विधि विधेयक में परिवर्तन के प्रस्ताव प्रवर समिति के समक्ष हैं, सरकार का विचार है कि ये तो केवल प्रासंगिक हैं। मैं इस बात का निर्णय सभा पर छोड़ता हूँ । श्री श्रीनिवास मिश्र ने जो यह बात उठायी है कि विधेयक प्रत्यायोजित विधान के क्षेत्र का उल्लंघन करता है, वह भी सभा के विचाराधीन है ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : (कटक) आप कृपया खंड 29 देखिए, प्रत्यायोजित विधान के ज्ञापन में यह होना चाहिए कि अधिकार का प्रत्यायोजन किया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से पूछूंगा कि क्या खंड 29 में कोई प्रत्यायोजित विधान के बारे में दिया हुआ है और क्या अब इसका उल्लेख ज्ञापन में भी किया गया है ।

श्री गोविन्द मेनन : ऐसा कोई अधिकार का प्रत्यायोजन नहीं है ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : आप कृपया हमें देंखे ।

अध्यक्ष महोदय : यह वाद-विवाद का विषय है । श्री शान्तिलाल शाह ने जो बात उठायी है वह संविधान की व्याख्या के बारे में है । पीठासीन अधिकारी यह कैसे कह सकता है कि यह संवैधानिक है या असंवैधानिक ।

वित्त विधेयक
FINANCE BILL

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : महोदय ! मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1970-71 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय उपस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

विधेयक में निहित उपस्थापनाओं की मुख्य बातों की मैंने अपने बजट भाषण में रूपरेखा तैयार की थी । विधेयक में की गयी विशिष्ट व्यस्थाओं के ब्यौरे को व्याख्यात्मक ज्ञापन में सम्मिलित

किया गया है तथा उसे माननीय सदस्यों में अन्य बजट पत्रों के साथ परिचालित किया गया है। अतः उसकी भूमिका उपस्थित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय मैं केवल विधेयक की व्यवस्थाओं में किये जाने वाले मुख्य परिवर्तनों का ही उल्लेख करना चाहूंगी।

इन परिवर्तनों के बारे में निर्णय करते समय माननीय सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा गत दो महीनों में दिए गए मूल्यवान सुझावों को ध्यान में रखा गया है।

बजट के मुख्य उद्देश्यों की इस सभा में तथा सभा से बाद भी व्यापक रूप से सराहना की गई है। अतः विधेयक के वित्तीय प्रस्तावों के सामान्य ढांचे में परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं है। इस विधेयक में विकास उद्देश्यों के लिए राजस्व में वृद्धि करने के लिए प्रभावकारी व्यवस्था है। इससे साधनों का न्यायोचित विभाजन करने के लिए आर्थिक व्यवस्था का उपयोग किया जा सकेगा। इस बारे में कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया जा रहा है जिनके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में आर्थिक प्रस्ताव अधिक युक्ति-संगत हो जायेंगे और अन्य मामलों में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिये वे अधिक प्रयोजनशील हो जायेंगे।

पहले मैं प्रत्यक्ष करों को लेती हूं। आप की अत्यन्त असमानताओं को कम करने के लिए तथा कर अपवंचन का अवसर देने वाली कानूनी त्रुटियों को सुधारने के लिए विधेयक के सम्बद्ध प्रस्तावों में बचत और पूंजी निवेश में अधिक प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गई है। विधेयक में कुछ विशिष्ट वर्गों की वित्तीय आस्तियों में लगाई गई पूंजी से देने वाली 3000 रुपये तक की वार्षिक आय को कर से छूट दी गई है तथा ऐसी आस्तियों में 1.5 लाख रुपये तक के पूंजी निवेश को धन कर से मुक्त किया गया है। पूंजी निवेश के उन वर्गों में अब राज्य वित्त निगमों तथा अन्य मान्यता प्राप्त दीर्घ-कालीन वित्तीय संस्थाओं में जमा धन को भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। यह इस कारण भी किया जा रहा है कि राष्ट्र निर्माण उद्देश्यों के लिए पात्र संस्थाओं में धन जमा कराने में जनता को प्रोत्साहन मिले।

बैंकों द्वारा अपने जमाकर्ताओं को दिये जाने वाले ब्याज कर को वहीं काट लेने का उपबन्ध है। सरकार की नीति के संदर्भ में, जिसका उद्देश्य पैकिंग की सुविधा का देहाती क्षेत्र में विस्तार करना है, यह उचित होगा कि प्रशासनिक आधारों पर इस उपबन्ध में संशोधन किया जाये। अतः आपका अधिनियम के संगत उपबन्ध में संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कर को वहीं काटने से छूट दी जा सके। बैंकों, जिसमें सहकारी बैंक भी सम्मिलित हैं, में जमा धन पर मिलने वाले ब्याज पर भी कर वहीं नहीं काटा जायेगा।

खैराती तथा धर्मार्थ न्यासों के सम्बन्ध में विधेयक में वर्तमान कानून में परिवर्तन किये गये हैं जिससे ज्ञात हुयी बुराइयों को दूर किया जाये। इन न्यासों को अपनी चालू वर्ष की आय का 25 प्रतिशत धन जमा करने की सुविधा को, जो उन्हें पहले प्राप्त थी, वापस ले लिया गया है। फिर भी वर्तमान विधेयक में एक उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत एक न्यास, न्यास की शर्तों के अन्तर्गत प्राधिकृत उद्देश्यों के लिये अपनी चालू वर्ष की आय को कर दायित्व के उपबन्धों को आकर्षित किये बिना 10 वर्ष की अवधि तक जमा कर सकता है, बशर्ते कि जमा की गई राशि को सरकारी प्रतिभूतियों में लगाया जाये। मेरा ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया था कि सरकारी प्रतिभूतियों में लगाई गई राशि पर आवश्यकता से अधिक प्रतिबंध लगाये गये हैं तथा इस प्रकार जमा की गई

राशि न्यासों की बाढ़ तथा भूचाल इत्यादि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय तुरन्त नहीं मिल पाती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए आप विधेयक के संगत उपबंध में इस प्रकार संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे जमा आय की राशि का डाकघरों के बचत खातों तथा सहकारी बैंकों सहित बैंकिंग कम्पनियों तथा मान्यता प्राप्त दीर्घकालीन वित्तीय संस्थाओं तथा राज्य वित्त निगमों में भी जमा किया जा सके।

विधेयक के अन्तर्गत यह उपबंध किया गया है कि यदि एक धर्मार्थ अथवा खैराती न्यास उस न्यास के न्यासधारी अथवा उसके सम्बंधियों की अपनी आय अथवा सम्पत्ति से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचता है, तो उसे कर से दी गई छूट को समाप्त कर दिया जायेगा। विधेयक में ये उदाहरण भी दिये गए हैं कि इस प्रकार के लेन-देन को अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना समझा जायेगा। एक वित्तीय न्यास अथवा संस्था के, जिसने भी निर्धारण वर्ष 1971-72 से पहले वर्ष किसी समय भी कोई इस प्रकार का लेन-देन किया है, उस वर्ष के लिये करों से छूट नहीं दी जायेगी। चूंकि न्यास के पहले निर्धारण वर्ष का अर्थ है वित्तीय वर्ष 1970-71 अथवा पत्री वर्ष 1970 अथवा अक्टूबर में दिवाली को समाप्त होने वाली वर्ष 1970, अथवा 30 जून, 1970 को समाप्त होने वाला वर्ष, जैसा कि कोई न्यास चाहे, उन न्यासों को चालू वर्ष की आय की करों की छूट को समाप्त कर दिया जायेगा, जिन्होंने 28 फरवरी, 1970 को इन बजट प्रस्तावों की घोषणा करने से पहले कोई ऐसा लेन-देन किया है, जो निषिद्ध है। इस उपबन्ध को उन धर्मार्थ अथवा धार्मिक न्यासों पर लागू करने का इरादा नहीं है, जो 1 अप्रैल, 1962 से पहले के हैं। इसलिये यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसे न्यासों की चालू वर्ष की आय की करों की छूट को समाप्त नहीं किया जायेगा, यदि उसने 31 मई, 1970 तक की अवधि में ऐसा लेन-देन भी किया हो जिससे न्यासधारी, अथवा उसके संस्थापक अथवा उसके किसी सम्बंधी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ पहुंचा हो।

विधेयक में एक और अन्य प्रकार की परिस्थिति का उल्लेख किया गया है और वह यह है 'कि एक न्यास की' करों की छूट को पूर्णतया समाप्त कर दिया जायेगा। यदि वह न्यास की राशि को किसी ऐसी कार्य में लगाता है जिसमें न्यासधारी उसके संस्थापक अथवा उसके सम्बंधियों का पर्याप्त हित निहित है अथवा उनके द्वारा उसमें लगाई पूंजी उस धर्म की पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक है। इस उपबंध का पालन करते हुये चालू वर्ष की आय को करों की छूट को समाप्त किए जाने से बचाने के लिए काफी बड़ी संख्या में न्यासों तथा संस्थाओं को अपने पूंजी निवेश के तरीकों में परिवर्तन करना होगा। यह कहा गया है कि जब तक निवेशों की पुनर्व्यवस्था के लिए थोड़ा-सा समय नहीं दिया जाता तब तक अत्यधिक पूंजी की हानि होने का डर बना रहेगा, क्योंकि बाजार में शेयरों की अचानक अत्यधिक बिक्री से शेयरों के मूल्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इस उपबंध का पालन करने में न्यासों के सामने पेश आने वाली वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि पूंजी-निवेश क्षेत्र को समुचित रूप से बदलने के लिए उन्हें 31 दिसम्बर, 1970 तक का समय दिया जाये।

विधेयक में मामूली परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में दिये गए प्रस्तावों के आधीन कि धर्मार्थ न्यास आयकर से मुक्त नहीं किया जा सकता, यदि उसकी निधियों का किसी फर्म में निवेश किया गया है, जिसमें मालिक या उसके किसी सम्बन्धी का अत्यधिक हित-निहित

हो। फिर भी, यदि निवेश-पूंजी उस फर्म की पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होती तो उस न्यास को केवल उस निवेश से अर्जित आय पर आय कर की छूट नहीं दी जायेगी। परन्तु इस प्रकार की संस्था को दान देने वाले व्यक्तियों को उस कर से मुक्त नहीं किया जायेगा, जिसके लिये अन्यथा वे अपने दान के कारण हकदार हैं। विधेयक में एक निर्दिष्ट उपबंध पुन: स्थापित करने का सुझाव दिया गया है जिसके अनुसार किसी न्यास को दान देने वाले व्यक्तियों को कर सम्बंधी सुविधा तब तक मिलती रहेगी जब तक किसी निषिद्ध फर्म में लगाई गई पूंजी की मात्रा उस फर्म की पूंजी के 5 प्रतिशत से नहीं बढ़ती।

विधेयक के अन्तर्गत किसी नगरपालिका अथता छावनी बोर्ड, जहां की जन-संख्या 10,000 से कम नहीं है, वे क्षेत्राधिकार में स्थित कृषि-भूमि के स्थानान्तरण से होने वाले पूंजी-लाभ पर अब आय-कर लगा करेगा। परन्तु कई एक ऐसे अवसर भी हो सकते हैं जहां ऐसे नगरपालिका अथवा शहरी क्षेत्रों में कृषि-भूमि वास्तव में खेती के कार्य के लिये हैं और जो प्राय: जीवन यापन का मुख्य पेशा है। यदि कोई व्यक्ति ऐसी भूमि वेचकर काश्तकारी के लिये कहीं और भूमि खरीदता है तो उस लेन-देन से होने वाले पूंजी-लाभ पर लगने वाले कर से उसे मुक्त किया जाना उचित है। इसके लिये संशोधन पेश किया जा रहा है।

विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत स्वाधीन न्यासों, जो कभी-कभी कर न देने के लिये बना दिये जाते हैं, की आय पर 65 प्रतिशत की समान दर से कर लिया जायेगा और उनके धन पर 1.5 प्रतिशत की दर से अथवा व्यक्तिगत पर लागू होने वाली दर में से जो भी अधिक हो। नियोजकों द्वारा अपने कर्मचारियों के हितों के लिये बनाये गये न्यासों, जैसे कि भविष्य निधि, सेवा-निवृत्ति निधि, उपदान निधि, पेंशन निधि आदि, पर ये उपबन्ध लागू नहीं होंगे। इस सम्बन्ध में आवश्यक संशोधन पेश किये जा रहे हैं।

अब मैं धन कर के बारे में एक संशोधन का उल्लेख करती हूं। अब तक एक कृषि-कार्य पर धन-कर नहीं लगता था चाहे उस कार्य का मूल्य कितना क्यों न हो। विधेयक के एक प्रस्ताव के अधीन इस प्रकार की छूट की सीमा आज से आगे एक लाख रुपये तक होगी। बहुत अधिक जोतों वाले व्यक्ति, चाहे उन जोतों में कृषि-फार्म भी हों और उनका मूल्य एक लाख रुपये से भी अधिक हो, उन कृषि-फार्मों के अलावा अपना मकान भी रख सकते हैं। चूंकि कृषि-फार्मों का रख-रखाव कृषि-फार्मों के लिये आवश्यक है, इसलिये स्थिति जैसी की तैसी रखने और इस प्रकार के मकान की उसके मूल्य का ध्यान न रखकर धनकर के अन्तर्गत बिल्कुल मुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

अब मैं अप्रत्यक्ष कर के सम्बन्ध में विधेयक के प्रस्तावों का उल्लेख करती हूँ। कृत्रिम रेशम उद्योग के विकेन्द्री कृत क्षेत्र से कई एक अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं जिसमें उस कठिनाइयों पर चित्त व्यक्त की गई है जो मूल्यांकन के उद्देश्य से मूल्य घोषित करने से पैदा होंगी। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि 2 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की सीमा जिसपर यथा मूल्य शुल्क की दर 3 प्रतिशत है, से यह सुनिश्चित नहीं होगा कि साधारण व्यक्ति के कपड़ों पर इस हद तक कर लगाया गया है जो उन दरों से अधिक नहीं है जो बजट प्रस्तावों से पहले लागू थे। कृत्रिम रेशम के कपड़ों की अधिकांश किस्मों का मूल्यांकन करने के लिये शुल्क निर्धारित करने का विचार किया गया है जिससे मूल्यांकन सरलता से किया जा सके। साथ ही उस दर को जिसके लिये शुल्क की दर 3 प्रति-

शत है, 2.50 रुपये से बढ़कर 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर करने का प्रस्ताव किया गया है। 'स्वतन्त्र बुनकरों' द्वारा तैयार किये गये कपड़ों पर लिये जाने वाले शुल्क में उस समय 5 प्रतिशत की कमी करने का भी प्रस्ताव किया गया है जब इन बुनकरों के पास लाया गया पूरा कपड़ा बुनाई के बाद बिना काढ़े मालिक को सौंप दिया जाये।

माननीय सदस्यों को याद होगा कि मैंने टेलीवीजन सैटों पर 20 प्रतिशत का शुल्क का प्रस्ताव की आना कानी के बाद किया था। हमारी वर्तमान अर्थ व्यवस्था के अनुसार बहुत ही अमीर व्यक्ति टेलीविजन सेट रख सकते हैं परन्तु टेलीविजन का शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्व है और चूंकि टेलीविजन उद्योग अभी आरम्भ ही हुआ है, मैं महसूस करती हूं कि लाभ इसी में है कि प्रारम्भ में प्रस्तावित शुल्क से थोड़ा कम शुल्क लगाया जाये। अतः मैं इस मद पर शुल्क 20 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत यथा मूल्य करने का प्रस्ताव करती हूं। ऐसी उद्योग को और अधिक बढ़ावा देने के लिये कुछ अन्य सहायक उपायों, जैसे कि वर्तमान 'वै गेज नियमों के अन्तर्गत दी गई सुविधाओं का पुनर्विलोकन, जिससे बिना शुल्क को देश में अधिक संख्या में टेलीविजन बनाये जा सकते हैं, पर विचार किया जा रहा है।

चाय पर निर्यात शुल्क की समाप्ति का सामान्यरूप से सभी ने स्वागत किया है। परन्तु प्रान्तीय उत्पादन-शुल्क में वृद्धि के कारण चाय उत्पादकों से बहुत अधिक अभ्यावेदन मिले हैं, विशेष कर कमजोर क्षेत्रों के चाय उत्पादकों से जिन्हें चाय निर्यात में कमी के कारण थोड़ा लाभ हुआ है और निर्यात की तुलना में आन्तरिक बिक्री के अधिक होने के कारण उनकी उत्पादन-शुल्क की देनदारियां बढ़ गई हैं। उत्पादन-शुल्क में काफी कमी करने का औचित्य नहीं जान पड़ता है फिर भी उन चाय बागानों, जो छोटे हैं अथवा घटिया किस्म की चाय का उत्पादन करते हैं और उनकी चाय का मूल्य कम होता है, पर लगने वाले उत्पाद-शुल्क में कुछ परिवर्तन आवश्यक हैं। शुल्क में परिवर्तन करते हुये उन्होंने नीलगिरि जिले, आसाम और दार्जलिंग क्षेत्रों के छोटे चाय बागानों की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखा है। 1970-71 के वित्तीय वर्ष के शेष भाग में बेची गई चाय जिसका बिक्री मूल्य 5 प्रतिशत प्रति किलोग्राम से अधिक न हो, पर 70 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से उत्पादन शुल्क की सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव है। इस रियायत को देने की विस्तृत प्रक्रिया बनाई जा रही है। और उसे बाद में अलग से अधिसूचित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सहकारी कारखानों की उत्पाद-शुल्क 10 प्रतिशत की दी जाने वाली कमी, उन कारखानों को जो पत्ती खरीद कर चाय बनाते हैं, भी दी जायेगी।

इसके पश्चात अब मैं उन वस्तुओं के सम्बन्ध में प्रस्तावित उत्पादन-शुल्कों के बारे में उल्लेख करना चाहती हूं जिनका लघु उद्योग क्षेत्र में अधिक उत्पादन होता है। बिना बिजली प्रयुक्त किये धातु के डिब्बे, तिजोरियां और स्ट्रांग बक्सों का उत्पादन करने वाले एककों को बिल्कुल कर मुक्त करने का प्रस्ताव किया गया है। 50,000 रुपये के मूल्य तक तिजोरियां और स्ट्रांग बक्सों का उत्पादन करने वाले एककों को उत्पाद-शुल्क से मुक्त करने का भी प्रस्ताव किया गया है बशर्ते कि कुल वार्षिक उत्पादन 2 लाख रुपये के मूल्य से अधिक न हो। बिस्कुट बनाने वालों को यह छूट दी जा रही है। धातु के डिब्बों के लिये छूट की सीमा एक लाख रुपये निर्धारित की गई है जो कुछ अधिक है क्योंकि इस प्रकार के डिब्बों के मूल्य में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाली टिन प्लेट पर लगा शुल्क भी सम्मिलित है। शिक्षा के हित को आघात ने पहुँचे इसलिये

स्कूली बच्चों के गणित बक्सों, ज्यामिति बक्सों और रंगों के बक्सों को उत्पादन शुल्क से बिल्कुल मुक्त कर दिया गया है चाहे उनकी उत्पादन संगठित अथवा किसी लघु उद्योग में ही क्यों न हुआ हो ।

पैस्च्योराइज्ड मक्खन जो उसी फैक्ट्री में भी बनाने या उसे फिर से दूध के रूप में परिवर्तित करने के लिये प्रयुक्त होता है उसका शुल्क नहीं लगाया जायेगा । बजट में प्रस्तावित वृद्धि से छूट का लाभ अस्पतालों में वातानुकूलित यंत्रों को लगाने के लिये कल पुर्जों के अतिरिक्त कमरा और बक्सा-नुमा वातानुकूलित यंत्रों पर भी रियायत दी जायेगी यदि उन्हें अस्पतालों में लगाया जायेगा । मछली जमाने के यंत्रों को भी रियायत दी जायेगी । केवल पी० बी० सी० चादरों पर प्रस्तावित शुल्क लगाने के कारण प्लास्टिक के मामले में जो व्यतिक्रम आ गया है उसमें सुधार किया जायेगा ।

मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि "तैयार और सुरक्षा खाना" पर लगाये गये उत्पादन-शुल्क के अन्तर्गत हम साबूदाना, सेवई और अरारोट को नहीं लाना चाहते हैं । इसी तरह सोडावाटर पर जो शुल्क लगाया गया है वह केवल उन्हीं उत्पादनों पर लगाया गया है जो बिजली की सहायता से बनाये जाते हैं और जिन पर पंजीकृत नाम या ट्रेडमार्क लगा होता है ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है सूती कपड़ा उद्योग के हथकरघा क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिये हमने पहले ही 40 एन० एफ० से कम काउंट धागे की लच्छियों पर से उत्पादन शुल्क हटा लिया है, और इससे बड़ी लच्छियों पर से इसे काफी कम कर दिया गया है । अब 51 एन० एफ० तक की लच्छियों को उत्पादन-शुल्क से मुक्त कर देने का प्रस्ताव है ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि पुस्तक व्यापार की ओर से डाक शुल्कों में समायोजन के लिये कई अभ्यावेदन प्राप्त हुये थे विशेषकर वी० पी० पी० शुल्कों के सम्बन्ध में चूंकि कम मूल्य की चीजों का इस शुल्क में काफी वृद्धि कर दी गई थी इसलिये अब 10 रुपये के मूल्य तक के सभी पैकेटों पर 10 पैसे वी० पी० पी० शुल्क के रूप में बनाये रखने का प्रस्ताव है ।

प्रत्यक्ष करों में प्रस्तावित परिवर्तनों से राजस्व पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है । उत्पादन-शुल्कों में समायोजन से राजस्व-प्राप्तियों में 1.80 करोड़ रुपये का घाटा होगा जिसमें से आधा घाटा चाय से सम्बन्धित परिवर्तनों के कारण होगा । वी० पी० पी० दरों में परिवर्तन से लगभग 8 लाख रुपये का घाटा होगा ।

अध्यक्ष महोदय ! हमने उन वास्तविक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयत्न किया है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर लगाने के कारण पेश आ सकती हैं । ऐसा करते समय हमने संसाधनों में थोड़ी बहुत कमी करना भी स्वीकार कर लिया है । तथापि हम अपने विकास के लिये संसाधन जुटाने की कड़े उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते । ऐसा करने से सभी प्रकार के लोगों पर बोझ पड़ता है और उनके द्वारा बलिदान अपेक्षित है । परन्तु हमने सच्चे हृदय से यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि उन लोगों पर अधिक भार न पड़े जो इन्हें बिल्कुल नहीं उठा सकते ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के लिए 15 घंटे दिये गये हैं । यदि सभा सहमत हो तो 10 घंटे सामान्य कर्त्ता के लिए दिये जायें, 4 घंटे खंडों के लिये और एक घंटा तृतीय वाचन के लिये ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : तृतीय वाचन के लिए एक घंटा पर्याप्त नहीं होगा अध्यक्ष महोदय एक घंटा समय बढ़ा सकते हैं । कृपया तृतीय वाचन के लिए दो घंटे का समय दीजिये ।

Shri Kanwar Lal Guptae (Delhi Sadar) : Mr. Deputy Speaker, four hours will not be sufficent for clauses. Every clause will be discussed. Therefore, six hours should be allotted for clause-by-clause diseussion.

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात पर विचार किया जायेगा । कुछ कार्यवाही आगे चलाई जाये ।

श्री शान्तिलाल शाह (बम्बई-उत्तर-पश्चिम) : मैं वित्त विधेयक पर कुछ टिप्पणी करना चाहता हूँ तथा सभी विषयों पर नहीं बोलना चाहता ।

1949 को आधार मानकर जहां जीवन यापन मूल्य सूचनांक फरवरी 1969 में 205 था वहां इस वर्ष फरवरी में बढ़कर यह 215 हो गया है, अर्थात 10 की वृद्धि हुई है और मैं सोचता हूं यह जारी रहेगी ।

जहां तक पेट्रोल का सम्बन्ध हैं यह बात तो विदित ही है कि कच्चे तेल के मूल्य में 0.10 सेंट प्रति बैरल की कमी हुई है । विधेयक में मिट्टी के तेल, जलाने के काम आने वाले तेल और मोटर स्प्रिट पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया गया है । कच्चे तेल में कमी के फलस्वरूप उपर्युक्त सभी वस्तुओं के मूल्य में कमी होगी । आशा है कि सरकार इस कमी का लाभ स्वयं नहीं उठायेगी ।

जहां तक बजट का सम्बन्ध है, प्रधान मन्त्री महोदया ने कहा कि बजट का सभी जगह और सभी लोगों ने स्वागत किया है । ऐसा द्वितीय उपायों के कारण नहीं हुआ बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक चालाकी थी । बजट के प्रस्तुत होने के पहले, लगभग एक मास अथवा कुछ अधिक पहले समूचे देश में यह शोर मचा हुआ था कि कोई बहुत शक्तिशाली घटना होने वाली है–समाजवाद आने वाला है । लेकिन कोई भी शक्तिशाली घटना नहीं हुई । राहत की भावना बजट प्रस्तावों के कारण से नहीं है बल्कि पहले और बाद के मनोवैज्ञानिक वातावरण के कारण है ।

न्यूनतम कर लगाने की सीमा को बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है । श्री बूथालिंगम ने सिफारिश की है कि इस सीमा को बढ़ाकर 7500 रुपये कर देना चाहिये ।

किसी भी तरह की सहायता को एक हाथ से देकर, मूल्यों में वृद्धि के द्वारा, दूसरे हाथ से ले लिया जाता है । अभी अधिक विलम्ब नहीं हुआ और इस प्रकार बात पर अभी भी विचार किया जा सकता है कि क्या इस सीमा को बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया जाये; जिसका अर्थ कुछ वास्तविक राहत देना हो सकता है ।

केन्द्र की कृषि आय पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है । लेकिन क्योंकि कृषि आय पर कोई कर नहीं है और स्रोतों की आवश्यकता है, इसलिये उन्होंने ऐसा किया है । प्रधान मन्त्री राजनीतिक संगठन की प्रधान हैं, कई राज्यों के मुख्य मन्त्री तथा कुछ अन्य मित्र भी कृषि आयकर नहीं चाहते । क्या प्रधान मन्त्री महोदया एक ऐसा राजनैतिक निर्णय लेंगी कि कृषि आय-कर जरूर लगाया जाना चाहिये जैसी कि योजना अयोग ने सिफारिश की है । कृषि पर आय-कर नहीं लगाया गया है, इसलिये नहीं कि इस पर नहीं लगाया जाना चाहिये बल्कि इसलिये कि इससे वोटों पर प्रभाव पड़ेगा ।

जहां तक पति और पत्नी की सम्मिलित आय पर कर लगाने का प्रस्ताव है मुझे आश्चर्य है कि प्रधान मन्त्री महोदया ने इस विचार का स्वागत किया । अभी हाल में ही तो भारतीय महिला

अपने पांव पर खड़े होने लगी है। यह कुछ आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर रही है, प्रस्ताव कर लगाने हेतु पति और पत्नी की आय को मिलाने का है। मैं जानता हूं कुछ ऐसे मामले भी हैं, जहां पति बहुत भारी वेतन प्राप्त कर रहे हैं और करों से बचने के विचार से वेतन का एक भाग पत्नी को वेतन के रूप में दे दिया जाता है। यदि देश में ऐसे कुछ दर्जन मामले हैं, तो क्या यह उचित है कि प्रत्येक महिला पर कर लगाया जाय ? महिलायें नौकरियां ढूंढ रही हैं, इसलिये नहीं कि वे अपने परिवारों को पसन्द नहीं करती और अपने बच्चों की देखभाल नहीं करना चाहती बल्कि इसलिये कि आर्थिक आवश्यकतायें उनको इस कार्य के लिए मजबूर करती है। यदि हम ऐसा कहते हैं कि उन पर कर लगाया जाये, तो यह बहुत गलत है। कराधान का नियम ऐसा नहीं होना चाहिये कि, क्योंकि कुछ लोग कानून का दुरुपयोग करते हैं, इसलिये सारे निरपराध वर्ग को दण्ड दे दिया जाय। नियम ऐसा होना चाहिये कि जो कानून का उलंघन करते हैं केवल वही पकड़े जायें। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने भी इस प्रस्ताव पर विचार करने का विरोध किया है। मैं आशा करता हूँ कि जब प्रधान मन्त्री महोदया ने इस चर्चा के अन्त में इस विषय पर विचार करने की इच्छा प्रकट की है। तो वे ऐसा कह सकेंगी कि इस प्रस्ताव पर अब विचार नहीं किया जायेगा।

अब तक 10 वर्षों में धर्मार्थ न्यास 25 प्रतिशत आय जमा कर सकते थे और तब वे न्यासों के प्रयोग के लिए इसका उपयोग कर सकते थे। इस विधेयक में प्रस्ताव यह है कि लेखा वर्ष के पश्चात तीन महीनों के अन्दर सारी आय को अनिवार्य रूप से खर्च कर देना चाहिये। यह सम्भव हो सकता है लेकिन धर्मार्थ न्यास, जो दुर्भिक्ष, बाढ़ अथवा भू-कम्प के लिए बनाये गये हैं, उनका धन तीन महीनों के अन्दर कम करना कैसे सम्भव हो सकता है। इस धन को खर्च करने के उद्देश्य से अकाल या बाढ़ अथवा भूकम्प को नहीं लाया जा सकता।

मेरा सुझाव यह है कि जिस सीमा तक न्यास को लाभ होता है वहां तक कर लगाया जाना चाहिए लेकिन ऐसा कहना अनौचित्यपूर्ण प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण आय पर पूरा कर लगाया जायेगा, इस प्रस्ताव का उद्देश्य धर्मार्थ न्यासों द्वारा संचित राशि द्वारा उद्योग तथा व्यवसाय के नियंत्रण को रोकना है। यह एक अच्छा और प्रसंसनीय लक्ष्य है, लेकिन क्या वित्त अधिनियम का सरकारी न्यासों के निदेश को नियमित करने का लक्ष्य है ? यदि निदेश को नियमित करना हो, तो अच्छा तरीका यह होगा कि एक पृथक विधान बनाया जाये, जैसा कि महाराष्ट्र और गुजरात में है। न केवल निदेश के बारे में, अपितु सरकारी न्यासों के प्रशासन से सम्बन्धित अन्य अनेक ऐसी वस्तुएं हैं, जिनकी जांच करने की आवश्यकता है। यदि न्यासों को सुशासित करना है, तो एक उचित विधान पेश किया जाना चाहिये। इससे सारा ध्यान एक रोचक संशोधन संख्या 567 की ओर जाता है जिसे 50 संसद सदस्यों द्वारा लाया गया है। संशोधन में संक्षिप्त रूप से यह कहा गया है कि अगर आय-कर के रूप में देय कुल कर और धन-कर आय के 100 प्रतिशत से बढ़ जाता है तो तब 100 प्रतिशत से अधिक राशि को वसूल नहीं किया जाना चाहिए तथा दोनों के बीच 100 प्रतिशत कर सीमा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : वे अपना भाषण सोमवार को जारी रखें। अब गैर-सरकारी सदस्यों सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 62वें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

Motion Re : Sixty-Second Report on Committee on Private Member's Bills and Resolutions.

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 62वें प्रतिवेदन से, जो 29 अप्रैल, 1970 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 62वें प्रतिवेदन से, जो 29 अप्रैल, 1970 को सभा में पेश किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सम्पत्ति के अधिकार के बारे में संकल्प-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा सम्पत्ति के अधिकार के बारे में श्री राममूर्ति द्वारा पेश किये गये संकल्प पर विचार करना पुनः आरम्भ करेगी । श्री मधु लिमये का अपना भाषण जारी करना था, लेकिन यह अनुपस्थित हैं । श्री रणधीर सिंह ।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : There is no denying the faet that Parliament has the right to change the fundemental rights. But it is difficult to support the view that the right to property can be taken away from the people even when the fundamental rights are there in the Constibution. All that we can agree to is that the big gulf between the rich and poor should be narrowed. For this purpose a ceiling can be imposed on the possession of land as well as urban property. I will not mind even if a ceiling is imposed on income and expenditure. But the right to property must remain as it has been there from the very beginning of our society. It is objectionable if you take away any property which is within the ceiling. There is a risk involved in overnationalisation also. If any body is in possession of surples things the Government can take that away. Poverty should not remain in the country. The disparity in villages and cities should go. The big disparity in salaries should go. In the country there are people who earn four or five thousands of rupees as a salary and on the other hand there are such people also who get only Rs. 100 and with which it is very difficult to make both ends meet. There are such families whose expenditure per month runs into lacs of rupees and on the other hand there are such faimilies also who cannot spend even Rs. 2 in a day. This big gap should be patched up.

You can take away property, if it is necessary in the interest of the country and the people. If the property is needed for defence and public purposes it can be taken away.

This should be realised that land is very necessary for the farmers and they are entirely dependent on it in order to feed their faimilies. If it is taken awaiy from them, they will starve. Similary, if the shop of a shopkeper, whose family is dependant on its income, is taken awery they will starve.

[श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए
SHRI SHRICHAND GOYAL IN THE CHAIR]

I am in favour of nationalising General Insurance, export, Import and fixing a ceiling on urbon property, but if you will go beyond a certain limit, I will have objection to it. Even in Russia where the land belong to the state, some land is given to the people along with a house.

Therefore. all that I can agree is that a ceiling should be put on property and if some people have got property above that it can be taken by the state, but the right to property must be there.

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : सभापति महोदय, मैं माननीय मित्र श्री राममूर्ति के संकल्प का समर्थन नहीं कर सकता। वर्षों पहले किसानों के अभियान में मैं जी जान से भाग लिया करता था। तब से लेकर अब तक मैंने किसानों के स्वामित्व का समर्थन किया है। इसमें मेरा पूर्ण विश्वास है। अब सरकार ने जोत की भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की है। यह वर्तमान सरकार राज्य सरकारों से वर्तमान सीमा और कम करने को कह रही है मद्रास सरकार ने पहले ही इसको आधा तक कम कर दिया है। जब साम्यवादी लोग सत्तारूढ़ हो जाएँगे, तो वे संभवतः इस सीमा को भी हटा देंगे जैसे रूस में या चीन में इन लोगों ने किया है। रूस में भी अब निजी संपत्ति रखने की अनुमति दी जाने लगी है क्योंकि अब तक के अनुभव से उन्हें अच्छी तरह मालूम हो गया है कि निजी स्वामित्व को समाप्त करने से मनुष्य में काम करने का प्रोत्साहन और अन्तःप्रेरणा समाप्त हो जायेगी। जैसी श्री रणधीर सिंह ने कहा, हमारे देश में बहुसंख्यक अर्थात 50 प्रतिशत से ऊपर लोगों के पास कुछ न कुछ संपत्ति है। वे किसान लोग हैं जिनके पास काइत की जमीन है। शेष में 15 प्रतिशत लोग पट्टेदार हैं। उनको भी एक हद तक जमीन के स्वामित्व का अधिकार दिया गया है। उन्हें एक निश्चित काल तक बेदखल नहीं किया जा सकता और एक सीमा के परे किराया नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर वह जमीन बेच दी जाती है, तो इन लोगों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। इनके अलावा हथकरघा के जुलाहों को अपने औजारों का स्वामित्व प्रदान किया गया है। यह उनकी आजीविका के लिए अत्यावश्यक है।

हैदराबाद में अखिल भारतीय झोपड़ी निवासियों का एक संगठन है। ये लोग सरकारी भूमि और खाली पड़ी हुई निजी भूमि पर कब्जा करते हैं। आखिर भूस्वामी इनको हटाने के लिए 200 से 500 रुपए तक देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों के कब्जे की भूमि पर कोई और जबरन कब्जा करने की कोशिश करेगा तो वहां खून की नदी बहेगी। मेरे कहने का मतलब है, जिस क्षण इन लोगों ने भूमि पर कब्जा किया, उसी क्षण से उनमें एक प्रकार से ममत्व की भावना बढ़ गई है।

अभी श्री शांतिलाल शाह कह रहे थे कि जो धनी है, उन्हें कर की शक्ल में अपनी कुल आय के 100 प्रतिशत से अधिक देना पड़ता है। सरकार की प्रगतिशील कूटनीति के परिणामस्वरूप संपति और आय पर सख्त नियंत्रण लगाया जा चुका है। आम जनता की भलाई के लिए आप इस प्रकार के कर लगाते हैं इसके अलावा यह भी कहा जाने लगा है कि संपत्ति संबन्धी मूलभूत अधिकार को हटा दिया जाना चाहिए। यह अन्याय है। सभी लोकतंत्रात्मक देशों में संपत्ति सम्बन्धी मूलभूत अधिकार कायम रहता है। केवल सोवियत संघ में ही वह हटाया गया था, मगर वहां अब वह फिर से लाया जा रहा है।

यहां साम्यवादी दल और श्रमिक संगठनों ने क्या रवैया अपना लिया ? उन्हें अधिलाभांश मिलता है । उन्हें भविष्यनिधि और अन्य कई सुविधायें मिलती है। वे अपने को नौकरी से हटाया जाना नहीं चाहते । वे स्थिरता चाहते हैं । क्या यह संपत्ति सम्बन्धी अधिकार का एक पहलू नहीं है ? वे स्वतंत्र रूप से आवास सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त करना चाहते हैं ।

हम चाहते हैं कि खेतिहर मज़दूरों और औद्योगिक मज़दूरों को आवास सम्बन्धी सारी सुविधायें उपलब्ध करा दी जाएँ । खेतिहर मज़दूरों को अपना-अपना मकान चाहिए । तांजूर के काश्तकारों की भलाई के लिए राजाजी ने ही सबसे पहले काश्तकारी विधान पास कराया था । असल में हम यह चाहते हैं कि सरकार खुद खर्च उठाकर मकान के निर्माण का भार अपने ऊपर ले ले और हमारे खेतिहर मजदूरों को उपलब्ध करा दें । इसका कोई कारण ही न दिखाई पड़ता कि उन्हें यह संपत्ति मूलभूत अधिकार के रूप में क्यों न दी जाय । अमरीका जैसे लोकतंत्रात्मक देशों में सम्पत्ति संबंधी मूलभूत अधिकार कायम रखा जाता है । हमारे संविधान में संपत्ति को मूलभूत अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित करने के पीछे एक इतिहास है । श्री लोकमान्य तिलक से लेकर श्री अम्बेदकर तक ने इस सिद्धान्त को माना था । अत: अगर हम चाहते हैं कि हमारे खेतिहर मजदूर, औद्योगिक मजदूर और किसान लोगों को बड़े-बड़े जमींदारों, पूंजीपतियों और अन्य शोषकों की दया पर निर्भर न रहें, तो हमें उन्हें संपत्ति पर किसी न किसी तरह का कुछ अधिकार प्रदान करना चाहिए । यह बात महत्वपूर्ण नहीं है कि संपत्ति का स्वभाव क्या है । मैं हमेशा संपत्ति के अधिकार के पक्ष में हूं । अत: मैं अपने माननीय मित्र के संकल्प का सख्त विरोध करता हूँ । प्रधान मंत्री ने अपने दल के लोगों को, और देश वासियों को आश्वासन दिया था कि वे संपत्ति के विरोध में नहीं हैं । उनका अन्तिम लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, मगर उनकी इस घोषणा का मैं तहेदिल से स्वागत करता हूँ । मैं आशा करता हूँ कि वे आगे इसके विपरीत काम नहीं करेंगी । आशा है कि उनका अन्तःकरण उनके साथ रहेगा जो इस देश के करोड़ों किसानों का अन्तःकरण है जो जमीदारों, पूंजीपतियों और अन्य शोषक तत्वों से मुक्त होना चाहते हैं और जो सही अर्थ में देश के धन में वृद्धि करने वाले हैं, मेहनतकश हैं और संपत्ति संबंधी मूल अधिकार को बनाये रखना चाहते हैं ।

श्री रा० द्यो० भण्डारे (बम्बई मध्य) : सभापति महोदय, श्री गंगा को इसका आश्वासन देने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती कि हमारा दल संपत्ति के अधिकारों को समाप्त करने के पक्ष में नहीं है । प्रधानमंत्री ने तत्संबंधी हमारा रवैया स्पष्ट किया है ।

इस संकल्प में जो प्रस्ताव रखे गये हैं, वे हैं, निजी संपत्ति का अधिकार उत्पादन के रूप में शोषण का कारण बन जाता है, अत: यह लोकतंत्र के पथ में बाधा है और निजी संपत्ति का अधिकार देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक प्रगति में रोड़ा अटकाता है ।

श्री राममूर्ति चाहते हैं कि संविधान से संपत्ति संबंधी अधिकार हटा दिया जाय । यह बात सच है कि संविधान में जो मूलभूत अधिकारों का उपबन्ध किया गया है, उसका धनी वर्ग द्वारा कभी-कभी दुरुपयोग किया जाता है । यह मुझे अच्छी तरह मालूम है । मगर मैं यहां संविधान में उपबन्धित मूल भूत अधिकारों पर विचार कर रहा हूं । प्राय: सभी देशों के संविधान में मूलभूत अधिकारों का उपबन्ध किया गया है । मगर यह पर्याप्त नहीं है ।

थोमसपेन के दर्शन और फ्रांस की क्रांति के बाद क्या हुआ ? पश्चिमी देशों में समता को बलि देकर केवल स्वतंत्रता के आधार पर एक समाज का निर्माण हुआ। इसके फल स्वरूप केवल कुछ इने गिने परिवार धनी हुए और बाकी सब गरीब ही रह गये, क्योंकि इन मुट्ठी भर लोगों के हाथों में उत्पादन के सभी साधन केन्द्रित हो गए। वैसे ही रूसी क्रांति के बाद क्या हुआ ? उन्होंने समाज निर्माण का आधार समता बना दिया और स्वतंत्रता को खतम किया। ये कुछ ऐतिहासिक पहलू हैं जिनकी ओर हमें ध्यान देना होगा। हमने अपने संविधान में समता और स्वतंत्रता में सामंजस्य कर दिया। राज्य नीति संबंधी जो निदेशक सिद्धांत है। वह हमारे संविधान का एक विशिष्ट अंग है और यह दुनिया के संविधान के इतिहास में हमारा एक महत्वपूर्ण अंशदान है।

हमने राज्य नीति संबंधी निदेशक सिद्धांत और मूलभूत अधिकारों को संविधान में मान्यता दी। मेरा अपना विचार यह है कि निजी संपत्ति पर सीमाबंदी अवश्य होनी चाहिए। हमारे दल की भी नीति यह है। मगर संपत्ति से क्या तात्पर्य है, सीमा बंदी किस हद तक की जानी चाहिए आदि बातों पर विस्तार से विचार किया जाना चाहिए। अतः हम यह नारा बुलंद न करें कि 'निजी संपत्ति खत्म करो' या 'निजी संपत्ति के सारे साधन खत्म करो हम चाहते हैं कि केवल सीमाबंदी की जाए। अतः इस बात में कोई तुक नहीं है कि निजी संपत्ति खत्म की जाए या संविधान में संशोधन किया जाए क्योंकि भारत की जनता ने अपने लिए जो संविधान बनाया उसमें मूलभूत अधिकारों और राज्य नीति संबंधी सिद्धांतों को प्रतिष्ठित किया है।

मैं और मेरा दल संविधान में रखे गए सिद्धांतों का पालन करूंगा ताकि तमाम देश के दलित-पीड़ित वर्ग की भलाई हो। मैं आशा करता हूं कि संकल्प का प्रस्तावक इस पर जोर न देगा। क्योंकि निजी संपत्ति का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : I rise to oppose this motion. I do not accept the plea that right of property should be done away with.

The conception of right of property is not a new one. The people of almost all the countries, except of couse the communist countries, enjoy this right. If we look at the history of our freedom struggle we will find that several big leaders such as Sarvasri Tilak, Moti Lal Nehru have supported this right of property. This right has been given due cognizance in the charter of the United Nations Orgnisation.

Many of my friends demand that right of property should be abolished but I will say that if once it is done the structure of other rights such as freedom of Press, Freedom of Individual and Freedom of Association will come down. You cannor expect from a press to function freely if its building and machinery is taken over by the state. I will, therefore, say that this matter should not be touched.

A reasonable and balanced provision has been made in this respect in our Constitution. In my view the objective of abolishing the monopolies could be achieved by imposing reasonable restirctions such as property-tax etc. as has been suggested by Prof. Ranga. Growth of monopolies has taken place due to the wrong policies of the Government and not due to the existence of property right in the Constitution. Government has no right under the constitution to take over the propetty of all the individuals of our country.

The intention of the communist members is very clear. They want to do away with all the Fundamental rights. They want to create the state of lawlessness in the

country. They are daily challenging the dignity of the Supreme Court. Therefore, if they move such motion. I have no objection but if the hon. Members sitting opposite table like that then it is a serious matter. I, therefore, want categorical assurance from the Government that the fundamental rights will not be changed and that they will remain as they are.

The Government is talking about nationalizing one thing or other or depriving people from their rights simply to divert the attention of the poor people from economic problem with which they are faced with. They are also talking all these things to cover up their misdeeds.

The legislatures should not try to interfere in the functioning of the courts. So far the role of the Supreme Court and other courts have been commendable. A historic decision has been given by the Supreme Court in Golabnath case. One thing I admit is this that right to property is not an absolate right beeause the conceptions are always subject to change.

The right to change the fundamental rights should not be given to Parliament. We are the representatives of the people but we do not constitute people in ourselves. If at all the Government want to change the fundamental rights then I would suggest that a referendum should be held for this purpose.

I want to warn the Government that if it bow down to the pressune of communist and committed any such mistake the democracy will be annihilated in our country.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : The communists think that they ean do anything they like as they have their influence over Shrimati Indira Gandhi. They should not forget that they can create chaos in the country like this. The Supreme Court is our helper as well as custodian. It can give us necessary suggestions if we commit any mistake. It can show us the right path. But Parliament is Supreme. In our Coustitution the right of property has been given to each and every citizen of our country. In this connection I may also state that our Constitution is far better than other constitutions in the world in every respect. The people will resist each and every effort done to disgrace the constitution. All those who will try to create chaos or hamper the progress of our country wi l be crushed. But if you want to take over the properties of Tatas and Birlas and other big persons I have no objection but the poor should not be deprived of their properties. We will resist that.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : I agree with Shri Dar that we should not lower the digrity of the Supreme Court. But we should have the right to impeach any judge if he continues to commit mistakes. The Parliament is Supreme. The laws passed by Parliament should be adhered to by all if they are not in violation of the Constitution. The Parliament should have the right to amend the Constitution according to the changed circumstances otherwise people will shake their hands off of this institution.

I do not agree with this plea that the right of property should not be changed No one can become a moneyed man or a big landlord unless one adopts malpractices. The Moghuls and Britishers granted vast areas of lands as Jagis to their yesmen. That was not their earned property but after some time these people started thinking that they have their right over it. These things need change and I therefore, say that Parliament should have the right to modify the right of property. There should be no Constitutional guarantee to the private property.

Gandhiji once said that capitalists and property owners should regard themselves as trustees. May I know how many rich people and big landlords think themselves as

trustees ? All the disputes arise because of unequal distribution of wealth. More than fiifty percent of people in India do not get proper meals. If the poor are given real representation then they will frame laws and constitution according to their own needs. We should change according to changed circumstances otherwise there will be a revolution in the country. It will not be a peaceful revolution but an armed revolution. I agree that we should not take over the property unless the state requires it but it does not mean that we should not touch such rights.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मेरे विचार में प्रस्ताव की इच्छा यह नहीं है कि निजी सम्पत्ति के अधिकार का पूर्णतया समाप्त कर दिया जाये। प्रस्ताव में कहा गया है कि उत्पादन सम्बंधी सम्पत्ति जिसमें शोषण की गुंजायश हो, समूचे समुदाय की सम्पत्ति होनी चाहिए और उसका प्रयोग समाज की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार भी शेष समाज के सम्पत्ति अधिकारों के संगत होना चाहिए।

देश में जो मतभेद उत्पन्न हो गया है उसका कारण यह है कि लोग वर्तमान स्थिति को बनाये रखना चाहते और कोई परिवर्तन लाने से डरते हैं। क्या वर्तमान संविधान में यह स्वीकार किया गया है कि सम्पत्ति एक ऐसी वस्तु है जिसको छूआ नहीं जा सकता। मेरे विचार में ऐसी बात नहीं है। संविधान में यह व्यवस्था है कि निजी सम्पत्ति को लोकहित में उचित कानूनी प्रक्रिया द्वारा सरकार अपने हाथ में ले सकती है। हम चाहते हैं कि कानून के ढांचे के अन्तर्गत रह कर ही तथा लोक तंत्रात्मक ढंग से समाज में परिवर्तन लाया जाये। सम्पत्ति कोई मानास्पद वस्तु नहीं है न ही यह कोई प्राकृत्तिक अधिकार है।

मेरे विचार में इस अधिकार को मूल अधिकार बनाते समय अन्य देशों के संविधानों तथा उस समय भारत में विद्यमान स्थिति को ही ध्यान में रखा है। सामाजिक तथा आर्थिक पहलू को पूरी तरह भुला दिया गया था। निदेशक सिद्धान्तों में कहा गया है कि धन का जमान नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक नागरिक को रोजी के पर्याप्त साधन उपलब्ध होने चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सिद्धान्त सम्पत्ति अधिकार से किस हद तक संगत हैं।

जिस समय विभिन्न राज्यों ने भूमि की अत्यधिक सीमा की समाप्ति सम्बन्धी विधेयक पास किये थे तो हमें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। सर्वोच न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों ने अपने निर्णयों द्वारा बाधायें उत्पन्न कर दी थी। तब संसद ने संविधान में संशोधन कर यह व्यवस्था की थी कि न्यायालय में इस बात को चुनौती नहीं दी जा सकती, जहां तक कृषि भूमि का मामला है मुआवजा पर्याप्त है अथवा नहीं हम संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकते हैं। संविधान में संशोधन करने के लिए दो तिहाई सदस्यों को सम्बन्धित विधेयक के पक्ष में यह देना होता है परन्तु सर्वोच्च न्यायालय केवल एक मत के बहुमत से इसको रद्द कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधिपति की राय में सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के अध्याय में रखना एक गलती थी। मैं नहीं जानता हूँ कि लोग यह तर्क किस प्रकार देते हैं कि सम्पत्ति अधिकार को मूल अधिकार न मानने से लोकतंत्र समाप्त हो जायेगा। जिन लोगों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि स्थिति में परिवर्तन हो गया है और हमें परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। भाषण करने का अधिकार भी सीमित है। अतः इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि सम्पत्ति अधिकार पूर्ण अधिकार है और इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

कुछ लोगों को कहना है कि इस पर निर्णय करने से पूर्व हमें जनपत संग्रह कराना चाहिए और विधान सभा बनानी चाहिए। मैं नहीं जानता कि विधान सभा वर्तमान संसद से किस प्रकार पृथक होगी। हम लोगों के प्रतिनिधि हैं और व्यस्क मतदान से चुनकर यहां पर आये हैं। ऐसा कहने वाले वास्तव में मामले को टालने तथा लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लोग यह चाहते हैं कि कुछ समृद्ध व्यक्ति उनका शोषण करते हैं ? मेरे विचार में लोग इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार को इस अवस्था में अपनी स्थिति स्पष्ट रूप में बतानी चाहिए। यदि वह समाज वाद में विश्वास रखते हैं तो क्या वह अभी इस बारे में विधेयक प्रस्तुत करेंगे। क्या सरकार श्री राम मूर्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव को स्वीकार करेंगी ? सरकार को इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करके बतानी चाहिए।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमडे) : मैं भी यह महसूस करता हूँ कि हमारे कुछ सहयोगी जनता को यह कह कर डराना चाहते हैं कि सब कुछ छीन लिया जायेगा और इस सम्बन्ध में साम्यवाद का नाम लेकर वे चर्चाधीन विषय को दबाना चाहते हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस देश के लाखों लोगों की सम्पत्ति छीन लेने का कोई प्रश्न हो नहीं है। निश्चय ही यह प्रश्न कुछ व्यक्तियों की सम्पत्ति पर रोक तथा नियंत्रण रखने का है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि इस विषय पर देश में जनमत कराया जाये तो भारत को जनता का बहुमत सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त करने के पक्ष में होगा। मुझे इस बात का संदेह हैं कि शासक दल पर दबाव डाला जा रहा है और जहां तक मेरी जानकारी है वह इस दबाव के आगे पहले ही झुक चुके हैं। इसीलिये प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि वह ऐसी कोई कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। हमें पता चला था कि सरकार श्री नाथपाई के विधेयक का समर्थन करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि उस विधेयक का क्या हुआ है ? क्या उसे भी दबा दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि शासक दल दबाव के आगे झुक गया तो उनकी यह कार्यवाही जनता की इच्छाओं के विरुद्ध होगी। वे जनता का नाम लेकर ऐसे कुछ एकाधिकार गृहों और भू-स्वामियों की सम्पत्ति की रक्षा करना चाहते हैं जिन्होंने जनता का शोषण करके धन एकत्र किया है। उन्होंने संविधान के चतुर्थ अध्याय को ठीक प्रकार से नहीं पढ़ा है। संविधान के तृतीय तथा चतुर्थ अध्याय में बहुत विरोध है। एक ओर तृतीय अध्याय में सम्पत्ति को मूल अधिकार बताया गया है परन्तु दूसरी ओर राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्धान्तों को क्रियान्वित करने में गम्भीर रूप से बाधा पड़ती है। जैसे अनुच्छेद 39 (ख) में लिखा है कि समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हों। इसके साथ ही अनुच्छेद 39 (ख) में लिखा है कि आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिये अहितकारी केन्द्रण न हो। यदि इस देश के लिये राज्य नीति के ये निदेशात्मक सिद्धान्त हैं तो सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार किस प्रकार स्वीकार किया जा सकता है ?

हम प्रतिदिन न्यायालयों में दिये गये निर्णयों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहे हैं। सभी भू-स्वामी सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर निगाह रखे हैं। यह सच है कि 99.9 प्रतिशत न्यायाधीशों का सम्बन्ध समाज के उच्च वर्गों के साथ होता है। फिर उनके बड़ी बड़ी कम्पनियों में हिस्से भी होते हैं। मेरे विचार में हमारे देश में लोकतंत्र को देखते हुए न्यायाधीशों का भी चुनाव होना चाहिये। परन्तु हमारे मंत्रियों को तो यह चिन्ता रहती है कि उनको कैसे अधिक से अधिक सुविधाएं दी जायें।

क्या सरकार ने बदलती हुई परिस्थितियों के लिये उपयुक्त समस्त न्यायिक प्रणाली को फिर से गठित करने के लिये वास्तव में कोई नीति निर्धारित की है। जब परिस्थितियां बदल रही है तो इस मार्ग में संविधान तथा सम्पत्ति का मूल अधिकार बाधक नहीं बन सकता। सम्पत्ति का मूल अधिकार तो अवश्य समाप्त होगा। इस देश के लाखों लोग जीने का अधिकार चाहते हैं। परन्तु यदि कुछ लोग सम्पत्ति के मूल अधिकार की मांग करते हैं तो हम उनका समर्थन नहीं कर सकते।

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : आज हमारे विधान की समस्त प्रणाली ऐसी है जो सामान्य व्यक्ति को कम से कम सम्पत्ति के अधिकार, रोजगार के अधिकार और एक उचित स्तर तक जीवन निर्वाह के अधिकार और शिक्षा के अधिकार से वंचित कर देगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग 20 वर्षों तक हमने सम्पत्ति के अधिकार को पनपने दिया है। एक महीना पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने एक बातचीत के दौरान कहा था कि इस तर्क में काफी सच्चाई है कि भारत में न्याय बेचा जाता है और प्रदान या वितरित नहीं किया जाता। सरकार किसी ऐसे व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं छीनेगी जिसके पास दो बीघे जमीन है। सम्पत्ति का मूल अधिकार दिये जाने से भी सामान्य व्यक्ति को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। हमारे देश में जब तक लोकतंत्रीय प्रणाली है तब तक कोई भी मूर्ख सरकार किसी निर्धन व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं छीनेगी। ऐसी बातें तो भ्रम में डालने के लिये की जाती है।

स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात इस मूल अधिकार का लाभ उठा कर बड़े-बड़े व्यापार गृहों ने अपनी सम्पत्ति को बहुत बढ़ाया है। इस संदर्भ में हमें यह देखना है कि हमारा संविधान पूंजीवाद का कितना पोषक है क्योंकि जो लोग समाजवाद में विश्वास रखते हैं वे उस ढांचे को बदलना चाहेंगे। 20वीं शताब्दी में पूंजीवाद लोकतंत्र की संकल्पना नहीं है ; केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था है। यदि किसी व्यक्ति के अधिकार हैं परन्तु कर्तव्य नहीं है तो राजनीतिक लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जो ईमानदारी से लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, आर्थिक लोकतंत्र अवश्य मिलना चाहिये। यदि वह बाधाओं को दूर नहीं कर सकता और सामाजिक परिवर्तनों को सहन नहीं कर सकता तो उसके लिये ऐसे संविधान का कोई अर्थ नहीं है। हमारे देश में लोकतंत्र है। मैं इस बात को समझता हूं कि बहुत कम लोगों को बड़ी गैर-सरकारी सम्पत्ति जिससे वे करोड़पति बन जाते हैं, की आज्ञा देने में असंगति है। परन्तु इसे स्वतंत्रता का आधार स्वीकार नहीं किया जा सकता। मार्क्सवाद, समाजवाद अथवा लोकतंत्र में निर्धन व्यक्ति की सम्पत्ति सहित ये अधिकार विभिन्न धारणाओं पर आधारित होने चाहिये। परन्तु हमारा विधान विचित्र है। सम्पत्ति की संकल्पना बिलकुल समाज-विरोधी है। यदि ऐसे लोग जिनके पास अधिक सम्पत्ति है कानून को नहीं मानते तो शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा।

श्री बदरुद्दुजा (मुर्शिदाबाद) : मैं समझ नहीं सका कि संविधान में निहित मूल अधिकारों को कम करने की मांग क्यों की गई है। प्रस्तावक ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बुद्धिमत्ता को भी चुनौती दी है। सम्भव है कि उनमें भी कुछ कमियां हों परन्तु उनकी निन्दा करना न आवश्यक है और न ही उचित है। संविधान निर्माताओं ने लिखा है कि देश में एक ऐसा संघीय ढांचा होना चाहिये जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधान मंडल बिना किसी के अधिकारों और विशेषाधिकारों का अतिक्रमण किये कार्य कर सकें। प्रशासन का कार्य ठीक प्रकार से चलना ही चाहिये। यह कोई तर्क नहीं है कि जब लाखों लोगों के पास सम्पत्ति नहीं है तो सम्पत्ति के अधिकार की

आवश्यकता ही क्या है ? फिर उनका कहना है संविधान सभा कोई प्रतिनिधि सभा नहीं जैसा कि आज हमारी संसद है । ये दोनों तर्क निराधार हैं । यदि लाखों लोगों के पास सम्पत्ति नहीं है तो यह आश्वयक नहीं है कि जिनके पास सम्पत्ति हूँ उन्हें उससे वंचित कर दिया जाये । यदि मूल अधिकार छीन लिये जाये तो क्या स्थिति होगी ? मूल अधिकार मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास का साधन है । यह कहना भी अनुचित है कि संविधान के निर्माता, जिनमें डा० राजेन्द्र प्रसाद, राजाजी, और जवाहर लाल नेहरू जैसे लोग थे, जनता के प्रतिनिधि नहीं थे । हम संविधान में निहित मूल अधिकारों को कम करने वाले प्रयास को असफल कर देंगे । यदि जनमत हुआ तो ये लोग असफल सिद्ध होंगे । फिर वे पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चे की साकार के कारनामे देखे हैं । गरीब किसानों की वहां पर क्या स्थिति थी ? वहां पर खड़ी फसलों तक को लूट लिया गया था । हमें इन लोगों का काफी अनुभव है । हम इनके दर्शन से सहमत नहीं हो सकते । हमारे संविधान में भी लिखा है कि केवल कुछ ही लोगों के पास धन एकत्र नहीं होगा ।

अतः मैं प्रस्तावक से अनुरोध करता हूं कि वह इस संकल्प को वापिस ले लें ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : I support the resolution moved by Shri Ram Murti. I have moved an amendment in which I have sought to include means of production. distribution and exchange along with the private property. The purpose of this can be achieved only with this addition. It has always been observed that land is not a private property. It was considered to be village, communal ownership i. e. it belongs to the society and community. The private property has its roots in expropriation. Means of production were expropriated which created inequality and classes in society. It continued upto 1917 when revolution took place in Russia. A new type of civilisation came into existence which abolished private property. It was considered necessary to include the right to property in the constitution keeping in view the circumstances prevailing at that time. But the circumstances have been changed by now. In case we want to go ahead and we want reconstruction of society then we have to change the concept of fundamental right to property envisaged in the constitution. It is an obstacle in the path of progress and it must be removed. The Government shouid move immediately an amensment to the constitution for this purpose.

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : It seems that this resolution has been moved with a political notive. The mover has doubted the integrity of the constitution makers and judges of the Supreme Court which is not proper. It is wrong to say thas the constitution makers were not the representative of the people. In fact they were leaders of the masses and people had faith in them.

There is no objection if we discuss the verdicts of the Supreme Court but if we start criticising the judges of the Supreme Court who belong to an institution which interprets the constitution, then who will interpret it and on whom the country will have its farth ? I am in favour of bringing an end to the exploitation.

We should have property to the extent that it should not lead to exploitation and a ceiling should be imposed to that effect. We have no objection to referendum proposed by Shri Vasudevan Nair. We should not create comfusion unnecessarily. The small farmers should not be disturbed by creating this sort of atmosphere.

विधि तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : सम्पत्ति के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण संविधान के चतुर्थ भाग में उल्लिखित निदेशात्मक सिद्धान्तों में बताया गया है ।

संविधान में लिखा है कि सम्पत्ति का विनियमन इस प्रकार होना चाहिये कि वह केवल कुछ ही व्यक्तियों के नियन्त्रण में न आ जाये ।

उदाहरण के तौर पर संविधान के एक अनुच्छेद में यह उपबन्ध है कि 14 वर्ष तक के सब व्यक्तियों को शिक्षा दी जायेगी । लेकिन आप राज्य सरकार के विरुद्ध उक्त परमादेश को लागू करने के लिये सर्वोच्च या उच्च न्यायालय से नहीं कह सकते ।

1950 में संविधान के लागू किये जाने के पश्चात से ही भारत सरकार तथा अन्य राज्य सरकारें भूमि सुधार सम्बन्धी कानून बनाने का प्रयास कर रही हैं । सब राज्य सरकारों से भूमि सम्बन्धी सुधार करने का अनुरोध किया गया है । भूमि सुधार का अभिप्राय यह है कि किसानों, काश्तकारों, खेतिहरों को सम्पत्ति दी जानी चाहिये और उन व्यक्तियों से सम्पत्ति वापिस ले लेनी चाहिये जिनके पास अधिक सम्पत्ति है । भूमि सुधार से सरकार का अभिप्राय यह है कि लोगों पर सम्पत्ति हो पर उन पर बहुत अधिक सम्पत्ति न हो ।

संविधान में सम्पत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 द्वारा न देकर अनुच्छेद 19 (1) द्वारा दिया गया है । अनुच्छेद 31 में मुआवजे के अधिकार की व्यवस्था की गई है । अनुच्छेद 31 में चार बार संशोधन किये जा चुके हैं । सरकार की यह नीति है कि समयानुसार संसद् और राज्य विधान मंडलों को कानून बनाना होगा जिसके द्वारा व्यक्तिगत नागरिकों और परिवारों की जोतों के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा निर्धारित की जायेगी । सरकार भी इस बात का समर्थन करती है कि लोगों के हाथों में सम्पत्ति का विनियमन होना चाहिये, चाहे यह औद्योगिक सम्पत्ति हो अथवा कृषि सम्पत्ति ।

सरकार ने अपने औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार यह व्यवस्था की हुई है कि कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जाये और उद्योग क्षेत्रों के अधिकार गैर-सरकारी क्षेत्र को दिये जाये । प्राप्त की गई भूमि के सम्बन्ध में मुआवजा निर्धारित करने का अधिकार संसद् को या विधान मण्डलों को है । कानून द्वारा मुआवजा निर्धारित करने की बात मेरे विचार से उचित नहीं है । इस सम्बन्ध में श्री नाथ पाई द्वारा पुरःस्थापित विधेयक का मैं समर्थन करता हूँ । लेकिन कुछ लोगों ने श्री नाथ पाई के विधेयक को मूल भूत अधिकारों का हनन करने की संज्ञा दी है । भारत में ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जानी चाहिये जिसके अन्तर्गत धन या एकाधिकार का जमाव न हो लेकिन ऐसी सम्पत्ति पर अधिकार होना चाहिये जिसकी सीमा निर्धारित की गई हो ।

ऐसे विचार व्यक्त किये जा रहे हैं कि कुछ बातों को निर्धारित करने के उद्देश्य से एक नई संविधान सभा बुलाई जानी चाहिये । आप संविधान सभा का अधिवेशन प्रतिदिन नहीं बुला सकते । संसद् को संविधान सम्बन्धी अधिकार प्राप्त हैं और जब तक यह अनुच्छेद 31 में दिये गये उपबन्धों सहित संविधान के विभिन्न उपबन्धों में संशोधन कर सकती है । श्री राममूर्ति द्वारा प्रस्तुत किये गये संकल्प को स्वीकार नहीं किया जा सकता मुझे आशा है वह अपना संकल्प वापिस ले लेंगे ।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : संकल्प का विरोध संकल्प के शब्दों पर आधारित नहीं है । संकल्प में विशेष रूप से साधारण सम्पत्ति सम्बन्धी मूल अधिकार के बारे में उल्लेख न कर 'उत्पादन

के साधनों में लगाई गई सम्पत्ति के अधिकार के बारे में कहा गया है। अतः संकल्प में जिस सम्पत्ति का उल्लेख किया गया है इसके अलावा जो सम्पति है उसके आधार पर विरोध अनावश्यक है। हमारा संविधान एक अद्वितीय संविधान है और यह देश की सामान्य जनता के साथ एक धोखा है। क्योंकि संविधान को मान्यता प्राप्त है अतः यह एक ही होना चाहिये जिसमें लोगों को न्यायालय में जाने का अधिकार प्राप्त हो। क्योंकि संविधान में यह अधिकार नहीं दिये गये हैं अतः जहां तक अध्याय चार का सम्बन्ध है यह जनता के लिये निरर्थक है।

मूल अधिकारों के मामले को बार बार उठाया जाता है। क्या देश में पैदा होने वाले प्रत्येक बच्चे का यह मूल अधिकार है कि वह देश के लिये जीवित रहे ? यदि देश के लिये जीवित रहना ही उसका मूल अधिकार है तो यदि उसे काम नहीं मिलेगा तो वह कैसे जीवित रहेगा ? क्या आपने संविधान में रोजगार सम्बन्धी कोई मूल अधिकार की व्यवस्था की है ? ऐसा नहीं किया गया है। इसके विपरीत हमने सम्पत्ति के स्वामियों को काफी धनराशि का भुगतान किया है और साधारण नागरिकों को काम सम्बन्धी अधिकार से वंचित रखा है। लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है।

सम्पत्ति अधिकार के बारे में समय समय पर समाज द्वारा या समाज के उचित अंगों द्वारा निर्णय किया जाना चाहिये चाहे वह संसद् हो या समाज का अन्य उचित कोई अंग। यह निर्णय करने का उसको अधिकार होना चाहिये कि सम्पत्ति किस प्रकार की होनी चाहिये और उसकी कितनी सीमा होनी चाहिये ? वे लोकतन्त्र की चर्चा करते हैं। लेकिन उनका लोकतन्त्र में विश्वास नहीं है।

इस विषय पर जनता द्वारा निर्णय किया जाना चाहिये। केवल संविधान में मूलभूत अधिकारों को रखकर काम नहीं चलेगा।

कांग्रेस दल के गत 22 वर्ष के शासन में इस देश में धन की वृद्धि हुई है। ऐसी नीति का अनुसरण करने से क्या लाभ जो स्वयं आपको संतुष्ट न कर सके। सरकार दबाब में आकर नीति में परिवर्तन कर रही है।

सरकार की समाजवाद के सम्बंध में क्या धारणा है ? सरकार आज भी समाजवाद की बात कर रही है लेकिन वह इस बारे में प्रयत्क्ष रूप से कार्यवाही करने में समर्थ नहीं है। वह यह निर्णय नहीं कर पाता कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद इसे लाना चाहिये अथवा नहीं।

विधि मंत्री ने उल्लेख किया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का उल्लंघन किया है। यदि उच्चतम न्यायालय ने संविधान का उल्लंघन किया है तो सरकार संसद् के सामने आने का साहस क्यों नहीं करती, उस पर दोष क्यों नहीं लगाती, और देश के संविधान को उलटने वाला क्यों नहीं कहती सरकार ऐसा नहीं करती क्योंकि वह स्वयं निजी सम्पत्ति के मूल अधिकार के विचार से सहमत है।

इस मामले में अन्त में देश की जनता को निर्णय करना है। सरकार द्वारा निर्धारण नीति से दुर्वव्यवस्था हुई है। हम सामान्य जनता के जीवन के लिये युद्ध कर रहे हैं। जीवन ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है। अतः मैं अपने संकल्प पर जोर देता हूँ और उसे वापिस नहीं लेता।

सभापति महोदय :—मैं सर्व श्री समर गुह और देव राव पाटिल के संशोधन सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendments were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"इस सभा की राय है कि उत्पादन के साधनों में निजी सम्पत्ति का अधिकार वास्तविक लोकतंत्रात्मक समाज के निर्माण के अनुरूप नहीं है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे संविधान में सम्पत्ति के अधिकार का न्यायोचित मूलभूत अधिकारों में शामिल होना देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति के लिए एक भारी बाधा बन गया है सरकार से सिफारिश करती है कि उसे संविधान में तदनुसार संशोन करने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The Motion was negatived.

पश्चिम बंगाल की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के बारे में संकल्प

Resolution Re: Economic and Social problems of West Bengal.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (अलीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"इस सभा की राय है कि सरकार को राष्ट्रपति के शासनाधीन पश्चिमी बंगाल के प्रशासन में भूमि सुधार, बेरोजगारी, शरणार्थियों के पुनर्वास, कलकत्ता के विकास आदि जैसी अविलम्बनीय आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देनी चाहिये।"

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति का शासन लागू हुए डेढ़ महीना हो गया है और अनुभव यह बताता है कि केन्द्रीय मन्त्रियों द्वारा दिये गये कुछ आश्वासनों के बावजूद पश्चिम बंगाल का प्रशासन आजकल सामाजिक तथा आर्थिक समस्याओं के अतिरिक्त लगभग प्रत्येक बात से चिंतित है, जिन पर तुरन्त ध्यान देने और कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय : वह अपना भाषण अगली बार जारी रखें। अब हम आधे घंटे की चर्चा करेंगे।

****उत्तरी वियतनाम के एक प्रकाशन में भारत पर कथित अपलेखात्मक**

Libellous attack on India in a North Vietnam Publication.

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : यह एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामला है। मैं अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा को स्वीकृति दी है। कुछ मामलों में हमारी सरकार की नीति एकदम पक्षपातपूर्ण और कुछ मामलों में चाटुकारिता पूर्ण होती है। यही कारण है कि हमें अपने देश के विरुद्ध प्रचार कभी-कभी दिखाई देता है उत्तरी

**आधे घंटे की चर्चा।

Half-an-hour-Discussion.

वियतनाम में भारत के विरुद्ध किये गये प्रचार की ओर सरकार का ध्यान 'यार्च आफ दी नेशन' और 'करन्ट' समाचारपत्रों तथा मेरे दल ने दिलाया। इस बजट सत्र के प्रारम्भ में जब पुनः सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया तब भी उसने मामले को टालने का प्रयास किया और तत्सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर भी इसी प्रकार से दिये। मेरी तो यह बताना चाहता हूं कि सरकार में इतना साहस ही नहीं है कि वह भारत के विरुद्ध किये गये ऐसे प्रचार का चाहे वह रेडियो मास्को द्वारा किया गया हो, चाहे रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस द्वारा अथवा उत्तरी वियतनाम के घृणित प्रचार के द्वारा जोरदार शब्दो में खंडन करे और जिससे प्रचारकर्ताओं पर कोई प्रभाव पड़े।

श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए।

[SHRI VASUDEVAN NAIR IN THE CHAIR]

मैं सरकार का ध्यान न केवल उत्तरी वियतानाम से सम्बन्धित इस मामले की ओर दिलाना चाहता हूं बल्कि मैं सरकार की इस नीति की कटु आलोचना करना चाहता हूँ कि भारत सरकार की ऐसे मामलों में उपेक्षापूर्ण प्रवृत्ति होती है। पिछले दिनों सीरिया ने भारत का ऐसा नक्शा प्रकाशित किया था जिसमें भारत का एक बड़ा भाग इस्लामी क्षेत्र के रूप में दिखाया गया था। सरकार ने उस मामले को भी टाल दिया। कुछ ही दिन पहले सरकार ने कहा था कि "यू०एस० इम्पोरियलिस्ट्स प्रोपेगन्डर अबाउट एक्टिविटी आफ वियतनाम मस्ट नोट बी बिलीब्ड" नामक प्रकाशन के स्रोत के बारे में उसे पता नहीं है। यद्यपि इसके शीर्षक से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि इसे 1967 में हनोई के 'फोरन इन्फोरमेशन पब्लिशिंग हाउस' ने प्रकाशित किया था। वैसे तो इस शीर्षक की आक्रामक भाषा केवल अमरीको साम्राज्यवाद के विरुद्ध है लेकिन इस पुस्तक के पृष्ठ 26 से 30 पर हमारे देश के विरुद्ध अप्रिय और अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है। वास्तव में यह हमारे लिए शर्मनाक है कि हमने इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया है।

जब श्री बाजपेयी और श्री राममूर्ति ने उसका स्रोत जानने के लिए मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने की मांग की, तो सरकार ने यह कर मामला टाल दिया कि उक्त पुस्तिका पर कोई क्रम संख्या नही है, जब कि उत्तरी वियतनाम से प्रकाशित होने वाले सभी इश्तहारों या पर्चों पर क्रम संख्या होती है। ऐसे प्रकाशनों के पीछे चाहे कोई भी राजनीतिक विचारधारा क्यों न हो, मुझे तो इनके प्रकाशन में स्वयं सरकार का हाथ दिखाई देता है। सरकार के लिए ऐसे मामलों में यह कह देना उचित नहीं है कि उसे प्रकाशन के स्रोत के बारे में जानकारी नहीं है। चूंकि वियतनाम को सरकार ने ऐसा कहा था इसलिए हमारी सरकार ने भी ऐसा ही कह दिया। हमारी सरकार को गम्भीर होकर इस मामले में आगे कार्यवाही करनी चाहिए।

मेरे मित्र श्री कौशिक ने 27 फरवरी 1970 को विदेश मन्त्रालय को एक पत्र लिखा था कि न केवल उत्तरी वियतनाम से आने वाले प्रकाशन पर बल्कि उसकी पुनः मुद्रित और प्रकाशित प्रतियों पर मुद्रक और प्रकाशक का नाम था। जो प्रतियां भारत में वितरित की गई उन पर 'नेशनल बुक एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड, का नाम छपा था और यह फर्म 12 बंकिम चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता 12, में स्थिति है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस प्रकाशक और मुद्रक विशेष के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की है?

भारत-चीन सीमा विवाद, 1965 के भारत-पाक संघर्ष के समय उत्तरी वियतनाम की जो प्रक्रिया थी उससे स्पष्ट होता है कि उत्तरी वियतनाम भारत और भारत सरकार की नीतियों के

पूर्णतः विरुद्ध रहा है, चाहे हम शान्ति में रहे हो या संकट में, उसने सदा ही हमारे शत्रुओं की सहायता की है। इन तथा कथित मित्र देशों के रवैये का आभास हमारी सरकार को 1962 में ही हो गया था फिर उसने इन देशों के प्रति ऐसा रवैया को अपनाया जिससे देश के लोगों और संसद सदस्यों के मन में यह धारणा उत्पन्न हो गई कि हमारी सरकार में साहस और शक्ति ही नहीं है और वह हमारे देश की अखंडता तथा यश-सम्मान की रक्षा करने में असमर्थ है। अतः मेरा अनुरोध है कि हमारी सरकार देश की अखंडता की रक्षा और वहां पर लोकतंत्र बनाये रखने के लिए ऐसे मामलों में उचित कार्यवाही करे। चाहे गलत प्रचार 'रेडियो मास्को, द्वारा किया जाये अथवा उत्तरी वियतनाम द्वारा, हमारे वैदेशिक कार्य मन्त्रालय को उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। सम्बद्ध देशों की सरकारों को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि भविष्य में इस प्रकार का व्यवहार सहन न किया जायेगा और जो देश ऐसे प्रचार को प्रोत्साहन देगा उसे भारत सरकार अपना मित्र नहीं मानेगी। मैं सरकार से यह अनुरोध भी करता हूँ कि सरकार ऐसी बातों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाने की प्रवृत्ति को छोड़ दो।

श्री रा० की० अमीन (ढंढका) क्या सरकार के लिए यह सम्भव नहीं है कि वह इस पर्चे की छपाई और कागज आदि को देखकर यह पता लगाये कि उक्त पर्चा का स्रोत क्या है अर्थात् वह भारत में छापा गया या उत्तरी वियतनाम में? क्या हनोई स्थित अपने महा-वाणिज्य-दूत से यह पता लगाया है कि इस बारे में वास्तविक स्थिति क्या है? अपराधी को पकड़ने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है। मंत्री महोदय इन सब प्रश्नों का उत्तर दें।

Shri Rabi Ray (Puri) : Sir, I extend my thanks to Shai Somani, who brought thir matter before the House. As we are opposed to Voice of America similarly every true Indian will be against the 'Moscow Radio' or 'Pesce and Progress' or such a publication as this. This question was raised in the House about 4 months ago. At that time Members demanded that the enquiry should be instituted into this matter. Inspite of such a demand our Government did nothing in that direction. May I know the reason why the Government have not ordered for an enquiry to find out whether the said pamphlet was published in North Vietnam or in India, though a period of about 4 months has elapsed since it was brought to the notice of Government?

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Sir, we should not be afraid of freedom of expression. In this context I would like to know the requinements for or the criteria on the basis of which a publication is allowed to be published or is banned for publication and circulatiou. Is it not possible that this publication may belong to some other eountry other than North Vietnam and India? Is it not so that it was published by C. I. A. or American imperialists in order to make the relations straimed between North Vietnam and India? I would like to know whether any investigation has been made by Governments in this matter, if so the results thereof? If this publication was put before the member countries of International Control Commission in order to know its source, I would like to know their reactions in this respect. May I also know whether Indian Government have ever asked U. S. A. to withdraw from Vietnam and other Asian countries in view of the fact that the Vietnam issue is becoming more and more difficult.

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : सभापति महोदय, श्रीमान्, मैंने माननीय सदस्य श्री सोमानी का वक्तव्य तथा अन्य सदस्यों के प्रश्न सुने, किन्तु मेरी समझ में अभी तक यह नहीं आया कि यह मामला पुनः क्यों उठाया गया जबकि 25 फरवरी को प्रश्न-काल

में इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी थी। आज मुख्य रूप से यह प्रश्न उठाया गया है कि उक्त पर्चा हनोई से प्रकाशित हुआ था या भारत में। हमें 7 या 8 जनवरी के समाचार पत्रों से इस मामले की जानकारी मिली थी। तभी हमने अपने देश में तथा कन्सल जनरल के माध्यम से हनोई में यह पता लगाने के लिए जांच कराई थी कि उक्त पर्चा कहां से प्रकाशित किया गया। हनोई सरकार ने कहा कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है और यह सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा हनोई से नहीं छापा गया है। अपने देश में कराई गई जांच से भी यह ज्ञात होता है कि वह यहां से प्रकाशित नहीं किया गया। हमें तो उक्त पर्चे की प्रयास करने के पश्चात् भी एक भी प्रति स्वतंत्र दल के कार्यालय से नहीं मिली। मैं चाहता हूं कि श्री सोमानी हमें बतायें की उन्हें यह पर्चा कहां से प्राप्त हुआ। तत्सम्बधी समाचार देखते ही सरकार ने जांच का आदेश दे दिया था किन्तु उक्त पर्चे के स्रोत का पता लगाने में सफलता नहीं मिली। ऐसी पुस्तिकाओं के प्रकाशन और परिचालन पर सरकार को भी अत्यधिक चिन्ता है। मैं सभा को आश्वासन देता हूँ कि इस सम्बन्ध में जांच जारी रहेगी। और हम यह पता लगायेंगे कि उक्त पर्चा कहां से छापा गया था और किसने उसे वितरित किया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस सम्बन्ध में कुछ जांच कर चुका है और आगे भी वह करता रहेगा। जहां तक किसी अन्य देश द्वारा उक्त पर्चे के प्रकाशन का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि हनोई के साथ हमारे सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण है और हम इसके आधार पर हनोई के साथ अपने सम्बन्ध न बिगड़ने देंगे।

कलकत्ते की जिस फर्म का पता हमें दिया गया था, उसके सम्बन्ध में भी हमने जांच की थी। परन्तु उस प्रकाशक से हमें उसकी एक भी प्रति नहीं मिली। साथ ही उक्त फर्म ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने इसे छापा है।

यह कहना बिल्कुल गलत है कि हमारी नीति कमजोर है या दब्बू किस्म की है। जब भी 'रेडियो मास्को' या 'रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस' से हमारे बारे में कोई आलोचनात्मक टिप्पणी होती है, तभी हम रूसी अधिकारियों का ध्यान इस ओर दिलाते हैं। पिछले दिनों रेडियो 'पीस एण्ड प्रोग्रेस' ने राजनीतिक दलों और कुछ व्यक्तियों के बारे से कुछ आलोचना की थी। हमने रूसी अधिकारियों को इस सम्बन्ध में बता दिया था कि इस तरह की बातों से उनके हमारे देश के बीच गलत धारणाएं पैदा हो सकती है और ये हमारे सम्बन्ध सुदृढ़ बनाने में सहायक नहीं होंगी। हमने उनसे यह भी कह दिया कि रूस सरकार इस संगठन विशेष से कहकर ऐसी बातें बन्द करायें।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 4 मई 1970/14 वैशाख 1892 शक के 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday the 4th May, 1970/14th Vaisakha 1892, Saka.

Printed at Law Publishing House, Allahabad.

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

1 मई, 1970 । 11 वैशाख, 1892 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
v	पंक्ति 3 के बाद निम्नलिखित पढ़िये : 'मई दिवस के संबंध में — Re. May Day ....1-3 सदस्य द्वारा शपथ — Member Sworn - 1'
vi	पंक्ति 27 तथा 28 में संख्या '8208' तथा '8209' को क्रमश: '8209' तथा 8210' पढ़िये ।
"	पंक्ति 28 में 'विमान' के स्थान पर 'विभाग' पढ़िये ।
10	पंक्ति 7 में से "Shri Virender Parkash Singh" को निकाल दीजिये ।
10	पंक्ति 23 से पहले 'श्री कंवर लाल गुप्त' पढ़िये ।
"	पंक्ति 28 के पश्चात् निम्नलिखित पढ़िये : "Shri Vidya Charan Shukle: I want separate notice for this."
13	पंक्तियों 24, 34 तथा 38 में 'श्री यशवन्त राव' को क्रमश: 'श्री यशवन्त राव चव्हाण' पढ़िये ।
37	पंक्ति 17 के प्रथम शब्द 'उचित' के स्थान पर 'उचित' पढ़िये ।
84	पंक्ति 26 के प्रारंभ से चिन्ह '-।-' को हटा दिया जाये ।
119	नीचे से पंक्ति 3, 'अनुरूप' के स्थान पर 'अनुपूरक' पढ़िये ।
133	नीचे से पंक्ति 7, के अन्तिम शब्द को 'चिन्ता' पढ़िये ।